लोक-सभा

शुक्रवार,
१६ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

1st Lok Sabha

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उतर

विद्युत् संभरण

*१८२२. **श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शकूर बस्ती स्थित नंगल सब-स्टेशन ने दिल्ली को बिजली देना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां तो उसका परिमाण क्या है;

(ग) इस परिमाण को सरकारी, औद्योगिक तथा आवास की आवश्यकताओं के लिये किस प्रकार वितरित किया जायेगा; और

(घ) यह नया संभरण कब से प्राप्त होगा और कितने परिमाण में प्राप्त होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) १०,००० किलोवाट ।

(ग) इसके लिये कोई निश्चित ढंग नहीं सोचा गया है । विद्युत् शक्ति का वितरण उस दिल्ली राज्य विद्युत् शक्ति नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर मुख्यायुक्त द्वारा किया जाता है जिसे बम्बई विद्युत् (आपात शक्ति) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत बनाया गया है जिसे मांग के महत्व पर विचार करने के उपरान्त दिल्ली राज्य पर लागू किया गया है ।

(घ) अगले वर्ष के मध्य तक १०,००० किलोवाट बिजली प्राप्त होने की संभावना है ।

श्री राधा रमण : शकूर बस्ती में कुल कितनी बिजली पैदा होगी और क्या वह सब दिल्ली राज्य के उपयोग में आयेगी ?

श्री हाथी : उस में थोड़े ही पैदा होगी । उसे नंगल से १०,००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार के पास ऐसे सही आंकड़े हैं जिनसे पता चल सके कि दिल्ली राज्य में सरकारी, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिये कितनी कितनी बिजली की जरूरत है ?

श्री हाथी : ये आंकड़े तो दिल्ली विद्युत बोर्ड से मिल सकते हैं ।

श्री राधा रमण : दिल्ली में अभी जितनी बिजली प्राप्त है क्या वह घरेलू आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है ?

श्री हाथी : जी हां ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार बिजली के आवेदकों के लिये लाइसेंस तथा अन्य प्रतिबन्धों को दूर करने का विचार करती है ?

श्री हाथी : जहां तक घरेलू आवश्यकता का प्रश्न है, यह बात विचाराधीन है । हम ने उन से कहा है कि वे प्रतिबन्धों को कम कर दें ।

सेठ अचल सिंह : यह जो बिजली दी गई है, यह किस रूल से दी गई है और कितने वर्ष के लिये दी गई है ?

श्री हाथी : मुझे इस के बारे में जानकारी नहीं है ।

हथकरघा उद्योग

*१८२४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को हथकरघा उद्योग के लिये रंगाई और तैयारी के सम्मिलित केन्द्र स्थापित करने के लिये अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दी गई वित्तीय सहायता का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५४]**

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो विवरण में दिया गया है कि तीन राज्यों को मद्रास, हैदराबाद और आंध्र को सन् १९५५–५६ के अन्दर जो अनुदान दिये तो क्या इसके पहले उन्होंने ऐसे अनुदान की मांग की थी ?

श्री करमरकर : आम तौर से हैंडलूम बोर्ड के पास इसके बारे में स्टेट्स गवर्नमेंट्स से सिफारिशें आती हैं और उसके बाद अनुदान के बारे में निश्चय किया जाता है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि आगामी वर्ष के लिये सन् १९५६–५७ के लिये इन राज्यों के अतिरिक्त और किसी राज्य ने भी मांग की है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वहां उल्लिखित राज्यों को छोड़ कर किन्हीं अन्य ने कोई मांग की है ?

श्री करमरकर : किस वर्ष के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : अगले वर्ष के लिये ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो विवरण में आठ राज्य दिये गये हैं और उनको अनुदान दिया गया है, तो क्या इन आठ राज्यों के अतिरिक्त और किसी राज्य ने भी इस तरह की मांग की है ?

श्री करमरकर : अभी तक कोई मांग नहीं की है ।

डा० रामा राव : विवरण से ज्ञात होता है कि रंगाई-छपाई संयंत्र के लिये आंध्र को कुछ रकम दी गई है । वह कहां संस्थापित किया जायगा ।

श्री करमरकर : इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बी० के० दास : ऐसे केन्द्र को चलाने में कितना व्यय होगा ?

श्री करमरकर : वह भिन्न भिन्न होगा । विभिन्न प्रकार के ऐसे केन्द्रों की मुझे जानकारी नहीं है ।

संस्कृत में पाठ

*१८२५. **श्री डाभी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २७ मार्च, १९५५ को दिल्ली में आयोजित बाईसवें संस्कृत साहित्य सम्मेलन के इस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है कि आल इंडिया रेडियो को हिन्दी की भांति संस्कृत में पाठ पढ़ाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

केसकर) : (क) सरकार ने एक प्रेस-समाचार देखा है ।

(ख) आल इंडिया रेडियो से स्कूलों के लिये प्रसारण में संस्कृत के पाठों को सम्मिलित करना सरकार के विचाराधीन है। कार्य-क्रमों द्वारा श्रोताओं को यदा-कदा सरल एवं साहित्यिक संस्कृत से परिचित कराया जा रहा है ।

श्री डाभी : सरकार इस काम को कब तक प्रारम्भ करेगी ?

डा० केसकर : इस की तिथि निश्चित करना तो कठिन है । हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसे शीघ्र ही प्रारम्भ करेंगे ।

आम और लीची

*१८२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५ में (३० जून, १९५५ तक) किन-किन देशों को आम और लीची भेजे गये हैं ;

(ख) उन का मूल्य कितना था ;

(ग) विदेशों में आम और लीची की किन किस्मों को पसन्द किया गया ; और

(घ) क्या उनके नियमित निर्यात के लिये सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?.

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). विभिन्न प्रकार के फलों के अलग अलग आंकड़े रखे जाते हैं । समुद्र द्वारा होने वाले व्यापार के विवरणों में केवल ताजे फल" नामक मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत हो इनके आंकड़े प्रकाशित होते हैं ।

(घ) भारतीय फलों को विदेशों में बेचने की एक योजना विचाराधीन है । इसका विस्तत रूप तयार किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य मंत्रालय** ने **कृषि मंत्रालय** को इस तरह के कोई सुझाव या सलाह दी है कि उन फलों को जैसे आम और लीची को जिनको कि विदेशों में पसन्द किया गया है उनकी ग्रोथ को यहां देश में इस प्रकार डेवलप किया जाय ?

श्री करमरकर : जहां तक हिन्दुस्तान में उनकी ग्रोथ डेवलप करने का सवाल है वह तो कृषि मंत्रालय का काम है और इस बारे में उनसे सवाल किया जाना चाहिये ?

श्री विभूति मिश्र : आप मेरा मतलब नहीं समझे । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कोई सुझाव उन फलों की ग्रोथ को डेवलप करने के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य और कृषि मंत्रालय को आमों और लीचियों की उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है ?

श्री करमरकर : भारतीय फलों को विदेशों में बेचने की एक योजना बनाई जा रही है, वसे हम तो सभी बातों को जिन को कि हम समझते हैं कि फलों की ग्रोथ में उन्नति होगी, उनके बारे में सिफारिश करते हैं ।

श्री कामत : हमारे राष्ट्रीय फल की कौन-कौन सी किस्में रूस भेजी गई हैं । क्योंकि तीन महीने पहले हमने यह खुशखबरी सुनी थी कि पंचशील करार में प्रधान मंत्री की नीति बड़ी सफल रही ?

---

*अध्यक्ष महोदय के आदेश से कुछ शब्द निकाल दिये गये ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, क्या यह प्रश्न उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं : इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

अणु शक्ति

*१८२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में ग्रेनाइट पत्थर में अणुशक्ति का पता लगाया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : नहीं श्रीमान ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उसके सम्बन्ध में अन्वेषण होगा ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्यों कि जो लोग वहां पर पत्थर तोड़ने गये हैं उन्होंने ग्रेनाइट रोक में एटेमिक इनर्जी नहीं पायी है और यह दुनिया के किसी और मुल्क में भी अभी तक नहीं निकली है ।

साइकिलें

*१८२९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग**मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-निर्मित साइकिलों को उन विदेशी बाजारों में प्रशुल्क और अन्य करों के बारे में कुछ रियायत दी जाती है जहां के लिये वे निर्यात की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां यह रियायत दी जाती है और रियायत किस प्रकार की है; और

(ग) इस उद्योग के लिये निर्यात-बाजार का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). हां श्रीमान्, कुछ बाजारों में । जो रियायतें की जाती हैं, उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५५)**

(ग) साइकिलों का निर्यात स्वतंत्र रूप से आज्ञप्त है । निर्यात की जाने वाली साइकिलों के निर्माण के लिये कुछ आयात किये गये सामान के आयात-शुल्क में निर्माताओं को ७।८ शुल्क छुट दी जाती है । इंजीनियरिंग सामान के लिये जो निर्यात अभिवद्धि परिषद् शीघ्र ही बनाई जाने को है वह साइकिल निर्यात में वद्धि करने के तरीके भी निकालेगी ।

श्री मेघनाद साहा :साईकिल निर्माण के ये सामान हमारे देश में ही पाये जाते हैं या आयात किये जाते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): केवल ट्युब को छोड़ कर लगभग सभी सामान यहीं बनता है ।

श्री मघनाद साहा : ये ट्यूबें कैसी हैं !

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैंने कहा, ट्यूब को छोड़ कर सब सामान यहीं तैयार किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं, ये टयूबें कैसी होती हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अच्छा । ये इस्पात की होती हैं जो साइकिलों में लगाई जाती हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या उन्हें यही बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां ऐसी कोशिश की जा रही है ।

डा० रामा राव : विवरण से ज्ञात होता है कि तीन देश प्रशुल्क में रियायत देते हैं किन्तु उनको कोई निर्यात ही नहीं किया गया। इन देशों को भारत में प्रशुल्क की क्या छूट दी जाती है और भारत से उन्हें क्या वस्तुयें निर्यात की जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब हम सत्र में जी० ए० टी० टी० पर चर्चा करें तब यह प्रश्न किया जा सकता है।

ट्रैक्टर

*१८३१. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या भारत में सस्ते ट्रैक्टर बनाने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यद्यपि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं, तथापि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन भारत में कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टरों के प्रगतिपूर्ण निर्माण के लिये दो आवेदन आये हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री विश्व नाथ राय : बनाये जाने वाले ट्रैक्टर का मूल्य कितना होगा ?

श्री करमरकर : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री विश्व नाथ राय : वास्तविक निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री करमरकर : आवेदनों पर विचार होगा और यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ ली जायेगी। अतः एकाध वर्ष में काम शुरू होगा।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या ये ट्रैक्टर धान क्षेत्रों के लिये भी अच्छे साबित होंगे जहां कीचड़ रहता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रैक्टर धान वाले क्षेत्रों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे।

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

मुद्रकों, छपाई करने वालों, आदि को पुरस्कार

*१८३२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह योजना बनाई है कि मुद्रकों, प्रकाशकों और डिज़ाइन बनाने वालों को वार्षिक पुरस्कार दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है; और

(ग) ऐसे पुरस्कारों के साथ क्या शर्तें रहेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). हां श्रीमान्, ऐसे पुरस्कारों का उद्देश्य, मुद्रण, प्रकाशन और डिज़ाइन बनाने के मानों में सौन्दर्य बढ़ाना और प्रोत्साहन देना है।

(ग) शर्तें आदि विवरण में दी गई हैं, जो सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५६]

श्री भागवत झा आजाद : प्रतियोगिता और प्रदर्शन के लिये सरकार द्वारा आमंत्रित नमूने राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होंगे अथवा सीधे ही केन्द्रीय सरकार के पास आयेंगे और उनको किस प्रकार जांचा जायेगा ?

डा० केसकर : मैं बाद की बात समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : इन भेजे गए नमूनों को यहां किस प्रकार जांचा जायेगा : क्या वे सीधे ही भारत सरकार के पास भेजे जायेंगे अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त होंगे ?

डा० केसकर : ये नमूने सीधे ही भारत सरकार के पास भेजे जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रतियोगिता के लिये भेजे जाने वाले इन नमूनों में जो उत्तीर्ण समझे जायेंगे उन पर किस प्रकार का पुरस्कार दिया जाने का विचार है ?

डा० केसकर : हम ने उस सम्बन्ध में अभी ठीक निश्चय नहीं किया है । किन्तु यह कोई पेचीदा प्रतियोगिता नहीं । वास्तव में हमारा यह अभिप्राय है कि छपाई, डिज़ाइन, आदि के अच्छी प्रकार के और अधिक कलात्मक नमूनों को प्रोत्साहन मिले ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या छपाई करने वालों की कोई अखिल भारतीय सन्था है, और क्या उसके साथ कोई सम्पर्क रखा गया है ?

डा० केसकर : इस प्रकार की सन्था के साथ सम्पर्क रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति और इस प्रतियोगिता में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की जायेगी ताकि लोग अधिकतम संख्या में अपने सर्वश्रेष्ठ उत्पादनों को भेज सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि छपाई करने वाली इस सन्था में भारत के सभी छपाई उद्योगों का प्रतिनिधित्व है ?

डा० केसकर : हो सकता है कि यह बात सच हो ।

नदी घाटी परियोजना प्राविधिक कर्मचारीवर्ग समिति

*१८३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी घाटी परियोजना प्राविधिक कर्मचारीवर्ग समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से सरकार ने उसे जांचा है; और

(ग) इस प्रतिवेदन की कौन सी सिफारिशों को कार्यान्विति के लिये स्वीकार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उक्त समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री हाथी : उन्होंने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस प्रतिवेदन में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये अपेक्षित प्राविधिक कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गई है और, यदि हां, तो उक्त सिफारिश का क्या स्वरूप है ?

श्री हाथी : उन्होंने १९५५ से १९६१ तक के लिये अपेक्षित स्नातकों की संख्या का एक सरसरी प्राक्कलन तैयार किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या नदी घाटी परियोजनाओं के लिये भारत सरकार के पास एक अखिल भारतीय इंजीनियर पदाली बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : सिंचाई और विद्युत् इंजीनियरों की उभयपक्षीय सेवा का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारत–फ्रांसीसी करार

*१८३५. **सरदार अकरपुरी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांसीसी करार के अन्तर्नियम ३ और १७ के अनुसार भारत

सरकार ने शासनमुक्त होने वाली पाण्डिचेरी स्थित फ्रांसीसी सरकार के सभी दायित्वों को संभालने का इक़रार किया था; और

(ख) यदि हां, तो विलय से पहले फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा जारी की गई आयात अनुज्ञप्तियों का अब तक पुनर्मान्यीकरण क्यों नहीं हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विलय से पहले फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा जारी की गई सभी आयात अनुज्ञप्तियां जो विलय की तारीख को मान्य थीं, पाण्डिचेरी स्थित आयात तथा निर्यात के मख्य नियंत्रक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पुनः मान्यीकृत की गई ।

सरदार अकरपुरी : क्या सरकार को मालूम है कि फ्रांसीसी सरकार ने दीर्घकालीन आयात के लिये कई ग़ैर-सरकारी सार्थों के साथ क़रार किये थे और क्या सरकार इन क़रारों पर विचार करेगी और उन पर खण्ड ३ लागू करेगी ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन प्रविष्टियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो फ्रांसीसी सरकार ने खुले बाज़ार में विदेशी विनिमय (मुद्रा) का क्रय करने वालों की प्रार्थना-पत्र पर की हैं ।

जहां तक इस प्रकार की प्रविष्टियों का सम्बन्ध है, हम इन सभी मामलों पर उनके गुणावगुणों के अनसार ही विचार करते हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि १ अक्तूबर, १९५४ से पहले पुरानी आयात अनुज्ञप्तियों के मूल्य की केवल एक तिहाई का पुनःमान्यीकरण हुआ है ?

श्री करमरकर : १–११–५४ से पहले के नियमों के अनुसार उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को, जिनके नाम फ़्रांसीसी अधिकारियों ने अनुज्ञप्तियां जारी की थीं, बताया गया था कि वे भारतीय आयात-नियंत्रक को प्रार्थना-पत्र भेजें और मुझे पता चला है कि इस सूचना के अनुसार इस प्रकार पुनःमान्यीकरण के ७१७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा ४४ लाख रुपये के मूल्य के ६७७ प्रार्थना-पत्रों का पुनः मान्यीकरण हुआ । शेष ४० अनुज्ञप्तियां इस तारीख से पहले ही समाप्त हो चुकी थीं अतः उनके पुनः मान्यीकरण का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

१९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प

***१८३७. डा० रामा राव** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प का पुनर्विलोकन और रूपभेद करने का आयोजन है;

(ख) क्या प्रस्तावित रूपभेद केवल कोयले से सम्बन्ध रखता है अथवा संकल्प में उल्लिखित छः उद्योगों में से किसी एक से; और

(ग) कोयले के सम्बन्ध में उन खनिज पट्टों की संख्या कितनी है जो १० वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल के तथा २० वर्ष की अवधि से अधिक के हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि १९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प अभी भी मान्य है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

डा० रामा राव : हम सरकारी क्षेत्र में २५० लाख टन कोयला पैदा करना चाहते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये

सरकार क्या करेगी ? क्या वह इस संकल्प के विरुद्ध नये लाइसेंस देगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : ये मामले इस समय सरकार के विचाराधीन हैं और मेरे लिये अपने आप को वचनबद्ध करना उचित नहीं होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत तीन वर्षों से भारतीय माइनिंग एसोसियेशन (भारतीय खनन सन्था) ने यह प्रश्न उठाया है, क्या हम जान सकते हैं कि कोयला सम्बन्धी प्रश्न के बारे में नीति कब घोषित की जायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : बहुत शीघ्र ।

श्री कामत : क्या यह सच नहीं है कि आवडी संकल्प में कोई ऐसी नई बात नहीं जिस के कारण पुरानी आर्थिक नीति को बदलना आवश्क हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस प्रश्न के अभिप्राय को नहीं समझा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कोयले के सम्बन्ध में अस्थायी प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन हमें लक्ष्य का लगभग २५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र द्वारा प्राप्त करना है । तो इस संकल्प को संशोधित किये बिना गैर-सरकारी क्षेत्र लक्ष्य का ७५ प्रतिशत कैसे प्राप्त कर उकता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं उस पूर्व धारणा को नहीं समझा जिस पर माननीय सदस्य का प्रश्न आधारित है ।

अध्यक्ष महोदय : पूर्वधारणा यह प्रतीत होती है कि सरकारी क्षेत्र के लिये २५ प्रतिशत निश्चित किया जायेगा । नीति में संशोधन किये बिना गैर-सरकारी क्षेत्र शेष ७५ प्रतिशत उत्पादन कैसे करेंगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य की पूर्वधारणा गलत है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प का अनुसरण किया गया है या उल्लंघन ?

श्री के० सी० रेड्डी : जितना हो सकता था इसका अनुसरण किया गया ।

भावनगर में तेल शोधन कारखाना

*१८३८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्ज़ क्रेब्स ए–सी नाम के फ्रांसीसी सार्थ की ओर से किये गये भावनगर में एक चौथा तेल शोधन कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या प्रस्ताव की शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक उद्योगपति से सौराष्ट्र की सरकार द्वारा भावनगर में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने का केवल एक प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रतीत होता है कि मैसर्ज़ क्रेब्स ने परियोजना में टेकनिकल और वित्तीय सहयोग देने का प्रस्ताव किया है । विस्तृत जांच के लिये पूरी जानकारी देने वाले प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार का भारत में चौथा तेल शोधन कारखाना स्थापित करन का विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य

की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि चौथा तेल शोधन कारखाना मद्रास राज्य में स्थापित किया जाये; यदि हां, तो भारत सरकार का क्या प्रत्युत्तर है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस का ज्ञान नहीं है; संभवतः उन्होंने योजना आयोग को लिखा होगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि १९४८ की औद्योगिक नीति घोषणा के अनुसार भारत सरकार को अधिकांश महत्वपूर्ण उद्योगों का पूंजीकरण करना होगा और क्या यह सच नहीं है कि इन सब तेल शोधन कारखानों के मामले में अधिकांश पूंजी भारत के बाहर से आमंत्रित की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य संकल्प को ध्यान से पढ़ें, तो वह देखेंगे कि उस में इस प्रकार का कोई निश्चित विवरण नहीं है । इस संकल्प पर और विचार किया गया है और कुछ अग्रेतर स्पष्टीकरण भी हुआ है । अस्पष्ट मामलों की चर्चा करना कठिन है, क्योंकि इनका निर्णय नहीं किया जा सकता ।

श्री जोकीम आल्वा : इस प्रस्तावित क़रार की, जो इस मामले में किया जायेगा, जांच करते हुए क्या सरकार यह ध्यान में रखेगी कि तेल शोधन समवायों के साथ किये गये गत करार के दौरान में जो गलती हुई थी, वह फिर न हो और क्या सरकार शोधित तेल के परिवहन का अधिकार केवल भारतीय तेलवाहक जहाज़ों के लिये सुरक्षित रखेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य बहुत पूर्वाधारण कर रहे हैं । उन्हें अपने विस्तृत प्रस्ताव देने हैं । सारे मामले पर विचार के समय माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

गोआ में भारतीय जलयानों का निरोध

***१८४०. श्री एम० डी० जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स बहुत से जलयान जो कि १९५३ और १९५४ में गोआ के तट से गोआ की बन्दरगाहों में जहाज़ों तक सामान ले जाने के लिये प्रयोग में लाये जाते थे, बहुत समय तक गोआ की सीमा के अन्दर निरुद्ध रखे गये थे और उन्हें बिना किसी दोष के भारत में अपने स्थानों पर वापस नहीं आने दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनको गोआ प्राधिकारियों ने कितनी देर तक निरुद्ध रखा था;

(ग) उन में से कितनों को अब अपने स्थानों पर वापस आने दिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि इन जलयानों के स्वामियों ने इस अनुचित निरोध के बारे में भारत सरकार से शिकायतें की थीं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या पग उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ङ). अगस्त, १९५४ में पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा भारतीयों को सहसा निकाल देने के कारण ३५ भारतीय जलयानों को गोआ में रुकना पड़ा था । इन जलयानों के स्वामियों और नाविकों से प्राप्त शिकायतें जांच के लिये गोआ में भारत के महावाणिज्य-दूत को भेज दी गई थीं और उनसे कहा गया था कि वह कर्मचारियों के लिये अपने जलयान गोआ में जा कर भारत वापस लाने के लिये यात्रा सुविधायें प्राप्त करें ।

पुर्तगाली प्राधिकारियों ने सुविधायें देने की इच्छा प्रकट की थी, किन्तु उन्होंने विलम्बकारी तरीके अपनायें और अन्त में केवल

४ व्यक्तियों को दृष्टांक देना स्वीकार किया। पुर्तगाली प्राधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान में बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण महावाणिज्य-दूत को वापस बुला लिया गया था। अतः सरकार यह जानकारी नहीं दे सकती कि कितने जलयान अभी गोआ में रुके पड़े हैं।

श्री एम० डी० जोशी : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि निरोध के कारण जहाज़ी सामान के परिवहन को कितनी हानि हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने कहा है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कितने जलयान रुके हुए हैं। किन्तु पहले ३५ जलयान रुके हुए थे और इन में से प्रत्येक का मूल्य ८,००० रुपये से २५,००० रुपये तक है।

श्री एम० डी० जोशी : सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्ट है कि हम इस समय कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री एम० डी० जोशी : क्या यह सच है कि गोआ के निकट समुद्र में इन जहाज़ों के सामान आदि की रक्षा का कोई प्रबन्ध किये बिना इन्हें गोआ पत्तन से निकाल दिया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने अपने उत्तर में कहा है कि इन्हें अकस्मात् गोआ से निकाल दिया गया था।

श्री बी० एस० मर्त्ति : इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि अन्य लोग इन जहाज़ों का प्रयोग न करें, क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वहां हमारा प्रतिनिधि नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं ?

आदिम जाति कल्याण योजनायें

*१८४१. **श्री देवगम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों से जानकारी न मिलने के कारण, आदिम जाति कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में पहली पंच वर्षीय योजना के कार्य का अनुमान लगाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत कम राज्यों के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण की योजनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वार क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) कुछ मामलों में विभिन्न आदिम जाति कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति में की गई प्रगति के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली ; रज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह जानकारी दें।

(ख) जी नहीं। लगभग सभी राज्यों का अपनी पहली योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कार्यक्रम हैं। तथापि कुछ मामलों में योजनायें वर्ष प्रतिवर्ष तदर्थ आधार पर बनाई गई थीं।

(ग) अभी हाल में अब तक की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये और दूसरी योजना के प्रस्तावों के लिये आधार तय करने के लिये योजना आयोग ने लगभग छः राज्यों का, जिन की बड़ी बड़ी कल्याण योजनायें हैं, एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन के सुझावों और सिफ़ारिशों को सब राज्यों में परिचालित किया गया हैं, ताकि वे दूसरी

पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न योजनायें बनाने और क्रियान्वित करने में सहायता प्राप्त कर सकें ।

श्री देवगम : क्या आदिम जातियों के कल्याण की इन योजनाओं में सिंचाई की योजनायें भी सम्मिलित हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है कि सिंचाई की योजनायें आम तौर पर कल्याण की योजनाओं में नहीं आ सकतीं ।

श्री देवगम : क्या सरकार को मालूम है कि केवल कुछ योजनाओं को छोड़ कर सारी लघु योजनायें असफल हो गई हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : असफलता की सूचना तो हमें नहीं मिली है, बल्कि कामयाबी की ही सूचना मिली है ।

श्री देवगम : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि श्री श्रीकान्त की रिपोर्ट में यह सूचना सम्मिलित है कि वे योजनायें असफल हो गई हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : पहले जो काम की गति कम थी, उसकी तरफ उनकी रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है, लेकिन इधर हमारा काम बड़ी तेजी से बढ़ा है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन कामों को किया जाना था, वे बहुत हद तक हो जायेंगे ऐसी उम्मीद है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कल्याण सम्बन्धी कार्यों में कौन-कौन सी योजनायें सम्मिलित की गई हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : सारी तफ़सीलात में जाने में तो बहुत समय लगेगा, अगर माननीय सदस्य कुछ सूचना चाहते हैं, तो मैं बाद में दे सकूंगा ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-कौन से राज्यों से पूरी सूचना नहीं आई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जिस तरह की सूचना हम चाहते थे और नियमित रूप से चाहते थे, उस तरह की सूचना बहुत से राज्यों से नहीं आई है, इसलिये यहां पर किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

***१८४३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिम प्रतिकर योजना के अधीन अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है; और

(ख) उन्हें कुल कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३१-७-५५ तक ६२,३२४ विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है । ये उन ११,५०० दावेदारों के अतिरिक्त हैं जिन्हें २,२९,४७५ एकड़ भूमि दी गई है, और ३३,८५,६७६ रुपये की बगीचे की भूमि दी गई है ।

(ख) १८,१२,३५,२०५ रुपये दिये गये हैं; जिसका ब्योरा यह है :

	रुपये
(१) नकदी में	१२,७४,७९,३४८
(२) सम्पत्ति के हस्तांतरण द्वारा	२,९४,८१,७५०
(३) सरकारी देय के समायोजन द्वारा	२,४२,७४,१०७
योग	१८,१२,३५,२०५

सरदार इकबाल सिंह : सरकार उस नई प्रतिकर योजना को जो सभा ने हाल में पारित की है कब प्रवर्तित करेगी; क्या वह उन व्यक्तियों पर रोक नहीं लगायेगी जिन्होंने पहले वर्ष में अन्तरिम प्रतिकर लिया है ?

श्री जे० के० भोंसले : उन पर रोक नहीं लगाई जायगी, किन्तु जहां भी अन्तर होगा, वह दिया जायेगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार यह प्रबन्ध करेगी कि छोटे दावेदारों को, जिन्हें अन्तरिम प्रतिकर दिया गया है, पहले वर्ष में रुपया दिया जाये ?

श्री जे० के० भोंसले: हम ने कल सभा में यही वक्तव्य दिया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मामलों की अधिक शीघ्रता से निपटाने की राह में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : उन नियमों को पारित करना, जो अभी कल ही पारित किये गये थे ।

बेघर लोगों के लिये निवास-स्थान

*१८४४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि नगरों में बेघर लोगों की संख्या क्या है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हें निवास-स्थान देने के लिये कोई योजना बनाई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) इन में से बहुत से राज्य सरकारों द्वारा गन्दी बस्तियों को साफ़ करने के आन्दोलन और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के अधीन आ जाने चाहियें ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जिन लोगों का कोई घर-बार नहीं है, उन के बारे में आंकड़े क्यों नहीं तैयार किये जा रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ने यह नहीं कहा है कि ये आंकड़े तैयार नहीं किये जा रहे हैं—मैं ने कहा है कि वे तैयार नहीं किये जा सके हैं । इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया है और इस तरफ तवज्जह दिलाई गई है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कितने दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरह की सूचना दी गयी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफरेंस जो कि जून में हुई थी उसमें इस बात की चर्चा हुई थी और इस आशय का एक प्रस्ताव पेश हुआ था ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: बेघर लोगों को मकान देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्या सहायता दी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को औद्योगिक क्षेत्र की आवास योजना और सामान्य आवास योजना का पूरा ज्ञान है । इस समय इस प्रकार की सहायता दी जा रही है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : गत जून में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में, मंत्री महोदय ने ज्योतिष की सी बहुत बड़ी संख्या बताई थी । क्या यह किसी अस्थायी योजना पर आधारित थी या यह स्थिति का मोटे तौर पर अनुमान था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : "ज्योतिषिक" शब्द का महाव स्वीकार करना मेरे लिये कठिन है । किन्तु यह मानी हुई बात है कि देश में मकानों की काफ़ी कमी है । कुछ अस्थायी आंकड़ों को ध्यान में रखा गया था । इसका उद्देश्य यह बताना था कि देश में मकानों की वर्तमान कमी को अत्यधिक तेजी से मकान बना कर भी दूर नहीं किया जा सकता ।

अस्पृश्यता पर फिल्म (चलचित्र)

*१८४५. **श्री काजरोल्कर:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिये सरकार का शिक्षात्मक फिल्में बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) फिल्में किन भाषाओं में बनाई जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) "अधिक अच्छे समाज की ओर" नामक एक प्रलेखीय फिल्म १९५३ में बनाई और वितरित की गई थी। "हरिजन कल्याण" नामक एक और फिल्म तैयार हो रही है । एक पूरी लम्बाई की फिल्म बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई फिल्मों का समन्वय करन का प्रबन्ध भी किया जा रहा है ।

(ग) फिल्म विभाग की प्रलेखीय फिल्में, पांच भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली तामिल और तेलगू में बनाई गई हैं ।

श्री काजरोल्कर : क्या सरकार का विचार इस चित्र को १६ एम०एम० के फिल्म में सारी भारतीय भाषाओं में बनाने का है जिससे कि इसे सम्पूर्ण देश में सिनेमा गाड़ियों में दिखाया जा सके ?

डा० केसकर : हम निश्चय ही इन चित्रों को अन्य भारतीय भाषाओं में भी बनाने का प्रयत्न करेंगे । मैं माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हमारा विचार इस प्रकार कम से कम एक चित्र प्रति वर्ष बनाने का है। साधारणत: सभी चित्रों को, जो ३५ एम० एम० में बनते हैं, १६ एम० एम० में भी तैयार किया जाता है ।

श्री धुसिया : क्या सरकार ऐसे चित्रों को बनाने में परामर्श देने के लिये कुछ अछूतों को भी लेने पर विचार कर रही है ?

डा० केसकर : ऐसे चित्रों का उद्देश्य अस्पृश्यता का अन्त कराना है । यह बड़ा दुष्कर और कठिन प्रश्न है, ऐसे चित्र बनाने में विभिन्न लोगों से सम्मति लेने का प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न तो यह है कि हमें यह देखना है कि जो लोग अस्पृश्यता की समाप्ति के विरुद्ध हैं और अस्पृश्यता को व्यवहार में ला रहे हैं उन पर चित्र का क्या प्रभाव पड़ेगा और यह भी देखना है कि वे प्राचीन काल की परम्पराओं को छोड़ते हैं या नहीं ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या सरकार सिनेमाघरों में दिखाने के लिये इन चित्रों का वितरण करने पर कुछ शुल्क वसूल करेगी अथवा नि:शुल्क देगी ?

डा० केसकर : जहां तक साधारण सिनेमाओं का सम्बन्ध है जो वाणिज्यिक फिल्में दिखाते हैं, उनको ये चित्र अन्य प्रलेख चित्रों के नियमों के अनुसार ही दिये जायेंगे ।

सुअर आदि के बाल

*१८४६. **श्री धुसिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें सुअर आदि के बाल बहुतायत में होते हैं; और

(ख) इनका किन-किन विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ।

(ख) सुअर आदि के बालों का उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्रुशों, जैसे सौन्दर्य प्रसाधन, फर्श बनाने, पालिश और चित्र बनाने के ब्रुश, को बनाने में, क्रिकेट की गेंदों पर लपेटने और ढकने तथा जूते के तलों की सिलाई आदि में होता है ।

श्री धुसिया : इनकी खपत हमारे देश में होती है अथवा विदेशों में ?

श्री करमरकर : जो चीज़ें हमारे देश में बनती हैं उनमें उनकी खपत यहां होती है और जो विदेशों में बनती हैं उनमें उनकी खपत विदेशों में होती है ।

श्री धुसिया : हमारे देश के वे भिन्न-भिन्न भाग कौन से हैं जहां उनका उपभोग निर्माण कार्यों में किया जाता है ?

श्री करमरकर : इसके विषय में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

पांडिचेरी में विकास कार्य

*१८४७. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पांडिचेरी राज्य के आयव्ययक में विकास कार्य के लिये ५० लाख रुपये से अधिक का उपबन्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पांडिचेरी राज्य में कोई सामुदायिक विकास परियोजनायें चालू हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५७] । चालू वर्ष के आयव्ययक में ५०·१४ लाख रुपया रखा गया है ।

(ग) हां ।

(घ) दो ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ये विकास कार्य भारत के अन्य भागों में होने वाले कार्यों के समान ही हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह प्रश्न राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के सम्बन्ध में है अथवा सामान्य विकास कार्य के सम्बन्ध में ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह सामान्य विकास के सम्बन्ध में है ।

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्टतः, यह कार्य उसी प्रकार का होगा जैसा कि भारत के अन्य भागों में हो रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : पांडिचेरी के लिये जो दो खण्ड मंजूर किये गये हैं, क्या वे इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वहां की जनसंख्या ढाई लाख से अधिक नहीं है ।

धुलाई

*१८४८. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ और साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के फ्लेटों में कपड़े (पर्दे आदि) की धुलाई के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक फर्म को उस दर से अधिक पैसे देने पड़ते हैं, जिस दर से पहले स्थानीय धोबियों को धुलाई दी जाती थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) फर्म की धुलाई का काम ऊंचे दर्जे का है। फर्म कोई भी खराबी या खो जाने की जिम्मेदारी भी लेती है ।

श्री बी० डी० शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पहले इस कम्पनी को कपड़े किस रेट पर दिये जाते थे और अब उसी कम्पनी को किस रेट से दिये जाते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो बहुत ही छोटा मामला है। इसमें सारा पंद्रह बीस रुपये का फर्क पड़ता है। मैं नहीं समझता कि इतने छोटे मसले के लिये हाउस का वक्त जाया किया जाय ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

***१८४६. श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की कोई शाखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य, विशेषकर स्थानीय घरेलू धन्धे जैसे "कोंडापल्ली खिलौने" के सम्बन्ध में, क्या हैं; और

(ग) इस कार्य के लिये १९५४–५५ में और १९५५–५६ में अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं। खादी उद्योग के विकास के लिये बोर्ड अपने कार्य प्रमाणित खादी संस्थाओं के द्वारा और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये सहकारी संस्थाओं और पंजीबद्ध संस्थाओं के द्वारा करता है। बोर्ड का उप-प्रदेशीय निदेशक जिसका मुख्यालय काकिनादा में है, आन्ध्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य बोर्ड में केन्द्रीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है और दोनों के बीच समन्वयकारी सम्पर्क का कार्य करता है ।

(ख) खादी के उत्पादन और बिक्री के अतिरिक्त बोर्ड ने पंजीबद्ध निकायों को राज्य के गांवों में चमड़ा, तेल और हाथ से धान कूटने के उद्योगों के विकास के लिये वित्तीय सहायता दी है। "कोंडापल्ली खिलौने" के विकास का कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा न किया जा कर अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने अपने हाथों में लिया है। स्थानीय खिलौने निर्माता सहकारी संस्था की सहायता से खिलौने बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना आरम्भ की गई है ।

(ग) १९५४–५५ में "कोंडापल्ली खिलौनों" के विकास के लिये ५,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था। १९५५–५६ में खिलोने बनाने की कला में प्रशिक्षण देने की योजना के लिये ५,४०० रुपये की राशी मंजूर की गई है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : खादी बोर्ड के अधीन किन-किन केन्द्रों में चमड़ा कमाने का उद्योग चल रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं अभी केन्द्रों के नाम नहीं बता सकता। खादी बोर्ड सामान्यत: उन स्थानों में ऐसा कार्य करता है जहां उनके अपने काम करने वाले हों और जहां विकास की सम्भावना हो ।

श्री बी० एस० मूर्ति : सहायता वैयक्तिक आधार पर दी जा रही है अथवा सहकारिता के आधार पर ?

श्री सतीश चन्द्र : खादी बोर्ड केवल मान्यताप्राप्त संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को अनुदान और ऋण देता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या ये "कोंडापल्ली खिलौने" विदेश भी भेजे जाते हैं, और यदि हां, तो किन-किन देशों को ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे जानकारी नहीं है, किन्तु मैं नहीं समझता कि उनका निर्यात किया जा रहा है। उक्त उद्योग के विकास करने और अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये अब प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : १९५४–५५ में जो अनुदान दिया गया है उसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन के इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रश्न आँन्ध्र के सम्बन्ध में है । मेरे पास प्रतिशतता तो नहीं किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उत्पादन के आंकड़े बता सकता हूं । १९५५–५६ में ४५,५०,००० रुपये के मूल्य की खादी उत्पादन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है ।

तम्बाकू उद्योग

*१८५०. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में तम्बाकू के उत्पादन में कितने विदेशी कम्पनीयां लगी हुई हैं और उनमें कितनी विदेशी पूंजी लगाई गयी है ;

(ख) क्या उन कम्पनीयों में भारतीय पूंजी भी लगाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोई नहीं, जहां तक कि सरकार को पता है । परन्तु यह कहा जा सकता है कि एक विदेशी कम्पनी तम्बाकू को तैयार करने का (क्योर करने का) काम कर रही है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

डा० सत्यवादी : सिगरेट वगैरह बनाने का काम भी कोई कम्पनी कर रही है ?

श्री करमरकर : जी हां, १७ कम्पनीयां सिगरेट बनाने का काम कर रही हैं ।

डा० सत्यवादी : इन कम्पनीयों में हिन्दुस्तानी और गैर मुल्की सरमाये (पूंजी) का क्या तनासुब है ?

श्री करमरकर : उनमें से ८ फैक्टरियां तो हिन्दुस्तानी हैं, १ फैक्टरी प्रीडोमिनेंटली हिन्दुस्तानी है, १ थोड़ी फ़ौरेन है और १ में पूंजी का कुछ अंश भारतीय अंशदान के लिये रखा गया है और बाकी जो ७ फ़ैक्टरियां रह गयीं उनमें सब में फ़ौरेन इन्वेस्टमैंट है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : तम्बाकू के क्षेत्र में उत्पादन के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगभग कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ?

श्री करमरकर : क्या वह भारतीय बनाम विदेशी पूंजी का अनुपात जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उत्पादन के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगी पूंजी ।

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री के० के० बसु : विदेशी सिगरेट निर्माताओं की तुलना में पूर्णरूपेण अथवा अंशिक रूप में भारतीय स्वामित्व के समवायों द्वारा सिगरेट उत्पादन का क्या अनुपात है ?

श्री करमरकर : तम्बाकू का उत्पादन ?

श्री के० के० बसु : मैं सिगरेट के विषय में पूछ रहा हूं ।

श्री करमरकर : मेरे पास यहां इसकी जानकारी नहीं है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने इम्पीरियल टोबैको कम्पनी की कभी जांच की है जो कि एक भयानक मूल्य संघ है और जिसने एक सर्वोत्तम भारतीय कारखाने को हड़पने की चेष्टा की है, जो हैदराबाद में चार मीनार सिगरेट बनाया करता था । दूसरे क्या सरकार ने भारत में जर्मन अथवा ज़ेकोस्लोवेकिया को मशीनों का आयात करके भारतीय पूंजी और भारतीय कारीगरों के द्वारा यहां सिगरेट बनाने के लिये भारतीय

फर्मों को प्रोत्साहन देने की सम्भावना की जांच की है ?

श्री करमरकर : मैं अत्यन्त आदर के साथ निवेदन करता हूं कि यह बात इस प्रश्न से सर्वथा असंगत है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*१८५१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **योजना** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ७२५ करोड़ रुपये के प्रस्ताव में कटौती करके २६० करोड़ रुपये की राशि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मदों में कितनी कितनी कटौती की गई है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, योजना के मसौदे के पुनरीक्षण के लिये यह अंतर्कालीन सीमा रखी गई है ।

(ख) विभिन्न मदों के लिये इस राशि को बांट का प्रश्न उत्तरप्रदेश सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या स्वीकृत योजना में भारी उद्योगों के लिये कोई व्यवस्था है, और यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : सामान्य रूप में उद्योग के लिये योजना आयोग ने १५·१३ करोड़ रुपये की राशि का सुझाव दिया है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस योजना के अन्त में रोज़गार की क्या स्थिति होगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि योजना के प्रहासित आकार के अनुसार रोजगार की क्या स्थिति होगी, तो हम अभी तक इसके आंकड़े नहीं निर्धारित कर सके हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्त में कितने लोगों को काम दिलाया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस धारणा के अनुसार अभी आंकड़े नहीं निर्धारित कर सके हैं कि योजना का आकार घटा दिया है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए उसके लोगों को भी अन्य राज्यों के समान ही काम मिलेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं अभी तक इसकी तुलना नहीं कर सका हूं, किन्तु मेरी धारणा है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कृपादृष्टि केवल उत्तर प्रदेश पर ही की जा रही है या सभी राज्यों के लिये कोई फार्मूला निकाला गया है जिसके आधार पर यह कटौतियां की जा रही हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : न्यायपूर्वक प्रत्येक राज्य के साथ ऐसा ही किया जा रहा है ।

मंत्रणा बोर्ड

*१८५२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री सभा पटल पर निम्न बातों के सम्बन्ध में एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ में वर्णित प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में मंत्रणा बोर्ड ने क्या-क्या सिफ़ारिशें की हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) बोर्ड की सिफारिशों को बताना लोक हित में नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या जिन नियमों पर हम ने हाल में ही चर्चा की थी, वे सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये थे या मंत्रणा बोर्ड के कुछ सदस्यों का कुछ बातों पर मतभेद था ?

श्री जे० के० भोंसले : हम ने बहुत सी सिफ़ारिशें, जो मंत्रणा बोर्ड ने की हैं, स्वीकार की हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि मंत्रणा बोर्ड के कुछ सदस्यों ने सिफ़ारिश की थी कि मकानों को 'न लाभ, न हानि' आधार पर बेचा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का पुनरीक्षण

***१८५३. श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के दसवें सत्र के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के पुनरीक्षण का विषय भी सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य सरकारों से इस विषय के कार्यक्रम रखने के बारे में कोई पत्र-व्यवहार किया है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल को हिदायत कर दी गई है कि वह घोषणापत्र के पुनरीक्षण पर ज़ोर दे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ने सामान्य बैठक के दसवें सत्र की विषय सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के पुनर्विलोकन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के सामान्य सम्मेलन का प्रस्ताव सम्मिलित किया है। घोषणापत्र के पुनरीक्षण का वास्तविक विषय दसवें सत्र की विषय सूची में नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, परन्तु इस प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्यों को कुछ संकेत किया गया है ।

(ग) जी नहीं । भारत सरकार का मत है कि इस समय घोषणापत्र के पुनरीक्षण का कोई भी प्रयास यथोचित नहीं होगा ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार इस पुनर्विलोकन सम्मेलन के आयोजन का, जो अब विषयसूची का एक विषय है, समर्थन करेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं बता चुका हूं हम इस समय इस प्रश्न के उठाने के पक्ष में नहीं हैं ।

श्री कासलीवाल : बांडुंग सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि कुछ देश, जो घोषणापत्र के अधीन योग्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित किये जाने चाहियें । संयुक्त राष्ट्र में इन देशों के प्रवेश के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ देशों के प्रवेश का घोषणापत्र के पुनरीक्षण से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है; यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है । स्वभावतः हमारी अभिरुचि केवल उन्हीं देशों के प्रवेश में नहीं है, अपितु उन सभी देशों के प्रवेश में है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शर्तों की पूर्ति करते हैं । हमारा ख्याल है कि यह एक विश्व

संघटन हो और साधारण कार्यवाहियां की गई हैं--कूटनीतिक तथा अन्य--जहां की हमारा सम्बन्ध है ।

श्री कासलीवाल : इस दृष्टि से कि भूतकाल में "अभिषेध" का कई बार अनेकों देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित करने के लिये मना करने के लिये प्रयोग किया गया है क्या सरकार उन देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी सदस्यों के रूप में प्रवेश की कोई योजना बना रही है या ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी सदस्यों को किसी भी योजना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना । मेरा ख्याल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य होने को बजाये केवल सहयोगी सदस्य होना किसी भी देश के लिये अत्याधिक अपमानजनक है । कोई भी देश ऐसी स्थिति स्वीकार न करेगा । हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है और जैसा कि मैं कह चुका हूं हम ने इसके बारे में पहिली बार सुना है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पांच बड़े देशों को अभिषेध का अधिकार देता है और पांच बड़े देशों के लिये अधिभाव भी प्राप्त करता है क्या सरकार का ख्याल है कि वे इस प्रणाली से सहमत हैं या उनका अब भी यह विश्वास है कि घोषणापत्र का पुनरीक्षण नहीं होना चाहिये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य अभिषेध अधिकार के रहने के बारे में सरकार का मत पूछ रहे हैं । वह अधिकार सान-फ्रांसिसको सम्मेलन से चला आ रहा है । इसका सम्बन्ध मूल खंडों से है । युक्ति की दृष्टि से यह बहुत अच्छा आचरण नहीं है परन्तु क्रियात्मक दृष्टि से इसने संसार में कुछ परिस्थितियों का निरूपन किया था । अतः यह समस्या के लिये यथार्थवाद पर आधारित दृष्टिकोण है और संसार में वास्तविक स्थिति को भूल कर मैं नहीं समझता कि केवल कोई सैद्धान्तिक दृष्टि अपनाने से मामलों में सहायता मिलेगी ।

रुरकेला में सहायक उद्योग

*१८५५. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २४ मार्च १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्पश्चात् रुरकेला में प्रस्तावित इस्पात कारखाना के आस पास कोई सहायक उद्योग स्थापित हो गये हैं; और

(ख) यदि हां तो वे क्या क्या उद्योग हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

श्री राधा रमण : यह जांच करने के लिये कि रुरकेला के आस पास उचित रूप में कौन कौन सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं, सरकार क्या क्या ढंग अपना रही है ?

श्री करमरकर : मामले की साधारण दृष्टि से कुछ सम्भावनायें पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ स्लेग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट आदि का निर्माण है--यह कुछ लम्बी सूची है--और उनमें से एक के लिये अर्थात् स्लेग सीमेंट के निर्माण के लिये एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी लि० ने प्रार्थना की है और हम अन्य सहायक उद्योगों को भी अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार का इरादा सहायक उद्योगों के उन स्वामियों को कुछ सुविधायें देने का है जो अपने कारखाने रुरकेला संयंत्र के निकट स्थापित करेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । यही इरादा है ।

देहाती औद्योगिक उपक्रम

*१८५७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती और गौंडा ज़िलों के बहु-प्रयोजनीय सहकारी विकास खंडों के आधार पर देहाती औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो क्या वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों का उल्लेख किया है, उनको प्रोत्साहन देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है परन्तु ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में छोटे छोटे औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता देने के बारे में राज्यों के प्रस्तावों पर सदैव ही उनकी विशेषताओं के अनुसार विचार किया जाता है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या उद्योग मंत्री का ध्यान श्री कानूनगो, के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह उन बहु-प्रयोजनीय सहकारी विकास खंडों के कार्य से, जिन्हें श्री केशव देव मालवीय ने ज़िला बस्ती में अपने निर्वाचन क्षेत्र में संगठित किया है बहुत प्रभावित हुए हैं, और भारत में ये अपने प्रकार के पहिले हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं के प्रोत्साहन के लिये, आवश्यक कार्यवाहियां करेगी ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य ने जिस वक्तव्य विशेष का उल्लेख किया है, उसे पढ़ने का मुझे सुअवसर नहीं मिला परन्तु हमारे पास जो सूचना है उससे प्रकट होता है कि वह एक बहुत ही अच्छी योजना रही है । मेरा ख्याल यह भी है कि योजना में दस लाख आदि रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई है । योजना से संबद्ध किसी भी प्रस्ताव पर, जो विचार किये जाने और सहायता देने के योग्य हो, सरकार सहायता देने के लिये निश्चय ही विचार करेगी ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार अभाव क्षेत्रों में या बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में उस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री करमरकर : उस विशेष प्रकार की योजना को लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी सरकारी प्रयत्नों का मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु यदि कोई लाभदायिक बात छोटे छोटे ग्रामीण या नगरीय उद्योगों के मार्ग में आ रही है, तो सरकार निश्चय ही यथासम्भव सहायता करेगी ।

कोयला बोर्ड

*१८५८. **डा० रामा राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कोयले का उत्पादन ६०० लाख टन तक बढ़ाना है, विस्तृत आधार पर कोयला बोर्ड को पुनः संगठित करने के बारे में कोई अन्तिम फैसला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कृत्य होंगे; और

(ग) बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) कोयला बोर्ड का पुनः संगठन करने का आजकल कोई प्रस्ताव नहीं है । संगठन

सम्बन्धी परिवर्तन, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने की योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक हो सकते हैं, विचाराधीन हैं, परन्तु अभी तक कोई दृढ़ फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डा० रामा राव : ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला आयुक्त का स्थानान्तरण हो गया है । क्या आप किसी प्रौद्योगिक व्यक्ति को, जिसे कोयला निकालने के कार्य का अनुभव हो, या केवल प्रशासकीय अधिकारी को बोर्ड का सभापति नियुक्त करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र : नियुक्ति के लिये उपयुक्त अधिकारी का प्रवरण विचाराधीन है । अभी यह बताना बहुत कठिन है कि किसका प्रवरण होगा । यह सब उपयुक्त व्यक्ति के मिलने पर निर्भर होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: मैं जानना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन महा विकास की दृष्टि से कोयला बोर्ड का सभापति कोई प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त होगा या वह व्यक्ति नियुक्त होगा जिसके पास खान योग्यतायें हों ?

श्री सतीशचन्द्र : कोयला आयुक्त को परामर्श देने वाले प्रौद्योगिक विशेषज्ञ हैं, जैसे मुख्य खनन इंजीनियर । उसे परामर्श देने के लिये उसके पास अन्य प्रौद्योगिक अधिकारी और प्रौद्योगिक समितियां भी हैं । यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं कोयला आयुक्त प्रौद्योगिक व्यक्ति हो ।

श्री के० के० बसु : क्या कोयला सम्बन्धी संगठन, प्रबन्ध, नियम, आदि एक केन्द्रीय संगठन के अधीन किये जायेंगे और क्या ऐसा संगठन स्थायी आधार पर भिन्न विभाग के रूप में कार्य करेगा ?

श्री सतीशचन्द्र : नई पुर्नसंगठन योजना में वह मामला विचाराधीन है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या कोयले की बढ़ती हुई मांग के विचार से और इस दृष्टि से कि इंगलैंड जैसे देश ने, जिसका हम ऐसे मामलों में दासवत् अनुकरण करते हैं, कोयले की खानों का लगभग दस वर्ष पूर्व राष्ट्रीयकरण कर दिया है, सरकार का विचार कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

श्री सतीशचन्द्र : इस मामले पर भी योजना आयोग और सरकार आजकल विचार कर रही है ।

पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में भारतीय

*१८५९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** १७ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में बसे भारतीयों पर कोई और प्रतिबन्ध लग गये हैं;

(ख) वहां लगभग कितने भारतीय हैं; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तत्पश्चात्, भारत को धन भेजना बन्द करने के लिये उस क्षेत्र में भारतीयों पर और प्रतिबन्ध लग गये हैं । प्रेस समाचारों से यह भी ज्ञात हुआ है कि पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाली पूर्वी अफरीका और अन्य पुर्तगाली क्षेत्रों में, जैसे गोआ, दमन, डियो और अंगोला, व्यापार करने वाले समस्त भारतीयों पर कर लगाने का फैसला किया है । अभी कर के रूप और मात्रा के सम्बन्ध में कोई विवरण प्राप्त नहीं हैं ।

(ख) पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में लगभग १२,६०० भारतीय हैं। इन आंकड़ों में गोआ, डमन और डियो के लगभग ६,००० भारतीय भी सम्मिलित हैं।

(ग) कभी पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में भारतीयों के हितों की देख भाल के लिये भारत सरकार का एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का विचार था, परन्तु पुर्तगाल और भारत के बिगड़े सम्बन्धों के विचार से प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि वहां लोगों को भारतीयों के विरुद्ध शिकायत करने के लिये उकसाया जाता है ताकि सरकार उनके व्यापार की अनुज्ञायें या अनुमति पत्र रद्द कर सके ?

श्री अनिल के० चन्दा : पूर्णतया सम्भव है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि वहां भारतीयों को परेशान किया जाता है और उत्सवों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती, उनकी शिकायतों का पंजीयन नहीं होता और उन्हें भारत लौटने को कहा जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पुर्तगाल और भारत के बीच वर्तमान सम्बन्धों की दृष्टि से, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि हम इस मामले में कदाचित ही कुछ कर सकते हैं।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार को बदला लेने के उन कार्यों की सूचना है जो पुर्तगाली प्राधिकारियों ने गोआ में चल रहे सत्याग्रह के कारण पूर्वी अफरीका में भारतीयों के विरुद्ध किये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं। मैं नहीं समझता हमारे पास कोई सूचना है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि भारतीय व्यापारियों को भारत वापस नहीं आने दिया जाता, उन्हें प्रवेशपत्र और पारपत्र नहीं दिये जाते और उन्हें कहा जाता है कि यदि वे भारत वापिस जाना चाहते हैं, तो उनका व्यापार छीन लिया जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह भली भांति विदित है कि वहां भारतीय व्यापारी और बसने वाले व्यक्तियों में अनेकों अयोग्यतायें मानी जाती हैं, परन्तु मैं बता चुका हूं कि इस समय हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*१८६०. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के तुएनसांग डिवीज़न और नागा पहाड़ियों के माकोकयुंग सब डिवीज़न की आधुनिकतम स्थिति क्या है, जिन्हें हाल में ही "उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया था; और

(ख) कितने अवसरों पर वहां पर स्थित स्थायी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को आसाम राइफल्स और वहां की पुलिस की सहायता करने के लिये बुलाया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र अध्यादेश आसाम में प्रख्यापित किया गया है और नागा पहाड़ियां ज़िले के कुछ भाग को इस अध्यादेश के अधीन उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सरकार को इस बात की प्रसन्नता हुई है कि श्री फिज़ो और उनके कुछ साथियों ने कुछ नागाओं द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक कार्यवाहियों की खुले आम निन्दा की है किन्तु स्थिति पर इस प्रख्यापन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसे अभी देखना है।

यह सूचना आने पर कि बहुत से आतंकवादी तुएनसांग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में गये थे, उन्हें स्थायी सेना की सहायता से घेरने का निर्णय किया गया था और इसलिये असैनिक दल की सहायता के लिये भारतीय सेना की एक टुकड़ी को बुलाया गया था।

इस टुकड़ी को दक्षिण-पश्चिमी तुएनसांग के उपद्रवियों का सामना करने का निश्चित और विशिष्ट काम सौंपा गया है। और किसी भी अवसर पर सशस्त्र सेनाओं को नहीं बुलाया गया, और न ही उन्हें आसाम राज्य तथा पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के नागा क्षेत्रों की स्थिति सुधारने में आसाम राइफल्स् और पुलिस की सहायता के लिये प्रयोग में लाया गया है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेता की आसाम के मुख्य मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसका वहां की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मुलाकात में क्या हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि मुलाकात का वहां की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है—क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कहना कठिन है। यह वास्तव में उस सज्जन की सद्भावना पर निर्भर है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि सेना के उपयोग द्वारा कितने विद्रोही मारे जा चुके हैं और कितने ज़ख्मी किये गये हैं और इस से परिस्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे पास जानने की इत्तिला नहीं है लेकिन शायद आज ही अखबारों में कुछ इस की चर्चा छपी है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या किसी गैर-सरकारी संस्था ने उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आया यह बात इस समय वहां हो रही है, या वह भविष्य की बात सोच रहे हैं ?

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह काम इस समय ऐसा वहां पर किया जा रहा है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह विदित नहीं है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिलाई की मशीनें

*१८२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात की गई मशीनों के मुकाबले में गुणप्रकार की दृष्टि से, भारत में बनाई गई सिलाई की नई मशीनें कैसी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : घरेलू प्रकार की सीने की देशी मशीनें गुणप्रकार की दृष्टि में लगभग आयात की गई मशीनों जैसी ही हैं।

चीनी मिलों की मशीनें

*१८२७. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों की मशीनों के सभी पुर्ज़े बनाने के लिये प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). चीनी के मिलों की मशीनों के अधिकतर पुर्ज़े बनाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव में देश में पूर्ण चीनी फैक्टरियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

इंजीनियर

*१८३०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उन में विदेशी विशेषज्ञों के अधीन शिक्षा लेने की दृष्टि से कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन से कामों का समूचा प्रभार संभालने के योग्य होने की आशा की जाती है, और उनमें से कितने व्यक्तियों ने पहले ही कामों का प्रभार संभाल लिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ५३ ।

(ख) ५३ और ४५ ।

इंडिया गेट के पास फव्वारे

*१८३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया गेट, नई दिल्ली के पास और अधिक फव्वारे बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक योजना के कार्यान्वित हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या उस स्थान के पास नौका विहार का विस्तार करने तथा उपहार गृह बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस आर्थिक साल के आखिर तक ।

(ग) जी हां ।

राष्ट्रपति निलयम

*१८३६. **श्री एच० जी० वैष्णव** :
श्री एन० एम० लिंगम :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोलारम में "राष्ट्रपति निलयम" की देख रेख और मरम्मत पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च किया जाता है; और

(ख) क्या यह व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री **(सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इस सिलसिले में अब तक केन्द्रीय सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है ।

(ख) जब कभी व्यय होगा तो केन्द्रीय सरकार देगी ।

उद्योगों का यंत्रीकरण

*१८३९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उद्योगों में उत्पादन प्रणाली के यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग कितने व्यक्ति बेकार हो जाते हैं;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसे लोगों की सख्या क्या है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के सम्बन्ध में अनुमानित संख्या क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ग) इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

निवास स्थान

*१८४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को उनके लिये रक्षित विशेष आवंटन का कोटा पूरा नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सिनेमा

*१८५४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ अगस्त, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७५ तथा उस पर पूछे गये अनुपूरकों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षक समितियों को जारी किये गये निदेश का सिनमाओं की बुराइयों को रोकने में किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सिनमाओं की बुराइयों पर पर्याप्त नियंत्रण करने के मार्ग में संविधानिक बाधाओं के बारे में लोकमत जानने के परिणाम-स्वरूप, सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) बोर्ड और इसकी शाखाओं को जो निदेश जारी किये गये हैं, वे उनका संतोषपूर्वक पालन कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). नहीं, श्रीमान् ।

समाज शिक्षा व्यवस्थापक

*१८५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): समाज शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के लिये १–४–१९५३ को पांच केन्द्र स्थापित किये गये थे । उन में चार केन्द्रों का जनवरी, १९५५ में विस्तार किया गया था, ताकि प्रत्येक पाठ्यक्रम में दुगने प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती की जा सके, और इमारत पूरी हो जाने पर पांचवें केन्द्र का भी विस्तार किया जायेगा । छटा केन्द्र, जो अब तक स्त्री समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को विशिष्ट अनुपूरक प्रशिक्षण देने का काम कर रहा था, जनवरी, १९५६ से पूरे केन्द्र के रूप में बड़ौदा में काम करेगा । इस के अतिरिक्त, आदिमजातियों के क्षत्रों में नियोजित किये जाने वाले समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को ३ महीने का विशेष अनुपूरक प्रशिक्षण देने के लिये रांची में, एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा । चार और प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र ही स्थापित करने का विचार है ।

संसद भवन

*१८६१. **श्री काजरोल्कर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् भवन के चूने के कुछ चिह्न दिखाई देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राज्य व्यापार

*१८६२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कई अत्यावश्यक वस्तुओं की संभरण स्थिति में सुधार होने के परिणामस्वरूप, जिनको लाना या ले जाना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया गया और प्रतिबन्धित किया गया था, केवल कुछ वस्तुओं, अर्थात् नमक, कोयला, गन्ना, और कई प्रकार का लोहा तथा इस्पात, को छोड़ कर, अन्य वस्तुओं पर से रुकावटें हटा दी गई हैं ।

(ख) ठीक ठीक और पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

काश्तकारी समिति

*१८६३. **डा० सत्यवादी** : क्या **योजना** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा स्थापित भूमि सुधार तालिका की काश्तकारी समिति द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) क्या इस समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) समिति कुछ राज्यों में गई थी और इन राज्यों को सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की थी । समिति तालिका को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व कुछ और राज्यों में जायेगी ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

"काश्मीर प्रिंसेस" की टक्कर

*१८६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५५ में भारतीय विमान "काश्मीर प्रिंसेस" के अन्तविध्वंस के लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी था उस अपराधी को हांगकांग के अधिकारियों ने ढूंढ लिया है;

(ख) यदि हां तो क्या उसके ठौर ठिकाने का निश्चय किया जा चुका है;

(ग) क्या उस अधिकारी से जिस के क्षेत्राधिकार के अन्दर यह अपराधी पाया गया है अपराधी को सौंप देने के लिये प्रार्थना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (घ). दोषारोपित अपराधी के बारे में कहा जाता है कि वह अब फारमोसा में है । हमें सूचना मिली है कि इंगलिस्तान की सरकार ने फार्मोसा के अधिकारियों को उसे हांगकांग को सौंप देने की प्रार्थना की है । इस प्रार्थना का क्या परिणाम हुआ है यह अभी मालूम नहीं हुआ है ।

खेलों के सामान का उद्योग

*१८६५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४–५५ में क्रीड़ा सामान उद्योग की उन्नति के लिये पंजाब राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : क्रीड़ा सामान उद्योग की उन्नति के लिये पंजाब राज्य को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन

*१८६६. **डा० रामा राव** :
श्री एन० बी० चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बी० डी० शास्त्री :
श्री वीरस्वामी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इस्पात मिशन ने प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या स्थान चुन लिया गया है;

(घ) परियोजना की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(च) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मिशन ने यह विचार व्यक्त किया है कि :–

(१) दस लाख टन इनगट के सामर्थ्य का इस्पात संयंत्र टैक्निकल दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा;

(२) मुख्य उत्पाद मध्यम और हल्के सैक्शन होने चाहियें, ढलाई और रिरोलिंग के लिये बिलट, और रेलवे के लिये पहिये के टायर और धुरे ।

संयंत्र लगभग ३५०,००० टन ढला हुआ लोहा भी तैयार करेगा ।

(ग) नहीं, श्रीमान्, अभी नहीं ।

(घ) से (च). सरकार ने सामान्यतया योजना को स्वीकार कर लिया है और तृतीय इस्पात संयंत्र निर्माण करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का निर्णय कर लिया है । सलाहकार इंजीनियरों की एक फर्म को योजना का विस्तारपूर्वक परीक्षण करने तथा टैक्निकल मामलों में सरकार को मंत्रणा देने के लिये नियुक्त किया गया है ।

हीरे काटने का उद्योग

*१८६७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हीरे काटने के उद्योग को इस समय कठिनाई का सामना है तथा इस देश में इस कार्य में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है;

(ख) यदि ऐसा है तो इसके कारण;

(ग) १९५४–५५ और १९५५–५६ में आयात किये गये अनकटे हीरों की कुल मात्रा और मूल्य क्या था; और

(घ) क्या उनके आयात पर कुछ निर्बन्धन लागू किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९५४–५५ में ९,३४,४५२ रुपये तथा १९५५–५६ में (अप्रैल और मई) दो मासों में ६२,२९३ रुपये । मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) (अनकटे तथा न जड़े हुए) हीरों के ७५ प्रतिशत अभ्यंश के आयात की अनुमति दी जाती है तथा इसमें निर्यात उन्नति योजना के अन्तर्गत अधिक मात्रा की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों की अनुज्ञप्ति के ९० प्रतिशत मूल्य का भी अनकटे तथा अ-जड़े कीमती पत्थरों के आयात में प्रयोग किया जा सकता है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रगति प्रतिवेदन

९५४. श्री एन० बी० चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना के चार वर्षीय प्रगति प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) यदि ऐसा है, तो कब ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक ।

नये नमूने का चरखा

९५५. श्री वी० बी० गांधी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मतुंग औद्योगिक प्रयोगशाला के श्री वी० वी० गुप्त द्वारा बनाये गये नये नमूने के चरखे की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इसे लोक-प्रिय बनाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नये नमूने का चरखा अभी तक प्रयोगात्मक स्थिति में है । सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयोगों के जारी रखने के लिये ३६,००० रुपये की स्वीकृति दी है । चरखे को लोक-प्रिय बनाने से पहले प्रयोग के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

रोजगार

९५६. श्री एन० बी० चौधरी : क्या योजना मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें ३१ मार्च, १९५५ तक विभिन्न श्रेणियों में प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा उत्पन्न रोज़गार की स्थिति को योजना के अन्तिम क्रम के लिये नियत लक्ष्य से तुलनात्मक रूप में दिखाया गया हो ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : योजना आयोग में कुछ प्राक्कलन तैयार किये गये हैं परन्तु उन पर कई एक निर्बन्धन लागू होते हैं । इस समय प्राप्त सूचना के अनुसार सांख्यिकी की दृष्टि से ठीक ठीक सूचना का देना कठिन है ।

कच्चे मैंगनीज़ पर निर्यात शुल्क

९५७. श्री देवगम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे मैंगनीज़ पर निर्यात शुल्क किस तिथि को लगाया गया था;

(ख) उस दिन निम्न प्रकारों के मैंगनीज़ की लगभग दरें क्या थीं—

(१) ४६/४८ प्रतिशत

(२) ४४/४५ प्रतिशत

(३) ४२/४४ प्रतिशत

(४) ४०/४२ प्रतिशत

(५) ३८/४० प्रतिशत

(६) ३३ प्रतिशत मैंगनीज़

(ग) किस तिथि को निर्यात शुल्क बन्द किया गया था तथा उस दिन उपरोक्त प्रकारों की मैंगनीज़ की दरें क्या थीं; और

(घ) कच्चे मैंगनीज़ की उपरोक्त प्रकारों के प्रथम सितम्बर, १९५५ के दिन की लगभग दरें क्या थीं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५८**]

कच्चा लोहा और मैंगनीज़

९५८. श्री देवगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से जून, १९५५ के काल के लिये जारी किये गये कच्चे लोहे और मैंगनीज़ के निर्यात के कोटे पर कोई शर्तें लागू नहीं की गई थीं;

(ख) यदि इस पर कोई शर्तें लागू की गई थीं तो क्या इनका जारी किये गये कोटे म वर्णन किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को निर्यात के लिये कोई कोटा नहीं दिया गया है जिन्होंने जनवरी—जून, १९५५ में कोई कच्चा माल बाहर नहीं भेजा था;

(घ) यदि ऐसा है तो इसके कारण;

(ङ) क्या यह सच है कि कच्चे माल के ले जाने तथा निर्यात के लिये इस निर्यात कोटा प्रणाली के शुरू करने के बाद एक निर्यातक ने सरकार के विरुद्ध मुकदमा किया था;

(च) यदि ऐसा है, तो उसका क्या हुआ; और

(छ) क्या सरकार ने इस मामले के विधिक पहलू पर विचार किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) उन व्यक्तियों में, जो कच्ची धातों के निर्यात में भाग लेने के लिये उत्सुक थे, अपर्याप्त वैगनों की न्यायपूर्ण बांट के अभिप्राय से निर्यातकों पर अक्तूबर, १९५३ में निर्बन्धन लगाये गये थे । जब तक वैगनों की कमी रहेगी, प्रत्यक्ष सम्बन्धों के कायम करने में असफल रहने वालों तथा कच्ची धातों के निर्यात को न कर सकने वालों को और आवण्टन नहीं किये जायेंगे । ये आवण्टन अनुज्ञप्तधारियों को कच्ची धातों के पत्तनों तक ही ले जाने और वहां उन व्यक्तियों को नफ़े पर बेच डालने के लिये नहीं किये गये थे जो निर्यात करने के समर्थ थे तथा इसके लिये तैयार थे ।

(ङ) तथा (च). मुकदमा खारिज कर दिया गया ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कच्चा लोहा और मैंगनीज़

९५९. श्री देवगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रथम जुलाई, १९५४ से ३० जून, १९५५ के काल में खान क्षेत्रों से रेलवे द्वारा लाई गई कच्चे लोहे और मैंगनीज़ की मात्रा के ८५ प्रतिशत से अधिक भाग का निर्यात कर दिया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान् । इसमें पत्तनों पर पड़े माल को भी शामिल किया गया है ।

ट्रैक्टर

९६०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री सभा पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ में भारत में (१) सरकारी खाते में तथा (२) निजी खाते में कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अधीन इन आयात किये गये ट्रैक्टरों की कुल कीमत क्या है; और

(ग) जिन देशों से उनका आयात किया गया उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक देश से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५९]** आयात के आंकड़े सरकारी खाते में तथा निजी खाते में पृथक् पृथक् अभिलिखित नहीं किये जाते हैं ।

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

९६१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की जनता के कल्याण पर अब तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है; और

(ख) इसमें से कितना रुपया संस्थापन, उनके यात्रा भत्तों तथा जीपों को ख़रीदने पर व्यय किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). प्रश्न स्पष्ट नहीं है । यह समझा जाता है कि सरकार द्वारा किये गये व्यय की जानकारी मांगी गई है । यदि यही बात है, तो जन १९५५ तक पंजाब में सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर व्यय की गई रकम के आंकड़े क्रमशः २·१४ तथा ०·३१ करोड़ रुपये हैं ।

फार्मों की सप्लाई

९६२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के फ़ार्मों के लिये कुल कितनी मांग है, जिनके लिये १९५४ में स्टेशनरी और प्रिंटिंग विभाग को इनडैंट दिये गये थे;

(ख) स्टेशनरी और प्रिंटिंग विभाग ने इस मांग को कहां तक पूरा किया; और

(ग) रक्षा सेवाओं और रेलवे की मांगों को किस हद तक पूरा किया गया ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ११·२३४ लाख फ़ार्म ।

(ख) ४,७३४ लाख फ़ार्म ।

(ग) (अ) रक्षा सेवाओं की मांग पिछले आर्थिक साल में ५७८ लाख फ़ार्म थी जो ५३० लाख फ़ार्म तक पूरी की गई ।

(आ) रेलवे के फ़ार्म इस कार्यालय से नहीं दिये जाते ।

नोट:—ऊपर लिखे हुए क्रमांक आर्थिक साल १९५४–५५ के हैं ।

पवन चक्की

९६३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के निकट सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में जल संभरण के लिये पवन चक्की लगाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयोग सफल रहे हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): पंजाब के सोनीपत परियोजना क्षेत्र में जाठौरी

गांव में ग्रामीणों को पीने का पानी देने के लिये एक प्रयोगात्मक पवन चक्की लगाई गई है।

२.७ मील प्रति घंटा वायु की रफतार में भी यह काम कर सकती है और लगभग चार से छै हजार गैलन पानी औसतन प्रति दिन निकाल सकती है। पवन चक्की सफलतापूर्वक कार्य कर रही है किन्तु इसके लगाने की आरम्भिक लागत जो लगभग ७,००० रुपये थी, इसके अन्य ग्रामों में लगाये जाने के लिये अधिक समझी जाती है।

सरकारी माल का बीमा

९६४. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का जो माल विदेशी जहाजों द्वारा लाया गया उस में से कितने मूल्य के माल का बीमा १९५४-५५ में भारतीय समुद्री यातायात बीमा कम्पिनयों द्वारा किया गया ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): देश से बाहर माल खरीदने वाले दो कार्यालय यानी आई० एस० डी० और आई० एस० एम० ने भारतीय बीमा कम्मनियों से कुल ४.६१ करोड़ रुपये के माल का बीमा सन् १९५४-५५ में कराया।

भारतीय व विदेशी जहाजों से ले गये हुए माल का अलग अलग ब्यौरा मौजूद नहीं है।

घोड़ों का आयात

९६५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में आट्रेलिया से कुल कितने घोड़ों का आयात किया गया; और

(ख) उनकी कीमत क्या थी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६०]**

हथकरघा उद्योग

९६६. **श्री इब्राहीम :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में हथकरघा उद्योग में कितने श्रमिक काम करते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): कपड़ा जांच समिति के अनुसार, आसाम, मनीपुर तथा त्रिपुरा को छोड़ कर समस्त देश में कोई १५.५ लाख चालू करघे हैं। श्रमिकों की ठीक संख्या का अनुमान इस बात पर निर्भर होगा कि प्रत्येक करघा कितने दिन काम करता है तथा इन के द्वारा तैयार किया जाने वाला कपड़ा कितना किस प्रकार का है। क्योंकि इन तथ्यों का पता नहीं लग सका है इस लिये इन पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बताना कठिन है।

विदेशी राजदूतावास

९६७. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने विदेशी राजदूतावास हैं जिनके उनके अपने देश की सम्पत्तियां हैं ;

(ख) ऐसे राजदूतावास कितने हैं जो कि किराये के आवास-स्थान में हैं; और

(ग) उनको दी गई सरकारी बिल्डिगों का कुल मासिक किराया कितना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) बारह राजनयिक मंडलों ने यहां पर भवन खरीद लिये हैं या बना लिये हैं। इसके अतिरिक्त ११ अन्य मंडलों ने चाणक्यपुरी में भूमि

प्राप्त कर ली है और निकट भविष्य में अपने भवन बनवा लेंगे ।

(ख) ४४, उनको सम्मिलित करके जिनके पास अपने भवन हैं ।

(ग) इस समय राजनयिक मंडलों को जो सरकारी भवन किराये पर दिये गये हैं उनसे भारत सरकार को जो धनराशि प्राप्त होती है वह लगभग २५,००० रुपये प्रति मास है । इन आंकड़ों में उन सरकारी होस्टलों में दिये गये आवास-स्थानों का किराया सम्मिलित नहीं है जो अस्थायी आधार पर राजनयिक मंडलों को आवंटित किये गये हैं, क्योंकि यह रकम लगातार बदलती रहती है ।

प्रव्रजन

९६८. श्री इब्राहीम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने मुसलमानों ने भारत से पूर्वी पाकिस्तान को प्रव्रजन किया ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने गैर-मुस्लिमों ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) उन मुसलमानों के आंकड़े, जिन्होंने भारत से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आयात प्रमाणपत्र पर, १५ अक्तूबर, १९५२, अर्थात् जब से कि पारपत्र के आधार पर यात्रा योजना लागू की गई थी, से आरम्भ हो कर जुलाई, १९५५ के अन्त तक के गत तीन वर्षों में प्रव्रजन किया गया है

अक्तूबर, १९५२ से सितम्बर, १९५३	६७
अक्तूबर, १९५३ से सितम्बर, १९५४	५०
अक्तूबर १९५४ से जुलाई, १९५५	७
कुल	१२४

(ख) उन गैर-मुस्लिमों की संख्या जो कि पूर्वी पाकिस्तान से उक्त अवधि में, भारतीय उप-उच्चायुक्त, ढाका द्वारा जारी किये गये प्रव्रजन प्रमाण पत्रों पर भारत आये हैं, यह है :

अक्तूबर, १९५२ से सितम्बर, १९५३ .	६९,३७६
अक्तूबर, १९५३ से सितम्बर, १९५४	८१,६४२
अक्तूबर, १९५४ से जुलाई १९५५	२,१२,०४०
कुल	३,६३,०५८

भाखड़ा नंगल परियोजना

९६९. श्री भागवत झा आजाद : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भविष्य में भाखड़ा-नंगल परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन सामर्थ्य में कोई वद्धि होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): हां, श्रीमान् । एक दो एककों वाला बिजली घर (जिन में से प्रत्येक की उत्पादन सामर्थ्य २४,००० किलोवाट है) गंगवाल में बनाया गया है । उसी सामर्थ्य का एक और बिजलीघर कोटला में बन कर तैयार होने वाला है । इन दोनों बिजलीघरों में २४,००० किलोवाट के दो अतिरिक्त एककों के लगाने की प्रस्थापना है । भाखड़ा मुख्य बान्ध पर भी पहले पांच एकक जिनमें से कि प्रत्येक ९०,००० किलोवाट का होगा, लगाये जाने की प्रस्थापना है और ज्यों ज्यों मांग बढ़ेगी चार एकक और लगाये जायेंगे ।

हिन्दी उपभाषाओं में ब्राडकास्ट

९७०. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से १९५४-५५ में हिन्दी की विभिन्न उप-

भाषाओं में कितनी वार्त्तायें और लोक-गीत ब्राडकास्ट किये गये; और

(ख) हिन्दी उप-भाषाओं की संख्या बढ़ाने और उन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५४-५५ में अखिल भारतीय आकाशवाणी के सब केन्द्रों से विभिन्न हिन्दी बोलियों में क्रमशः ५,५३७ और ४५८ लोक-गीत और वार्त्तायें प्रसारित की गईं।

(ख) अब अखिल भारतीय आकाशवाणी के कार्यक्रम हिन्दी की प्रायः सभी प्रमुख बोलियों में प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों में सुधार के लिये लोक-गीत और संगीत की राष्ट्रीय मैफ़िलों का आयोजन, लोकगीतों का संग्रह और देहाती कार्यक्रमों को तैयार करने वालों की नियुक्ति आदि अनेक उपाय सोचे जा रहे हैं।

अंग्रेजी कपड़ा

९७१. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ मई, १९५५ को सूती कपड़े पर आयात शुल्क घटाने के तीन मास पहले आयात किये गये अंग्रेजी कपड़े की मात्रा में और जो मात्रा उस तिथि के बाद आयात की गई उस में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): फरवरी से अप्रैल १९५५ तक के तीन महीनों की अवधि में ब्रिटेन से भारत में ६,१०,००० गज़ कपड़े का आयात हुआ, जबकि मई से जुलाई १९५५ तक की अवधि में ८,२०,००० गज़ कपड़ा आयात हुआ था।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

९७२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जैसे कि यूनेस्को, ई० सी० ए० एफ० ई०, एफ० ए० ओ०, डब्ल्यू० एच० ओ० आदि को (संगठन वार) कितना वार्षिक अंशदान दिया गया;

(ख) क्या उस अवधि में इन संगठनों के सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे शिष्टमंडलों पर कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

समाचारपत्र

९७३. **श्री गिडवानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के दैनिक समाचारपत्रों ने पृष्ठों के हिसाब से मूल्य रखने की योजना को लागू करने के लिये स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में हो रहे "दर के झगड़े" की समाप्ति के लिये सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने प्रैस आयोग की पृष्ठानुसार कीमत की सिफारिश को सिद्धान्त

रूप से स्वीकार कर लिया है और उस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पारपत्र

९७४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत आठ महीनों में जाली भारतीय पारपत्र बनाने के कितने मामले पकड़े गये तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५५ तक की अवधि में जाली भारतीय पारपत्र बनाने के सम्बन्ध में २६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

प्रधान मंत्री की सहायता निधि

९७५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५५ के अन्त तक प्रधान मंत्री की सहायता निधि में कुल कितनी रकम एकत्रित हुई; और

(ख) इस निधि से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६१]**

विदेशी इंजीनियर

९७६. **श्री एल० एन० मिश्र :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में सेवायुक्त विदेशी इंजीनियरों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने कोलम्बो प्रविधिक सहायता तथा अन्य योजनाओं के अधीन कार्य कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६२]**

सीमेंट

९७८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में (३० जून तक) भारत में उत्पादित सीमेंट की कुल मात्रा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : २,२१४,३९६ टन ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान आदि

९७९. **श्रीमती सुभद्रा जोशी :**
श्री भागवत झा आज़ाद ।

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५,००० रुपये तक के या इस से कम मूल्य के सरकार द्वारा बनाये गये मकानों आदि की क्या संख्या है जिनमें किराये के आधार पर दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति रहते हैं;

(ख) ५,००० तथा १०,००० रुपये के बीच की कीमत की ऐसी सम्पत्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) दिल्ली में सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी दुकानों की क्या संख्या है जिनकी कीमत—

(१) २,००० रुपये या इससे कम है तथा वह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं या किसी ऐसे नगर में हैं जो

कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, २९५५ के परिशिष्ट १० में दिये गये नगरों के अतिरिक्त है ।

(२) २,००० तथा १०,००० रुपये की कीमत के बीच की, जो कि उक्त नियमों के परिशिष्ट १० में उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्रों अथवा नगरों में स्थित हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा संकलित करने में लगने वाला समय एवं श्रम प्राप्त परिमाणों के सममात्रिक नहीं होगा ।

सरकारी आवास-स्थान का आगे किराये पर दिया जाना

९८०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें यह ज्ञात होने पर कि उन्होंने अपना मकान अनधिकृत रूप से आगे किराये पर दे रखा है, सरकारी आवास-स्थान से वंचित कर दिया गया है;

(ख) क्या उनके द्वारा की गई इस अनियमितता के बाद भी उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३१ जुलाई, १९५५ को समाप्त होने वाले बारह महीनों में, दिल्ली में २३ पदाधिकारी तथा कलकत्ता में एक पदाधिकारी अपने आवास-स्थानों को अनधिकृत रूप से आगे किराये पर देने के आधार पर सरकारी आवास-स्थान से वंचित किये गये। बम्बई में ऐसा कोई मामला ज्ञात नहीं हुआ ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) इस कारण से कि मकान किराया भत्ता न देकर अब और सजा न दी जाये ।

मशीन द्वारा छपाई

९८१. **श्री जनार्दन रेड्डी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अहमदाबाद तथा बम्बई के हाथ से छपाई करने वालों ने योजना आयोग से मशीन द्वारा छपाई पर रोक लगाये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) अगस्त, १९५५ में अखिल भारतीय हाथ छपाई उद्योग फेडरेशन अहमदाबाद की ओर से योजना आयोग को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और हाल ही में उनके एक संकल्प की प्रति, जो कि कारखानों में छपे कपड़े के विरुद्ध संरक्षण दिये जाने के बारे में है, भी प्राप्त हुई है ।

(ख) कपड़ा छपाई उद्योग में छोटे तथा बड़े क्षेत्रों के लिये एक समान उत्पादन कार्यक्रम बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। किन्तु यह बात देख ली जानी चाहिये कि इस समय कारखानों द्वारा छपे कपड़े का उत्पादन १९४९—५४ की अवधि के सर्वोतम वर्ष के उत्पादन तक सीमित

भाखड़ा नंगल परियोजना

९८२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २५०३

के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना के भृष्टाचार सम्बन्धी मामलों में अनुसन्धान कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति अपराधी पाये गये; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रीलंका में भारतीय

९८३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार उन भारतीयों को, जिन्हें श्रीलंका ने नागरिकता के अधिकार देने से इनकार कर दिया है अन्दमान में बसाने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवार कितने हैं;

(ग) किस तिथि को बसने वाले व्यक्तियों का प्रथम दल अन्दमान भेजा जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निष्क्राम्य सम्पत्तियां

९८४. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ के उपरान्त दिल्ली के अभिरक्षक द्वारा कितनी रिहायशी सम्पत्तियां निष्क्राम्य सम्पत्ति के रूप में ले ली गयी थीं, और अब तक ऐसी कितनी सम्पत्तियां उनके स्वामियों को वापिस लौटा दी गयी हैं;

(ख) अभिरक्षक द्वारा इन सम्पत्तियों के लिये एकत्रित किये गये किराये की कुल राशि कितनी है; और

(ग) अभी तक किराये न मिलने के कितने मामले हैं और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). इस जानकारी को एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा ।

विज्ञापन

९८५. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विज्ञापन के प्रयोजन के लिये सरकार की स्वीकृत सूची में कितने दैनिक तथा साप्ताहिक भाषा पत्र हैं;

(ख) १९५४–५५ में सरकारी नोटिसों और विज्ञापनों के लिये इन समाचार पत्रों को कुल कितनी धन राशि दी गयी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये पत्रों को स्वीकृति देने के लिये क्या शर्तें हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पत्रों की इस प्रकार की कोई स्वीकृत सूची नहीं रखी जाती है । पत्रों का उपयोग तो प्रत्येक सूचना की आवश्यकता पर निर्भर करता है । १९५४–५५ में कुल ४३६ पत्रों का उपयोग किया गया था, जिन में से २९७ भारतीय भाषाओं के पत्र और पत्रिकायें थीं ।

(ख) १९५४–५५ में रेलवे विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विभागों

की ओर से विज्ञापन शाखा द्वारा भारतीय भाषाओं के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों को ३,८२,९७० रुपयों के नोटिस और विज्ञापन जारी किये गये थे ।

(ग) विभिन्न भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साधनों का ब्यौरा विज्ञापन शाखा में अभिलिखित किया जाता है और उपलब्ध धन राशि के अन्दर जब भी आवश्यकता होती है तो भारत सरकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिये उपयुक्त पत्रों के सम्बन्ध में उनके प्रभावकारी परिचालन, भाषा और कितने क्षेत्र में परिचालन करना अपेक्षित है—इन बातों के आधार पर विचार किया जाता है । अन्य बातें जिन पर विचार किया जाता है यह हैं—प्रकाशन में नियमितता, उसे किस श्रेणी के व्यक्ति पढ़ते हैं, मान्य पत्रकारिता सम्बन्धी नीति शास्त्र के प्रति अनुषक्ति, उत्पादन स्तर इत्यादि ।

वाणिज्यिक और उद्योग तथा पत्रिकायें

९८६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में कौन कौन से वाणिज्यिक प्रकाशन तथा पत्रिकायें प्रकाशित हुई, उनके मूल्य क्या क्या हैं और उनका वार्षिक चन्दा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी): उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण यहां संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६३]**

सरकारी आवास-स्थान

९८७. **श्री बी० के० दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रैस के कर्मचारियों को गत एक वर्ष में उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी सामान्य समूह में सरकारी क्वाटरों में रहते रहने की अनुमति दी गयी थी ;

(ख) यह अनुमति किस आधार पर दी गई थी ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया प्रैस, नई दिल्ली के एक कर्मचारी को प्रेस समूह में अपने क्वार्टर में निश्चित अवधि से अधिक काल के लिये रहने की अनुज्ञा दी गई थी ।

(ख) यह अनुज्ञा उसे उसके बच्चों की शिक्षा में असुविधाजनक अवसर पर आने वाली बाधाओं से बचाने और उसकी माता की बीमारी के कारण से दी गई थी ।

(ग) चार मामलों में नियमों के अन्तर्गत निश्चित अवधि से अधिक काल तक ठहरने के लिये मांगी गई अनुज्ञा को अस्वीकृत कर दिया गया था ।

पंचवर्षीय योजना

९८८. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **योजना** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये इस्पात, रसायनिक खाद, और कागज आदि जैसे कुछ भारी उद्योगों की जोरदार सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन मिश्र): (क) भारी उद्योगों को कायम करने के लिये कुछ प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसविदा में शामिल किये गये थे ।

(ख) उन प्रस्तावों की रूप रेखा सदन की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६४]**

विज्ञापन

९८९. श्री वीरस्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में अंग्रेजी और तामिल भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन खर्चों के रूप में कितनी धन राशि दी गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : रेलवे मंत्रालय के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन शाखा के द्वारा जारी किये जाते हैं । रेलवे मंत्रालय के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों के वर्गीकृत विज्ञापनों के जारी करने का कार्य भी १ अगस्त, १९५४ से विज्ञापन शाखा में केन्द्रित कर दिया गया था ।

निम्न विवरण यह बताता है कि १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में विज्ञापन शाखा द्वारा मद्रास राज्य में प्रकाशित होने वाले तामिल भाषा के दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं और अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों पर कितना खर्च आया था :

वर्ष	मद्रास राज्य में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र तथा पत्रिकायें	तामिल भाषा के दैनिक पत्र तथा पत्रिकायें
	रुपये	रुपये
१९५२-५३	४६,३२६	३५,४७१
१९५३-५४	५३,३१७	३४,२१४
१९५४-५५	११३,३१५	४१,६०७

१९५४-५५ के आंकड़ों में विज्ञापन शाखा द्वारा १ अगस्त, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक जारी किये गये वर्गीकृत विज्ञापन भी सम्मिलित हैं, जिनके सम्बन्ध में भारतीय भाषाओं के पत्रों के अधिकाधिक उपयोग के बारे में नीति अपनाई जा रही है ।

पारपत्र

९९०. सरदार इकबाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारपत्रों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों और विनियमनों को संशोधित करने और पुनः बनाने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). सरकार भारतीय पारपत्र जारी करने से सम्बन्ध रखने वाले नियमों में कोई भारी परिवर्तन करने का विचार नहीं करती है, परन्तु पारपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को वित्तीय सुरक्षा और अन्य प्रकार की दृष्टियों से सरल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

अबाध व्यापार

९९१. **श्री के० के० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत अबाध व्यापार कर रहा है ;

(ख) उन देशों के साथ भारत ने किन किन वर्षों में निशुल्क व्यापार प्रारम्भ किया था ; और

(ग) भारत द्वारा उन देशों से कौन कौन सी वस्तुयें आयात की गई हैं और यहां से कौन कौन सी वस्तुयें निर्यात की गई हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि 'अवाध व्यापार' से माननीय सदस्य का तात्पर्य विभिन्न देशों के मध्य प्रशुल्क प्रणाली के आधार पर होने वाले व्यापार से है जिसमें स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और विदेशी में उत्पादित वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद किया जाता है और दोनों पर (आयात तथा उत्पादन शुल्कों द्वारा अथवा उन पर लगाये गये करों के द्वारा) बराबरी के आधार पर और एक समान सीमा तक कर लगाया जाता है अथवा दोनों को सभी प्रकार के करों से (या शुल्कों के भुगतान से) मुक्त कर दिया जाता है। इस दृष्टि से तो भारत और किसी भी अन्य देश के बीच निशुल्क व्यापार नहीं होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद—भाग १

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५—संख्या २१ से ४०)

(२२ अगस्त, १९५५ से १६ सितम्बर १९५५)

अ

अंकुशपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना १६३२—३३

अंजरकैंडी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दाल चोरी १६१९—२१

अंतरिक्ष-शास्त्रीय यंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंत रिक्ष-शास्त्रीय यंत्र १६३०

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—द्वीप समूह १४६९—७०

अन्दमान द्वीपसमूह २६६४—६५

अंदमान में संचार २०९३—९४

दक्षिणी अन्दमान में दफ्तरों में भरती २५१४

पुनर्वास अनुदान २६४२—४४

अंधे व्यक्ति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंधे व्यक्ति २४६९

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना १६३१-३२

आयुर्वेदीय उपचार २५७५—७६

औषधों का क्रय २५७६-७७

अकरपुरी, सरदार—

के द्वारा प्रश्न—

आयातों पर रोक १९४५-४७

चोरी से लाई गई वस्तुओं का उत्सर्जन १८९९-१९०१

भारत फ्रांसीसी करार २६९४—९६

अखिल भारतीय आदी अपराधी बिल—

देखिये "विधेयक (कों)"

अखिल भारतीय आर० एम० एस० कर्मचारी संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आर० एम० एम० कर्मचारी १६४८-४९

अखिल भारतीय कराधान परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय कराधान परिषद् १७१२

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११-१३
ऊन कातने का चर्खा १७६०-६२
खादी २४३२
खादी और ग्रामोद्योग १७२३-२६
खादी हुण्डियां २३२३–२४
घानी तेल उद्योग १७७७–७८
प्रशिक्षण संस्थाएं १५५६–५७
मधुमक्खी पालन केन्द्र १६८०
मिल का बना तेल १६६५–६६
विक्रय केन्द्र तथा प्रदर्शनालय १७७६–८०

अखिल भारतीय निर्यातकर्ता संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय नौवहन १८३०–३२

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा बोर्ड–

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बहु प्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्यक्रम २६४४--४६

अखिल भारतीय बालकन जी बारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल कल्याण १८७१-७३

अखिल भारतीय श्रमिक संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५८१–८२

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस २५७५

अखिल भारतीय सहकारी परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी परिषद् १६२६-२७

अगरतला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण २३३३

अगिया घास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६–०८

अग्रवाल, श्री एम० एल०—

के द्वारा प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७२६–२८
उत्तर प्रदेश में विमान क्षेत्र १८६७–६८
घी और मक्खन २६१८
दावे २५४३–४४
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७१५–१६
नेपाल में विमान दुर्घटना १६३८
प्लेटफार्मों का बनाया जाना १८६८
भारत वायु सेना के डकोटा की दुर्घटना २११३
रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९
शीरे का निर्यात २५४४-४५
सांख्यिकीय तथा आर्थिक मंत्रणा सेवा १७०३–०४

अचल सिंह, सेठ—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

उत्पादन शुल्क १८८०
छावनी पुनर्संगठन २२६४
तरल सोना (सोने का पानी) २३५१
पर्यटन १५८०

अचल सिंह, सेठ—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

बिना टिकट यात्रा १८२०

भोजन आदि की व्यवस्था १८२५

रंगाई की मशीनें २१५१

रेलवे पुल २२१८

विद्युत् संभरण २६८५

के द्वारा प्रश्न—

आगरा छावनी बोर्ड २११५

अचिंत राम, लाला—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

उत्पादन शुल्क १८८०

अजित सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४९०

के द्वारा प्रश्न—

"आपका अपना टेलीफोन" योजना २०२१–२२

बाढ़ नियंत्रण के लिए हेलीकोप्टर २५३३–३४

हैलीकोप्टर १८२१–२३, २२०८–०९

अणु शक्ति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु शक्ति १९७१–७२, २६८९

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ २०२५–२७

अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड १५२३–२५, १५३९–४१

अदरक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६–०८

अधिलाभांश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के रूप में मिले हुए अंश १७०९—११

अध्ययन अवकाश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अध्ययन अवकाश १७२२

अध्यापक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—को प्रशिक्षण २५२०

असैनिक विद्यालयों के—२११६-१७

त्रिपुरा में प्रारम्भिक पाठशालाओं के—२११४-१५

नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११-१३

लारेंस स्कूल सनावर १४५९-६१

अनन्तपुर (आंध्र)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रोद्योगिक) संस्थायें १८८९–९०

तेल गवेषणा स्टेशन १५९२–९४

अनावृष्टि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति २५८४

अनिरुद्ध सिंह, श्री---

के द्वारा प्रश्न---

इंजीनियर २१३०–३२

चांदी का चोरी छिपे लाना ले जाना १९२०

नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधाएं १५९४–९६

रेल दुर्घटना १६३४-३५

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १६७३ -७५

अनुज्ञप्ति (यों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अनुज्ञप्तियां २५४८

दाब पवत्र २३७२-७३

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम २२९० -९२

रेडियो के लाइसेंस .२६०७

शीरे का निर्यात २५४४-४५

सोडा ऐश २३५९-६१

स्टोव के बर्नर १९४७–४८

हैलीकोप्टर २२०८-०९

अनुदान---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११-१३

अनुसूचित आदिम जातियां २१११---१२

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५–८६

अस्पतालों का सुधार २५९६

अनुदान---(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न---(जारी)

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२०५-०७

आयुर्वेदिक संस्थाओं को—२६१९–२०

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५१—५३

कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य बोर्ड १८९४-९५

काश्मीर के-१५१२

केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड २२१९–२०

खादी और ग्रामोद्योग १७२३–२६, १९७३

गुड़ १६३६

घानी तेल उद्योग १७७७–७८

चिकन की कसीदेकारी १५६१

देहातों में शिक्षा २६४८-४९

पंजाब विकास योजनायें २२९७-९९

पढ़े लिखों में बेकारी १४७६–७८

पब्लिक स्कूल १९१५

पुनर्वास अनुदान २६४२–४४

बहुप्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्य-क्रम २६४४–४६

बिहार को दिये गये---२१७४

बिहार में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी २३०६

योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद १४७२–७४

रक्षित बैंक द्वारा विश्वविद्यालयों को ---२२८१–८२

लारेंस स्कूल-सनावर १४५९-६१

विकास ऋण १७९१–९२

वैज्ञानिक तथा टैक्निकल शिक्षा २११९

शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद २५०८-०९

अनुदान–(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न–(जारी)
शिक्षितों की बेकारी १९०५–०७
सामाजिक शिक्षा १४४०–४१
सामुदायिक रेडियो सैट २१५३–५५
साहित्य अकादमी २४७३–७५
स्वयं सेवी शैक्षिक संस्थाओं को–– १९०१–०२
हाथकरघा उद्योग २६८५–८६
हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१६–१७

अनुशासनिक कार्यवाही––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
अनुशासन के मामले २११८

अनुसूचित आदिम जाति (यां)––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६४–६५
अनुसूचित आदिम जातियां १६८५, २१११–१२
अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां २१२१–२२
आदिम जाति कल्याण योजनायें २७०२ ०४
त्रिपुरा में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक २११४–१५
भर्ती १६५४
यात्रा भत्ते २६८२
रेलवे में भर्ती २६१६
समुद्रपार की छात्रवृत्तियां २६४१–४२
समुद्रपार छात्रवृत्तियां २६२९–३०

अनुसूचित जाति (यां)––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६४ ––६५
––और आदिम जातियां २१२१–२२
––को छात्रवृत्तियां १७२१–२२
असिस्टेण्ट २६७४
छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७५–७९
छात्रवृत्तियों का भुगतान २३०५
त्रिपुरा में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक २११४–१५
बीम वायरलैस स्टेशन, पूना २५८४
भर्त्ती १६५४
भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १९०९–१०
भारतीय सेना में भरती २५०९–१०
मानवी विज्ञानों (ह्यूमिनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७२–७४
मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां २२७४–७५
यात्रा भत्ते २६८२
रेलवे में भर्ती २६१६
समुद्र पार की छात्रवृत्तियां २६४१–४२
समुद्रपार छात्रवृत्तियां २६२९–३०

अनुसूचित बैंक (कों)––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
बैंकों का निरीक्षण २११९

अन्तरिक्ष शास्त्र––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
––सम्बन्धी सम्मेलन १८३३

अन्तरिक्ष शास्त्रीय औजार––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
अन्तरिक्ष शास्त्रीय औजार १६४९–५०

अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर—

देखिये "बिक्रीकर, अन्तर्राज्यिक"

अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का—१७१४—१५

अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह, द्वितीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—,वारसा १४९१

अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया प्रदर्शनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया प्रदर्शनी २५३१

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय, दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय, दिल्ली २२६१

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

झंडा सम्बन्धी विभेद १८३४–३५

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन २७४८

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, हिन्दचीन १०५७–५८

अन्नपूर्णा भोजनालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्नपूर्णा २४५४

अन्नपूर्णा केफेटीरिया १८३८

अपमिश्रण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्य पदार्थों में—२५६२–६३

अपराध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलों में—१८४४–४५

अफ्रीका, दक्षिण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जातीय भेदभाव २१६७–६८

अफ्रीका, पुर्तगाली पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में भारतीय २७२४–२६

अफ्रीका, पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार १९७३–७४

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय—

देखिये "विद्यालय (यों)"

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला—

के द्वारा प्रश्न—

इस्पात उत्पाद १७७२

पटरियों का सर्वेक्षण १८६६–६७

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १४८७

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना १५५०

रेलवे दुर्घटनाएं १८३९–४०

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १५६९

अभ्रक—

के सम्बन्ध मै प्रश्न–

—की खानों में बाल-गृह २४४२

—के कारखानों में नौकरी २२१६–१७

—निक्षेप २६६३

अमजद अली, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

खनिज तेल २१०१

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला २१०९

के द्वारा प्रश्न—

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४–८५

अमरनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटक यातायात, काश्मीर १९९९

अमरीका, संयुक्त राज्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

करारोपण जांच आयोग १६२७

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९–९१

कोलम्बो योजना २२८७–८९

चलचित्र २४८१–८३

चिकन की कसीदेकारी १५६१

ट्रैक्टरों की मरम्मत २४४८-५२

प्रयोगात्मक नलकूप २५५९

भारतीय समाचार पत्र की बिक्री १९३७–३८

विदेशी विशेषज्ञ १४७४-७५

विनियोजन प्रत्याभूति समझौता २६३१–३२

—की मेडिकल मडिगरियां २०३८

अमीनगांव—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सफर की हालत १८१४–१५

अम्बर चर्खा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बर चर्खा २१७१–७२

अम्बरनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीनी औजारों के कारखाने १४९८–८३

मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना,— १४५५–५८

अम्बाला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—स्थित डाकघर २०४७

डाकघर २६१७

अयस्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का निर्यात १९५४–५५

अरब—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टिड्डी नियंत्रण १६१४

अलगेशन समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भोजन व्यवस्था १५७७—७९

विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२२–२४

विभागीय स्तर पर भोजन व्यवस्था २२४८

अलुआबारी रोड रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अलुआबारी रोड रेलवे स्टशन २६१०

अल्प आय वर्ग आवास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

न्यून-आय वग आवास योजना १६५६-५८

अल्वाये—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में उर्वरक कारखाना १७७४–७५

असैनिक उड्डयन विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के कर्मचारी २०४२

असैनिक कर्मचारी—

देखिये "कर्मचारी"

असैनिक "विद्यालयों"—

दखिये "विद्यालय (यों)"

अस्पताल—

देखिय "चिकित्मालय (यों)"

अस्पृश्यता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—पर फिल्में (चलचित्र) २७०७–०८

अहमदनगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल १६६७–६८

अहमदाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीन द्वारा छपाई २७५२

आ

आंध्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११–१३

—के लिये उर्वरक कारखाना १५३०–३२

—में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१२–१४

—राज्य पदाधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति १८१६

आमों का निर्यात २३६३–६४

उच्चतर टक्नोलोजीकल (प्रौद्योगिक) संस्थाएं १८८६–६०

करनूल-कुड्डापा नहर १५४७–४८

कार्ड टिकट २१६५

तम्बाकू का निर्यात २५२७–२८

तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर १६४३–४४

तेल गवेषणा स्टेशन १५६२–६५

नन्दीकोंडा बोर्ड १५२६–३०

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल २५३६–४०

माल डिब्बों का आवण्टन १६६०

रेलों में भोजन आदि की व्यवस्था १८४६

वस्त्र जांच समिति १५०३–०४

सीमेंट के कारखाने १५७१–७२

हाथकरघा उद्योग २६८५–८६

हाथकरघे का कपड़ा १७७१–७२

आंध्र वाणिज्य मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल २५३६–४०

आंध्र विश्वविद्यालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११-१२

आइपोमिया कनिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आइ ोमिया कनिया २४०६

आगरा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--छावनी बोर्ड २११५

तरल सोना (सोने का पानी) २३५०-५१

पर्यटन १५७९-८१

आगरा छावनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छावनी पुनर्संगठन २२६२-६४

आगरा छावनी बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आगरा छावनी बोड २११५

आगरा-बाह रेलवे लाइन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः-स्थापन २०६४

आजाद, श्री भागवत झा--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७१३

आर्डिनेन्स फैक्टरी १८८७

कार्मिक संघ २६३७

काश्मीर १७४३

केन्द्रीय पटसन समिति २०१३

आजाद, श्री भागवत झा--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

खनिज मंत्रणा बोर्ड २२८०

चमड़े का सामान २६२४

छावनी बोर्ड १४६८

छोटे पैमाने के उद्योग १७३९

टेलीफोन कनैक्शन २०३६

डाक-सेवायें १८०५

दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४६

देहातों में शिक्षा २६४९

बहु प्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्य-क्रम २६४६

बिहार में खुदाई २६६०

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा १४४५

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम २२९२

मशी ी औजारों के कारखाने १४८२

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटड १५२४

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६६-६७

रेलवे लाइनें २२२५

वस्त्र जांच समिति १५०४

विद्युत परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१७

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी १८०२

सैनिक सामग्री कारखाने २३००

स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान १९०२

के द्वारा प्रश्न--

अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर २३०७-०८

अन्दमान ीपसमूह २६६४-६५

इस्पात का सामान बनाने वाले कारखाने १७३३-३५

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण १५५३-५४

उत्तरी बिहार में खाद्य की स्थिति १८४६

आजाद, श्री भागवत झा—(जारी)

क द्वारा प्रश्न—(जारी)

एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम १६३३

कांडला भ्रष्टाचार कांड १४४६–५१

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस २३१६–१७

कोढ़ १६४६–४७

कोयला खानें १५३५–३६

क्षतिपूर्ति के दावे २००४–०५

खादी और ग्रामोद्योग १६७३

गन्ने की खेती २०३५

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७५६–६०

घानी तेल उद्योग १७७७–७८

छात्र वृत्तियां १७१८–१६

जाली टिकट १६३७–३८

टिड्डियां १५८३–८५

डिब्बे जोड़ने का संयंत्र १८६४

दक्षिणी अन्दमान में दफ्तरों में भरती २५१४

दावे २१७४–७५

धूप-चूल्हे २११२–१३

निर्यात व्यापार २१५६–६०

पालार नदी १५०४–०५

पुनर्वास अनुदान २६४२–४४

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति २३६५

फिल्म कथानक का विवाचन २१५७

बाल पक्षाघात रोग (पेलियो) २४५५

ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५—३६

भाखड़ा नंगल परियोजना २७४६

भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण २३१०

भारतीय नौवहन १८३०–३२

भू संरक्षण योजनायें १६४५–४६

माल के डिब्बे १७६६–६८, २५८२–८३

आजाद, श्री भागवत झा—(जारी)

क द्वारा प्रश्न—(जारी)

मुद्रकों, छपाई करने वालों, आदि को पुरस्कार २६६२–६३

रूरकेला इस्पात संयंत्र २३६६

रेड आइरन ओक्साइड (रक्त अयोजारय) २२८५–८७

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५६६

विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकान आदि २७५०–५१

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर १५६४—६५

शस्त्रास्त्रों का चोरी-छिपे से ले जाया जाना १८८२–८३

शिक्षा सम्मेलन २३१३

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २१६१

सिन्दरी उर्वरक कारखाना २५२८

सूडानी सैनिक मिशन २११७

हस्तशिल्प २३७०

हिन्दी व्याकरण २११८

आजाद हिन्द फौज भूतपूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौजी २०७८–८१

आदिम जाति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

असिस्टेंण्ट २६७४

—कल्याण योजनायें २७०२–०४

—का कल्याण २१३६–४०

—के लोगों का पुनर्वास १८६२

—के व्यक्तियों को शिक्षा १४६६–१५००

—पुनर्वास १४८५–८६

आदिम जाति (यों)—(जारी)

के सम्बन्ध मे प्रश्न—(जारी)

—में उच्च शिक्षा १९२६

गत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण २०३६–३८

खास भूमियों का बन्दोबस्त २०५५–५६

खोधाई का—का छात्रावास २६७९

बिना लाइसेंस के शस्त्र २५१८

वीरेन्द्र नगर एम० ई० स्कूल, त्रिपुरा २५१२–१३

हाथ करघा गद्योग १७८४–८५

आम (मों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आम २३४८–५०, २३८०, २४५५–५६

— और लीची २६८७—८९

—का निर्यात २३९३–९४

—को डिब्बों में भरदा २४५६

आय—

के सम्बन्ध में प्रश्न

चोरी से लाई गई वस्तुओं का उत्सर्जन १८८९–१९०१

जब्त किये गये हीरे १४५३–५५

तम्बाकू उत्पादन शुल्क २३१८

पर्यटक यतायात, काश्मीर १९९९

वैदेशिक तारों का आना जाना २४६७–६८

शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे २७१२–१३

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २५८५–८६

आय-कर—

के सम्बन्ध में प्रश्न

आय, कर १९१९–२०

राज्य वित्त निगम १४८४–८५

सरकारी प्रतिभूतियां १८९८–९९

आयकर बिभाग —

के सम्बन्ध में प्रश्न

आय कर कर्मचारी २३१२–१३

आय कर विभाग २१०१–०४

आयात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंग्रेजी कपड़ा २७४७

अनुज्ञाप्तियां २५४८

अवाध व्यापार २७५९–६०

—नीत २३७४, २३८०–८१

—पर रोक १९४५–४७

इस्पात—१७६५–६६

इस्पात उत्पाद १७७२

औषधि भंडार संगठन २०६१–६२

कपड़ा १९३६–३७

खंडसारी २४५४–५५

घड़ियां २३२१–२२

घी और मक्खन २६१८

घोड़ों का–२७४३–४४

चीनी का—२६०५–०६

ट्रैक्टर २७४१

तरल सोना (सोने का पानी) २३५०–५१

दाब पवत्र २३७२–७२

दारचीनी का तल ११०३–०८

पौधों का—१८४७–४८

प्रकाशनों का—निर्यात २१६६

प्रयोगशालाओं का कांच का सामान २५२७

आयात—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

बर्मा-ऋण २५९५-९६
भारत-बर्मा व्यापार २५२६
भारी ट्रकों का—१६९८–१७००
माल के डिब्बे २५८२-८३
रासायनिक उर्वरक का—२१५७
रेल की पटरियों का—१९७२-७३
लेखन सामग्री १५६६-६७
समाचार पत्र का कागज २३६१-६४
सामग्री क्रय २५२९
सिलाई की मशीनें २७२८
सीने का धागा २१३४–३५
सूती कपड़े का–१७१२–१३
सेफ्टी रेजर के ब्लेड २३७३
सोडा एश २३५९–६१
स्तरकाष्ठ (प्लाईवुड) १७६८–६९
हिसाब लगाने की मशीनें १९७६–७७
हीरे काटने का उद्योग २३३६–३७
हैलीकौप्टर २२०८–०९

आयात अनुज्ञप्तियां

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत-फ्रांसीसी करार २६६४–९६

आयात नीति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छोटे पैमाने के उद्योग २५३४–३५

आयात शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूती कपड़े का आयात १७१२-१३

आयुध कारखाने—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुध कारखाने १९१३–१५
आर्डिनेंस फैक्टरी १८८६–८७

आयुध कारखाने—

के सम्बन्ध में प्रश्न (जारी)

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४८८–९०
रक्षा टेक्निकल कर्मचारी २५२२
सैनिक सामिग्री कारखान २२९९–२३००
सैन्य सामग्री कारखाने २०८७–८९
सैन्य सामान कारखान २६७३–७४

आयुर्वेद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति २५९४–९५
प्रदेश में—सम्बन्धी गवेषणा २४१३–१५

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुर्वेद और होमियोपथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२३५–०७

आयुर्वेदिक कालिज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुर्वेदिक कालिज २२२०–२२

आयुर्वेदिक संस्था (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान २६१९–२०

आयुर्वेदीय उपचार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयर्वेदी उपचार २५७५–७६

आलू--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--की खती २०६६-६७, २६१०-११

आल्वा श्री जोकीम

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अधिलाभांश के रूप में मिले हुए अंश १७११

आसाम में पेट्रोल की खोज २६४०

कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८६

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३६०

चल चित्र २४८२

छापने की मशीनें २३४०

छोटे पैमाने के उद्योग १७३६

टायर बनाने वाले कारखाने १५२०

तम्बाकू उद्योग २७१४-१५

तुर्क देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध २६७१

पारिवारिक निवृत्ति वेतन (पेंशन) १४४४

भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४७

भारतीय सेना में भरती २५०६-१०)

भावनगर में तेल शोधन कारखाना २६६६

मूलरूप के मक्षीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ २४५७

मैसर्स अतुल प्रोडक्टस, लिमिटेड १५४०

वनस्पति कारखाने २२११

विनियोजन प्रत्याभूति समझौता २६३२

समाचार पत्र का कागज २३६३-६४

सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८०-८१

हैलीकोप्टर १८२३

आवास विशेषज्ञों का मण्डल--

के सम्बन्ध में प्रश्न

आवास विशेषज्ञों का मण्डल १५५१

आश्रम और अपाहिजगृह--

में सम्बन्ध में प्रश्न

आश्रम और अपाहिजगृह १६३१-३२

आसनसोल--

क सम्बन्ध में प्रश्न

माल का यातायात २५७०

आसाम--

के सम्बन्ध में प्रश्न

--में तेल के कुएं २०७६-७७

--में पेट्रोल की खोज २६३७-४१

--में प्राचीन स्मारक १४६६

--रेल सम्पर्क १८२३-२४

इंजिन, डिब्बे आदि १६५६

उत्तर ट्रंक रोड--१६५८

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७२६-२८

गोहाटी को चीनी का भेजा जाना २४४३-४४

तेल शोधक कारखाने १७५५-५७

रात में टेलीफोन करना २०१३-११

आसाम आइल कम्पनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पट्रोलियम रियायत नियम २२६१-६२

आस्ट्रिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६६-७०

आस्ट्रेलिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

घोड़ों का आयात २७४३-४४

चीनी सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल १६०६

इ

इंजन (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़क बनाने की मशीनें २१२८-३०

इंजीनियर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंजीनियर २१३०-३२,२७२६

इंजीनियरों का प्रतिनिधि मंडल १५०५-०७

चालक तथा ग्राउंड—२४६५-६७

पोत निर्माण १६८१

विदेशी—२७४६-५०

इंजीनियरिंग कालिज--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उड़ीसा के लिये—१४५१-५३

देखिये "महाविद्यालय"

इंजीनियरिंग क्षमता सर्वेक्षण समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सैन्य सामग्री कारखाने २०८७-८८

इंजीनियरिंग विशेषज्ञ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७४६-५२

इंजीनियरिंग सेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे कर्मचारी २४६५

इंडियन आयरन वर्क्स--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लोहे की वस्तुओं का निर्माण २१७१

इंडियन इनफार्मेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पत्रिकायें १६३५-३६

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन १६६२

श्रीनगर में एक डकोटा का रोका जाना २०६०-६१

'स्काई मास्टर' विमान २४११-१४

इंडिया गेट, नई दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडिया गेट के पास फव्वारे २७२६-३०

इंडोनेशिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल १६०६

इकबाल सिंह सरदार--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

आयातों पर रोक १६४५

कपड़ा १६३७

खाद्य पदार्थों में मिलावट एक्ट, १६५४—२१८४

चल चित्र २४८२

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग १६६६

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को प्रव्रजन २६५५

सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८१

हुण्डी बाजार १८८३

इकबाल सिंह, सरदार—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी परिषद १६२६–२७
अन्न भांडार (फीरोजपुर) २४०८–१०
उर्वरक कारखाने २१६२–६३
कीनिया में भारतीय २५५३–५४
कुंजरू समिति का प्रतिवदन १८८७–८८
कृषि के औजार २५४६–४७
खुदाई का कार्य १९१३
ग्रामीण ऋण २४३०–३१
ग्राम्य चिकित्सा सहायता जांच समिति २४४६–४७
चलचित्र अधिनियम, १९५२, १७८३–८४
चलचित्र स्टुडियोज़ में हड़ताल १५६५–६६
चालक तथा ग्राउंड इंजीनियर २४६५–६७
चीनी के कारखाने १८३७–३८
चोरी छिपे लाई गयी घड़ियां १६८२–८४
चोर्यानयन २४९५–९६
छावनियां १६९६–९७
जब्त किया गया सोना २१२४
जातीय भेदभाव २१६७–६८
देहातों में शिक्षा २६४८–४९
पाकिस्तान के साथ व्यापार करार १५३८–३९
पारपत्र २७५८
पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन १५१७–१९
पुतगाली पूर्वी अफ्रीका में भारतीय २७२४–२६

इकबाल सिंह, सरदार—(जारी)

क द्वारा प्रश्न—

प्राचीन स्मारक १९०८–०९
प्रादशिक संस्थायें १९८८–८९
बर्मा और मंलाया से निष्क्रमणार्थी २१४२–४४
बिना टिकट यात्रा २२५४–५५
भारतीय चलचित्र (फिल्में २३६६
भारतीय मोटर गाड़ियों का निर्यात २३७७
भारतीय सस्त्रास्त्र अधिनियम २२९०–९२
भारतीयों का प्रत्यावर्तन (स्वदेश वापिस लौटाया जाना) २३७८–७९
मालगाड़ी के डिब्बे २५९०
राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८८–८९
रेलवे कुली १८५९–६०
रेलव भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९
रेलवे लाइनें २०२५
रेलों में अपराध १८४४–४५
विज्ञापन २५५२
विदशी इंजीनियर २७४९–५०
विदशों को भेजे गये शिष्टमंडल १४९६
विदेशों में शिष्टमंडल १७८१
विमानों की खरीद २२५०–५२
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २७०४–०५
वैदेशिक तारों का आना जाना २४६७–६८
संघ लोक सेवा आयोग १४९०, १७२१
समाचार-श्रवण केन्द्र २२३४
सोने का पता लगान वाला यंत्र १४८५
हड्डी पीसने के कारखान २०६५
हेलीकोप्टर १८६०–६१

इटली--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

सीने का धागा २१३४–३५

इतिहास--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

स्वतंत्रता शताब्दी १४५८–५९

इथियोपिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--के राजा की यात्रा १७६२–६३

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी पैराम्बूर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंट्रग्रल फैक्टरी पैराम्बूर १८४०

इन्दौर--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय ज्योतिषी वेधशाला १५८६–८९

सहकारिता प्रशिक्षण १६६०–६१

इब्राहीम श्री--

के द्वारा प्रश्न--

अध्यापकों को प्रशिक्षण २५२०

अनुज्ञप्तियां २५४८

अन्नपूर्णा २४५४

अपराध १६४३–४४

असैनिक विद्यालयों के अध्यापक २११६–१७

औद्योगिक वित्त निगम १७१७

कपड़े का क्रय २२५९–६०

कागज उद्योग १९८०–८१

कागज की मिलें १७१८

काम दिलाऊ दफ्तर २२४३

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २२४७

कोयल का उत्पादन १५०२–०३

इब्राहीम, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--

चमड़े का सामान २६२३–२५

चलते डाकघर २२३९–४०

चीनी २५६७, २६०७

चीनी का उत्पादन १८३२

चीनी की मिलें १७१८

जिप फास्नर उद्योग १९७३

टाइप की मशीनें १९७८

तारों का पहुंचाया जाना २३८८–८९

दुर्घटनाएं २२४०–४३

नमक १७३०–३३

निबटारा करने वाला कर्मचारी वर्ग २१६४–६५

पब्लिक स्कूल १९१५

पोत-निर्माण १९८१

प्रव्रजन २७४५–४६

बिना टिकट यात्रा २४५४

बिहार में खुदाई २६५९–६०

बीमा कम्पनियां २११९–२०

बैंकों का निरीक्षण २११९

भारत-बर्मा व्यापार २५२६

भूतत्वीय परिमाप १९२०–२१

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा १७६१–७३

रज्जू स्फोट (कोडाइट) कारखाने २३०९

रबड़ उद्योग १५३४–३५

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६५–६७

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र १९२१

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २६७६–७७

राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२–९४

रूस से सहायता २४७६–७८

रडियो क लाइसस २६०७

विदशी राजदूतावास २७४४–४५

इब्राहीम, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

विप्रेषण लेखे २६६८--६९

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १७७९

वैज्ञानिक तथा टैक्निकल शिक्षा २११९

व्यापार शिष्टमंडल २३७५

शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद २५०८--०९

श्रमिकों के लिये मकान २२४०

संघ लोक सेवा आयोग १४९०

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ १८५३

सरकारी परिवहन १४८९--९०

सामाजिक शिक्षा १४४०--४१

सीमेंट के कारखाने १७७९

सैनिक सामग्री कारखाने २२९९--२३००

स्लेट २१६४

हज यात्री २५४९

हथकरघा उद्योग २७४४

हथ-करघे २५४९--५०

हिन्दी के प्रकाशन १७७९

हिसाब लगाने की मशीनें १९७६

इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सोडा ऐश २३५९--६१

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४--८५

इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इम्पीरियल बैंक १४८४

भारत का राज्य बैंक २०८९--९१

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन्क्वायरी कमेटी---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गंदी बस्तियों के सुधार की योजना २०२८--२९

इम्फाल---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बर्मा के मार्ग से तस्कर व्यापार १४९८

इलायची---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६--२४०८

इलाहाबाद---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे सेवा आयोगों द्वारा भर्ती २२४७

इस्पात---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

---के मूल्य २५४२--४३

देखिये "लोहा तथा इस्पात"

इस्पात संयंत्र---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५--३६

रूरकेला २३६९

रुरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३४--३५

इस्लामुद्दीन, श्री एम०--

के द्वारा प्रश्न--

अन्नपूर्णा केफेटेरिया १८३८

अलुआबारी रोड रेलवे स्टेशन २६१०

आय-कर १९१९--२०

आलू की खेती २६१०--११

काफी (कहवा) १९७४

कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा केन्द्र २०५४--५५

केन्द्रीय विपणन संगठन १७७५--७६

कोयले की खपत २४५९

खण्ड सहकारी पदाधिकारी (ब्लौक लेवल कोआपरेटिव आफीसर्स) १८४३--४४

गुड़ का उत्पादन १६५०--५१

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर १५४८

दूर-संचार भवन २०४६

दृष्टांक (विज्ञा) २३६५--६६

नासूर २२३०

निर्यात संवर्द्धन परिषद् १७७८

पशु अत्याचार-निरोध जांच समिति २०४१

पूर्निया जिले में डाक-घर २२४९

पौधों का आयात १८४७--४८

प्रदर्शनियां, व्यापार केन्द्र तथा प्रदर्शन-कक्ष २१७५

बिहार में सड़क २१६३--६४

बिहार राज्य में बेकारी २०४६--४७

ब्रिटिश उद्योग मेला १९७७

भारत-इंगलैण्ड वैमानिक करार २४३९

मिल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर २६७९--८०

यात्रा भत्ते १९२८

राज्य व्यापार १७८६

इस्लामुद्दीन, श्री एम०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र, कलकत्ता २४३५

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प १७१४--१५

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास २१६३

वैमानिक शाखा (एयर विंग) २५८९

व्यवहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना २६७३--७४

व्यापार चिह्न १७६९--७०

श्री राम कामर्स कालेज २६७३

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६--६७

साइकिलें २६८९--९१

सीमा पर घटना १९७९--८०

ई

ईराक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हज यात्री २५४९

ईरान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हज यात्री २५४९

ईश्वरदास बल्लभदास ठेकेदार, श्री--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भोजन व्यवस्था के ठेके २५९२--९३

उ

उच्च न्यायालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औद्योगिक न्यायाधिकरण २५७२--७३

उच्च न्यायालय, कलकत्ता--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८३--८६

उज्जैन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६–८९

उड़ने वाले तेल—

देखिये "तेल (लों)"

उड्डयन क्लब (बों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मनोरंजन उड़ाने (ज्वाय फलाइट) २२१४–१६

विमान दुर्घटनायें १९९१–९४

उड़ीसा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजीनियरिंग कालेज २१३५–३६

—के लिये इंजिनियरिंग कालिज १४५१–५३

—में खाद्याभाव की स्थिति १६११–१४

—में चीनी के कारखाने २२३२–३३

कच्चे लोहे के निक्षेप १५४३–४४

तटीय राज्यों में सूखे की अवस्था २४३६

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६–८८

हीराकुड बांध से नहर २३६७–६८

उत्तर ट्रंक रोड—

देखिये "सड़क (कों)"

उत्तर-पूर्व रेलवे—

देखिये "रेलवे, उत्तर-पूर्व"

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण १५५३–५४, २०३६–३८, २१६९, २१७७–७८, २३६८–६९, २३७५–७६, २७२६–२८

उत्तर प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५–८६

अभ्रक निक्षेप २६६३

अस्पृश्यता २२९४–९७

—में फाइलेरिया केन्द्र १६६१–६२

—में विमान क्षेत्र १८६७–६८

खनिज तेल २१००–०१

चिकन की कसीदेकारी १५६१

जोतें १८४४

डकैतियां २५१४–१५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७१५–१६, २७५६–५७

परिसमापित बैंक २५२४

रेल के पुल १५९१–९२

रेलवे पुल २२१७—१९

व्यापार चिह्न १७६९–७०

सोना २३०७

उत्तर रेलवे—

देखिये "रेलवे, उत्तर"

उत्पादन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अभ्रक के कारखानों में नौकरी २२१६–१७

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना १५३२

आलू की खेती २०६६–६७, २६१०११

आसाम में तेल के कुएं २०७६–७७

उड़ने वाले तेल २३८२–८३

कपड़े का— १९६३–६५

कृषि के औजार २५४६–४७

कोयला १७६७–६८

उत्पादन--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न (जारी)--

कोयला बोर्ड २७२२-२४
कोयले का-- १५०२-०३
खादी १९८३
गन्ने की खेती २०३४-३५
गुड़ १६३६
गुड़ का-- १६५०-५१
चमड़े का सामान २६२३-२६
चाय १७८४
चीनी २०२९-३०, २६०७
चीनी का -- १८३२
चीनी की मिलें १६४०-४१
झींगा उद्योग २२३३
दालचीनी १८४२
नमक १७३०-३३
पश्चिम बंगाल में चीनी के कारखाने २२५६
पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति २५८४
बिजली १९८०
मछली पालना २२३०-३१
मीनक्षेत्र (फिशरीज) गवेषणा केन्द्र २२४५-४६
लम्बे रेशे वाली कपास २४३५-३६
लोहा और इस्पात २३६४-६५
लोहे और इस्पात के कारखाने १७२६-२८
शक्तिजनक मद्यसार २३४८
सिन्दरी उर्वरक १५२२-२३
सीमेंट २७५०
सैन्य सामग्री कारखाने २०८७-८९
हथकरघा से बनी वस्तुयें २३२९-३०
हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २६६०-६२
हीरे २३०९

उत्पादन शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्पादन शुल्क १८७९-८०
तम्बाकू-- १६८६-८८, २३१८
शक्ति चालित करघों पर--१९५९, १९५९-६१

उदयपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६-८९
रेलवे लाइन १६२८
सुख सागर जल २१९४

उद्योग (गों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--का यंत्रीकरण २७३०-३१
कम्पनियां (समवाय) २६८१-८२
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ २०४३
काश्मीर को अनुदान १५१२
खादी २५३७
तेलों के सामान का-- २७३५
घानी तेल-- १७७७-७८
चाय-- १९७०-७१, २१४०-४२
जिप फास्नर-- १९७३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७५६-५७
धातु-- १९७४-७५
प्रबन्ध अभिकरण कम्पनियां २१२४
मध्य भारत को ऋण १७८२
मीन क्षेत्र-- २५७७
रबड़ -- १५३४-३५
रूरकेला में सहायक-- २७२०-२१
विद्युत् परियोजनायें २१५८
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में-- १९६७-७०
सिलाई की मशीनें २५२५
हीरे काटने का-- २७३६-३७

उद्योग व्यापार पत्रिका--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्दी के प्रकाशन १७७९

उपकर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गन्ना -- १९९६-९८

उपकर निधि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खादी २५३७

हाथ करघा--२१७३-७४

उपकरण (णों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यंत्र तथा उपकरण १९९५-९६

उप-राजप्रमुख--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उप-राजप्रमुख २५१५

उर्वरक--

देखिये "कृषिसार"

ऊ

ऊन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--कातने का चर्खा १७६०-६२

ऋ

ऋण (णों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— सुविधायें १६६३-६४

एयर इंडिया इंटरनेशनल १६०५-०८

औद्योगिक वित्त निगम १७१७

केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड २२१९-२०

ऋण (णों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

गृह-निर्माण संस्थाओं को — १९८९

ग्रामीण — २४३०-३१

त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी — १६५९

पुनर्वास — २५७१

बम्बई राज्य को — २५८१

बर्मा — २५९५-९६

भारतीय नौवहन १५८१-८२

मकान बनाने के लिये-- २३९८-९९

मध्य भारत को — १७८२

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड १५२३-२५

यंत्र तथा उपकरण १९९५-९६

येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३५-३६

रेडियो सेट १५४४-४५

लोक — २०९८-२१००

विकास — १७९१-९२

विदेशी सहायता २०७४-७६

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १७६४-६५

विस्थापित व्यक्तियों को -- २३३३

ए

एअर कैरियर सर्विस कार्पोरेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

'स्काई मास्टर' विमान २४११-१४

एक्सरे संयंत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हैदराबाद की सोने की खानें १८३९

एम० आर० ए० मिशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एम० आर० ए० मिशन १५६७–६८

एम० ई० एस०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— ठेकेदार २६२७–२८

एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एयर इंडिया इंटरनेशनल १६०५–०८, १६३४

एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम २४३३–३४

एयर लाइंस कार्पोरेशन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमानों की खरीद २२५०–५२

एयरोनाटीकल, लि०, कलकत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हैलीकोप्टर १८२१–२३

एरणाकुलम, कोट्टयम सैक्शन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का चालू होना २०१०–११

एल्युमीनियम संयंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— संयंत्र १७४७–४६

एशियाई अफ्रीकन दल—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

मौराक्को की स्थिति १५४१–४३

एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम १६३३

एसोशियेटेड, सीमेंट कम्पनी लि०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूरकेला में सहायक उद्योग २७२०–२१

ऐ

ऐक्सप्रेस गाड़ी (ड़ियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अधिक भीड़ १६००–०२

ओ

ओटावा सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलम्बो योजना २२८७–८६

औ

औरंगाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६–८६

हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३६–३६

औरंगाबाद छावनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में भूमि खंड २४६३–६५

औजार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष शास्त्रीय,औजार १६४९–५०

पाशाभाई औजार १६२८–२९

औद्योगिक उपक्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

देहाती — २७२१–२२

औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम २५१३

औद्योगिक नीति संकल्प—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

१९४८ का — २६९६–९८

औद्योगिक न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक न्यायाधिकरण २५७२–७३

ओद्योगिक प्रदर्शनी—

देखिये "प्रदर्शनी"

औद्योगिक लोक सेवा आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक लोक सेवा आयोग १८९७

औद्योगिक वित्त निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक वित्त निगम १७१७, २५१७–१८

सोदपुर ग्लास वक्स लिमिटेड २१२०–२१

औद्योगिक विवाद—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

औद्योगिक विवाद २४२०–२१

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० १६२९

औद्योगिक संस्था (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना २६७३–७४

औद्योगिक सांख्यकी कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कन्द्रीय वियणन संगठन १७७५–७६

औषधि (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी स्त्रास्थ्य सेवा योजना १६३१–३२

— क्रा क्रय २५७६–७७

— भंडार संगठन २०६१–६२

मलेरिया की — २४५७–५८

औषधि भंडार संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औषधि भंडार संगठन २०६१–६२

क

कंचनपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- की विवादग्रस्त भूमि २५९२

कच्चा लोहा

देखिये "लोहा"

कड़पा रेलवे स्टेशन

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कार्ड टिकट २१९५-९६

कनाट प्लेस, नई दिल्ली--

के सम्बन्धमें प्रश्न--

कनाट प्लेस, नई दिल्ली १८५६

कनाडा--

क सम्बन्ध मे प्रश्न--

-- से सहायता २११७-१८

विद्युत परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६-१७

कपड़ा--

के सन्बन्ध में प्रश्न--

अंग्रेजी -- २७४७

उत्पादन शुल्क १८७९-८०

कपड़ा १९३६-३७

-- का उत्पादन १९६३-६५

-- का क्रय २२५९-६०

नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधाएं १५९४-९६

पांडीचेरी में -- मिल २३३६-३९

मिल में बनाये गये वस्त्रों पर ऊपकर २६७९-८०

सूति -- का आयात १७१२-१३

कपड़ा (डे)-(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न (जारी)

सैनिक सामग्री कारखाने २२९९-२३००

हथकरघा से बनी वस्तुएं २३२९-३०

हाथ करघे का -- १७७१-७२, १७७४

कपड़ा प्रतिनिधि मंडल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

श्री लंका को भारतीय -- २१६२

कपास--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कपास १९५५-५६

लम्बे रेशे वाली--२४३५-३६

कमलापुर ग्राम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटन केन्द्र २०२३-२४

कम्पोस्ट खाद योजना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कम्पोस्ट खाद्य योजना २४६०

कम्बोडिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खाद्य की भेंट १६२३

कर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दोहरा कराधान २६५२-५४

मिल का बना तेल १९६५-६६

मिल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर २६७९-८०

वृत्ति व्यापार आदि पर--२१०४-०५

साइकलें २६८९-९१

सीमान्त--२५६७-६८

कर जांच आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिलामांश के रूप में मिले हुए अंश १७०९-११

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६-८८

करघा, शक्ति चालित--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--पर उत्पादन शुल्क १९५९ १९५९-६१

डाकघर २६२७

करनाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

डाकघर २६१७

करनूल-कुड्डापा नहर--

देखिये "नहर" (रों)

कराची--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पाकिस्तान के साथ व्यापार करार १५३८-३९

कराधान जांच आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कराधान जांच आयोग १७०२-०३

वृत्ति व्यापार आदि पर कर २१०४-०५

करारोपण जांच आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कारारोपण जाँच आयोग १६२७

कर्णी सिंहजी, श्री-

के द्वारा प्रश्न--

भर्ती २०४५

राजस्थान अधोभूमि जल बोर्ड २६०२-०३

कर्णी सिंहजी, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

राष्ट्रीय राजपथों तथा सड़कों का विकास १५५७

रेलवे के विरुद्ध दावे २६०३

कर्मचारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ २०२५-२७

अध्ययन अवकाश १७२२

अनुसूचित जातियाँ और आदिम जातियाँ २१२१-२२

असिस्टेन्ट २६७४

असैनिक उड्डयन विभाग क--२०४८

आयकर -- २३१२-१३

आयुध कारखाने १९१३-१५

आयुर्वेदीय उपचार २५७५-७६

आर० एम० एस०-- १६४८-४९

कपड़े का क्रय २२५९-६०

--के लिये क्वार्टर १८४०-४१

कार्मिक संघ २६३५-३७

कुरला रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ १८४२-४३

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १५९८-१६००

कैन्टीन भंडार विभाग २६६५-६६

क्लर्कों की पदोन्नति १४६२-६३

खादी की वर्दियाँ २१८१-८२

खानों का निरीक्षण २४०४-०५

ग्राम्य स्तर के -- १७५९-६०

चतुर्थ श्रेणी के -- १६७७

चाय -- को बोनस १९७७

चाय बागान का भारतीयकरण १७७१

कर्मचारी (रियों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न --- (जारी)

चौथी श्रेणी के --- के क्वार्टर १५४८

छुट्टी के नियम २६४९-५०

टलीफोन चालक १६४७-४८

डाक---२४६२, २४६३-६४, २६०८

तारों का पहुंचाया जाना २३८८-८९

दिल्ली में रूसी राजदूतावास २५४७

नौवहन --- २२४७-४८

परिचारक (अटर्डेंट) और कंडक्टर २२३९

पहाड़ भत्ता २२२७-२८

प्रविधिक सहायता २६२१

प्रादेशिक सेना २६७१-७२

बम्बई के डाक घर २४०२-०३

बारासेत बसिरहाट लाइट रेलवे १६१७-१९

बिना टिकट यात्रा १८१८-२१

बीम वायरलेस स्टेशन, पूना २५८४

भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १९३३-३४

भारत में विदेशी राजदूतावास २३०५-०६

भूतपूव आजाद हिन्द फौजी २०७८-८१

भूतपूर्व रियासत डाक --- २५७३-७४

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८-९९

मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षक १६५८

यात्रा भत्ते २६८२

कर्मचारी (रियों) --- (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न --- (जारी)

रक्षा टेकनिकल---२५२२

रज्जू स्फोट (कोर्डाइट) कारखाने २३०९

रहने का स्थान १९८७-८८, १९८८

रडियो सेट १५४४-४५

रल दुर्घटना १६५६-५७

रेल दुर्घटनायें २१९९-२२००

रलगाड़ी का ठीक समय पर आना जाना १८५२

रलवे --- २०४६, २०५७, २४६५, २४६८

रलवे --- को वर्दी १६५३-५४

रेलवे कुली १८५९-६७

रेलवे क्वार्टर १६४४

रेलों में अपराध १८४४-४५

विमान दुर्घटनायें १९९१-९४

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५७४-७५

समाहार --- वर्ग १६८४-८५

सरकारी आवास २५४७-४६

सरकारी आवास स्थान २३३१---३३ २५५६, २७५५-५६

सरकारी आवास स्थान का आगे किराये पर दिया जाना २७५१-५२

सरकारी --- का पाकिस्तान को प्रव्रजन २६५३ ---५५

सरकारी --- के कार्मिक संघ १८५३

सहकारिता का प्रशिक्षण १६६०-६१

सीमा शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार १८८१-८२

सुरक्षा तथा प्रतिपालन वाच एन्ड वाड) २०४७-४८

कर्मचारी (रियों)--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
सुरक्षा तथा प्रतिपालन --- १८००-०३
सेवा वृद्धि की अनुमति देना १८६७
हिन्दी का प्रचार २२०३-०५
हैदराबाद में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३६-३९
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२-२०४३
कर्मचारी भूतपूर्व--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी १९२२
कर्मचारी राज्यबीमा निधि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कर्मचारी राज्यबीमा निधि २०५१-५२
कलकत्ता--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अयस्क का निर्यात १९५४-५५
उड़ीसा में खाद्याभाव की स्थिति १६११-१४
कच्चे लोहे का निर्यात २२१४
--उपनगरीय रेलगाडी सर्विस २०१८-१९
गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१७-१८
चलते डाक घर २२३९-४०
चुनाव आन्दोलन १४८४-८६
टेलीफोन चालक १६४७-४८
कलकत्ता--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
डाक के थलों को खाली करने की मशीन १६३५
पूछताछ कार्यालय २५७०-७
बिजली से चलन वाले रेल डिब्बे २३९५-९६
भाड़े पर अधिभार २४१८-२०
मजूरी भुगतान ऐक्ट, १९३६ २४३८
राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र कलकत्ता २४३५
रेलवे दफ्तरों का हटाया जाना २९०९
रेलवे बुकिंग १८१६-१७
रेलवे सेवा आयोगों द्वारा भर्ती २२४७
विदेशी पत्र मुद्रा और सिक्के १६८८-८९
शिकायतों की जांच-पड़ताल १९३९-४१
सरकारी आवास-स्थान का आगे किराये पर दिया जाना २७५१-५२
सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना १६९५-९६
सोने का पता लगाने वाला यंत्र १४८५
कलकत्ता-आसाम एयर लाइन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कलकत्ता-आसाम एयर लाइन १६२७-२८
कलकत्ता उपनगरीय रेलवे--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बिजली से चलने वाले रेलवे के डिब्बे १६२१-२२

कलकत्ता-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ २२०१

कलकत्ता नैशनल बैंक लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८३–८६

कलकत्ता पत्तन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल गाड़ियों का नियतन २२५२–५४

कलकत्ता विश्वविद्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का स्वास्थ्य बोर्ड १८९४–९५

रक्षित बैंक द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान २२८१–८२

कल्याण विस्तार परियोजना

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कल्याण विस्तार परियोजनाएं २१२३

कांगड़ा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय उद्योग २१४०–४२

ब्रांच डाक घर २४२२–२३

भूतत्वीय परिमाप १९६९–७१

कांगड़ा घाटी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पंचरुखी रेलवे स्टेशन २६१४

सुल्लाह रेलवे स्टेशन २६१४

कांच का सामान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रयोग शालाओं का कांच का सामान २५२७

कांडला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— भ्रष्टाचार काण्ड १४४९–५१

— भ्रष्टाचार कांड १४३९–४०

कांसइ योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कांसई योजना १५१४–१५

कागज़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— की मिलें १७१८

छपाई का सफेद — २५४२

नेपा अखबारी — कारखाना १५२५–२७

समाचार पत्र का— २३६१–६४

कागज़ उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कागज उद्योग १९८०–८१

कागजी दियासलाई

देखिये "दियासलाई"

कारोलकर, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

ग्रामों का निर्यात २३९३

छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७९

काजरोल्कर, श्री-- (जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)

भारतीय प्रशासनीय सेवा भारतीय पुलिस सेवा १९१०

श्रीलंका में भारतीय १७५४

के द्वारा प्रश्न--

अस्पृश्यता २२९४-९७

अस्पृश्यता पर फिल्में (चलचित्र) २७०७-०८

आम २३४८-५०

एयर लाइन्स डकोटा की दुर्घटना १६०२-०३

औद्योगिक लोक सेवा आयोग १८९७

बम्बई राज्य को ऋण २५८१

रेल दुर्घटना १६३२-३३

संसद् भवन २७३३

कानपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कर्मचारी राज्य बीमा निधि २०५१-५२

न्यूनतम मजूरी १७९८-१८००

प्रोद्योगिकीय विश्वविद्यालय १४८८

भौगोलिक नाम १९१०-११

माल गाड़ी के डिब्बों की कमी २०४८-४९

कानपुर औद्योगिक संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तेल गवेषणा केन्द्र १५९२-९४

काफी (कहवां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

काफी (कहवा) १९७

काबुल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विमान यात्रा भाड़े २५६४-६५

कामत, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अन्दमान द्वीपसमूह २६६५

अस्पृश्यता २२९७

आम और लीची २६८८

इंजीनियर २१३२

१९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प २६९७

काश्मीर १७४३

तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८३

पुनर्वास अनुदान २६४३, २६४४

भाषणों के रिकार्ड तैयार करना २३५२, २३५३

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज २०८०

भ्रष्टाचार १७०५, १७०६

मि० हरविल वेलर १७३७

येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३६

राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०९२

लाहौर मार्गस्थ शिविर(ट्रांजिट कैम्प) १७२९

लोक ऋण २१००

वस्त्र जांच समिति १५०९

शंघाई नगर पालिका परिषद् २१४६

शिक्षा पर व्यय २६३०

श्रीलंका में भारतीय १७५३, १७५४, १७५५

संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधायें २४२४

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को प्रव्रजन २६५४

सामुदायिक रेडियो सैट २१५४

सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना १६९५

स्पेशल पुलिस एस्टब्लिशमेंट २४९२

के द्वारा प्रश्न--

अधिक भीड़ १६००-०२

कामत, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

आयात नीति २३८०-८१
इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन १६६२
कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८३-८६
खनिज सर्वेक्षण १४८६
चाय १७८४
छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७५-७६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (मध्य प्रदेश) २३७१-७२
नेपा अखबारी कागज कारखाना १५२५-२७
मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां २२७४-७५
मोराक्को की स्थिति १५४१-४३
राष्ट्रीय राजपथ, मध्यप्रदेश १६३८-३६
रूस में भारतीय साहित्य का विक्रय २३४२-४४
रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५६६
सफदरजंग हवाई अड्डा २१६७-६६
समाचार पत्र का कागज २३६१-६४
"स्काई मास्टर" विमान २४११-१४
स्पेशल रेल गाड़ियां १६३२
स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी १४५६
हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी, लिमिटेड, दिल्ली १५६८-६६

कारखाना (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अतिरिक्त लाभ में गन्ना उत्पादकों का अंश १८४८-४६
अभ्रक के--में नौकरी २२ १६-१७
अल्वाये में उर्वरक--- १७७४-७५
आंध्र के लिये उर्वरक---- १५३०-३२

कारखाना (नों) -- (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इस्पात का सामान बनाने वाले--- १७३३-३५
उड़ीसा में चीनी के--- २२३२-३३
उर्वरक--- २१६२-६३
कच्चे लोहे के निक्षेप १५४३-४४
कपड़े का उत्पादन १६६३-६५
कागज की मिलें १७१८
कागजी दियासलाई का--- २१५६
कारखाना अधिनियम २०५२
क्षार के मूल्य १७७३-७४
गन्ना १८३६
चमड़े का सामान १६२३-२५
चीनी की मिलें १६४०-४१, १७१८
चीनी के--- १७३७, २२३८
चीनी के---का स्थानान्तरण २४४२-४३
चीनी मिलों की मशीनें २७२८-२६
ट्रैक्टरों का निर्माण २१४४-४५
तराई क्षेत्र में चीनी का---२१६२-६४
तेल शोधक कारखाने १७५५-५७
दियासलाई के---२१४६-५०
नेपा अखबारी कागज--- १५२५-२७
पश्चिम बंगाल में चीनी के--- २२५६
पांडीचेरी में कपड़ा मिल २३३६-३६
पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति २३६५
फरीदाबाद रेलवे साइडिंग २१७६-८०
भारत के वैद्युण्विकी (इलैक्ट्रोनिक)--- २४८६---८८
भावनगर में तेल शोधन --- २६६८-६६
भिलाई इस्पात--- २५४०
मशीनी औज़ारों के --- २४७८-८२

कारखाना (नों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न— (जारी)

मशीनी औजार बनाने क-- १९९०
मिल का बना तल १९६५–६६
मिल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर २६७९–८०

मूलरूप के मशीनी औजार बनान का कारखाना, अम्बरनाथ १४५५–५८
रज्जू स्फोट (कोडाइट)--- २३०९
रबर का--- २१५५–५७
रूरकेला का इस्पात—१५४५
रूरकला में सहायक उद्योग २७२०–२१
रूररौला के-- २४३९
लोहे और इस्पात के --- १७२६–२८
वनस्पति --- २२१०–१२
सीमेंट के -- १५७१–७२, १७७९, २३४६–४७
स्टोव के बर्नर १९४७–४८
स्लेट २१६४
हड्डी पीसने के --- २०६५

कार्ड टिकट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कार्ड टिकट २१९५–९६

कार्मिक संघ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कार्मिक संघ २६३५–३७
सरकारी कर्मचारियों के -- १८५३

कालका--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल का किराया २४२६–२७

काली मिर्च--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६–०८

काली सूची (ब्लैक लिस्ट)--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयला खानें १५३५–३६

काले, श्रीमती ए०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

स्त्रियों को नौकरी म रखना १६०३–०५

काश्तकारी अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

त्रिपुरा का -- २२०९

काश्तकारी समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्तकारी समिति २७३३–३४

काश्मीर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्वतीय नगरों (हिल स्टेशन्स) के विकास १७३९–४१
मलेरिया की औषधि २४५७–५८
समाचार पत्र १७८०–८१
देखिये "जम्मू तथा काश्मीर भी"

"काश्मीर प्रिंसेस"—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— की टक्कर २७३४

कासलीवाल, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कपड़ा १९३७
कोयले का उत्पादन १५०३
ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७६०
चीनी २०३०
टिड्डियां १५८४
नमक १७३२
पुतगाली पूर्वी अफरीका में भारतीय २७२५
भारत का राज्य बैंक २०९१
भारत का राष्ट्रीय-ध्वज १५१२
मोटर गाड़ियां १५१४
मोराक्को की स्थिति १५४३
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६६
विमान दुर्घटनायें १९९३
श्रीलंका में भारतीय १७५४
'स्काई मास्टर' विमान २४१३
स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास २६३४

के द्वारा प्रश्न—

मशीनी औजारों के कारखाने १४७८–८३
लोक ऋण २०९८–२१००
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का पुनरीक्षण २७१७–२०

किया झोला परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जल का संभरण १८१७–१८

किराया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बाला स्थित डाकघर २०४७
आवास स्थान १७७२–७३
बंगाल चल-चित्र संस्था १७८०
बालिवादे में विस्थापित व्यक्तियों के मकान १९८६
संसद् सदस्यों के लिये मकान २५४७

कीनिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— में भारतीय २५५३–५४

कुंजरू समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— का प्रतिवेदन १८८७–८८

कुटीर उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुटीर उद्योग १९४८–५१, २५४१
कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग २१६०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५७०

कुटीर उद्योग बोर्ड—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

चिकन की कसीदेकारी १५६१

कुनीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सिनकोना की खेती २४५७

कुरनूल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक कर्मचारी २४६२

कुरला रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— पर मुठभेड़ १८४२–४३

कुरील, श्री पी० एल०—

के द्वारा प्रश्न—

प्रविधिक सहायक २६२१
बीम वायरलैस स्टेशन, पूना २५८४

कुरूक्षेत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूर्य ग्रहण के दिन रेलवे यातायात १८५७

कुरूड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— लिक्मा रेल सम्पर्क २४४०

कुल्लू घाटी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फलों के पारसलों के लिये डाक सम्बन्धी रियायतें २४४०

कुष्ट नियंत्रण एकक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिहार में— २६१३

कुष्ट रोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोढ़ १६४६–४७

कुष्ट रोगोपचार केन्द्र, रामचन्द्रपुरम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१२–१४

कृत्रिम गर्भाधान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

झींगा उद्योग २२३३

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २०६२–६३, २२२७, २५६४

कृपालानी, श्रीमती सुचेता—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आयातों पर रोक १९४६–४७

के द्वारा प्रश्न—

क्लर्कों की पदोन्नति २४६२–६३

डाक कर्मचारी २४६२, २४६३–६४

कृपालानी श्रीमती सुचेता—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

पंजीयन शुल्क २०२४–२५

वालिदादे में विस्थापित व्यक्तियों के मकान १९८६

स्टोव के बर्नर १९४७–४८

कृषक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरिक्त लाभ में गन्ना उत्पादकों का अंश १८४८–४९

उर्वरक २३९१–९२

कृषि सम्बन्धी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) २५८६

खादी २३५७–५८

रेलवे द्वारा रियायतें २५९२

लोहा २०५४

कृषि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आलू की खेती २०६६–६७, २६१०–११

काफी (कहवा) १९७४

— के औजार २५४६–४७

— **विकास** २५७७–७८

— सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९–९१

गन्ने की खेती २०३४–३५

त्रिपुरा में — सम्बन्धी ऋण १६५९

पड़ती भूमि १९९९–२००१

भूमि का — योग्य बनाया जाना २२३४

सिनकोना की खेती २४५७

कृषि अर्थ व्यवस्था गवेषणा केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा केन्द्र २०५४–५५

कृषि के औज़ार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि के औज़ार २५४६–४७

कृषि फार्म—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा केन्द्र— २०५४–५५

कृषि भूमि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निष्काम्य — १७४१–४२

कृषि सम्बन्धी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— (रिफ्रेशर कोर्स) २५८६

कृषिसार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्वाये में उर्वरक कारखाना १७७४–७५

उर्वरक २३६१–६२

उर्वरक कारखाने २१६२–६३

राज्य व्यापार १७८६

रासायनिक उर्वरक का आयात २१५७

सिन्दरी उर्वरक १५२२–२३

कृषिसार कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाने १५३०–३२

कृष्ण, श्री एम० आर०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४०१

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय गुडिया प्रदर्शनी २५३१

क्षार के मूल्य १७७३–७४

छावनी बोर्ड १७११

पाकिस्तान रक्षा सेवा पदाधिकारी २११३–१४

पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार १६७३–७४

विदेशी व्यापार १७६३–६४

रक्षा सेना परिषदें २२७२— ७४

समुद्रपार छात्रवृत्तियां २६२६–३०

हैदराबाद में जल-संभरण योजना २५६५–६६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८१—८४

केन्द्रीय गन्ना, समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्ना १६३६–४०

केन्द्रीय जल तथा विद्युत शक्ति गवेषणा स्टेशन, पूना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गली नदी को बांधना २१८६–८७

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६–८६

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन १५९८-१६००, १८६१-६२, २००१-०३

ट्रैक्टरों की मरम्मत २४४८-५२

केन्द्रीय पटसन समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय पटसन समिति २०११-१३

केन्द्रीय प्रविधिक जनशक्ति निदेशालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

संयंत्र तथा मशीनरी समिति १९७५-७६

केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड २२१९-२०

कन्द्रीय रिजर्व पुलिस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस २३१६-१७

केन्द्रीय रेशम बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेशम उद्योग २५३८

देखिये "रेशम बोर्ड, केन्द्रीय भी"

केन्द्रीय विपणन संगठन--

के सम्बन्धमें प्रश्न--

केन्द्रीय विपणन संगठन १७७५-७६

केन्द्रीय शाक-सब्जी उत्पादन केन्द्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--, नागर २०५३-५४

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

योगासन तथा व्यायाम १४७०-७१

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड २५०६-०८

केन्द्रीय शिक्षा संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय शिक्षा संस्था २६७७-७८

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई २४२५

केन्द्रीय सचिवालय--

देखिये "सचिवालय, केन्द्रीय"

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन-तथा पुनर्बलन) योजना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्बलन) योजना २३१४-१५

केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था १९२२

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सामाजिक कल्याण संस्थाएं २११२

केब्स ए०सी०, मैसर्ज--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भावनगर में तेल शोधन कारखाना २६६८-६६

केलप्पन, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

खनिज तेल २५०२

साहित्य अकादमी २४७५

केलासहर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— (त्रिपुरा) १४९७

सुख सागर जल २१६४

केशवैयंगार, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

छात्र-सेना निकाय २३११-१२

छात्र सैनिक निकाय १६२२-२३

सैनिक कर्मचारियों के लिये निवास स्थान २५१२

कैंटीन भंडार विभाग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कैन्टीन भंडार विभाग २६६५-६६

कैम्प कालिज, दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कैम्प कालिज, दिल्ली २४६६-२५०१

"कोंडापल्ली खिलौने"--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११-१३

कोचीन पत्तन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— में सामयिक श्रमिक २५८३

कोजिकोड़--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— में हवाई अड्डा २०३३-३४

कोटले वाला, सर जान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

श्रीलंका में भारतीय १७५२-५५

कोढ़ नियंत्रण केन्द्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कोढ़ नियन्त्रण २६०३

कोणार्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटन १५७६-८१

विश्रामगृह १८०८-१०

कोपरिया स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

घाट सेवा २५६६-७०

कोयला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

१६४८ का औद्योगिक नीति संकल्प २६६६-६८

कोयला १७६७-६८, २१४७-४६

— का उत्पादन १५०२-०३

— का निर्यात २५२६-३०

— को खपत २४५६

— की खानें १५०८-११

— बोर्ड २७२२-२४

खानों का निरीक्षण २४०४-०५

कोयला खान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयला खानें १५३५–३६
कोयले की खानें १५०८–११
कोयला बोर्ड २७२२–२४
छोटे नागपुर की — को विद्युत २१३३
न्यूटन चिकोली — दुर्घटना २०४०
श्रमिकों के लिये मकान २२४०

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयले की खानें १५०८–११

कोयला खान कल्याण संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयला खान कल्याण संघ २४४४–४५

कोयला बोर्ड—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

कोयला खानें १५३५–३६
कोयला बोर्ड २७२२–२४

कोलतार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के रंग १५४६–४७

कोलम्बो योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलम्बो योजना २२८७–८९
मशीनी औज़ारों के कारखाने १४७८–८३
विदेशी इंजीनियर २७४९–५०
विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६–१७

कोलेंगोड़े-त्रिचुर रेलवे लाइन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन २५८९–९०

कोसाई परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोसाई परियोजना २३७२

कोसी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मि० हरबिल वेलर १७३५–३७

कोसी परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोसी परियोजना १७६६, २५९१
— के लिये टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी सुविधायें २४३४–३५
दामोदर घाटी निगम से फालतू यंत्र और मशीनों का दिया जाना २५३१–३२
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय २४६५—६७
रेलवे लाइनें २२२४–२५

कोसी बाँध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोसी परियोजना १७६९

क्रय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औषधों का — २५७६–७७
कपड़े का — २२५९–६०
सामग्री — २५२९

क्लैन मैकलीन ब्रिटिन जहाज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत का राष्ट्रीय ध्वज १५११-१२

क्ष

क्षति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दुर्घटनायें १८५५
भारतीम विमान बल कीं दुर्घटनायें १४४६-४९
मालाबार में समुद्री तूफान २५१०-११
रेल दुर्घटना १६१६-१७
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां १९८४

क्षतिपूति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--के दावे २००४-०५
दुर्घटनाएं २२४०-४३
पुनर्वास अनुदान २६४२-४४
प्रतिकर १९८५
फालतू सामान २५२१
भारतीम विमान बल की दुर्घटनायें १४४६-४९
मंत्रणा बोर्ड २७१६-१७
रेलवे दुर्घटना २३८६-८७
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर १५६४-६५, २१६१, २७०४-०५

क्षत्रसाल की समाधि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विश्राग गृह १८०४-१०

क्षय रोग--
क सम्बन्ध में प्रश्न--
मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक तथा --निरीक्षक १६५८

क्षय-रोगी (गियों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विस्थापित--२५५८

क्षार--
क सम्बन्ध मे प्रश्न--
--के मूल्य १७७३-७४

ख

खंडसायी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खंडसारी २४५४-५५

खडगपुर--
के सम्बन्ध मे प्रश्न--
कलकत्ता उपनगरीय रेलगाड़ी सर्विस २०१८-१९
ढलाई स्कूल -- १४८३

खड़गवासला--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सेना छात्र १६९४

खण्ड सहलारी पदाधिकारी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--(ब्लोक लेवल कोआपरेटिव आफीसर्स) १८४३-४४

खनिज तेल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खनिज तेल २५०१-०२
-- कूप १४६१-६२

खनिज पदार्थ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज पदार्थ १९१७
खनिज सम्पत का विकास १९१६-१७
तेल को छोड़ कर अन्य -- २६५५-५६
भूतत्वीय परिमाप १६६९-७१, १९२०-२१, २३११

खनिज मंत्रणा बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज मंत्रणा बोर्ड २२७९-८०

खन्ना, मेजर भूपेन्द्रनाथ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प १७१४-१५

खली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

निर्यात संवर्धन परिषद् १७७८

खलीलाबाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चीनी के कारखानों का स्थानान्तरण २४४२-४३

खादी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अम्बर चर्खा २१७१-७२
खादी १७७४, १९७८-७९, १९८३, २३५७-५८, २४३२, २५३७
-- और ग्रामोद्योग १७२३-२६

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खादी और ग्रामोद्योग १९७३

खादी हुंडी (डियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खादी २३५७-५८
खादी हुण्डियां २३२३-२४

खाद्य पदार्थ (थों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- में अपमिश्रण २५६२-६३

खाद्य पदार्थों में मिलावट एक्ट, १९५४--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खाद्य पदार्थों में मिलावट ऐक्ट, १९५४ २१८२-८५

खाद्यान्न--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उड़ीसा में खाद्य अभाव की स्थिति १६११--१४
-- की भेंट १६२२-२३
नेपाल २३२४-२५
राज्य व्यापार १७८६

खाद्यान्न भंडार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्न भांडार (फीरोजपुर) २४०८--१०

खान (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अभ्रक की -- में बाल-गृह २४४२
-- अधिनियम के अन्तर्गत नियम २५९३-९४
-- का निरीक्षण २४०४-०५
-- का वार्षिक प्रतिवेदन २६१०
-- में दुर्घटना १६५१-५२

खान (नों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

लोहे की — २१२०

सोना १८७५–७६

हैदराबाद में सोने की खानें १८६३–६४

खान अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— १९५२ २४२८—३०

— के अन्तर्गत नियम २५९३–९४

रवानाकुल (पश्चिमी बंगाल)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइनें १६४२

खाल, गायों की—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का निर्यात २१६६

खुदाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का कार्य १९१३

नागार्जुनकोंडा में — २२९२–९३, २३१७

बिहार में — २६५९–६०

मथुरा में — कार्य १४९०–९१

रोपड़ में — २५१६

लों के समान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का उद्योग २७३५

खोंगमेन, श्रीमती—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०४

खोज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में पेट्रोल की — २६३७–४१

खोवाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का आदिम जातियों का छात्रावास २६७९

ग

गंगा नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—गंगा का बांध १७६८

गंदी बस्तियों—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के सुधार की योजना २०२८–२९

— को हटाने की योजनायें २०३८–३९

गणपति राम, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अस्पृश्यता २२९६

गन्ना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्ना १६३९–४०

— उपकर १९९६–९८

— की खेती २०३४–३५

गुड़ बनाना २२०२–०३

चीनी २०२९–३१

त्रिपुरा में — की खेती १८३८

गन्ना उत्पादक (कों)

देखिये "कृषक (कों)"

गबन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग १८९५-९७

गया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

शटल ट्रेन २०६३-६४

गलियाकोट-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइन १६२८

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सरकारी आवास स्थान २७५५-५६

गवेषणा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२०५-०७

आयुर्वेदिक कालिज २२२०-२२

आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान २६१९-२०

चीनी बनाना २०३२-३३

नासूर २२३०

भारतीय चिकित्सा --- परिषद् १४४६

मध्य प्रदेश में आयुर्वेद सम्बन्धी --- २४१४-१५

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज़) सम्बन्धी --छात्रवृत्तियां २०७२-७४

योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद १४७२-७४

सूर्य की किरणों की शक्ति २५१६

गवेषणा केन्द्र-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आमों को डिब्बों में भरना २४५६

कृषि अर्थ-व्यवस्था-२०५४--५५

गवेषणा छात्रवृत्तियां--

देखिये "छात्रवृत्ति (यां)"

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जापानी प्रणाली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २२४३-४४

गांधी, श्री वी० बी०--

के द्वारा प्रश्न--

नये नमूने का चरखा २७३७-३८

गांधी स्मारक निधि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भाषणों के रेकार्ड तैयार करना २३५१-५३

गाजीपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल दुर्घटना १६३२-३३

गाडगील, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

राष्ट्रीय क्लैन्डर २३०२

गाडगील समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

महंगाई भत्ता १८६४-६५

गाडिलिंगन गौड, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

चुनाव आन्दोलन १८८६

ट्रैक्टरों का निर्माण २१४५

के द्वारा प्रश्न--

डाक के थैलों को खाली करने की मशीन १६३५

पाशाभाई औज़ार १६२८-२९

भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१७-१८

गाडिलिंगन गौड, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३५–३६

विभागीय स्तर पर भोजन व्यवस्था २२४८

संवरण पद १८६५–६६

सहकारिता का प्रशिक्षण १६६०–६१

गिडवानी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

ग्राम २३४९–५०

लाहौर मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) १७३०

के द्वारा प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना १६३१

अस्पृश्यता २३३०–३१

आयकर कर्मचारी २३१२–१३

आयकर विभाग २१०१–०४

आर० एम० एस० कर्मचारी १६४८–४९

आवास विशेषज्ञों का मण्डल १५५१

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार २२६६–६९

एम० ई० एस० ठेकेदार २६२७–२८

कर्मचारी राज्य बीमा निधि २०५१–५२

कुटीर उद्योग २५४१

कुरला रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ १८४२–४३

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८१–८४

कोयले का निर्यात २५२९–३०

गन्ना उपकर १९९६–९८

टेलीफोन चालक १६४७–४८

डाक तथा तार विभाग के कार्यालय २५९०

जाब विश्वविद्यालय २४८०–८१

गिडवानी श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास २३५३–५५

प्रकाशन १५५९–६०

प्रकाशनों का आयात-निर्यात २१६६

प्रौद्योगिककीय विश्वविद्यालय १४८८

बम्बई के डाकघर २४०२–०३

बम्बई के डाकघरों में चोरियां २६०९

बिजली से चलने वाले रेलवे के डिब्बे १६२१–२२

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति १७१३–१४

भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १९३३–३४

मि० हरबिल वेलर १७३५–३७

राज्य वित्त निगम १४८४–८५

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला २१०८–०९

रेडियो सेट १५४४–४५

रेलों का पुनर्वर्गीकरण २५६४

विक्रय केन्द्र तथा प्रदर्शनालय १७७९–८०

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग १९६७–७०

व्यापार प्रदर्शनियां और मेले २१६५

सड़क बनाने की मशीनें २१२८–३०

समाचारपत्र २७४८–४९

सरकारी मकानों को आगे किराये पर देना १५३५

सीमा शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार १८८१–८२

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी १८००–०३

सोदपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड २१२०–२१

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २६६०–६२

गुंटूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का पटरी से उतरना १६६३

—में उपमार्ग २०५६

गुड़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गड़ १६३६

— का उत्पादन १६५०–५१

गुड़ बनाना २२०२–०३

गुड़ तथा खंडसारी उपसमिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ुड़ बनाना २२०२–०३

गुड़गांव नहर योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दूसरी पंचवर्षीय योजना १५४४

गुडुर-काटपाडी रेलवे लाइन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का आना जाना बन्द होना २६०२

गुप्त, श्री बादशाह—

के द्वारा प्रश्न—

पैनिसिलीन १५६९–७०

गुप्त, श्री साधन—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग १९६९

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी १८०३

गुरदासपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में डाकघर १६४२–४३

ब्रांच डाकघर २४२२–२३

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोझिकोड में हवाई अड्डा २०३४

भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १९३३

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का पुनरीक्षण २७१९

समाचारपत्र का कागज २३६३

सैन्य सामग्री कारखाने २०८९

के द्वारा प्रश्न—

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण २०३६–३८

कागजी दियासलाई का कारखाना २१५९

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग २१६०

पटल नगर के मकान २१७६–७७

परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था २५३२–३३

बंगलौर में प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) १५५२–५३

रेलवे ठेकेदारों द्वारा रखे गये श्रमिक २५८६–८७

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९

लम्बे रेशे वाली कपास १४३५–३६

वृत्तान्त तथा समाचार चलचित्र १५२७–२९

श्रीनगर में एक डकोटा का रोका जाना २०६०–६१

श्रीलंका को भारतीय कपड़ा प्रतिनिधि-मंडल २१६२

गुरुवय्युर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन २४५६–५७

गृह-निर्माण उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग १६५९–६०

गृह-निर्माण-सहकारी समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८–९९

गेहूं—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्न भांडार (फीरोजपुर) २४०८–१०

उत्तरी बिहार में खाद्य की स्थिति १८४६

गोआ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में भारतीय जलयानों का निरोध २७००–०१

गोपालन, श्री ए० के०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

पड़ती भूमि २०००

के द्वारा प्रश्न—

इंजनों का फेल होना १८५७

कोज़िकोड में हवाई अड्डा २०३३–३४

कोयला इकट्ठा करने के यार्ड २६०८

गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण १९८९

चक्रवात २००५–०८

तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८२–८३

दालचीनी १६१९–२१, १८४२

दालचीनी का तेल १५०७–०८

माही २३२८–२९

यात्री सुविधायें २२४६

रेलगाड़ी सेवा २५६३

रेलवे लाइन २४५६–५७, २५८९–९०

वैद्य १७९४—९६

स्तरकाष्ठ (प्लाईवुड) १७६८-६९

गोरखपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे दफ्तरों का हटाया जाना २६०९

शटल ट्रेन २०६३–६४

गोरखा रक्षित सैन्य सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोरखा रक्षित सेना १८७४–७५

गोविन्द दास, सेठ—

के द्वारा प्रश्न—

अंग्रेजी कपड़ा २७४७

खादी १९८३

गायों की खालों का निर्यात २१६६

जम्मू और काश्मीर में सड़कें १७१९

नेपाल और सिक्किम में सड़कों का निर्माण १५४७

नेपाल में भारतीय १५६१–६२

बीमा कम्पनियां १४९२–९३

बैंकों का निरीक्षण २११९

बौद्धों की तीर्थ यात्रा २०४९–५०

मोटर गाड़ियां १९८४

वित्तीय सहायता २३०४–०५

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी १७१९

शिशु मरण २२४४–४५

समाचारपत्र १७८०–८१

साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थायें २५१२

सोना १८७५–७६

गोविन्दगढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सतना और — के बीच रेलवे लाइन २४६१–६२

गोहाटी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— को चीनी का भेजा जाना २४४३–४४

गोंडा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शटल ट्रेन २०६३–६४

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

ग्राम (मों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २५६४
ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर २३९४–९५
ग्राम्य विद्युतकरण २१६९–७०
देहाती औद्योगिक उपक्रम २७२१–२२
देहातों में शिक्षा २६४८–४९
पूनिया जिले में डाक-घर २२४९

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ग्रामीण ऋण २४३०–३१
राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८८–८९

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हैदराबाद में — २०१६–१७

ग्रामोद्योग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खादी और — १७२३–२६

ग्राम्य चिकित्सा सहायता जांच समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ग्राम्य चिकित्सा सहायता जांच समिति २४४६–४७

ग्रीष्म कालीन शिविर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशी विद्यार्थियों के लिये — १७०७–०९

ग्रेनाइट पत्थर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अणु शक्ति २६८९

घ

घग्गर घाटी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खुदाई का कार्य १९१३

घड़ी (ड़ियां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
घड़ियां २३२१–२२
चोरी छिपे लायी गयी — १६८२–८४

घाघरा नदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का पुल २४३७

घाट सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
घाट सेवा २५६९–७०

घानी तेल उद्योग—
देखिये "उद्योग (गों)"

घास--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आइपोमिया कनिया २४०६

घी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- और मक्खन २६१८

घोंड-मनमाड रेलवे लाइन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल १६६७-६८

घोड़ा (ड़ों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- का आयात २७४३-४४

चौर्यानयन २४६५-६६

घोष, डा० जे० सी०--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइनें १६४२

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु--

के द्वारा अनुपुरक प्रश्न--

कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य बोर्ड १८६४, १८६५

चुनाव आन्दोलन १८८५

जन सहयोग १६४३

दियासलाई के कारखाने २१५०

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास २३५४

बिना टिकट यात्रा १८२०

के द्वारा प्रश्न--

नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय बम्बई २२८३-८५

चक्रवती, श्रीमती रेणु--(जारी)

के द्वारा प्रश्न-(जारी)

पांडीचेरी में कपड़ा मिल २३३६-३६

पाण्डिचेरी विधान सभा १६५१-५४

रेलवे कर्मचारी २०५७

चक्रवात (तों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चक्रवात २००५-०८

चटर्जी, श्री तुषार--

के द्वारा प्रश्न--

औद्योगिक विवाद २४२०-२१

कोढ़ नियन्त्रण २६०३

रेल सेवा १८४६-५०

रेलों में सो का स्थान २५८८

सरकारी आवास २५४५-४६

चन्द्रकोण रोड स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चन्द्रकोण रोड स्टेशन २४५८

चमड़ा कमाने का उद्योग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११--१३

चमड़े का सामान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चमड़े का सामान २६२३-२५

चम्बल नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- पर बांध २३७०

चरागाह--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मध्य भारत में --- १६८२

चर्खा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऊन कातने का — १७६०–६२
नये नमूने का — २७३७–३८

चर्बी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गायों की खालों का निर्यात २१६६

चलचित्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता पर फिल्में (—) २७०७–०८
चलचित्र २४८१—८३
छोटे — १७७६–७७
पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी — २१७५–७६
पाकिस्तान के साथ व्यापार करार १५३८–३९
प्रधान मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में — २३७६–७७
फिल्म कथानक का विवाचन २१५७
बर्मा से धन प्रेषण १९१५–१६
भारतीय — (फिल्में) २३६६
वृत्तान्त तथा समाचार — १५२७—२९
सिनेमा २७३१–३२

चलचित्र विभाग —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फिल्म विभाग में हानि १५०८

चलचित्र संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बंगाल — १७८०

चलचित्र स्टोडियो—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में हड़ताल १५६५–६६

चलते डाकघर—

देखिये "डाकघर

चलार्थ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जाली मुद्रा १९२७–२८
विदेशी सिक्कों का टंकन १७१६

चांदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का चोरी छिपे लाना ले जाना १९२०

चाणक्यपुरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाणक्यपुरी १५६३–६४

चाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय १७८४
— उद्योग २१४०–४२
— कर्मचारियों को बोनस १९७७
— का निर्यात २१३२–३३
— की फसल २१७३
— के मूल्य १९७६

चाय उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय उद्योग १९१९, १९७०–७१

चाय बागान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय बागान १९९०
— का भारतीयकरण १७७१

चालिहा, श्री विमला प्रसाद--

के द्वारा प्रश्न--

आसाम रेल सम्पक १८२३-२४

चावल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उड़ीसा में खाद्याभाव की स्थिति १६११--१४

उत्तरी बिहार में खाद्य की स्थिति १८४६

बर्मा का -- १८४६

बर्मा-ऋण १५९५-९६

चावल की खेती की जापानी प्रणाली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

धान की खेती का जापानी ढंग २१८५-८६

चिकन के काम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चिकन की कसीदेकारी १५६१

चिकना हाल्ट रेलवे स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चिकना हाल्ट रेलवे स्टेशन १८०७-०८

चिकित्सक (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

परिवार आयोजन केन्द्र २५८८-८९

पशु -- की नई पदाली २५६०-६१

वैद्य १७९४--९६

चिकित्सक स्नातक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

संयुक्त राज्य अमरीका की मेडिकल डिगरियां २०३८

चिकित्सा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- की आयुर्वेदिक पद्धति २५९४-९५

-- सम्बन्धी परीक्षायें १६२४

योग -- २०६१

संसद् सदस्यों के लिये -- सुविधायें २४२३-२५

चिकित्सालय (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अस्पतालों का सुधार २५९६

अस्पतालों कें रसोई घर १८४०

कोढ़ १६४६-४७

"पीड़ा रहित प्रसव" २२३५-३६

हैदराबाद की सोने की खानें १८३९

चित्तौड़ गढ़--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चूने के पत्थर के निक्षेप (डिपोज़िट) २२८२-८३

चिलुवुर रेलवे स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चिलुवुर रेलवे स्टेशन २४५९

चीगो बकरियों--

देखिये "बकरी (रियों)"

चीन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कपास १९५५-५६

--को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०५-०७

चोरी छिपे लाया गया सोना २१२३

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६-८८

तिब्बत के साथ व्यापार १९९१-९२

राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०९१-९२

शंघाई नगरपालिका परिषद् २१४५-४७

चीनी

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उड़ीसा में -- के कारखाने २२३२-३३

गन्ना १८३६

गोहाटी को -- का भेजा जाना २४४३-४४

चीनी २०२९-३०, २५६०, २६०७

-- का आयात २६०५-०६

-- का उत्पादन १८३२

-- की मिलें १६४०-४१, १७१८

-- के कारखाने १८३७-३८, २३३८

-- के कारखानों का स्थानान्तरण २४४२-४३

-- बनाना २०३२-३३

-- सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल १६०९

तराई क्षेत्र में -- का कारखाना २१९२-९४

पश्चिमी बंगाल में -- के कारखाने २२५६

राज्य व्यापार १७८६

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला २१०८-०९

चीनी उद्योग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गन्ना उपकर १९९६-९८

चुकंदर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला २१०८-०९

चूने का पत्थर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज सर्वेक्षण १४८९

--के निक्षेप (डिपोज़िट) २२८२-८३

चूल्हा (ल्हों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

धुआं रहित -- २५६८-६९

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

उर्वरक २३९२

केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड २२२०

कैम्प कालेज, दिल्ली २५००

सामाजिक शिक्षा १४४१

हिन्दी का प्रचार २२०५

हिन्दी परीक्षा समिति २५०३

चैकोस्लोवाकिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इस्पात उत्पाद १७७२

चैस्टर सी० डेविस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८८-८९

चोरी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दिल्ली में हत्याएं २१२०

बम्बई के डाकघरों में -- २६०९

रेलवे गोदामों में -- २२४८

चौधरी, श्री आर० के०--

के द्वारा प्रश्न--

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७

चौधरी, श्री एन० बी०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

कपड़े का क्रय २२६०
कलकत्ता उपनगरीय रेलगाड़ी सर्विस २०१६
कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १५६६
केन्द्रीय पटसन समिति २०१२
खनिज तेल कूप १४६२
खाद्य पदार्थों में मिलावट ऐक्ट, १६५४ २१८४
गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१८
ग्रामीण ऋण २४३१
ट्रैक्टर २६६१
तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८७
त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड १६६८
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १६७४
न्यून-आय वर्ग आवास योजना १६५७
पढ़े लिखों में बेकारी २४७७
पुनर्वास अनुदान २६४४
पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन १५१६
बुद्ध जयन्ती २२७२
भारतीय समाचारपत्र की बिक्री १६३८
रेल दुर्घटना १६१७
लारेंस स्कूल, सनावर २४६०
लोहे के मूल्य २६५१
विदेशी २२६४
विश्लेषण लेखे २६६८, २६६६
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २७०५
शक्तिजनक मद्यसार २३४८

चौधरी श्री एन० बी०--(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)

सोडा ऐश २३६०
हथकरघा से बनी वस्तुएं २३३०
हिन्दी का प्रचार १६७६-८०

के द्वारा प्रश्न--

अभ्रक के कारखानों में नौकरी २२१६-१७
आयात नीति २३८०-८१
इस्पात के मूल्य २३७१
एम० आर० ए० मिशन १५६७-६८
कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य बोर्ड १८६४-६५
कोसाई परियोजना २३७२
कोसाई योजना १५१४-१५
ट्रैक्टरों की मरम्मत २४४८-५२
तम्बाकू के बीज का तेल १७०१
तेल को छोड़ कर अन्य खनिज पदार्थ २६५५-५६
निष्क्रान्त व्यक्तियों को भूमि २५४५
प्रथम पंच वर्षीय योजना का प्रगति प्रतिवेदन २७३७
बारासेत बसिरहाट लाइट रेलवे १६१७-१६
ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५-३६
भाड़े पर अधिभार २४१८-२०
भैंस के सींगों का निर्यात १७७०-७१
मंत्रणा बोर्ड २७१६-१७
राष्ट्रीय राजपथ २२३७
रेलवे की इमारतें २६१५-१६
रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५६६
रेलवे लाइनें १६४२
रोज़गार २७३८

चौधरी, श्री जी० एल०—

के द्वारा प्रश्न—

आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान २६१९–२०

भौगोलिक नाम १९१०–११

विमान दुर्घटना १९१८

चौधरी, श्री सी० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

करनूल-कुडड्पा नहर १५४७–४८

चम्बल नदी पर बांध २३७०

चिलुवुर रेलवे स्टेशन २४५९

बांधों का निर्माण २३६६-६७

माल डिब्बों का आवण्टन १६६०

यात्रियों की सुविधायें १८६५

रेलवे गोदामों में चोरी २२४८

चौर्यानियन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चांदी का चोरी छिपे लाना ले जाना १९२०

चोरी-छिपे माल ले जाना २६७५, २६७५–७६

चोरी छिपे लाया गया सोना २१२३

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८२–८४

चोरी से लाई गई वस्तुओं का उत्सर्जन १८८९–१९०१

चौर्यानियन २४९५–९६

जब्त किये गये हीरे १४५३–५५

तस्कर के व्यापार रोकने के उपाय २६५७–५९

तस्कर व्यापार १४९५

वर्मा के मार्ग से तस्कर व्यापार १४९८

बिना लाइसेंस के शस्त्र २५१८

चौर्यानियन—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

शस्त्रास्त्रों का चोरी-छिप स ले जाया जाना १४८२–८३

सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना १६९५–९६

सोन का पता लगाने वाला यंत्र १४८५

छ

छपाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीन द्वारा— २७५२

छपाई करने वाला (लों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मुद्रकों, — आदि को पुरस्कार २६९२–९३

छपाई का कागज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपाई का सफेद कागज २५४२

छात्र सेना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सेना छात्र १६९४

छात्र सैनिक(कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २६७६–७७

छात्र सैनिक निकाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छात्र सैनिक निकाय १९२२–२३

छात्रवृत्ति(यां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनुसूचित जातियों को-- १७२१-२२

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण २३६८-६९

छात्रवृत्तियां १७१८-१९

छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७५-७९

छात्रवृत्तियों का भुगतान २३०५

भूतत्वशास्त्र में उच्च शिक्षा १९२१

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा -- २०७१-७२ २०७२-७४

मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये २२७४-७५

योग्यता -- १४९३-९४

व्यवहारिक प्रशिक्षण -- योजना २६७३-७४

समुद्रपार की -- २६४१-४२

समुद्रपार -- २६२९-३०

छात्रावास--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आदिम जाति के व्यक्तियों को शिक्षा १४९९-१५००

खोबाई का आदिम जातियों का-- २६७९

बिहार में युवक -- २५१५-१६

छापने की मशीन (नें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छापने की मशीनें २३३९-४१

छावनी(नियां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- पुनर्संगठन २२६२-६४

छावनियां १६९६-९७

छावनी बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छावनी बोर्ड १४६७-६९, १७११

छोटा नागपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--की कोयला खानों को विद्युत् २१३३

छोटे चलचित्र--

देखिये "चलचित्र (त्रों)"

छोटे पैमाने के उद्योग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कुटीर तथा -- २१६०

छोटे पैमाने के उद्योग १७३७-३९, २५३४-३५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५५७-५८, १५७०

प्रादेशिक संस्थायें १९८८-८९

लोहे के मूल्य २६५०-५२

ज

जकार्ता--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९-२१

जडगाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चीनी के कारखानों का स्थानान्तरण २४४२-४३

जड़ी-बूटियां—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रदेश में आयुर्वेद सम्बन्धी गवेषणा २४१४–१५

जन सहयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जन सहयोग १९४१–४३

जनता महाविद्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महाकालिज २६८०

जनसंख्या—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— सम्बन्धी आंकड़े १७०६–०७

जमशेदपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलतार के रंग १५४६–४७

जम्मू तथा काश्मीर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काश्मीर १७४२–४४

काश्मीर को अनुदान १५१२

छात्र-सेना निकाय २३११–१२

— में सड़कें १७१९

टेलीफोन २६१८–१९

पर्यटक यातायात, काश्मीर १९९९

बानिहाल सुरंग परियोजना २३८५–८६

भारत वायु सेवा के डकोटा की दुर्घटना २११३

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १७६४–६५

जयपाल सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

एयर इंडिया इन्टरनेशनल १६०८

मनोरंजन उड़ानें (जवाय फलाइट) २२१६

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा १६७३

रुरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३५

रेल दुर्घटना १६१७

विदेशी सहायता २०७६

विमान दुर्घटनायें १९९४

शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद २५०९

सरकारी आवास स्थान २३३३

"स्काई मास्टर" विमान २४१३

जयपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक कर्मचारी २४६२

जयश्री, श्रीमती—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

सीने का धागा २१३५

के द्वारा प्रश्न—

कृषि सम्बन्धी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) २५८६

भारतीय मानक संस्था २५३४

जर्मनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छापने की मशीनें २३३९–४१

बिजली से चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला २१०८–०९

रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६९–७०

जल---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

दिल्ली में भू-गत --- १६३२-३३

जल संभरण---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

जल का संभरण १८१७-१८
पवन चक्कियां १८३५-३६
पवन चक्की २७४२-४३

जल संभरण योजना (यें)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१६-१७
हैदराबाद में --- २५६५-६६

जलपोत---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अन्दमान द्वीपसमूह २६६४-६५
अन्दमान में संचार २०६३-६४
गोआ में भारतीय जलयानों का निरोध २७००-०१
चक्रवात २००५-०८
तेल वाहक जहाज (टेंकर) २२२६
भारतीय नौवहन १८३०-३२
भारतीय नौसेना १७११-१२
समुद्र पार यात्री सेवायें १८४५
सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८०-८१
हिन्दुस्तान जहाज़ कारखाना १७४६---५२

जलपोत, नौसेना---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

मीन क्षेत्र उद्योग २५७७

जस्ता---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

सीसा और --- अयस्क १४४१-४२

जांगड़े, श्री---

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

अस्पृश्यता २२६६
आम २३४६
छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७७-७८
बुद्ध जयन्ती २२७२
वर्ग पहेलियां १४७२
विदेशी विशेषज्ञ १४७५

के द्वारा प्रश्न---

आयुर्वेदीय उपचार २५७५-७६
कुरूड लिक्मा रेल सम्पर्क २४४०
चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति २५६४-६५
प्रादेशिक मुख्यालय, बिलासपुर २६०१
मध्य प्रदेश में आयुर्वेद सम्बन्धी गवेषणा २४१४-१५
विस्थापित हरिजन २५५३
सीमेंट के कारखाने २३४६-४७

जातीय भेदभाव---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

जातीय भेदभाव २१६७-६८

जापान---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

आम २३४८-५०
करारोपण जांच आयोग १६२७
रेल की पटरियों का आयात १६७२-७३
रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६६-७०

जामनगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुर्वेदिक कालिज २२२०–२२

जालंधर छावनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्टेशनों का नये ढंग से बनाया जाना २५९८

जालंधर-धर्मशाला सड़क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऊपर के पुल २५८२

जालाहाली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने १९९०

मशीनी औजारों के कारखाने १४७८–८३

हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना — २५३७

जाली नोट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— बनाना २६७८

जाली मुद्रा—

देखिये "चलार्थ"

जिप फास्नर उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ज़िप फास्नर उद्योग १९७३

जिप्सि (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— (यायावरों) का पुनर्वास २५८५

जीप—

देखिये "मोटर गाड़ी(ड़ियां)"

जुआ अड्डा (डों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जुआ खेलना २६८१

"जूमियों"—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास १८६२

जेकोस्लोवाकिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मालगाड़ी के डिब्बे २५९०

रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६९–७०

जेसप एण्ड को० लिमिटेड, मैसर्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिजली से चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६

जैदी, कर्नल—

के द्वारा प्रश्न —

हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना जालाहाली २५३७

जोशी, श्री एन० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आदिम जाति कल्याण योजनायें २७०३

विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविरें १७०९

जोशी, श्री एम० डी०—

के द्वारा प्रश्न—

कुरला रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ १८४२–४३

जोशी, श्री एम० डी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

गोआ में भारतीय जलयानों का निरोध २७००–०१

बम्बई में टेलीफोन एक्सचेंज २०६७–६८

रत्नगिरि पत्तन २०६९–७०

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्दमान में संचार २०९४

भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी २०९७

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय आदी अपराधी बिल २४७५–७६

अस्पतालों के रसोई घर १८४०

आश्रम और अपाहिज गृह १९३१–३२

उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें १८३२–३३

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना २१२५–२६

खाद्य पदार्थों में मिलावट एक्ट, १९५४ २१८२–८५

गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना १६५२–५३

गोरखा रक्षित सेना १८७४-७५

टिड्डियाँ २४५३–५४

डाक कर्मचारी २६०८

तटीय भाड़ा दरें १६२४–२५

निष्क्रान्त बालकों का पालन-पोषण २३२२–२३

नेपाल में सहायता कार्य २५२५–२६

परिवार आयोजन केन्द्र २५८८–८९, २६०६–०७

पर्यटक यातायात, काश्मीर १९९९

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना २४९७–९९

जोशी श्री कृष्णाचार्य--(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का संस्थापन १४८७–८८

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी २३१०–११

प्रादेशिक सेना २६७१–७२

फार्मों की सप्लाई २७४२

बम्बई में नौसेना नावाँगन (डाकयार्ड) २२६०–६१

भारत पाकिस्तान यात्रा १९०४–०५

भारत में मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन २१६५–६६

भारतीय नौसेना १७११–१२

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८–९९

मलाया फेडरेशन कौंसिल १९८५

राष्ट्रीय कलैन्डर २३००–०२

रेल डिब्बे १६४४–४५

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९

विदेशी सिक्कों का टंकन १७१६

विदेशों में शिष्टमंडल १७८१

विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२२–२४

विस्थापित क्षय-रोगी २५५८

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १७६४–६५

शंघाई नगरपालिका परिषद् २१४५–४७

शिकायत संगठन (कंप्लेन्ट्स आर्गेनाईजेशन) २०३१–३२

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता १५४३

संसद् सदस्यों के लिये मकान २५४७–४८

जोशी, श्री कृष्णाचार्य--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

संस्कृत की पाण्डुलिपियां १४९४

समाचार-श्रवण २४५३

सम्पदा शुल्क २५१९

सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड १५५१-५२

सूचना केन्द्र २३७४–७५

सैनिक वाद्य (बैंड) १४८३-८४

सैन्य सामान कारखाने २६७३–७४

स्वास्थ्य केन्द्र २२४३–४४

हाली सिक्का २५१९–२०

हिन्दुओं का पाकिस्तान को प्रव्रजन १७८२–८३

हैदराबाद में डाक-घर २२४६

हैदराबाद राज्य सेना भूमि १४९६–९७

जोशी, श्रीमती सुभद्रा–

के द्वारा प्रश्न--

दावे २१७४-७५

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान आदि २७५०–५१

ज्वार पूर्व-सूचक यंत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ज्वार पूर्व-सूचक यंत्र २३०६–०७

झ

झंडा(डों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पाकिस्तानी-- का फहराया जाना २४९७-९९

"झंडा विभेद"--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

झंडा सम्बन्धी विभेद १८३४–३५

झींगा उद्योग —

देखिये "मछली पालन उद्योग"

झूमिया आदिवासी(सियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पुनर्वास ऋण २५७१

ट

टकसाल (लों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न

विदेशी-पत्रमुद्रा और सिक्के १६८८–८९

सोना २३१०

टर्की--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

करारोपण जांच आयोग १६२७

टाइप की मशीनें—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टाइप की मशीनें १९७८

टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लोहे और इस्पात के कारखाने १७२६–२८

लोहे की वस्तुओं का निर्माण २१७१

टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सोडा ऐश २३५९-६१

टाटा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कोलतार के रंग १५४६-४७

टायर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- बनाने वाले कारखाने १५२०-२२
रबर का कारखाना २१५५-५७

टिड्डी (ड्डियों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टिड्डियां १५८३-८५, २४५३-५४
--नियंत्रण १६१४

टिड्डी नियंत्रण सम्बन्धी खाद्य तथा संगठन सम्बन्धी समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टिड्डी नियंत्रण १६१४

टिहरी गढ़वाल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टेलीफोन १८६८-७०

टुंडला रेलवे स्टेशन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टूंडला रेलवे स्टेशन २०६४

टेक्नोलोजिकल संस्थायें--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रोद्योगिक) संस्थायें १८८९-९०

टेलीप्रिंटर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
हिन्दी टाइपराइटर १४८६-८७

टेलीफोन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
"आपका अपना--योजना २०२१-२२
कोसी परियोजना के लियें--तथा तार सम्बन्धी सुविधायें २४३४-३५
टेलीफोन २६१८-१९
डाक-सेवायें १९०३-०५
रात में--करना २०१३-१४
सार्वजनिक--कार्यालय २५८५-८६
स्वतन्त्र--प्रणाली १६२३

टेलीफोन एक्सचेंज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टेलीफोन १८६८-७०
बम्बई में -- २०६७-६८

टेलीफोन कनेशन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
टेलीफोन कनेक्शन २०३५-३६

टेलीफोन चालक (कों)
के सम्बन्ध में प्रश्न--
"कर्मचारी (रियों)"

टेलीफोन राजस्व कार्यालय, नागपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
क्लर्कों की पदोन्नति २४६२-६३

टोकियो--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
झंडा सम्बन्धी विभद १८३४-३५

टोबाको मेन्युफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४-८५

ट्रान्समिशन सैट--

के सम्बन्ध में प्रश्न

अनुज्ञप्तिहीन-- १६५२

ट्रेड इन्क्वायरी कमटी, दिल्ली स्टेट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधायें १५९४-९६

ट्रैक्टरों--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय--संगठन १५९८-१६००, १८६१

ट्रैक्टर २६९१-९२, २७४१

--का निर्माण २१४४-४५

--की मरम्मत २४४८-५२

ठ

ठेके--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलों पर वस्तुएं बेचने के-- २२३५, २५९७

ठेकेदार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के-- २२६६-६९

एम० ई० एस०--२६२७-२८

रेलवे आउट एजेंसी २४२१-२२

ड

डकैती (तियां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

डकैतियां २५१४-१५

डाक कर्मचारी--

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

डाक के थैले--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--को खाली करने की मशीन १६३५

डाक के थैलों को खाली करने की मशीन-

देखिये "मशीन"

डाक के फार्म (मों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

फार्मों की सप्लाई २७४२

डाक तथा तार नियम पुस्तिकायें--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

--(मैनुअल्ज़) १८६२-६३

डाक तथा तार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ २०२५--२७

--के कार्यालय २५९०

डाक व तार पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें २४७१-७२

हिन्दी का प्रचार २२०३-०५

डाक व तार कर्मचारी संघ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

डाक व तार कर्मचारी संघ १६४३

डाक सम्बन्धी रियायतें--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

फलों के पार्सलों के लिये-- २४४०

डाक सुविधा (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तार घर १८१०–१२

डाक सेवा (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक सेवायें १८०३–०५

डाकघर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बाला स्थित— २०४७
खादी हुण्डियां २३२३–२४
गुरुदासपुर— १६४२–४३
ग्रामीण क्षेत्रों में— २३९४–९५
चलते— २२३९–४०
डाक व तार घर २०६६
डाकघर १८५७–५८, २६१७
—का निरीक्षण १६३६–३७
—द्वारा प्रेषण (धन का भेजा जाना) २०९२–९३
डाक-सेवायें १८०३–०५
पूनिया जिले में—२२४९
बम्बई के— २४०२–०३
बम्बई के—में चोरियां २६०९
ब्रांच— २४२२–२३
सहरसा तथा सुपौल— २१९१–९२
हिन्दी में तार २०४८
हैदराबाद में— २२४६

डाकघर बचत बैंक लेखे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाकघर बचत बैंक लेखे २६०१–०२

डाकघर बचत बैंक सार्टिफिकेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बचत बैंक हिसाब और सार्टिफिकेट २५८०–८१

डाक्टरी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर्मचारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी (एल० एम० पी०) कर्मचारियों को प्रशिक्षण १५९६–९८

डाक्टरी परीक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य बोर्ड १८९४–९५

डाकू—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस २३१६–१७

डाभी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कपड़े का क्रय २२६०
बहु प्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्य-क्रम २६४६

के द्वारा प्रश्न

अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६४–६५
अतिरेक खाद्य वस्तुयें १७६४
कराधान जांच आयोग १७०२–०३
कांडला भ्रष्टाचार कांड १४३९–४०
खादी २४३२, १७७४
खादी की वर्दियां २१८१–८२
दिल्ली परिवहन सेवा १५०१–०२
परिवहन की कठिनाइयां १७९२–९३
प्रामाणिक आहार-सूची २०४३–४४
भोजन आदि की व्यवस्था १८२४–२८
भोजन व्यवस्था १५७७–७९, २५५७–५८
यंत्र तथा उपकरण १९९५–९६
रेलवे के ठेके २६०६

डाभी, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

रेलों में भोजन के डिब्बे २०३०-३१

रेलों में सोने का स्थान २५८८

संस्कृत में पाठ २६८६-८७

सोने का स्थान १६१४-१६

डामर, श्री अमर सिंह--

के द्वारा प्रश्न--

आदिम जातियों में उच्च शिक्षा १९२६

औषधों का क्रय २५७६-७७

मध्य भारत को ऋण १७८२

मध्य भारत में चरागाह १६८२

मीन क्षेत्र (फिशरीज) गवेषणा केन्द्र २२४५-४६

रेलवे न्यायालय १८३६-३७

संघ लोक सेवा आयोग १४९४

सहकारी समितियां २०५३

डिब्रूगढ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे का कारखाना २२२८-२९

डिब्रूगढ सब-डिवीजन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २००१-०३

डीसा--

के सम्बन्ध में प्रश्न

कांडला भ्रष्टाचार कांड १४३९-४०

डोमिनगढ़--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल के पुल १५९१-९२

ढ

ढलाई स्कूल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- खड़गपुर १४८३

त

तटीय व्यापार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तेल वाहक जहाज (टंकर) २२२९

तम्बाकू--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--उत्पादन शुल्क १६८६-८८, २३१८

--उद्योग १७१३-१५

-- का निर्यात २५२७-२८

--के बीज का तेल १७००-०२

तराई क्षेत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--में चीनी का कारखाना २१९२-९४

तांगला (आसाम)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यात्री सुविधायें २०५७-५८

रात में टेलीफोन करना २०१३-१४

तार (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कोसी परियोजना के लिये टेलीफोन तथा--सम्बन्धी सुविधायें २४३४-३५

--का पहुंचाया जाना २३८८-८९

वैदेशिक--का आना जाना २४६७-६८

हिन्दी में--२०४८, २०५९-६०, २२३८

तार-लाइन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

फारबेस गंज बीरपुर-- १८५८

तारघर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक व— २०६६

डाकघर २६१७

डाक-सेवायें १९०३–०५

तारघर १८१०–१२

हिन्दी में तार २०५९–६०

तिब्बत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०५–०७

—के साथ व्यापार १९९१–९२

दलाई लामा और पंचम लामा २३४६

तिम्मय्या, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां १६८५

अस्पृश्यता २२९५

औद्योगिक लोक सेवा आयोग १८९७

गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना २०२९

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७६०

पर्यटन केन्द्र २०२४

भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी २०९७

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९६१

के द्वारा प्रश्न—

केन्द्रीय-रेशम बोर्ड २३४१–४२

तिलहन समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तेल गवेषणा स्टेशन १५९२–९४

तिवारी, पंडित डी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आयातों पर रोक १९४६

एम० ई० एस० ठेकेदार २६२८

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २००२

चोरी से लाई गई वस्तुओं का उत्सर्जन १९०१

जन सहयोग १९४३

यंत्र तथा उपकरण १९९६

लोहे के मूल्य २६५२

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राज्यिक बिक्री कर २३०७–०८

अबुनियादी मध्यमिक विद्यालय २०८५–८६

उत्पादन शुल्क १८७९–८०

कपड़ा १९३६–३७

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २५६४

कोयला खान कल्याण संघ २४४४–४५

खान अधिनियम के अन्तर्गत नियम १५९३–९४

गन्ना १८३६

गन्ने की खेती २०३४–३५

गुड़ का उत्पादन १६५०–५१

घाट सेवा २०४४–४५

चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षायें १६२४

जाली नोट बनाना २६७८

जाली मुद्रा १९२७–२८

दिघवाड़ा स्टेशन २०५०–५१

दुर्घटनाएं १८५५

परिवार आयोजन १६५१

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ १७२०

महेन्द्र घाट स्टेशन १६३०–३१

रक्षा टेकनिकल कर्मचारी २५२२

रेल के डिब्बे और इंजन २२४५

तिवारी, पंडित डी० एन०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना २४२५–२६

रेलवे कर्मचारी संस्थायें २४३२–३३

रेलवे सेवा आयोगों द्वारा भर्ती २२४७

लोहा २०५४

शिक्षितों की बेकारी १९०५–०७

साबुन १७६७

सूती कपड़े का आयात १७१२–१३

सोनपुर में पैदल चलने वालों के लिये पुल २००८

तिवारी, श्री आर० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

सामुदायिक रेडियो सैट २१५५

के द्वारा प्रश्न—

रंगाई की मशीनें २१५०–५१

रेलवे दुर्घटना १६५६–५७

लोहे की वस्तुओं का निर्माण २१७१

विन्ध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन २१५२

विश्राम गृह १८०८–१०

सीमान्त कर २५६७–६८

तीर्थ यात्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बौद्धों की— २०४९–५०

तीर्थ यात्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमान्त कर २५६७–६८

तीर्थ स्थान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पवित्र—की यात्रा १९८५–८६

पाकिस्तान में पुण्य स्थान २१६४

तुंगभद्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की ऊंचे तल वाली नहर १९४३

तुंगभद्रा परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटन केन्द्र २०२३–२४

तुएनसांग डिवीजन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २०३६–३८, २७२६–२८

तुर्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध २६६९–७१

तुलसी दास, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अधिलाभांश के रूप में मिले हुए अंश १७११

के द्वारा प्रश्न—

सम्पदा शुल्क २५१९

तूफान, समुद्री—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मालाबार में— २५१०–११

तेजपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलीफोन कनेक्शन २०३५–३६

यात्री सुविधायें २०५७–५८

रात में टेलीफोन करना २०१३–१४

सफर की हालत १८१४–१५

तेल (लों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उड़ने वाले--- २३८२-८३
कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६-०८
खनिज---२५०१-०२
तम्बाकू के बीज का--- १७००-०२
---शोधक कारखाने १७५५---५७
दालचीनी का--- १५०७-०८
मिल का बना--- १९६५-६६
संश्लिष्ट (कृत्रिम)---संयंत्र २३७८

तेल औद्योगिक संस्था---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

तेल गवेषणा स्टेशन १५९२-९४

तेल के कुएं---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

आसाम में--- २०७६-७७
खनिज तेल २१००-०१
तेल के कुएं १९१५

तेल गवेषणा स्टेशन---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तेल गवेषणा स्टेशन १५९२-९४

तेल, वनस्पति---

के सम्बन्ध में प्रश्न----

निर्यात संवर्द्धन परिषद् १७७८

तेल वाहक जहाज (टंकर)---

देखिये "जलपोत"

तेल शोधक कारखाना (नों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

तेल शोधक कारखाने १७५५-५७
भावनगर में --- २६९८-९९

तेल कूप---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज--- १४६१-६२

तेहरान---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९-२१

त्रावनकोर कौचीन---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अल्वाये में उर्वरक कारखाना १७७४-७५
गन्ना उपकर १९९६-९८
छोटे पैमाने के उद्योग १७३७-३९
टायर बनाने वाले कारखाने १५२१, १५२२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २१७२-७३
प्रबन्ध अभिकरण कम्पनियां २१२४
भूतपूर्व सैनिकों का पुनस्संस्थापन १६७५-७६
मत्स्य ग्रहण पत्तन २४२७-२८
रबर का कारखाना २१५५-५७
शिक्षितों की बेकारी १९०५-०७

त्रिचनापली---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१

त्रिपाठी, श्री के० पी०---

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

आसाम रेल सम्पर्क १८१३
चाय उद्योग २१४२
हैलीकोप्टर १८२२

के द्वारा प्रश्न---

आसाम में पैट्रोल की खोज २६३७-४१
आसाम में प्राचीन स्मारक १४९९
इंजिन, डिब्बे आदि १६५९
उत्तर ट्रंक रोड, आसाम १६५८

त्रिपाठी श्री के० पी०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
उद्योगों का यंत्रीकरण २७३०–३१
कलकत्ता आसाम एयर लाइन १६२७-२८
गोहाटी को चीनी का भेजा जाना २४४३-४४
चाय उद्योग १९१९
चाय कर्मचारियों को बोनस १९७७
चाय के मूल्य १९७६
चाय बागान १९९०
टेलीफोन कनेक्शन २०३५–३६
दृष्टांक (वीजा) २१३३–३४
निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग १६५९–६०
पूछताछ कार्यालय २५७०–७१
यात्री सुविधायें २०५७–५८
रात में टेलीफोन करना २०१३–१४
रेलवे का कारखाना २२२८–२९
सफ़र की हालत १८१४–१५

त्रिपुरा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां २०२१–२२
आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास १८६२
आदिम जाति के व्यक्तियों को शिक्षा १४९९–१५००
आदिम जाति पुनर्वास १४८५–८६
कंचनपुर की विवादग्रस्त भूमि २५९१
केलासहर उप-जेल (—) १४९७
खास भूमियों का बन्दोबस्त २०५५–५६
डाकघर १८५७–५८
—का काश्तकारी अधिनियम २२२९
—में कृषि सम्बन्धी ऋण १६५९
—में गन्ने की खती १८३८
—में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक २११४–१५
—में प्रावेपिक स्कूल १५००

त्रिपुरा—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पुनर्वास ऋण २५७१
वीरेन्द्र नगर एम० ई० स्कूल,— २५१२–१३
वन विधियां (—) २०५८–५९
विस्थापित व्यक्तियों को ऋण २३२३
समाहार कर्मचारी वर्ग १६८४–८५

त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड १६९७–९८

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
औरंगाबाद छावनी में भूमि खंड २४९५
भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१८
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे के क्वार्टर २६१२

थ

थामस, श्री ए० एम०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ २०२७
कराधान जांच आयोग १७०३
चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८३
तार घर १८११
तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८२–८३
भारतीय नौवहन १८३१
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४८–४९
मशीनी औजारों के कारखाने २४८०
माल के डिब्बे १७९७
विदेशी पत्र मुद्रा और सिक्के १६८९
विदेशी विशेषज्ञ १५७५
विश्राम गृह १८०९–१०
के द्वारा प्रश्न—
एरणाकुलम कोट्टयम सैक्शन का चालू होना २०१०–११
छोटे पैमाने के उद्योग १७३७–३९
सरकारी नौकरियां १४७५–७६

द

दंड प्रक्रिया संहित (संशोधन) अधिनियम, १९५५—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दंड प्रक्रिया संहित (संशोधन) अधिनियम, १९५५·२६४७

ंड विधि संशोधन अध्यादेश, १९४३—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विशेष न्यायाधिकरण १९२३-२५

दक्षिण रेलवे—

देखिये "रेलवे, दक्षिण"

दर और लागत समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न

दर और लागत समिति १५३७

दरभंगा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना १६३४—३५

रेलवे लाइन १६५४—५५

दरियाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे दुर्घटना २२३६-३७

दलाईलामा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—और पंचमलामा २३४६

दशरथ देव, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास १८६२

आदिम जाति के व्यक्तियों को शिक्षा १४९९—१५००

कंचनपुर की विवादग्रस्त भूमि २५९१

दशरथ देव, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

खोवाई का आदिम जातियों का छात्रावास २६७९

त्रिपुरा का काश्तकारी अधिनियम २२२९

त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी ऋण १६५९

त्रिपुरा में गन्ने की खती १८३८

त्रिपुरा में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक २११४-१५

त्रिपुरा में प्रावेषिक स्कूल १५००

पुनर्वास ऋण २५७१

वन विधियां (त्रिपुरा) २०५८-५९

हाथ करघा उद्योग १७८४-८५

दस्तकारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५ ८६

दाब पवत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दाब पवत्र २३७२-७३

दामोदर घाटी निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—से फालतू संयंत्र और मशीनों का दिया जाना २५३१—३२

दालचीनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दालचीनी १६१९-२१, १८४२

दालचीनी का तेल—

देखिये "तेल"

दावा (वों)—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

क्षतिपूर्ति के—२००४-०५

दावे २१७४-७५, २५४३–४४

विस्थापित व्यक्तियों के—२१६०

दास, श्री एस० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कपड़े का क्रय २२५९

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३९०

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८३

खाद्य पदार्थों में मिलावट ऐक्ट, १९५४, २१८४

तारों का पहुंचाया जाना २३८८–८९

पंजाब विकास योजनायें २२९८

बिजली के चलने वाले रेल डिब्बे २३९६

बुद्ध जयन्ती २२७०

मकान बनाने के लिये ऋण २३९९

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृतियां २०७३

रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य २२६६

राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८९

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३२१

सामाजिक शिक्षा १४४१

'स्काई मास्टर' विमान २४१३

के द्वारा प्रश्न—

"काश्मीर प्रिंसेस" की टक्कर २७३४

टिड्डी नियंत्रण १६१४

रेलवे को हुई हानि १५७५–७७

वृक्षारोपण १६३७

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २५८५५–८६

सिनेमा २७३१–३२

स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी १४५८-५९

हीरे काटने का उद्योग २७३६-३७

दास, श्री के० के०—

के द्वारा प्रश्न—

अबाध व्यापार २७५९–६०

रेशम उद्योग २५३८

दास, श्री बी० के०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोसाई योजना १५१५

हाथकरघा उद्योग २६८६

के द्वारा प्रश्न—

जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े १७०६-०७

तम्बाकू के बीज का तेल १७००-०२

पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति २५८४

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति २५३०

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७

विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरें १७०७-०९

सरकारी आवास स्थान २५५६, २७५५-५६

दास, श्री बी० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

उड़ीसा में खाद्याभाव की स्थिति १६११–१४

राष्ट्रीय मान चित्रावली २

विदेशों में शिष्टमंडल १७८१

दास, श्री रामधनी—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अश्पृश्यता २२९५

दास, श्री सारंगधर--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५२
उड़ीसा में खाद्याभाव की स्थिति १६१३
तेल गवेषणा स्टेशन १५६३
पर्यटन १५८१
भारी ट्रकों का आयात १७००
माल के डिब्बे १७६७
लोहे और इस्पात के कारखाने १७२८
विश्राम गृह १८१०
शिक्षितों की बेकारी १६०७
हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७५२

दिघवाडा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--स्टेशन २०५०-५१

दियासलाई--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कागजी--का कारखाना २१५६
--के कारखाने २१४६-५०

दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तरिक्ष शास्त्रीय औज़ार १६४६-५०
अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय--२२६१
आकाशवाणी का शिमला केन्द्र २३५५-५६
कर्मचारी राज्य बीमा निधि २०५१-५२
गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना २०२८-२६
चलते डाकघर २२३६-४०
चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर १५४८

दिल्ली--(जारी)

क सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

जुआ खेलना २६८१
टेलीफोन चालक १६४७-४८
--पुलिस १४८६
--में निष्काम्य सम्पत्ति १७४४-४७
--में भू-गत जल १६३२-३३
--में यातायात की सुविधायें १७८६-६१
--में यातायात नियंत्रण २१०६-११
--में रूसी राजदूतावास २५४७
--में हत्याएं २१२०
नलकूप (ट्यूब वैल) २२५२
निष्काम्य सम्पत्तियां २७५३-५४
परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था २५३२-३३
पवन चक्की २७४२-४३
माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१
रेलगाड़ी व्यवस्था २४७२
रेलवे के क्वार्टर २६१२
रेलवे पुल २२१७-१६
विद्युत् संभरण २६८३-८५
विमान यात्रा भाड़े २५६४-६५
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां १६८४
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सुविधायें १६६६-६७
विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान आदि २७५०-५१
वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो २६७६
श्रीराम कामर्स कालेज २६७३
संसद् सदस्यों के लिये मकान २५४७-४८
समाचार-श्रवण २४५३

दिल्ली--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

सरकारी आवास-स्थान का आगे किराय पर दिया जाना २७५१–५२

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महा कालिज २६८०

स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट २४९१--९३

हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी, लिमिटेड, दिल्ली १५६८-६९

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

दिल्ली परिवहन सेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दिल्ली परिवहन सेवा १५११-०२

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा २४४५

दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग १८९५–९७

दीवान, श्री आर० एस०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५२

सरकारी नौकरियां १४७६

हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३८-३९

दुकान (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति १५५८-५९

दुकान, शराब--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे बस्तियों के निकट शराब की दुकानें २१९६-९७

दुर्घटना (एं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खानों का निरीक्षण २४०४-०५

खानों में--१६५१–५२

दिल्ली में यातायात नियंत्रण २१०९-११

दुर्घटनाएं १८५५

निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग १६५९–६०

न्यूटन चिकोली कोयला खान--२०४०

देखिये "वायु दुर्घटना (यें)" भी

दुर्भिक्ष--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बंगाल में--१५६०

दूर-संचार भवन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दूर-संचार भवन २०४६

दृष्टांक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--(बीजा) २१३३–३४, २३६५–६६

देखियाजुली (आसाम)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रात में टेलीफोन करना २०१३–१४

देव, श्री आर० एन० एस०—

के द्वारा प्रश्न—

रेलों का पुनवर्गीकरण २५६४

देवगम, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां १६८५

अयस्क का निर्यात १६५४-५५

आइपोमिया कनिया २४०६

आदिम जाति कल्याण योजनायें २७०२-०४

आदिम जातियों का कल्याण २१३६-४०

ऋण सुविधायें १६६३-६४

कच्चा लोहा और मैंगनीज २७३६-४०, २७४०

कच्चे मैंगनीज पर निर्यात शुल्क २७३८-३६

कच्चे लोहे का निर्यात २२१४

खण्ड सहकारी पदाधिकारी (ब्लोक लेबल कोआपरेटिव आफीसर्स) १८४३-४४

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चलचित्र २१७५-७६

रेल गाड़ियों का नियतन २२५२-५४

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महाकालिज २६८०

देवारी (उदयपुर)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीसा और जस्ता अयस्क १४४१-४२

देशपांड़े, श्री वी० जी०—

के द्वारा प्रश्न—

सरकारी प्रतिभूतियां १८६८-६६

देशमुख, श्री के० जी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आर्डिनेन्स फैक्टरी १८८६-८७

कपास १६५५-५६

महिलाओं के अनैतिक पण्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन १८८६

देहरादून—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय उद्योग १६७०-७१

ज्वर पूर्व सूचक यंत्र २३०६-०७

सेना छात्र १६६४

दैनिक भत्ता (त्तों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रा भत्ते १६२८

दोहरा कराधान—

देखिये "कर"

दोहरी घाट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घाघरा नदी का पुल २४३७

दौलताबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६-८६

द्विवेदी, श्री एम० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १४७०

द्विवेदी, श्री एम० एल०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

"आपका अपना टेलीफोन" योजना २०२२

उर्वरक २३९२

एल्युमीनियम संयंत्र १७४९

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २००२

चीनी २०३०

छापने की मशीनें २३४०

डाक-सेवायें १८०४-०५

दिल्ली में निष्काम्य सम्पत्ति १७४७

दिल्ली में यातायात की सुविधायें १७९१

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १६७४

भोजन आदि की व्यवस्था १८२६–२७

मध्य आय वर्ग आवास योजना १९३०

मशीनी औजारों के कारखाने १४८०

माल के डिब्बे १७९७

रेलवे दुर्घटनायें २३८७

रेलवे पुल २२१९

वन २१९०

वैद्य १७९५

सामुदायिक रेडियो सैट २१५४

हिन्दी का प्रचार १६७९, २२०४

हेलिकोप्टर २२०९

के द्वारा प्रश्न—

अध्ययन अवकाश १७२२

इंडिया गेट के पास फव्वारे २७२९–३०

एयर इंडिया इंटरनेशनल १६०५–०८, १६३४

चोरी छिपे लाया गया सोना २१२३

छोटे चलचित्र १७७६–७७

डकैतियां २५१४–१५

डिब्बे जोड़ने का संयंत्र १८६४

तरल सोना (सोने का पानी) २३५०–५१

द्विवेदी, श्री एम० एल०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

बिना टिकट यात्रा १८१८-२१

बेकारों के लिये बीमा २२१२–१३

भारत-पाक पारपत्र करार २५५५–५६

भिलाई इस्पात कारखाना २५४०

भोजन व्यवस्था के ठेके २५९२–९३

यूरेनियम निक्षेप १५४९

रूरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३५

रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६९–७०

रेलवे सम्मेलन २५७१–७२

रेलों में भोजन व्यवस्था २५९९–२६००

वर्ग पहेलियां २४७१–७२

श्रीलंका में भारतीय १७५२–५५

ध

धमराघाट स्टेशन —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घाट सेवा २५६९-७०

धर्म नगर (देवछाड़ा)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १९३८-३९

धर्म प्रचारक (को)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

धर्म प्रचारक मिशनरी १९२१-२२

धागा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीने का—२१३४-३५

धातु उद्योग---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

धातु उद्योग १९७४-७५

धुआं रहित चल्हे---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

धुआं रहित चूल्हे २५६८-६९

धुलाई---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

धुलाई २७१०-११

धुलेकर, श्री---

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२०७

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार २२६९

कपड़े का क्रय २२६०

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन १८८८

भारतीय नौवहन १८३२

मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे १८२९

वैद्य १७९५

सोने का स्थान १६१६

के द्वारा प्रश्न---

आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान २६१९-२०

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५८१-८२

धुसिया, श्री---

के द्वारा अनपूरक प्रश्न---

अस्पृश्यता पर फिल्में (चलचित्र) २७०८

के द्वारा प्रश्न---

रेलवे में भर्ती २६१६

सुअर आदि के बाल २७०८---०९

धूप-चूल्हे---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

धूप-चूल्हे २११२-१३

न

नई दिल्ली---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अन्तर्राष्ट्रीय गुडिया प्रदर्शनी २५३१

आवास स्थान १५७०-७१

कनाट प्लेस---१८५६

चाणक्यपुरी १५६३-६४

धुलाई २७१०-११

नई इमारतों का निर्माण २५३२

---में सड़कों के नये नाम २०६५-६६

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय २५५१

भगत सिंह मार्केट २५३५

भारत में विदेशी राज दूतावास २३०५-०६

योग आश्रम---१४६३-६४

राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२-९४

शिक्षा सम्मेलन २३१३

नटेशन, श्री---

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रौद्योगिक) संस्थायें १८९०

के द्वारा प्रश्न---

दोहरा कराधान २६५२-५३

नदी घाटी परियोजना (यें)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

इंजीनियर २१३०-३२, २७२९

जन सहयोग १९४१-४३

राष्ट्रीय छात्र सेना निकायें १४६५-६७

विदेशी इंजीनियर २७४९-५०

नदी घाटी परियोजना प्राविधिक कर्मचारीवर्ग समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नदी घाटी परियोजना प्राविधिक कर्मचारीवर्ग समिति २६९३–९४

नन्दीकोंडा बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नन्दीकोंडा बोर्ड १५२९–३०

नमक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नमक १७३०–३३

नरसिहन्, श्री सी० आर०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

सैन्य सामग्री कारखाने २०८८

के द्वारा प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५५७–५८

बीमा समवाय १७१५–१६

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल०--

के द्वारा प्रश्न--

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना १५३०–३२

गाड़ियों का पटरी से उतरना १६६३

गुंटूर में उपमार्ग २०५६

छात्रवृत्तियों का भुगतान २३०५

पंचवर्षीय योजना का प्रचार १७८५–८६

मलेरिया की औषधि २४५७–५८

हाथ करघे का कपड़ा १७७१–७२

नलकूप--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--(ट्यूब वैल) २२५२

प्रयोगात्मक--२५५९

नहर (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

करनूल-कुड्डापा --१५४७–४८

तुंगभद्रा के ऊंचे तल वाली--१९४३–४४

हीराकुंड बांध से--२३६७–६८

नागपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

काम दिलाऊ दफ्तर,--१६५७

चलते डाकघर २२३९–४०

डाक कर्मचारी २४६२

समाचार-श्रवण २४५३

नागपुर विश्वविद्यालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तेल गवेषणा स्टेशन १५९२–९४

नागर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय शाक-शब्जी उत्पादन केन्द्र--२०५३–५४

नागरिक गृह निर्माण संस्था(ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण १९८९

नागा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण १५५३–५४, २३७५–७६

नागा पहाड़ियों--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७२६--२८

नागार्जुन कोंडा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--में खुदाई २२९२-९३, २३१७

नाटक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पंचवर्षीय योजना का प्रचार १७८५-८६

नाट्य प्राशिक्षण कम्प--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११-१२

नानादास, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अभ्रक के कारखानों में नौकरी २२१७

अस्पृश्यता २२९६-९७

उर्वरक २३९१-९२

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८४

कोयला २१४८

खादी की वर्दियां २१८२

खानों का निरीक्षण २४०५

ट्रैक्टरों का निर्माण २१४५

भारतीय-नौ-वहन १५८२

भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी २०९७

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८

रबर का कारखाना २१५६

रेल दुर्घटना १६१०

स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०४

नायर, श्री वी० पी०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अतिरिक्त स्टोर का उत्सर्जन (डिस्पोजल) २३२७

एल्युमीनियम संयंत्र १७४९

नायर, श्री वी० पी०--(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)

खनिज मंत्रणा बोर्ड २२८०

छोटे पैमाने के उद्योग १७३८

टायर बनाने वाले कारखाने १५२०-२१

तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८३

दाल चीनी १६२०

दालचीनी का तेल १५०७

नमक १७३२-१७३३

पैट्रोलियम रियायत नियम २२६२

मत्स्य ग्रहण पत्तन २४२८

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड १५२४-२५, १५४०, १५४१

मोटर गाड़ियां १५१३

रबड़ उद्योग १४३४

रेड आइरन ऑक्साइड (रक्त अयो-जोरेय) २२८७

के द्वारा प्रश्न--

आयात नीति २३७४, २३८०-८१

इस्पात के मूल्य २३७१, २५४२-४३

उड़ने वाले तेल २३८२-८३

औद्योगिक प्रदर्शनी २३४४-४६

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६-०८

गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण १९८९

झींगा उद्योग २२३३

दाब पवत्र २३७२-७३

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह, वारसा १४९१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २१७२-७३

"पीड़ा रहित प्रसव" २२३५-३६

प्रबन्ध अभिकरण कम्पनियां २१२४

प्रसूति मरण २४४१

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् २४४६

नायर, श्री वी पी० ——(जारी)

के द्वारा प्रश्न——(जारी)

मछली पालना २२३०–३१

मीन क्षेत्र उद्योग २५७७

विनिमय सुविधाएं १४९१–९२

श्रमिकों के लिए शारीरिक व्यायाम २६११–१२

साहित्य अकादमी १७२०–२१

सेफटी रेज़र के ब्लेड २३७३

सोडा ऐश २३५९–६१

नासूर——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

नासूर २०४९–२२३०

निक्षेप (पों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

परिसमापित बैंक २५२४

निजामाबाद (हैदराबाद)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना २४९७–९९

निधि——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कर्मचारी राज्य बीमा——७०५१-५२

प्रधान मंत्री की सहायता——२७४९

निबटारा आयुक्त——

देखिये "पदाधिकारी"

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

लेखा से लेखापरीक्षण का पृथक्करण १९०२–०४

नियंत्रण——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

नमक १७३०–३३

निर्माण——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार २२६६–६९

ट्रैक्टरों का——२१४४–४५

नई इमारतों का——२५३२

रक्षा सम्बन्धी——कार्य २२६४–६६

सड़क बनाने की मशीनें २१२८–३०

निर्यात——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११–१३

अनुज्ञप्तियां २५४८

अयस्क का——१९५४–५५

अवाध व्यापार २७५९–६०

आम २३४८–५०, २३८०

आम और लीची २६८७–८९

आमों का——२३९३–९४

कच्चा लोहा और मैंगनीज २७३९–४०, २७४०

कच्चे लोहे का——२२१४

कपड़ा १९३६–३७

कपास १९५५–५६

कोयले का——२५२९–३०

गायों की खालों का——२१६६

चाय १७८४

चाय का——२१३२–३३

ढोरों का——२२२८

तम्बाकू का——२५२७–२८

——वृद्धि परिषद १५४१–४२

——व्यापार २१५९–६०

निर्यात--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

--संवर्द्धन परिषद् १७७८
नैपाल २३२४-२५
नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधाएं १५९५-९६
पक्षियों का--१९८७
पशमीना १५६४
प्रकाशनों का आयात--२१६६
भारत-बर्मा व्यापार २५२६
भारतीय मोटर गाड़ियों का--२३७७
भूसे का--२००३-०४
भैंस के सींगों का--१७७०-७१
मलाया को--२५५०
मोटर गाड़ियां १५१२-१४
वस्तु-भाड़ा १८३४
शीरे का--२५४४-४५
साइकिलें २६८९-९१
हथकरघा से बनी वस्तुएं २३२९-३०

निर्यात मंत्रणा परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

निर्यात मंत्रणा परिषद् १९६१-६३

निर्यात वृद्धि परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

निर्यात वृद्धि परिषद् २५४१-४२

निर्यात शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कच्चे मैगनीज पर--२७३८-३९

निर्यात संवर्द्धन परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

निर्यात संवर्द्धन परिषद १७७८

निर्वाचन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आम चुनाव १९१७
चुनाव आन्दोलन १८८४-८६

निवारक निरोध अधिनियम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

धर्मप्रचारक (मिशनरी) १९२१-२२

निवृत्ति वेतन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

परिवारिक --(पेंशन) १४४२-४४
भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७७-७९
विप्रेषण लेखे २६६८-६९

निष्क्रान्त बालकों--

देखिये "बच्चा (चों)"

निष्क्रान्त सम्पत्ति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दावे २५४३-४४
दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४४-४७
निष्क्रान्त व्यक्तियों को भूमि २५४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति १९८०-८१
निष्क्राम्य कृषि भूमि १७४१-४२
निष्क्राम्य सम्पत्तियां २७५३-५४
सम्पत्ति की वापसी २१७८

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दावे २५४३-४४

नीलाम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चोरी से लाई गई वस्तुओं का उत्सर्जन १८८९-१९०१

नीलाम्बर रोड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलगाड़ी सेवा २५६३

नुगु और भद्रा परियोजना (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नुगु और भद्रा परियोजनायें १५४९

नृपेन्द्र नाथ खन्ना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प १७१४–१५

नेपा अखबारी कागज कारखाना—

देखिये "कारखाना (नों)"

नेपाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्य की भेंट १६२२–२३

नेपाल २३२४–२५

—और सिक्किम में सड़कों का निर्माण १५४७

—को बुकिंग सम्बन्धी सुविधायें १५९४–९६

—में दुर्भिक्ष १५६०

—में भारतीय १५६१–६२

—में विमान दुर्घटना १६३८

—में सहायता कार्य २५२५–२६

सैनिक मिशन १९१६

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४९०

नैनीताल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छावनी पुनर्संगठन २२६२–६४

तराई क्षेत्र में चीनी का कारखाना २१९२–९४

नौकरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्त्रियों को—में रखना १६०३-०५

नौवहन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंदमान में संचार २०९३–९४

—को अर्थ सहायता २५५९

भारतीय—१५८१–८२, १८३०–३२

नौवहन कर्मचारी—

देखिये 'कर्मचारी"

नौवहन खण्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यापार करारों में—२०३९–४०

नौवहन यात्री सुविधा (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समुद्र पार यात्री सेवायें १८४५

नौवहन समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खनिजों पर भाड़े की दरें २३९९–२४००

नौसेना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—प्रशिक्षण केन्द्र २२५७-५९

भारतीय—१७११–१२

सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८०-८१

नौसेना डाकयार्ड, बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बम्बई में नौसेना नावांगन (डाकयार्ड) २२६०–६१

नौसेना नावांगन शिक्षिक्षु विद्यालय बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौसेना नावांगन शिक्षिक्षु विद्यालय, बम्बई २२८३–८५

न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार २२६६–६९

औद्योगिक—२५७२–७३

विशेष—१९२३–२५

श्रम अपीलीय—२५७४–७५, २५८१–८२

न्यायालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५०-१६२९

रेलवे—१८३६–३७

स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट २४९१–९३

न्यायालय, जांच—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खानों का निरीक्षण २४०४–०५

न्यू-आर्लियन्स (अमरीका)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी बनाना २०३२–३३

न्यूटन चिकोली कोयला खान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—दुर्घटना २०४०

न्यूयार्क टाइम्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय समाचार पत्र की बिक्री १९३७–३८

प

पंच वर्षीय योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता २२९४–९७

आगरा छावनी बोर्ड २११५

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२०५–०७

आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान २६१९–२०

कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १८४०–४१

गुड़ १६३६

डाक-सेवायें १८०३–०५

न्यून-आय वर्ग आवास योजना १९५६–५८

— का प्रचार १७८५–८६

— सम्बन्धी चलचित्र २१७५–७६

पत्तन १६६४–६५

पर्यटन १५७९–८१

प्रथम — का प्रगति प्रतिवेदन २७३७

भारतीय नौ-वहन १५८१–८२

भू-संरक्षण योजनाएं १६४५–४६

मछली पालना २२३१

योजना सैल्स १५८८–९०

रेलवे लाइनें २४३८

रोज़गार २७३८

पंच वर्षीय योजना—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

वन २१८९–९१
विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६–१७
सहकारी समितियां २०५३
स्वास्थ्य केन्द्र २२४३–४४
हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७४९–५२
हैदराबाद में जल-संभरण योजना २५६५–६६

पंचवर्षीय योजना, द्वितीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता २२९४–९७
आदिम जातियों का कल्याण २१३९–४०
इंजीनियरिंग कालिज २१३५–३६
उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनःस्थापन २०६४
उत्तर प्रदेश में विमान क्षेत्र १८६७–६८
एल्युमीनियम संयंत्र १७४७–४९
कपड़े का उत्पादन १९६३–६५
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २५६४
कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य २४०६–०८
कोयला १७६७–६८
कोयला बोर्ड २७२२–२४
कोसाई परियोजना २३७२
ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर २३९४–९५
ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७५९–६०
चीनी की मिलें १६४०–४१
झींगा उद्योग २२३३
टायर बनाने वाले कारखाने १५२०–२२
ट्रैक्टर २६९१–९२

पंचवर्षीय योजना द्वितीय—(जारी)

क सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

दूसरी पंचवर्षीय योजना १५४४
देहाती औद्योगिक उपक्रम २७२१–२२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५५७–५८, १५७०, २१७२–७३, २७१५–१६, २७५६–५७
— (मध्य प्रदेश) २३७१–७२
नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र २२५७–५९
पत्तन १६६४–६५
बाल कल्याण १८७२
बीमा समवाय १७१५–१६
रेलवे लाइन २४५६–५७, २५८९–९०
शिक्षितों की बेकारी १८७३–७४
हिन्दी का प्रचार १६७८–८०
हैदराबाद में जल-संभरण योजना २५६५–६६

पंचमढी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छावनी पुनर्संगठन २२६२–६४
सैनिक वाद्य (बैंड) १४८३–८४

पंचमलाया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दलाईलामा और — २३४६

पंचरुखी रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पंचरुखी रेलवे स्टेशन २६१४

पंजाब—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां २१११–१२
अन्न भांडार (फीरोजपुर) २४०८–१०
ऊपर के पुल २५८२

पंजाब--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

कम्पोस्ट खाद योजना २४६०
कल्याण विस्तार परियोजनाएं २१२३
खाद्य पदार्थों में मिलावट एक्ट, १९५४ २१८२-८५
खुदाई का कार्य १९१३
खेलों के सामान का उद्योग २७३५
चीगो बकरियों का अभिजनन २२३३
छावनियां १६९६-९७
ढलाई स्कूल, खड़गपुर १४८३
दूसरी पंचवर्षीय योजना १५४४
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५७०
निष्क्रान्त सम्पत्ति १९८०-८१
निष्क्राम्य कृषि भूमि १७४१-४२
न्यून-आय वर्ग आवास योजना १९५६-५८
न्यूनतम मजूरी १७९८-१८००
--में बेकारी १५५३
--में मलेरिया नियंत्रण एकक १६२५
--विकास योजनायें २२९७-९९
पर्यटन २४१५-१७
प्रशिक्षण संस्थायें १५५६-५७
प्राचीन स्मारक १९०८-०९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम २२९०-९२
भूतत्वीय परिमाप १९२५
भूमिहीन मजदूर २०४१-४२
विकास ऋण १७९१-९२
शिक्षितों की बेकारी १८७३-७४
सामाजिक कल्याण संस्थाएं २११२
सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड १५५९
सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २७४१-४२
सामुदायिक रेडियो सेट २५३६
सोना २३०७

पंजाब--(जारी)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा २२३९
हमीरपुर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२५४
हिन्दी में तार २०४८, २२३८

पंजाब विश्वविद्यालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पंजाब विश्वविद्यालय २४८०-८१

पंजीयन शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पंजीयन शुल्क २०२४-२५

पक्षी (क्षियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--का निर्यात १९८७

पटना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलगाड़ी व्यवस्था २४७२

पटनायक, श्री यू० सी०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

आयुध कारखाने १४१३-१४
आर्डिनेन्स फैक्टरी १८८७
गोरखा रक्षित सेना १८७५
भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७८-७९
भारी ट्रकों का आयात १७००
मशीनी औजारों के कारखाने १४८०-८१
मूलरुप के मशीनी औज़ार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५७-५८
योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद १४७३

पटनायक, श्री यू० सी०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६७

विमान बल के भरती के केन्द्र १६९१

सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८१

पटसन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कच्चा—१८५९

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आम चुनाव १९१७

कल्याण विस्तार परियोजनायें २१२३

छावनियां १६९६–९७

निष्क्रांत सम्पत्ति १९८०–८१

निष्क्राम्य कृषि भूमि १७४१–४२

न्यून-आय वर्ग आवास योजना १९५६–५८

प्रशिक्षण संस्थाय १५५६–५७

भूतत्वीय परिमाप १९२५

भूतपूर्व सैनिकों का पुनसंस्थापन १६७५–७६

भूमिहीन मजदूर २०४१–४२

सामुदायिक रेडियो-सैट २५३६

पटेल नगर (नई दिल्ली)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पटेलनगर के मकान २१७६–७७

पठानकोट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके २५९७

पण्यद्रव्य समस्या सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पण्यद्रव्य समस्याओं सम्बन्धी खाद्य और कृषि संगठन समिति १८४१

पत्तन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्दमान द्वीपसमूह २६६४–६५

कोचीन—में सामुयिक श्रमिक २५८३

पत्तन १६६४–६५

भाडे पर अधिभार २४१८–२०

भूसे का निर्यात २००३–०४

मंजूरी भुगतान ऐक्ट, १९३६, २४३८

मत्स्य ग्रहण—२४२७–२८

रत्नगिरी—२०६९-७०

पत्तन प्रन्यास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हुगली नदी को बांधना २१८६–८७

पत्थर कूटने की मशीन (नें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़क बनाने की मशीनें २१२८–३०

पत्रकार (रों), विदेशी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पत्रकारों के शिष्ट मंडल १७८१–८२

पत्रिका (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पत्रिकाय १९३५–३६

पदाधिकारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुशासन के मामल २११८

आन्ध्र राज्य—का विदेशों में प्रति-नियुक्ति १८१५–१६

आयकर कर्मचारी २३१२–१३

आय कर विभाग २१०१–०४

एम० ई० एस० ठेकेदार २६२७–२८

कांडला भ्रष्टाचार काण्ड १४४६–५१

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८१–८४

केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन १८६१–६२

केन्द्रीय रेशम बोर्ड २३४१–४२

केन्द्रीय सचिवालय सवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्वलन) योजना २३१४–१५

कोयला खान कल्याण संघ २४४४–४५

खण्ड सहकारी पदाधिकारी (ब्लोक लबल कोआपरेटिव आफीसर्स) १८४३–४४

डाक व तार पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें २४७१–७२

नन्दीकोंडा बोर्ड १५२६–३०

निबटारा करनेवाला कर्मचारी वर्ग २१६४–६५

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी २३१०–११

प्रयोगात्मक नलकूप २५५६

भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७७–७६

भारतीय प्रशासन सेवा—२०६६–६७

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १४८७

भूतत्वशास्त्र में उच्च शिक्षा १६२१

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौजी २०७८–८१

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा १६७१–७३

पदाधिकारी (रियों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन का वाणिज्य विभाग २३८१–८२

शिकायतों की जांच-पड़ताल १६३६–४१

शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो २६७६

संघ लोक सेवा आयोग २५०४–०६

सीमा शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार १८८१–८२

पब्लिक स्कूल—

देखिये "विद्यालय" (यों)

परामर्शदाता बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मंत्रणा बोर्ड २७१६–१७

परिवार आयोजन केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

परिवार आयोजन १६५१

परिवार आयोजन केन्द्र २५८८–८६, २६०६–०७

परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था २५३२–३३

परीक्षा (यें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सेवा—२४६४–६५

असिस्टेंट २६७४

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की —१७१५

चिकित्सा सम्बन्धी-- १६२४

परोर रेलवे स्टेशन—

के सम्बध में प्रश्न—

परोर रेलवे स्टेशन २६०४

पर्यटन—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

पर्यटन १५७९-८१ २४१५–१७

—यातायात, काश्मीर, १९९९

पर्यटन केंद्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटन केन्द्र २०२३-२४

पर्वतारोहण—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

हिमालय पर—२५५०-५१

पर्वतीय नगर(रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का विकास १७३९-४१

पलेजाघाट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घाट सेवा २०४४-४५

पवन चक्की(क्कियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पवन चक्की १८३५-३६, २७४२-४३

—द्वारा जलसंभरण योजनायें २०७७-७८

पशमीना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पशमीना १५६४

पशु—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आइपोमिया कनिया २४०६

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २२२७

ढोरों का निर्यात २२२८

—का परिवहन २६२१-२२

पशु अत्याचार-निरोध जांच समिति

क सम्बन्ध में प्रश्न—

पशु अत्याचार-दिरोध जांच समिति २०४१

पशु चिकित्सक(कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की नई पदाली २५६०-६१

पश्चिमी बंगाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न

कोसई योजना १५१४-१५

कोढ़ नियंत्रण २६०३

खनिज तेल २५०१-०२

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१७-१८

तेल को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थ २६५५-५६

पवन चक्की द्वारा जलसंभरण योजनायें २०७७-७८

में चीनी के कारखाने २२५६

में सूखे की स्थिति २५८४

भ्रष्टाचार १७०४-०६

राष्ट्रीय राजपथ २२३७

रेशम उद्योग २५३८

लेखा से लेखा परीक्षक का पृथक्करण १९०२-०२

शस्त्रास्त्रों का चोरी छिपे से ले जाया जाना १८८२-०३

पश्चिमी रेलवे—

देखिये "रेलवे, पश्चिमी"

पहाड़ी भत्ता—

देखिये "भत्ता"

पांडिचेरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पांडीचेरी २५३५–३६
—पुरातत्वीय स्थान २११५–१६
— में कपड़ा मिल २३३६–३९
—में विकास कार्य २७०९–१०
भारत-फ्रांसीसी करार २६९४–९६

पांडिचेरी विधान सभा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पांडिचेरी विधान सभा १९५१–५४

पांडे, डा० नटवर—

के द्वारा प्रश्न—

उप-राजप्रमुख २५१५

पांड़े, श्री सी० डी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

"आपका अपना टेलीफोन" योजना २०२२
चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०७
दलाईलामा और पंचमलामा २३४६
पर्वतीय-नगरों (हिल स्टेशन्स) का विकास १७४१
भोजन व्यवस्था १५७८–७९
सोना १८७६

के द्वारा प्रश्न—

रामपुर लालकुवा रेल सम्पर्क २४६८–६९
शक्तिजनक मद्यसार २३४८

पाकिस्तान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अश्रम और अपाहिजगृह १९३१–३२
काश्मीर १७४२–४४
चांदी का चोरी छिपे लाना ले जाना १९२०
चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८२–८४
चौयनियन २४९५–९६
जब्त किया गया सोना २१२४
टिड्डियां १५८३–८५
डाकघरों द्वारा प्रेषण (धन का भेजा जाना) २०९२–९३
तस्कर के व्यापार रोकने के उपाय २६५७–५९
तस्कर व्यापार १४९५
दृष्टांक (वीजा) २१३३–३४
नमक १७३०–३३
पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा १९८५–८६
—के साथ व्यापार करार १९३८–३९
—में पुण्य स्थान २१६४
पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का संस्थापन १४८७–८८
पूर्वी—के विस्थापित व्यक्ति २५३०
पूर्वी—से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७
प्रतिकर १९८५
प्रव्रजन २७४५–४६
बंगाल चल-चित्र संस्था १७८०
बचत बैंक हिसाब और सार्टिफिकेट २५८०–८१
भारत और—के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१७–१८
भारत—यात्रा १९०४–०५
भारत में मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन २१६५–६६

पाकिस्तान—जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न—जारी

रेल के डिब्बे और इंजन २२४५

विदेशों में भारतीय १५६५

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर १५६४–६५

शीरे का निर्यात २५४४–४५

सरकारी कर्मचारियों का— को प्रव्रजन २६५३—५५

सीमा पर घटना १९७९–८०

सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना १६९५–९६

हिन्दुओं का— को प्रव्रजन १७८२–८३

पाकिस्तान रक्षा सेना पदाधिकारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पाकिस्तान रक्षा सेना पदाधिकारी २११३–१४

पाकिस्तानी झंडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का फहराया जाना २४९७–९९

पाण्डुलिपि. (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संस्कृत की— १४९४

पान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पान १६२५–२६

पारपत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पारपत्र १७४९, २७५८

पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में भारतीय २७२४–२६

पारपत्र (त्रों)—जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

भारत-पाकिस्तान यात्रा १९०४–०५

पारसिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खानों का निरीक्षण २४०४–०५

पारिवारिक निवृति वेतन (पेंशन) —

देखिये "निवृत्ति वेतन"

पालचौधरी, श्रीमती इला—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर २३९५

रुस से सहायता २४७७

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३२०

सशस्त्र थल उपकारी (बेनवोलेंट) फंड २४८०

के द्वारा प्रश्न—

अन्धे व्यक्ति २४६९

अस्पतालों का सुधार २५९६

आम २३८०

खनिज तेल २५०१–०२

गंगा का बांध १७६८

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१७–१८

छापने की मशीनें २३३९–४१

पश्चिमी बंगाल में चीनी के कारखाने २२५६

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति २३८३–८४

भाखड़ा नंगल परियोजना २७५२–५३

पाल चौधरी श्रीमती इला—जारी
के द्वारा प्रश्न—जारी
भारत सरकार की प्रतिभूतियां १६२६–२७
रेल के डिब्बे २५७८–७६

पालार नदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पालार नदी १५०४–०५

पाशा भाई पटेल एंड कंम्पनी लिमिटेड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पाशाभाई औज़ार १६२८–२६

पिछड़े वर्ग (गों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६४–६५

पुनर्गठित समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैन्य सामान कारखाने २६६३

पुनर्निमाण तथा विकास अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
यंत्र तथा उपकरण १६६५–६६

पुनर्वास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आदिमजाति के लोगों का— १८६२
आदिमजाति— १४८५–८६
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २००१–०२
जिप्सियों (यायावरों) का— २५८५
—अनुदान २६४२—४४
पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का— २३५३–५५

पुनर्वास—जारी
के सम्बन्ध में प्रश्न—जारी
भूमिहीन मजदूर २०४१–४२
विस्थापित व्यक्तियों का— १५६१ १७६४–६५, १७७६, १६३८-३६, २१६३

पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन १५१७–१६

पुन्नूस, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
गन्ना उपकर १६६७, १६६८
ग्रामीण ऋण २४३१
घड़ियां २३२२
चक्रवात २००८
टायर बनाने वाले कारखाने १५२१
दाल चीनी १६२१
दालचीनी का तेल १५०७, १५०८
पड़ती भूमि २०००
भारत का राष्ट्रीय ध्वज १५११, १५१२
भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १६३४
मत्स्य ग्रहण पत्तन २४२८
रबड़ उद्योग १५३५
वैद्य १७६४
शिक्षितों की बेकारी १८७४, १६०७
सरकारी आवास स्थान २३३२–३३
के द्वारा प्रश्न—
कोचीन पत्तन में सामयिक श्रमिक २५८३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २१७२–७३
मालाबार में समुद्री तूफ़ान २५१०–११
रबर का कारखाना २१५५–५७

पुरी

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटन १५७९-८१

पुरुस्कार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ऊन कातने का चर्खा १७६०-६२

मुद्रकों, छपाई करने वालों, आदि को--- २६९२-९३

पुर्तगाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पुर्तगाली पूर्वी अफरीका में भारतीय २७२४-२६

पुल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ऊपर के --- २५८२

घाघरा नदी का --- २४३७

दिल्ली में यातायात की सुविधायें १७८९-९१

बम्बई राज्य को ऋण २५८१

लाहौरी गेट का--- १५७३-७५

विकास ऋण १७९१-९२

सहरसा रेलवे स्टेशन १६५५-५६

सोनपुर में पैदल चलने वालों के लिये--- २००८

पुलिस---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २३७५-७६

केन्द्रीय रिजर्व --- २३१६-१७

दिल्ली--- १४८९

मनीपुर--- ३६७२

मनीपूर राज्य---विभाग २६१७

स्पेशल --- एस्टेबिलशमेंट २४९१-९३

पुलिस थाना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १४६९-७०

पुलिस वारन्ट, जाली---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे को हुई हानि १५७५----७७

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ १७२०

पुस्तकालय (यों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

हैदराबाद में --- २१०७-०८

पूंजी---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आसाम में पैट्रोल की खोज २६३७--४१

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४-८५

कागज उद्योग १९८०-८१

कागज की मिलें १७१८

कुटीर उद्योग १९४८-५१

चीनी की मिलें १७१८

त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड १६९७-९८

नलकूप (ट्यूब वैल) २२५२

प्रबन्ध अभिकरण कम्पनियां २१२४

रेल के डिब्बे और इंजन २२४५

रेलवे अभिसमय समिति २२२५-२

पूंजी जारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे द्वारा लगाई हुई — २२४९

वनस्पति कारखाने २२१०–१२

विनियोजन प्रत्याभूति समझौता २६३१–३२

विप्रेषण लेख २६६८–६९

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि (आर्म्ड फोरसिज रिकंस्ट्रक्शन फंड़) २३०२–०४

सिलाई की मशीनें २५२५

सीमेंट के कारखान १७७९

हैदराबाद में जल-संभरण योजना २५६५–६६

पूना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्षशास्त्रीय औजार १६४९–५०

बीम वायरलैस स्टेशन, — २५८४

पूनिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आय-कर १९१९–२०

दूर-संचार भवन २०४६

—जिले में डाकघर २२४९

पैनिसिलीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पैनिसिलीन १५६९–७०

पेप्सू—

देखिये "पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य सं "

पेरम्बूर–

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दूस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २६६०–६२

पैट्रोल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में —की खोज २६२७–४१

खनज तेल कूप १४६१–६२

पैट्रोलियम रियायत नियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न

पैट्रोलियम रियायत नियम २२६१–६२

पोत-निर्माण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पोत-निर्माण १९८१

पोन्नानी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन २४५६–५७

पोर्टआर्थर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंड़ल २१०५–०७

पोलियो—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल पक्षाघात रोग (—) २४५५

पोलैंड——

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजन तथा डिब्बे २५९८

पौड़ी गढ़वाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टेलीफोन १८६८–७०

पौधे—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का आयात १८४७–४८

प्रकाशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्रिकायें १९३५–३६
प्रकाशन १५५९–६०
—का आयात-निर्यात २१६६
हिन्दी के — १७७९

प्रकाशन विभाग—
देखिये "सरकारी कार्यालय"

प्रकाशस्तम्भ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मिनीकोय— २६११

प्रचार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खादी १९७९–७९
पंचवर्षीय योजना का— १७८५–८६
विदेशों में— १५५८
हिन्दी का— १६७८–८०, २२०३–०५

प्रतिकरात्मक भत्ता—
देखिये "भत्ता"

प्रतिनिधि मंडल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इंजीनियरों का — १५०५–०७
चीनी सम्बन्धी— १६०९
श्री लंका को भारतीय कपड़ा— २१६२

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी—
देखिये "पदाधिकारी (रियों)"

प्रतिभूति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत सरकार की— १९२६–२७
सरकारी— १८९८–९९

प्रतिवेदन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुंजरु समिति का — १८८७–८८
महिलाओं के अनैतिक पण्य के सम्बन्ध में — १८८८–८९

प्रत्यावर्तन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीयों का— (स्वदेश वापिस लौटाये जाना) २३७८–७९

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम १८५७—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी १४५८–५९

प्रदर्शन कक्ष—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दर्शनि i, व्यापार केन्द्र तथा— २१७५
विक्रय केन्द्र तथा प्रदर्शनालय १७७९–८०

प्रदर्शन कक्ष, वाणिज्यिक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९–२१

प्रदर्शनी (नियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया — २५३१
औद्योगिक — २३४४–४६

प्रदर्शनी (नियों)—(जारी)

के सम्बंध में प्रश्न—(जारी)

—, व्यापार केन्द्र तथा प्रदशन काश २१७५

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति १७१३–१४

व्यापार प्रदर्शनियां और मेले २१६५

प्रधान मंत्री—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का विदेशों में भ्रमण २३७९–८०

प्रधान मंत्री की सहायता निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रधान मंत्री की सहायता निधि २७४९

प्रभाकर, श्री नवल—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७२, २०७३–७४

के द्वारा प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १५९८–१६००, १८६१–६२

केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था १९२२

गंदी बस्तियों के सुधार की योजना २०२८–२९

नलकूप (ट्यूब वैल) २२५२

भगत सिंह मार्केट २५३५

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७१–७२

लारेंस स्कूल, सनावर १४५९–६१

हाथकरघा उद्योग २६८५–८६

प्रयोगशाला (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण २५६२–६३

प्रव्रजन—

के सम्बंध में प्रश्न—

प्रव्रजन २७४५–४६

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को— २६५३–५५

प्रशिक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंतरिक्ष शास्त्रीय यंत्र १६३०

अणु, शक्ति १९७१–७२

अध्यापकों को— २५२०

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी (एल०एम०पी०) कर्मचारियों को— १५९६–९८

आंध्र राज्य पदाधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति १८१६

कृषि-विकास २५७७–७८

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २२४३–४४

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७५९–६०

चालक तथा ग्राउन्ड इंजीनियर २४६५–६७

तेल शोधक कारखाने १७५५–५७

नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११–१२

नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय, बम्बई २२८३–८५

प्रादेशिक सेना २६७१–७२

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा १४४४–४६

भिलाई इस्पात कारखाना २५४०

भूतत्व शास्त्र में— १९२५

मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षण १६५८

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४८८–९०

रक्षा टेकनिकल कर्मचारी २५२२

राइफल— २०९५

रूस से सहायता २४७६–७८

प्रशिक्षण (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रेलवे का कारखाना २२२८–२९
लोहा और इस्पात संयंत्रों के लिये शिल्पियों का— २५३८
समाज शिक्षा व्यवस्थापक २७३२
सहकारिता — १६६०–६१
सेना छात्र १६९४

प्रशिक्षण केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खण्ड सहकारी पदाधिकारी (ब्लोक लेवल कोआपरटीव आफिसर्स) १८४३–४४
नौसेना — २२५७-५९
प्रशिक्षण संस्थायें १५५६–५७
हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा— २१३६-३९

प्रशिक्षण संस्था—

के सम्बंध में प्रश्न—

परिवार आयोजन केन्द्र २५८८–८९
प्रशिक्षण संस्थायें १५५६–५७

प्रशुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—सम्बन्धी रियायतें २१५१–५२

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी साधारण करार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें २१५१–५२

प्रसव—

के सम्बंध में प्रश्न—

"पीड़ा रहित —" २२३५–३६

प्रसारण —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी उपभाषाओं में ब्राडकास्ट २७४६–४७

प्रसारण केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(ब्राडकास्टिंग स्टेशन) १५५०–५१
बंगलौर में— (ब्राड़कास्टिंग स्टेशन) १५५२–५३

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक पारपत्र-कार्यालय २५५१–५२

प्रादेशिक मुख्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, बिलासपुर २६०१

प्रादेशिक सेना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक सेना २६७१–७२

प्राविषक स्कूल—

देखिये "विद्यालय"

प्राविधिक विशेषज्ञ (ज्ञों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी विशेषज्ञ १४७४–७५

प्राविधिक सहायक—

देखिये "कर्मचारी"

प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२—९४

प्रिन्टर्स (इण्डिया) लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४-८५

प्रीमियर ओटोमोबाइल लि० बम्बई—

के सम्बंध में प्रश्न—

भारी ट्रकों का आयात १६६८-१७००

प्रैस प्रतिनिधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना १६०६-११

प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय—

देखिये "विश्वविद्यालय (यों)"

प्लाईवुड—

देखिये "स्तर काष्ट"

फ

फतेह सिंह पुरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटनाएं २१६६-२२००

फरीदाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कागजी दियासलाई का कारखाना २१५६

ट्रैक्टरों का निर्माण २१४४-४५

—रेलवे साईडिंग २१७६-८०

फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स, मेसर्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्वाये में उर्वरक कारखाना १७७४-७५

फल (लों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आम और लीची २६८७-८६

—के पार्सलों के लिए डाक सम्बन्धी रियायतें २४४०

फव्वारे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इण्डिया गेट के पास—२७२६-३०

फसल (लों)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय की—२१७३

पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति २५८४

फाइलेरिया केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर प्रदेश में—१६६१-६२

फारवेल गैज-बीरपुर तार लाइन—

देखिये "तार लाइन"

फार्म (मों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की सप्लाई २७४२

फालतू सामान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फालतू सामान २५२१

फिलस्तीन

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में शरणार्थियों को सहायता १७८६-८८

फ लप्पीन्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ढोरों का निर्यात २२२८

फिलोबाड़ी क्षेत्र (डिबरुगढ़ सब-डिवीजन)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २००१–०३

फिल्म डिवीजन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वृत्तान्त तथा समाचार चलचित्र १५२७–२९

फीरोजपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्न भंडार (——) २४०८–१०

भूतत्वीय परिमाप १६६९–७१

फोर्ड प्रतिष्ठान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८८–८९

फ्रांस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत-फ्रांसीसी करार २६९४–९६

भारत फ्रेंच करार २३०८

भावनगर में तेल शोधन कारखाना २६९८–९९

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प १७१४–१५

फ्रांसीसी नियम (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पाण्डिचेरी विधान सभा १९५१–५४

फ्रांसीसी मिशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फ्रांसीसी मिशन १७१८

ब

बंगलौर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) १५५२–५३

यात्री सुविधायें २२४६

बंगाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— चल-चित्र संस्था १७८०

बंगाल चल-चित्र संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बर्मा से धन प्रेषण १९१५–१६

बंगाल प्रोविन्शियल रेलवे समवाय लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक विवाद २४२०–२१

बंसल, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भारत वैधुण्विकी (इलैक्ट्रोनिक) कारखाना २४८७

लोहा और इस्पात संयंत्रों के लिये शिल्पियों का प्रशिक्षण २५३८–३९

बकरी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीगो — का अभिजनन २२३३

बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे—

देखिये "रेलवे, बख्तियारपुर बिहार (लाइट)"

बचत बैंक लेखे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बचत बैंक हिसाब और सार्टिफिकेट २५८०–८१

बच्चा (च्चों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १६७३–७५

निष्क्रान्त बालकों का पालन-पोषण २३२२–२३

भारतीय शिशु कल्याण परिषद् १९०७–०८

शिशु मरण २२४४–४५

बद्रीनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६–८९

पर्यटन १५७९–८१

बनारस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छावनी पुनर्संगठन २२६२–६४

बन्दर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पशु अत्याचार-निरोध जांच समिति २०४१

बन्दी (न्दियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कैलासहर उप-जेल (त्रिपुरा) १४९७

बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आमों का निर्यात २३९३–९४

एयर लाइन्स डकोटा की दुर्घटना १६०२–०३

चलते डाकघर २२३९–४०

टेलीफोन चालक १६४७–४८

नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय, — २२८३–८५

— के डाक घर २४०२–०३

— के डाकघरों में चोरियां २६०९

— में टेलीफोन एक्सचेंज २०६७–६८

— में नौसेना नावांगन (डाकयार्ड) २२६०–६१

— राज्य को ऋण २५८१

भाड़े पर अधिभार २४१८–२०

भारतीय श्रम सम्मेलन २५७६

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८–९९

मशीन द्वारा छपाई २७५२

राज्य वित्त निगम १४८४–८५

रेलवे की इमारतें २६१५–१६

विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६–१७

विमान दुर्घटना १९१८

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग १९६७–७०

सरकारी आवास स्थानों का आगे किराये पर दिया जाना २७५१–५२

सोने का पता लगाने वाला यंत्र १४८५

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

बर्मन, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

डाक घरों द्वारा प्रेषण (धन का भेजा जाना) २०९२–९३

तेल शोधक कारखाने १७५५, ५७

रेलों का पुनर्वर्गीकरण २५६६

लोहे और इस्पात के करखाने १७२६–२८

सिन्दरी उर्वरक १५२२–२३

बर्मा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चल-चित्र २४८१–८३

निष्क्रान्त बालकों का पालन-योषण २३२२–२३

—ऋण २४९५–९६

—और मलाया से निष्क्रमणार्थी २१४२–४४

—का चावल १८४६

—के मार्ग से तस्कर व्यापार १४९८

—से धन प्रेषण १९१५–१६

भारत—व्यापार २५२६

भारतीय मोटर गाडियों का निर्यात २३७७

बलदेव सिंह समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुध कारखाने १९१३–१५

बसु, श्री के० के०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अभिलाभांश के रूप में मिले हुए अंश १७१०

कोयला बोर्ड २७२३

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१८

तम्बाकू उद्योग २७१४

बसु, श्री के० के०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

तेल शोधक कारखाने १७५६

न्यून आय वर्ग आवास योजना १९५७

मनीपुर राज्य परिवाहन विभाग १८५७

मशीनी औजारों के कारखाने १४८२ ८३

लोहे के मूल्य २६५१–५२

शक्ति चलित करघों पर उत्पादन शुल्क १९६१

बस्ती (स्तियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गंदी — को हटाने की योजना २०२८–२९

गंदी — के सुधार की योजनायें २०३८–३९

विस्थापित व्यक्तियों की — १९८४

विस्थापित व्यक्तियों की — में उद्योग १९६७–७०

विस्थापित व्यक्तियों की — में सुविधायें १९६६–६७

विस्थापित हरिजन २५५३

बहुप्रयोजनी स्कूल—

दखिये "विद्यालय (यों)"

बांकुरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल सेवा १८४९–५०

बांडुंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्य-क्रम १६३३

बांडुंग सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोराक्को की स्थिति १५४१–४३

बांध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गंगा का — १७६८

चम्बल नदी पर — २३७०

— का निर्माण २३६६–६७

बांसवाड़ा—

के सम्बन्ध में श्न—

रेलवे लाइन १६२८

बाढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाढ़ नियंत्रण के लिये हेलीकोप्टर २५३३–३४

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मि० हरबिल बेलर १७३५–३७

बाढ़-पीड़ित (तों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन २००१–०३

बानिहाल रंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— परियोजना २३८५–८६

बारंकपुर ट्रंक सड़क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ २२०१

बारासेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—हसनाबाद रेल-सम्पर्क २०४२–४३

बारुपाल, श्री पी० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आकाशवाणी का शिमला केन्द्र २३५६

बाल कल्याण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल कल्याण १८७१–७३

भारतीय शिशु कल्याण परिषद् १९०७–०८

बाल-गृह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अभ्रक की खानों में — १४४२

बाल पक्षाघात रोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल पक्षाघात २५६६–६७

— (पोलियो २४५५

बाल बेयरिंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयातों पर रोक १९४५–४७

बिक्री-कर, अन्तर्राज्यिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर २३०७–०८

बिजली का सामान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विद्युत परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६–१७

बिजली के सिगनल (संकेत चिन्ह)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली में यातायात नियंत्रण २१०९–११

बिल बाजार योजना (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हुण्डी बाजार १८९२–९४

विलासपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक मुख्यालय, — २६०१

बिहार—

सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिमजातियां १६८५

अबुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५—८६

अभ्रक निक्षेप २६६३

आदिमजातियों का कल्याण २१३९—४०

उत्तरी — में खाद्य की स्थिति १८४६

कच्चा पटसन १८५९

कोयले का उत्पादन १५०२—०३

खनिज तेल २१००—०१

गन्ने की खेती २०३४—३५

तारों का पहुंचाया जाना २३८८—८९

परिवार आयोजन १६५१

पर्यटन १५७९—८१

— कुष्ट नियंत्रण एकक २६१३

— को दिये गये अनुदान २१७४

— में खुदाई २६५९—६०

— में ग्वक छात्रावास २५१५—१६

— में क शिविर २५२३

— में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी २३०६

— में सड़कें २१६३-६४

— राज्य में बेकारी २०४६—४७

भूतत्वीय परिमाप १९२०—२१

मल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर २६७९—८०

विमान बल के भरती केन्द्र १६८९—९२

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १३७३, २१६३

बिहार—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद २५०८—०९

श्रमिकों के लिये मकान २२४०

सिन्दरी उर्वरक १५२३

स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान १९०१—०२

हाथ करघा उपकर निधि २१७३—७४

बीकानेर—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

रेलवे के विरुद्ध दावे २६०३

बीजापुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना १६५२—५३

विमान क्षेत्र, — २५६१—६२

बीम वायरलैस स्टेशन, पूना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बीम वायरलैस स्टेशन, पूना २५८४

बीमा (मों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— कम्पनियां २११९—२०

बेकारी के लिये — २२१२—१३

मल्लाहों के लिये स्वास्थ्य — योजना २०४२

विमान यात्रियों का — १६३१

सरकारी माल का — २७४३

बीमा समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बीमा कम्पनियां १४९२—९३, २११९—२०

बीमा समवाय —(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
बीमा समवाय १७१५–१६
मध्य-आय वर्ग आवास योजना १९२९–३०
सरकारी माल का बीमा २७४३
वीरेन दत्त, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और आदिमजातियां २१२१–२२
आदिमजाति पुनर्वास १४८५–८६
कैलासहर उप-जेल (त्रिपुरा) १४९७
खास भूमियों का बन्दोबस्त २०५५–५६
डाकघर १८५७–५८
त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड १६९७–९८
वीरन्द्र नगर एम० ई० स्कूल, त्रिपुरा २५१२–१३
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १९३८–३९
विस्थापित व्यक्तियों को ऋण २३३३
समाहार कर्मचारी वर्ग १६८४–८५
सुख सागर जल २१९४
वीरेन्द्र नगर एम० ई० स्कूल—
देखिये "विद्यालय (यों)"
बुद्ध जयन्ती —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दलाईलामा और पंचमलामा २३४६
पर्यटन १५७९–८१
बुद्ध जयन्ती २२६९–७२
बौद्धों की तीर्थ यात्रा २०४९–५०
बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति १७१३–१४
बुनियादी हिन्दी व्याकरण समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हिन्दी व्याकरण २११८
बूबराघस्वामी, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
वनस्पति कारखाने २२११–१२
बेजवाड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न
आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना १५३०–३२
गाडियों का पटरी से उतरना १६६३
बेतार के तार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रविधिक सहायता २६२१
बेपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चक्रवात २००५–०८
बेरोजगारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय ट्रैक्टर संग १५९८–१६००
पंजाब में बेकारी १५५३
पढ़े लिखों में ब) १४७६–७८
बिहार में शिक्षित लोगों की—२३०६
बिहार राज्य में बेकारी २०४६–४७
बेकारों के लिये बीमा २२१२–१३
शिक्षितों की बेकारी १८७३–७४, १९०५–०७

बेलियाघाट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बारासेट-हसनाबाद रेल-सम्पर्क २७४२-४३

बल्लारी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटन केन्द्र २०२३-२४
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२५०

बैंक (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कलकत्ता नेशनल--लि० २४८३-८६
परिसमाप्ति -- २५२४
-- का निरीक्षण २११९
हुण्डी बाजार १८९२-९४

बोगावत, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अन्डमान में संचार २०९४
आय-कर विभाग २१०३-०४
कपड़े का उत्पादन १९६४
चौर्यानयन २४९६
शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९६१

के द्वारा प्रश्न--

कच्चे लोहे के निक्षेप १५४३-४४
काश्मीर १७४२-४४
केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्बलन) योजना २३१४-१५
मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ २४५५--५८
रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल १६६७-६८
विद्युत परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६-१७

बोनस--

देखिये "लाभांश"

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई--

के द्वारा प्रश्न--

अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां १७२१-२२
अस्पृश्यता सम्बन्धी वार्तायें १५६७
आर्डिनेन्स फैक्टरी १८८६-८७
काम दिलाऊ दफ्तर, नागपुर १६५७
सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६-६७

बोलारम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राष्ट्रपति निलयम २७३०

बोस, श्री पी० सी०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

कोयले का उत्पादन १५०३
खानों का निरीक्षण २४०५

बौद्ध (द्धों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- की तीर्थ यात्रा २०४९-५०

बौद्ध स्मारक (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बौद्ध स्मारक १९१८--१९

ब्याज--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लोक ऋण २०९८--२१००

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७७-७९

ब्रह्मपुत्र घाटी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तेल के कुएं १६१५

ब्रिटिश इस्पात मिशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— प्रतिवेदन २७३५

ब्रिटिश उद्योग मेला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ब्रिटिश उद्योग मेला १६७७

ब्रिटेन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी २०८४–८५

कपड़ा १६३६–३७

चाय का निर्यात २१३२–३३

मिनिकोय प्रकाशस्तम्भ २६११

रक्षा सेवा परिषदें २२७२–७४

लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन का वाणिज्य विभाग २३८१–८२

विप्रेषण लेखे २६६८–६६

सोने का धागा २१३४–३५

सूती कपड़े का आयात १७१२–१३

ब्लेड, सेफ्टी रेजर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सेफ्टी रेजर के ब्लेड २३७३

भ

भक्त दर्शन, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां २१११, २११२

भक्त दर्शन, श्री—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७२७

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार २२६८–६६

कैन्टीन भंडार विभाग २६६५–६६

गोरखा रक्षित सेना १८७५

छावनियां १६६७

तार घर १८११

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७१६

पर्यटन १५८०, २४१६

भारतीय सेना में भरती २५१०

भौगोलिक नाम १६११

रक्षा सेवा परिषदें २२७३–७४

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६७

रेलवे पुल २२१८

विमान बल के भरती के केन्द्र १६६१

हैलीकोप्टर २२०६

के द्वारा प्रश्न—

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ २०२५—२७

अतिरिक्त स्टोर का उत्सर्जन (डिस्पोजल) २३२५–२७

अल्पकालिक भर्ती १४६२

ऊन कातने का चर्खा १७६०–६२

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६–८६

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर २३६४–६५

चाय उद्योग १६७०–७१

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०५–०७

छावनी पुनर्संगठन २२६२–६४

छावनी बोर्ड १४६७—६६

जिप्सियों (यायावरों) का पुनर्वास २५८५

डाकघरों का निरीक्षण १६३६–३७

डाक-सेवायें १८०३—०५

भक्त दर्शन श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

तिब्बत के साथ व्यापार १९९१-९२

दलाईलामा और पंचमलामा २३४६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७५६–५७

नई दिल्ली में सड़कों के नये नाम २०६५–६६

परिणामें १९३५–३६

पर्वतीय नगरों (हिल स्टेशन्स) का विकास १७३९–४१

पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन) १८५४

पारिवारिक निवृत्ति वेतन (पेंशन) १४४२–४४

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौजी २०७८–८१

भूतपूर्व सैनिकों का पुनस्संस्थापन १६७५–७६

मनोरंजन उड़ानें (जॉय फ्लाइट) २२१४–१६

विदेशी विशेषज्ञ २४७४–७५

सशस्त्र बल उपकारी (बेनेवोलेंट) फंड २४७८–८०

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि (आर्म्ड फोरसिज़ रिक्स्ट्रेक्शन फंड) २३०२–०४

सशस्त्र बलों में भर्ती २६२५–२७

सेना छात्र १६९४

हिन्दी उपभाषाओं में ब्राडकास्ट २७४६–४७

हिमालय पर पर्वतारोहण २५५०–५१

भगत सिंह, मार्केट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भगत सिंह मार्केट २५३५

भट्ट, श्री सी०—

के द्वारा प्रश्न—

कराधान जांच आयोग १७०२–०३

पतन १६६४–६५

भण्डार जिला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आर्डिनेन्स फैक्टरी १८८६–८७

भत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक कर्मचारी २४६२

पहाड़ — २२२७–२८

महंगाई — १८६४–६५

यात्रा — १९२८, २६८२

रेलवे कर्मचारी २४६८

संघ लोक सेवा आयोग १४९०, १७२१

भर्ती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्पकालिक १४९२

दक्षिणी अन्दमान में दफ्तरों में — २५१४

दिल्ली पुलिस १४८९

प्रादेशिक सेना २६७१–७२

भर्ती १६५४, १८५२–५३, २०४५

भारतीय सेना में — २५०९–१०

रेलवे में — २६१६

रेलवे सेवा आयोगों द्वारा — २२४७

सशस्त्र बलों में — २६२५—२७

भर्ती के केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमान बल के — १६८९-९२

भवन (नों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई २४२५
विदेशी राजदूतावास २७४४-४५
सहरसा तथा सुपोल डाकघर २१९१-९२

भन्डार---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अतिरिक्त स्टोर का उत्सर्जन (डिस्पोजल) २३२५-२७
अन्न --- (फीरोजपुर) २४०८-१०
सिन्दरी उर्वरक कारखाना २५२८

भाखड़ा नंगल परियोजना---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भाखड़ा नंगल परियोजना १५५८, २७४६, २७५२-५३

भाखड़ा नहर---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइनें २०२५

भाखड़ा बांध---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भाखड़ा बांध २१५८

भाड़ा---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिजों पर --- की दरें २३९९-२४००
पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन) १८५४
बिना टिकट यात्रा २२५४-५५
--- पर अधिभार २४१८-२०
रेल का किराया २४२६-२७
वस्तु --- १८३४
विमान यात्रा --- २५६४-६५
संघ लोक सेवा आयोग १४९०

भाड़ा, तटीय---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- दरें १६२४-२५

भारत का राज्य बैंक---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत का राज्य बैंक २०८९-९१

भारत का राष्ट्रीय ध्वज---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत का राष्ट्रीय ध्वज १५११-१२

भारत काफी बोर्ड---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- (इंडिया काफी बोर्ड) १९३३-३४

भारत-इंगलैण्ड वैमानिक करार---

देखिये "समझौता"

भारत-पाक पारपत्र करार---

देखिये "समझौता"

भारत-पाक पारपत्र सम्मेलन, १९५३---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का संस्थापन १४८७-८८

भारत-पाकिस्तान व्यापार सम्मेलन---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पाकिस्तान के साथ व्यापार करार १५३८-३९

भारत-फ्रांसीसी करार---

देखिये "समझौता"

भारत वैद्युण्विकी (इलैक्ट्रोनिक) कारखाना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत वैद्युण्विकी (इलैक्ट्रिोनिक) कारखाना २४८६-८८

भारतीय (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन १७५७-५८
कीनिया में -- २५५३-५४
नेपाल २३२४-२५
नेपाल में -- १५६१-६२
पाकिस्तान में पुण्य स्थान २१६४
पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में -- २७२४-२६
-- का प्रत्यावर्तन (स्वदेश वापिस लौटाया जाना) २३७८-७९
मडगास्कर में -- २५५४-५५
मलाया फेडरेशन कौंसिल १९८५
रूस में -- १५६३
रूस से सहायता २४७६-७८
विदेशों में -- १५६५, १७८३
शंघाई नगरपालिका परिषद् २१४५-४७
श्री लंका में - १७५२-५५, २७५३
सिंगापुर विधान मंडल १९८०-८१

भारतीय कारखाना अधिनियम, १९४८

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कारखाना अधिनियम २०५२

"भारतीय काव्य चयनिका"--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारतीय कविता की एन्थोलोजी (--) २२८९-९०

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कृषि सम्बन्धी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) २५८६
राष्ट्रीय देशनांक १६०८

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९-९१

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गुड़ बनाना २ २-३

भारतीय खान अधिनियम, १९५२--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०३-०५

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद्-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् २४४६

भारतीय तटीय सम्मेलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तटीय भाड़ा दरें १६२४-२५

भारतीय पुलिस सेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनुशासन के मामले २११८
आई० ए० एस०, -- की परीक्षायें १७१५
भारतीय प्रशासनीय सेवा, -- १९०९-१०

भारतीय प्रशासन सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६४–६५

अनुशासन के मामले २११८

— (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७७–७६

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की परीक्षायें १७१५

— पदाधिकारी २०६६–६७

—, भारतीय पुलिस सेवा १६०६–१०

भारतीय मानक संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय मानक संस्था २५३४

भारतीय वन सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की परीक्षायें १७१५

भारतीय विदेश सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुशासन के मामले २११८

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल २५३६–४०

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम २२६०–६२

भारतीय शिशु कल्याण परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय शिशु कल्याण परिषद् १६०७–०८

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय संग्रहालय १६६२–६४

भारतीय सड़क कांग्रेस —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़क बनाने की मशीनें २१२८–३०

"भारतीय समाचार"—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पत्रिकायें १६३५–३६

भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०५–०७

भारतीय साहित्य ग्रन्थ सूची—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय साहित्य की ग्रन्थ सूची २३१३–१४

भारतीय हाई कमीशन का वाणिज्य विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लन्दन स्थित — २३८१–८२

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आसाम में पैट्रोल की खोज २५४०

भावनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में तेल शोधन कारखाना २६६८–६९

भाषा (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अस्पृश्यता पर फिल्में (चल-चित्र) २७०७–०८
भारत का— सम्बन्धी सर्वेक्षण २३१०
साहित्य अकादमी २४७३–७५

भाषा (ओं), प्रादेशिक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चल-चित्र २१७५–७६
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ १७२०

भिखारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे स्टेशनों पर — का उत्पात २२०७–०८

भिलाई उपनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रूरकेला तथा — २३३४–३५

भिलाई इस्पात संयंत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भिलाई इस्पात कारखाना २५४०
सीमेंट के कारखाने २३४६–४७

भीखाभाई, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे लाइन १६२८

भूकम्पोशास्त्रीय यंत्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष-शास्त्रीय यंत्र १६३०

भूटान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशी सिक्कों का टंकन १७१६

भूतत्वशास्त्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में उच्च शिक्षा १९२१
— में प्रशिक्षण १९२५

भूतत्वीय तथा धातुकार्मिक संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५५७–५८

भूतत्वीय परिमाप—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तेल को छोड़ कर अन्य खनिज पदार्थ २६५५–५६
भूतत्वीय परिमाप १६६९—१७ १९२०–२१, १९२५, २३११

भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे—
देखिये "रेलवे, भूतपूर्व निजाम राज्य"

भूतपूर्व रियासत डाक कर्मचारी—
देखिये "कर्मचारी (रियों)"

भूमि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आलू की खेती २०६६–६७
औरंगाबाद छावनी में खंड २४९३–९५
कंचनपुर विवादग्रस्त — २५९१
केन्द्रीय ट्रैक्ट २००१–०३
खास —का बन्दोबस्त २०५५–५६
छावनी बोर्ड १४६७–६९

भूमि— (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न — (जारी)
जोतें १८४४
त्रिपुरा में गन्ने की खेती १८३८
धान की खेती का जापानी ढंग २१८५–८६
निष्क्रान्त व्यक्तियों को — २५४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति १९८०, २२
निष्क्राम्य कृषि — १७४१–४२
पड़ती — १९९९–२००१
पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास २३५३–५५
भाखड़ा नंगल परियोजना १५५८
— का कृषि योग्य बनाया जाना २२३४
मनीपुर प्रशासन द्वारा — का क्रय २५२२–२३
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १९३८–३९
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २७०४–०५
सुख सागर जल २१९४
हैदराबाद राज्य सेना — १४९६–९७

भू-संरक्षण योजना (यें) —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
भू-संरक्षण योजनाएं १६४५–४६

भूसा —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
— का निर्यात २००३–०४

भेंट —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
खाद्य की — १६२२–२३

भैंरोगढ़ —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
रेलवे दुर्घटना १६५६–५७

भैंस के सींग —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
— का निर्यात १७७०–७१

भोजन व्यवस्था —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२२–२४

भोजनालय —
क सम्बन्ध में प्रश्न —
सफदर जंग हवाई अड्डा २१९७–९९

भ्रमण —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
प्रधान मंत्री का विदेशों में — २३७९–८०

भ्रष्टाचार —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
आय-कर विभाग २१०१–०४
कांड़ला — कांड १४३९–४०
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग २०८१–८४
डाक व तार पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें २४७१–७२
भाखड़ा नंगल परियोजना २७५२–५३
भ्रष्टाचार १७०४–०६
शिकायतों की जांच-पड़ताल १९३९–४१
सीमा-शुल्क विभाग में — १८८१–८२

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न —
भ्रष्टाचार १७०४–०६

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग —
के सम्बन्ध में प्रश्न —
आय-कर विभाग २१०१–०४

म

मंगलदई (आसाम)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रात में टेलीफोन करना २०१३—१४

मंत्रणा बोर्ड—
देखिये "परामर्शदाता बोर्ड"

मंत्रणा समिति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी — २२०५—०७
पांडिचेरी २५३५—३६

मंत्री (त्रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
यात्रा भत्ते १९२८

मंत्री (त्रियों), राज्य (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भ्रष्टाचार १७०४—०६

महंगाई भत्ता—
देखिये "भत्ता"

मकान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आवास स्थान १५७०—७१, १७७२—७३
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १८४०—४१
चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर १५४८
दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४४—४७
धुआं रहित चूल्हा २५६८—६९
नई इमारतों का निर्माण २५३२
निवास अधिवास २१७०—७१

मकान (नों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
निवास स्थान २७३१
नौवहन कर्मचारी २२४७—४८
पटेलनगर के — २१७६—७७
बम्बई के डाक घर २४०२—०३
बेघर लोगों के लिये निवास स्थान २७०५—०६
— बनाने के लिये ऋण २३९८—९९
मनीपुर प्रशासन द्वारा भूमि का क्रय २५२२—२३
योमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३५-३६
रहने का स्थान १९८७—८८, १९८८, २३७७—७८
राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति १५५८—५९
राजेन्द्र नगर के क्वार्टर २१५९
रूरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३४—३५
रेलवे की इमारतें २६१५—१६
रेलवे के क्वार्टर २६१२
रेलवे क्वार्टर १६४४
वालिवादे में विस्थापित व्यक्तियों के — १९८६
विस्थापित व्यक्तियों के लिये — आदि २७५०—५१
श्रमिकों के लिये — २२४०
संसद् सदस्यों के लिये — २५४७—४८
सरकारी आवास २५४५—४६
सरकारी आवास-स्थान २३३१—३३, २५५६, २७५५—५६
सरकारी आवास-स्थान का आगे किराये पर दिया जाना २७५१—५२
सरकारी — को आगे किराये पर देना १५५५

मकान (नों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

सरकारी नौकरियां १४७५—७६
सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६—६७
सैनिक कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान २५१२
हैदराबाद की सोने की खानें १८६३—६४

मक्खन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घी और —— २६१८

मछली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गहरे समुद्र में —— पकड़ना २४१७—१८
मत्स्य ग्रहण पत्तन २४२७—२८

मछली पालन उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

झींगा उद्योग २२३३
मछली पालना २२३०—३१

मजदूर—

देखिये "श्रमिक (कों)"

मजदूरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

न्यूनतम मजूरी १७६८—१८००

मजभर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री सुविधायें २०५७—५८

मजूरी आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मजूरी आयोग २४३३

मजूरी भुगतान अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मजूरी भुगतान अधिनियम २२३२

मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मजूरी भुगतान ऐक्ट, १९३६, २४३८

मडगास्कर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— में भारतीय २५५४—५५

मत्स्य ग्रहण पत्तन—

देखिये "पत्तन"

मथुरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भौगोलिक नाम १९१०—११
—— में खुदाई कार्य १४९०—९१

मद्रास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५—८६
उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रोद्योगिक) संस्थायें १८२९—९०
एल्युमीनियम संयंत्र १७४७—४९
टेलीफोन चालक १६४७—४८
डाक कर्मचारी २४६२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २१७२—७३
पशुओं का परिवहन २६२१—२२
पालार नदी १५०४—०५
भाड़े पर अधिभार २४१८—२०
भतपूर्व सैनिकों का पुनर्संस्थापन १६७५—७६
मकान बनाने के लिये ऋण २३९८—९९

मद्रास–(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न —(जारी)

मानवी विज्ञानों (ह्यूमेनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृतियाँ २०७२–७४

माल डिब्बों का आवण्टन १६६०

माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१

वस्त्र जाँच समिति १५०३–०४

वैद्य २७९४–९६

हिन्दी का प्रचार २२०३–०५

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

मद्रास ट्राम्बे कम्पना––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५७४–७५

मद्रास-मंगलौर एक्सप्रेस––

के सम्बन्ध में प्रश्न —

तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८२–८३

मधुमक्खी पालन केन्द्र––

के सम्बन्ध में प्रश्न —

मधुमक्खी पालन केन्द्र १९८०

मध्य-आर्य वर्ग आवास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न ––

मध्य-आय वर्ग आवस योजना १९२९–३०

मध्य प्रदेश––

के सम्बन्ध में प्रश्न —

कुरुड-लिक्मा रेल सम्पर्क २४४०

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २०६२–९३

चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति २५९४–६५

डकैतियाँ २५१४–१५

मध्य प्रदेश––(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न —(जारी)

द्वतीय पंचवर्षीय योजना(––) २३७१–७२

नपा अखबारी कागज़ कारखाना १५२५–२७

पढ़े लिखों में बेकारी १४७६–७८

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १४८७

— में आयुर्वेद सम्बन्धी गवेषणा २४१४–१५

यूरे नियम निक्षेप १५४९

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना १५५०

राष्ट्रीय राजपथ, –– १६३८–३९

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १५६९

सामुदायिक रेडियो सेट २१५३–५५

सीमेंट के कारखाने २३४६–४७

मध्य प्रदेश खान संगठन —

के सम्बन्ध में प्रश्न ––

मेगनीज़ अयस्क १८९०–९१

मध्य भारतम—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

डाक व तार घर २०६६

भूतपूर्व सैनिकों का पुनसंस्थापन १६७५–७६

–– को ऋण १७८२

–– में चरागाह १६८२

मनिहारी घाट––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

सफर की हालत १८१४-१५

मनीआर्डर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाकघरों द्वारा प्रेषण (धन का भेजा जाना) २०९२–९३

मनीपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना लाइसेंस के शस्त्र २५१८

—का लोक-निर्माण विभाग १५६२

केडगर २५१३–१४

—पुलिस २६७२

—प्रशासन द्वारा भूमि का क्रम २५२२–२३

—में मलेरिया निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षक १६५८

—राज्य पुलिस विभाग २५१७

स्वविवेक निधि २५२३–२४

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग १८९५–९७

मनु नगर (उत्तर प्रदेश)—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

भूतपूर्व सैनिकों का पुनसंस्थापन १६७५–७६

मनोरंजन उड़ानें (ज्वाय फ्लाइट)—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

मनोरंजन उड़ाने (ज्वाय फ्लाइट) २२१४–१६

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

मसोवैज्ञानिक गवेषण शाखा १३७१–७३

मरकारा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रलवे लाइन १८३७

मलयालम साहित्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साहित्य अकादभी १७२०–२१

मलावार—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण १९८९

चक्रवात २००५–०८

दालचीनी का तेल १५०७–०८

मलाया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८२–८४

निष्क्रान्त बालकों का पालन-पोषण २३२२–२३

बर्मा और — से निष्क्रमणार्थी २१४२–४४

—को निर्यात २५५०

विदेशों में भारतीय १५६५

मलाया फेडरेशन कौंसिल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मलाया फेडरशन कौंसिल १९८५

मलावारी काश्तकारी अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माही २३२८–२९

मलेरिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मनीपुर में—निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षक १६५८

—को औषधि २४५७–५८

मलेरिया नियंत्रण एकक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पंजाब में — १६२५

मल्लाह (हों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के लिये स्वास्थ्य वीमा योजना २०४२

मशीन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी २६०७

छापने की — २३३९—४१

डाक के थेलों को खाली करने की— १९३५

दामोदर घाटी निगम से फालतू संयव और—का दिया जाना २५३१—३२

यंत्र तथा उपकरण १९९५—९६

रंगाई की—२१५०—५१

सिलाई की—२५२५

हिसाब लगांने की—१९७६—७७

मशीन के पुर्जे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी की मिलों की मशीने २७२८—२९

मशीनी औजार बनाने के कारखाने १९९०

मशीन द्वारा छपाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीन द्वारा छपाई २७५२

महता, श्री बलवन्त सिंह—

के द्वारा प्रश्न—

चूने के पत्थर के निक्षेप (डिपोजिट) २७८२—८३

धातु उद्योग १९७४—७५

हिन्दी टाइप राइटर १४८६—८७

महात्मा गांधी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूस में भारतीय साहित्य का विक्रय २३४२—४४

महात्मा गांधी के भाषणों के रेकार्ड (डों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भाषणों के रेकार्ड तैयार करना २३५१—५३

महाविद्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजीनियरिंग कालिज २१३५—३६

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५१—५३

कैम्प कालिज, दिल्ली २४९९—२५०१

श्री राम कामर्स कालेज २६७३

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महा कालिज २६८०

महिला (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७५९—६०

—के अनैतिक पण्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन १८८८—८९

राइफल प्रशिक्षण २०९५

स्त्री को नौकरी में रखना १६०३—०५

महिला (प्रसूति)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रसूति मरण २४४१

महेन्द घाट स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
महेन्द्र घाट स्टेशन १६३०–३१

मांस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अतिरेक खाद्य वस्तुयें १७६४

माओ माओ आन्दोलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कीनिया में भारतीय २५५३–५४

मात्तन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
थियोपिया के राजा की यात्रा १७६२, १७६३
के द्वारा प्रश्न—
गाड़ियों के आने जाने का समय १८०५–१८०७
तेल वाहक जहाज (टंकर) २२२६
धुआं रहित चूल्हे २५६८–६६
भारतीय सेना में भरती २५०६–१०
विदेशों में भारतीय १५६५, १७८३
व्यापार करारों में नौवहन-खण्ड २०३६–४०
समुद्र पार यात्री सेवायें १८४५
हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७४६–५२

माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बहुप्रयोजनीय स्कूल २१२२–२३

मानचित्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०६१–६२

मानवी विज्ञान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—(ह्यूमैनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७१–७२, २०७२–७४

मार्गस्थ शिविर (ट्रॉनाजिट कैम्प)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लाहौर — १७२८–३०

मालवीय, पंड़ित सी० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
गोरखा रक्षित सेना १८७५
विश्राम गृह १८१०

मालवीय, श्री बी० एन०—
के द्वारा प्रश्न—
खादी २५३७
सूर्य की किरणों की शक्ति २५१६

मालाबार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दालचीनी १६१६–२१
—में समुद्री तूफान २५१०–११

माही—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माही २३२८–२६

मिनीकोय प्रकाशस्तम्भ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मिनीकोय प्रकाशस्तम्भ २६११

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस—

देखिये "एम० ई० एस०"

मिशनरी—

देखिये "धर्मप्रचारक (कों)"

मिश्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न

धूप-चूल्हे २११२–१३

मिश्र, श्री एल० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

गन्ना उपकर १९९८
बुनियादी और सामाजिक शिक्षा १४४५
विदेशी सहायता २०७६
सिन्दरी उर्वरक १५२३

के द्वारा प्रश्न—

अधिलाभांश के रूप में मिले हुए अंश १७०९–११
इंजीनियर २७२९
उपाहार गृह १६५५
औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम २५१३
कच्चा पटसन १८५९
केन्द्रीय पटसन समिति २०११–१३
कोयला २१४७–४९
कोलम्बो योजना २२८७–८९
कोसी परियोजना २५९१
कोसी परियोजना के लिये टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी सुविधायें २४३४–३५
ग्राम्य विद्युतकरण २१६९–७०
घाट सेवा २५६९–७०
चिकना रेलवे हाल्ट स्टेशन १८०७–०८
छोटा नागपुर की कोयला खानों को विद्युत २१३३

मिश्र श्री एल० एन० (जारी) के द्वारा प्रश्न (जारी)

जन सहयोग १९४१–४३
जोतें १८४४
दामोदर घाटी निगम से फालतू संयंत्र और मशीनों का दिया जाना २५३१–३२
प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें २१५१–५२
फारबेस गंज-बीरपुर तार लाइन १८५८
भारत का राज्य बैंक २०८९–९१
रेलवे लाइन १६५४–५५, २२२४–२५
विदेशी इंजीनियर २७४९–५०
सहरसा तथा सुपौल डाक घर २१९१–९२
सहरसा रेलवे स्टेशन १६५५–५६
हुण्डी बाजार १९९१–९४

मिश्र, श्री बी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अस्पृश्यता पर फिल्में (चलचित्र) २७०८
स्टोव के बर्नर १९४८

के द्वारा प्रश्न—

जब्त किये गये हीरे २४५३–५५
हिन्दी परीक्षा समिति २५०२–०४

मिश्र, श्री विभूति—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

ग्रामीण ऋण २४३१
सामुदायिक रेडियो सेट २१५४

के द्वारा प्रश्न—

आम और लीची २६८७–८९
इम्पीरियल बैंक १४८४
इस्पात आयात १७६५–६६

मिश्र, श्री विभूति (जारी)
के द्वारा प्रश्न (जारी)
कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९–९१
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन २००१–०३
खादी २३५७–५८
गुड़ बनाना २२०२–०३
घोड़ों का आयात २७४३–४४
चीनी के कारखानों का स्थानान्तरणन २४४२–४३
नेपाल २३२४–२५
नेपाल में दुर्भिक्ष १५६०
नेपाल में सहायता कार्य २५२५–२६
प्रयोगात्मक नलकूप २५५९
भतत्वीय परिमाप २३११
माल गाड़ी के डिब्बों की कमी २०४८–४९
रुई १९८३
वस्तु भाड़ा १८३४
वैमानिक शाखा (एयर विंग) २५८९
व्यापार प्रतिनिधि मंडल १५६०
व्यापार प्रदर्शनियां और मेले २१६५
शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिये योजनायें १९१९
शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो २६७६
संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधायें २४२३–२५

मिसीसिपी नदी आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मि० हरविल वेलर १७३५–३७

मीन क्षेत्र उद्योग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मीन क्षेत्र उद्योग २५७७

मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मीन क्षेत्र (फिशरीज़) गवेषणा केन्द्र २२४५–४६

मुकदमा (मों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट २४९१–९३

मुकर्जी, श्री एच० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
आयुर्वेदिक कालिज २२२२
उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण २०३७
पाण्डिचेरी विधान सभा १९५३
राष्ट्रीय नाट्यशाला २६६७
स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास २६३४
हिन्दी का प्रचार २२०५
के द्वारा प्रश्न—
कलकत्ता उपनगरीय रेलगाड़ी सर्विस २०१८–२९
कलकत्ता-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ २२०१
नौवहन कर्मचारी २२४७–४८
बारासेट-हसनाबाद रेल-सम्पर्क २०४२–४३
रेलवे बुकिंग १८१६–१७
शिकायतों की जांच-पड़ताल १९३९–४१

मुख्यायुक्त—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वविवेक-निधि २५२३–२४

मुगलसराय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल का यातायात २५७०

रेलवे बुकिंग १८१७

मुजफ्फरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन १६५४–५५

मुद्रक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, छपाई करने वालों, आदि को पुरस्कार २६९२–९३

मुद्रणालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दक्षिण भारत में — १५५२

मुद्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हाली सिक्का २५१९–२०

मुनिस्वामी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८६

आन्ध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१३

पाण्डिचेरी विधान सभा १९५२–५३

बिना टिकट यात्रा २०२०

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७३

विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२३

मुनिस्वामी, श्री एन० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

मडगास्कर में भारतीय २५५४–५५

मुरारका, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

करारोपण जांच आयोग १६२७

मुरैना-भिंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस २३१६–१७

मुसलमान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा १९८५–८६

प्रव्रजन २७४५–४६

भारत में — का भारी संख्या में आगमन २१६५-६६

मुहम्मद शफी, चौधरी—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन १७५८

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को प्रव्रजन २६५५

के द्वारा प्रश्न—

अनुज्ञप्ति हीन ट्रांसयिशन सेट १६५२

उत्तर पूर्वी सोमान्त अभिकरण २३७५–७६

एयर इण्डिया इन्टरनेशनल निगम २४३३–३४

कारखाना अधिनियम २०५२

काश्मीर को अनुदान १५१२

चल चित्र २४८१—८३

चाणक्यपुरी १५६३–६४

मूहम्मद शफी चौधरी (जारी)
के द्वारा प्रश्न जारी
जाली नोट बनाना २६७८
जुआ खेलना २६८१
टेलीफोन २६१८–१९
ढोरों का निर्यात २२२८
दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४४–४७
दिल्ली में हत्याएं २१२०
पत्रकारों के शिष्टमंडल १७८१–८२
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४६–४९
रुस में भारतीय १५६३
रेडियो टेलीफोन सेवा २०३९
रेडियो सेट १५६३
रेलवे कर्मचारी २४६८, २६१५–१६
विदेशी २२९३–९४
विदेशों में शिष्ट मंडल १७८१
विमान यात्रा भाड़े २५६४–६५
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां १९८४
सम्पत्ति की वापसी २१७८
सरकारी आवास-स्थान का आगे किराये पर दिया जाना २७५१–५२
सिनकोना की खेती २४५७

मुहीउद्दीन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
चमड़े का सामान २६२४–२५
के द्वारा प्रश्न—
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५० १६२९

मूर्ति, श्री बी० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें १४६५
आन्ध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१३
कार्मिक संघ २६३६
खादी और ग्रामोद्योग १७२६
गोआ में भारतीय जलयानों का निरोध २७०१
तीसरे दर्जे के डिब्बे १५८२–८३
तेल गवेषणा स्टेशन १५९३
प्रति व्यक्ति फीस लगाना १४६३
बेघर लोगों के लिये निवास-स्थान २७०६
भोजन व्यवस्था १५७९
मि० हरविल वेलर १७३६
योगासन तथा व्यायाम १४७१
लोक-स्वास्थय विधेयक १५८६
समुद्र पार छात्रवृत्तियां २६२९
के सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी १८०२
स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०५
के द्वारा प्रश्न
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २७११–१३
डकैतियां २५१४–१५
रेलवे के यात्री २६१७–१८
रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके
लोहे के मूल्य २६५०-५२
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन २५७९–८०
श्रीलंका में भारतीय २७५३

मूल्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्दमान द्वीपसमूह २६६४–६५
अनुज्ञप्तियां २५४८
आम २३८०

मूल्य—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

आयातों पर रोक १९४५–४७
इंजन १८४७
इस्पात आयात १७६५–६६
इस्पात उत्पाद १७७२
इस्पात के— २३७१, २५४२–४३
उर्वरक २३९१–९२
कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के — २४०६–०८
कोयला २१४७–४९
कोयले का निर्यात २५२९–३०
कोयले की खपत २४५९
क्षार के — १७७३–७४
खादी १९८३
गन्ना १६३९–४०
घड़ियां २३२१–२२
घोड़ों का आयात २७४३–४४
चमड़े का सामान २६२३–२५
चाय के — १९७६
चाय बागान १९९०
चीनी का आयात २६०५–०६
चोरी-छिपे माल ले जाना २६७५
छपाई का सफेद कागज २५४२
ढोरों का निर्यात २२२८
तम्बाकू के बीज का तेल १७००–०२
तस्कर व्यापार १४९५
पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन १५१७–१९
प्रयोग शालाओं का कांच का सामान २५२७
फालतू सामान २५२१
बिजली से चलने वाले रेलवे के डिब्बे १६२१–२२
भारी ट्रकों का आयात १६९८–१७००
माल के डिब्बे २५८३

मूल्य—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

युरेनियम अयस्क १७७९
रेडियो सेट १५६३
रेल के डिब्बे २५७८–७९
लोहे के — २६५०–५२
विमानों की खरीद २२५०–५२
सड़क बनाने की मशीनें २१२८–३०
समाचारपत्र २७४८–४९
सामग्री क्रय २५२९
सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८०–८१
"स्काई मास्टर" विमान २४११–१४
हेलीकोप्टर १८६०–६१

मृत्यु—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कीनिया में भारतीय २५५३–५४
दिल्ली में हत्याएं २१२०
दुर्घटनाएं २२४०–४३
निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग १६५९–६०
प्रसूति मरण २४४१
रेल दुर्घटना १६३४–३५
रेलवे दुर्घटनायें २३८६–८७
विमान दुर्घटनायें १९९१–९४
शिशु मरण २२४४–४५

मेनन, श्री दामोदर—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोजिकोड में हवाई अड्डा २०३३
चक्रवात २००६–०७
भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १९३३, १९३४

मेरठ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सहकारिता प्रशिक्षण १६६०-६१

मेला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

व्यापार प्रदर्शनियां और — २१६५

मेहता, श्री जे० आर०--

के द्वारा प्रश्न--

प्रतिव्यक्ति फ़ीस लगाना १४६२-६३

यात्रियों के लिये सुविधाएं २०१५-१६

रेलवे कर्मचाठी २४६५

मैंगनीज--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कच्चा लोहा और — २७३६-४०, २७४०

कच्चे--पर निर्यात-शुल्क २७३८-३६

खनिजों पर भाड़े की दरें २३६६-२४००

— अयस्क १८६०-६१

मैत्तूर हाइड्रोलैक्ट्रिक योजना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एल्युमीनियम संयंत्र १७४७-४६

मैसूर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छात्र सैनिक निकाय १६२२-२३

तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर १६४३-४४

नुगु और भद्रा परियोजनायें १५४६

न्यूनतम मजूरी १७६६

पंजीयन शुल्क २०२४-२५

पालार नदी १५०४-०५

भर्ती १६५४

भारत काफी बोर्ड (इंडिया काफी बोर्ड) १६३३-३४

मैसूर--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

रेड आइरन ओक्साइड (रक्त अयो-जोरेय) २२८५-८७

रेलवे लाइन १८३७

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १६५६--६१

सार्वजनिक टलीफोन कार्यालय २२५०

मैसूर आयरन वर्कस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लोहे की वस्तुओं का निर्माण २१७१

मोटर उद्योग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औद्योगिक प्रदर्शनी २३४४-४६

मोटर कार(रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कारें १५५४-५५

मोटर गाड़ियां--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आन्ध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८११-१४

भारतीय — का निर्यात २३७७

मोटर गाड़ियां १५१२-१४, १६८४

विदेशी सहायता २०७४-७६

मोटर ट्रक(कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारी — का आयात १६६८-१७००

मोतीहारी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इम्पीरियल बैंक १४८४

मोराक्को—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोराक्को की स्थिति १५४१–४३

मोहेतारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल में सहायता कार्य २५२५–२६

य

यंत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सोने का पता लगाने वाला— १४८५

यंत्रीकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उद्योगों का— २७३०–३१

यातायात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली में— की सुविधायें १७८९–९१

दिल्ली में—नियंत्रण २१०९–११

माल का— २५७०

रेल गाड़ियों का नियतन २२५२–५४

सरकारी परिवहन १४८९–९०

यात्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

थियोपिया के राजा की यात्रा १७६२–६३

यात्रा भत्ता (त्तों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रा भत्ते १९२८

यात्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना टिकट यात्रा २४५४

रेलगाड़ी व्यवस्था २४७२

विमान—का बीमा १६३१

हज यात्री २५४९

युवक शिवर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिहार में— २५२३

यूरिया संयंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सिन्द्री का— १७७५

यूरेनियम अयस्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यूरेनियम अयस्क १७७८

यूरेनियम निक्षेप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यूरेनियम निक्षेप १५४९

येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३५–३६

योग आश्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, नई दिल्ली १४६३–६४

योग चिकित्सा—

देखिये "चिकित्सा"

योगासन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— तथा व्यायाम १४७०–७१

योगिक शारीरिक संवर्धन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—प्राध्यापक पद १४७२—७४

योजना आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आवास विशेषज्ञों का मण्डल १५५१

उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रौद्योगिक) संस्थायें १८८९–९०

ग्राम्य विद्युतकरण २१६९—७०

पर्वतीय नगरों (हिल स्टेशन्स) का विकास १७३९–४१

योजना सैल्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

योजना सैल्स १५८९–९०

योनेस्को योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पवन चक्की द्वारा जल संभरण योजनायें २०७७–७८

र

रंग (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलतार के— १५४६–४७

रंगपाडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री सुविधायें २०५७–५८

रंगाई की मशीन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रंगाई की मशीनें २१५०–५१

रंगून—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९–२१

रक्षा टेक्निकल कर्मचारी—

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

रक्षा मंत्रालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

असैनिक विद्यालयों के अध्यापक २११६–१७

रक्षा विज्ञान संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा १६७१–७३

रक्षा सेवा (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फार्मों की सप्लाई २७४२

रक्षा सेवा परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रक्षा सेवा परिषदें २२७२–७४

रगिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलीफोन कनैक्शन २०३५–३६

रघुनाथ सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आमों का निर्यात २३९३

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना २४९८–९९

विनियोजन प्रत्याभति समझौता २६३१

हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७५१

के द्वारा प्रश्न—

अणु शक्ति २६८९

रघुनाथ सिंह श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

अन्तरिक्ष शास्त्र सम्बन्धी सम्मेलन १८३३
अभ्रक निक्षेप २६६३
इंजन तथा डिब्बे २५९८
इथियोपिया के राजा की यात्रा १७६२–६३
गाड़ियों का आना जाना बन्द होना २६०२
छपाई का सफेद कागज २५४२
छोटे पैमाने के उद्योग १८३७–३९
जातीय भेदभाव २१६७–६८
नासूर २०४९
नेपाल में विमान दुर्घटना १६३८
नौवहन को अर्थ सहायता २५५९
पारपत्र २७४९
पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७
प्रधान मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में चलचित्र २३७६–७७
बिजली १९८०
बुद्ध जयन्ती २२६९–७२
भारत का राष्ट्रीय ध्वज १५११–१२
भारत वायु सेना के डकोटा की दुर्घटना २११३
भारतीय नौवहन १५८१–८२
भारतीय समाचारपत्र की बिक्री १९३७–३८
भिलाई इस्पात कारखाना १५४०
मथुरा में खुदाई कार्य १४९०–९१
माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना २६२०
मालगाड़ी के डिब्बे २५९०
मिनीकोय प्रकाश स्तम्भ २६११
रेल गाड़ियों का पटरी से उतरना १६४१–४२

रघुनाथ सिंह श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

रेल दुर्घटना १६१६–१७
रेलवे दुर्घटना २२३६–३७
वर्षामाप केन्द्र १५३७–३८
शिक्षा पर व्यय २६३०–३१
सरकारी माल का बीमा २७४३
सीने की सुइयां २५३०–३१
सीसा और जस्ता अयस्क १४४१–४२
सुरंगे साफ करने वाले जहाज १६८०–८१
सूर्य ग्रहण के दिन रेलवे यातायात १८५७
सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना १६९५–९६
स्पार्क अरेस्टर्स (चिंगारी रोकने की जाली) २०९६–९७

रघुवीर सहाय, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

भ्रष्टाचार १७०४—०६

रघवीर सिंह चौधरी—

के द्वारा प्रश्न—

असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी १९२२
उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः स्थापन २०६४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १६७७
टूंडला रेलवे स्टेशन २०६४–६६

रज्ज स्फोट कारखानें—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रज्जू स्फोट (कोर्डाइट) कारखाने २३०९

रतलाम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन १६२८

रत्नगिरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—पत्तन २०६९–७०

रबड़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का कारखाना २१५५–५७

रबड़ उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रबड़ उद्योग १५३४–३५

रबड़ गवेषणा संस्था–

के सम्बन्ध में प्रश्न–

रबड़ उद्योग १५३४–३५

राइफल प्रशिक्षण योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राइफल प्रशिक्षण २०९५

राघवाचारी , श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कार्ड टिकट २१९६

सड़क बनाने की मशीनें २१२९

राघवैया, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना १५३१

इंजीनियरों का प्रतिनिधि मंडल १५०६

कपड़े का उत्पादन १९६४

कुटीर उद्योग १९५१

टिड्डियां १५८५

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८७

तार घर १८११

तेल गवेषणा स्टेशन १५९४

राघवैया श्री—(जारी)

के द्वारा अनुपूक प्रश्न—(जारी)

भोजन आदि की व्यवस्था १८२८

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १६७७

रेलों में भोजन आदि की व्यवस्था १८४९

राचय्या, श्री एन०—

के द्वारा प्रश्न—

नुगु और भद्रा परियोजनायें १५४९

भर्ती १६५४

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी १६५३–५४

रेलवे लाइन १८३७

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९५९, १९५९–६१

राजभोज, श्री पी० एन०—

के द्वारा प्रश्न—

पांडिचेरी पुरातत्वीय स्थान २११५–१६

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना १५५०

राजदूतावास (सों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय—वाशिंगटन १५३२—३४

राजदूतावास विदेशी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत में विदेशी राजदूतावास, २३०५—०६

विदेशी राजदूतावास २७४४–४५

राजपुरा (पैप्सू)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संयुक्त पूंजी समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) १७१६–१७

राजस्थान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छावनियां १६९६–९७
यात्रियों के लिये सुविधायें २०१५–१६
—अधोभूमि जल बोर्ड २६०२–०३
—में विस्थापित व्यक्ति १५५८–५९

राजस्थान अधोभूमि जल बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राजस्थान अधोभूमि जल बोर्ड २६०२–०३

राजा, थियोपिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की यात्रा १७६२–६३

राजा, भूतपूर्व—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सरकारी प्रतिभूतियां १८९८–९९

"राजू चूल्हा"
के सम्बन्ध में प्रश्न—
धुआं रहित चूल्हे २५६८–६९

राजेन्द्रनगर (नई दल्ली)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के क्वार्टर २१५९

राज्य (ज्यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तटीय —में सूखे की अवस्था २४३६
बेघर लोगों के लिये निवास-स्थान २७०५–०६

राज्य (ज्यों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
मुद्रकों, छपाई करने वालों, आदि के पुरस्कार २६९२–९३
रेलवे बस्तियों के निकट शराब की दुकानें २१९६–९७
सहकारी समितियां २०५३
सुअर आदि के बाल २७०८–०९
हाथकरघा उद्योग २६८५–८६

राज्य-भाषा-आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हिन्दी का प्रचार १६७८–८०

राज्य वित्त निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राज्य वित्त निगम १४८४–८५

राधा रमण, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
रेलवे पुल २२१८
के द्वारा प्रश्न—
इंजन १८४७
इंजीनियरों का प्रतिनिधि मंडल १५०५–०७
कनाट प्लेस, नई दिल्ली १८५६
केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड २२१९–२०
खादी और ग्रामोद्योग १७२३–२६
दिल्ली में यातायात की सुविधायें १७८९—९१
दिल्ली में यातायात नियंत्रण २१०९–११
पण्यद्रव्य समस्याओं सम्बन्धी खाद्य और कृषि संगठन समिति १८४१
प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) १५५०-५१
फरीदाबाद रेलवे साइडिंग २ १७९–८०

राधा रमण श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

बानिहाल सुरंग परियोजना २३८५–८६
बाल कल्याण १८७१–७३
भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना २२३४
मध्य-आय वर्ग आवास योजना १९२९–३०
रुरकेला में सहायक उद्योग २७२०–२१
लाहौरी गेट का ऊपरी पुल १५७३–७५
वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९–२१
विद्युत् संभरण २६८३–८५
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सुविधायें १९६६–६७
हिन्दी का प्रचार १६७८–८०

राम दास, श्री--

के द्वारा प्रश्न—

ऊपर के पुल २५८२
केन्टीन भंडार विभाग २६६५–६६
कैम्प कालेज, दिल्ली २४९९--२५०१
तार घर १८१०—१२
बहु प्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्यक्रम २६४४—४६

राम शंकर लाल, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया केन्द्र १६६१–६२
कपास १९५५–५६
केन्द्रीय सडक गवेषणा संस्था १९२२
चुनाव आन्दोलन १८८४–८६
मशीनी औजार बनाने के कारखाने १९९०

राम शंकर लाल श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

राष्ट्रीयक देशनांक १६०८
रेलवे पुल २२१७–१९
शटल ट्रेन २०६३–६४

राम सुभग सिंह , डा०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

रूस में सहायता २४७७
स्पार्क अरेस्टर्स (चिंगारी रोकने की जाली) २३९७

के द्वारा प्रश्न—

आम चुनाव १९१७
इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर १८४०
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२–२०४३
कारें १५५४–५५
कोयला १७६७–६८
खाद्य की भेंट १६२२–२३
गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनायें २०३८–३९
गोहाटी को चीनी का भेजा जाना २४४३–४४
ट्रैक्टरों का निर्माण २१४४–४५
नदी घाटी परियोजना प्राविधिक कर्मचारी वर्ग समिति २६९३–९४
पवन चक्कियां १८३५–३६
पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७
बाल पक्षाघात रोग (पीलिया) २४५५
बिजली से चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६
ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५–३६

राम सुभग सिंह डा०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

भारत वैद्युण्विकी (इलेक्ट्रोनिक) कारखाना २४८६–८८
मत्स्य ग्रहण पत्तन २४२७–२८
मल्लाहों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना २०८२
माल का यातायात २५७०
रक्षित बैंक द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान २२८१–८२
रूरकेला का इस्पात कारखाना १५४५
रूरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३४–३५
विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २१२६–२८
श्रेणीवार यात्रा २४५८
सिन्द्री का यूरिया संयंत्र १७७५
स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास २६३२–३४
हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैकटरी लिमिटेड, दिल्ली १५६८–६९

रामचन्द्रपुरम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१२–१४

रामनारायण सिंह, बाबू—

के द्वारा प्रश्न—

पशुओं का परिवहन २६२१–२२
योग आश्रम, नई दिल्ली १४६३–६४
योग चिकित्सा २०६१
योगासन तथा व्यायाम १४७०–७१
योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद १४७२–७४
राजेन्द्र नगर के क्वार्टर २१५९
विस्थापित व्यक्तियों के दावे २१६०
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २१६१

रामपुर—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी के कारखानों का स्थानान्तरण २४४२–४३
—लालकुआ रेल सम्पर्क २४६८–६९

रामस्वामी, श्री एस० वी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

छोटे पैमाने के उद्योग १७३८–३९
नमक १७३३

के द्वारा प्रश्न—

एल्युमीनियम संयंत्र १७४७–४९
मशीनी औजार बनाने के कारखाने १९९०

रामस्वामी, श्री पी०—

के द्वारा प्रश्न—

दक्षिण भारत में मुद्रणालय १५५२
निर्यात व्यापार २१५९–६०
भिलाई इस्पात कारखाना २५४०
वायदे के सौदे १५४८
स्वतंत्र टेलीफोन प्रणाली १६२३
हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

राय, श्री विश्व नाथ—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आयुर्वेदिक कालिज २२२२
चाय उद्योग २१४१

के द्वारा प्रश्न—

आसाम में तेल के कुएं २०७६–७७
खनिज तेल २१००–०१
चाय का निर्यात २१३२–३३
टायर बनाने वाले कारखाने १५२०–२२
ट्रैक्टर २६९१–९२
तराई क्षेत्र में चीनी का कारखाना २१९२–९४

राय, श्री शिव नाथ–(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

तेल के कुएं १९१५
देहाती औद्योगिक उपक्रम २७२१-२२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७५६-५७
पक्षियों का निर्यात १९८७
पैट्रोलियम रियायत नियम २२६१-६२
वन २१९०-९१
विनियोजन प्रत्याभूति समझौता २६३१-३२

रायपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना २६२०

राव, डा० रामा—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न–

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन १७५८
उच्चतर टेक्नोलोजिकल (प्रोयोगिक) संस्थायें १८९०
केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८८-८९
कोसई योजना १५१५
तुर्क देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध २६७१
न्यूनतम मजूरी १७९९–१८००
पर्यटन केन्द्र २०२४
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४९
भोजन आदि की व्यवस्था १८२६
मि० हरबिल बेलर १८३७
वस्त्र जांच समिति १५०४—
साइकलें २६९१

राव, डा० रामा—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न–(जारी)

हाथकरघा उद्योग २६८६
हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७५१-५२

के द्वारा प्रश्न—

आंध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१२–१४
१९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प २६९६–९८
कोयला बोर्ड २७२२–२४
तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर १९४३–४४
तेल गवेषणा स्टेशन १५९२–९४
नन्दीकोंडा बोर्ड १५२९–३०
नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११–१२
बर्मा का चावल १८४६
ब्रिटिश इस्पात विमान मिशन प्रतिवेदन २७३५–३६
भारत में विदेशी राजदूतावास २३०५–०६
मंगनीज अयस्क १८९०–९१
राष्ट्रीय बचत पत्र २००८–१०
रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९
श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५७४-७५
समुद्र पार की छात्रवृत्तियां २६४१–४२
सीमेंट के कारखान १५७१–७२

राव, श्री गोपाल —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न–

तम्बाकू के बीज का तेल १७०२

राव श्री टी० वी० विट्ठल—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आंध्र के लिए उर्वरक कारखाना १५३१
उवरक २३९१

राव श्री टी० बी० विटटल—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

१९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प २६९६–९७

कार्मिक संघ २६३७

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मल्य २४०८

कोयला बोर्ड २७२३

छात्रवृत्तियों का नवीकरण २२७८

बारासेत बटसिरहाट लाइट रेलवे १६१९

बेकारों के लिये बीमा २२१३

बेघर लोगों के लिये निवास स्थान २७०५–०६

भारतीय विमान बल को दुर्घटनायें १४४८

रूस से सहायता २४७७–७८

रेल दुर्घटना १६११

विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२३

के द्वारा प्रश्न—

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी २०४२

कोयले की खानें १५०८

खान अधिनियम, १९५२, २४२८–३९

खानों का निरीक्षण २४०४–०५

खानों का वार्षिक प्रतिवेदन २६१०

खानों में दुर्घटनायें १६५१–५२

छुट्टी के नियम २६४९–५०

डाक तथा तार नियम पुस्तिकायें (मेनुअल्ज) १८६२–६३

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा २४४५

न्यूटन चिकोली कोयला खान दुर्घटना २०४०

बर्मा-ऋण २५९५–९६

भावनगर में तेल शोधन कारखाना २६९८–९९

राव श्री बी० बी० विटटल—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

भूतपूर्व रियासत डाक कर्मचारी २५७३–७४

महंगाई भत्ता १८६४–६५

रेल दुर्घटनायें २१९९–२२००

रेलवे अभिसमय समिति २२२५–२६

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९

रेलवे में रियायती टिकट २२३६

संश्लिष्ट (कृत्रिम) तेल संयंत्र २३७८

स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०३–१६०५

हैदराबाद की सोने की खानें १८३९, १८६३–६४

राशनिंग तथा असैनिक संभरण विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी १९२२

राष्ट्रपति निलयम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रपति निलयम २७३०

राष्ट्रमंडलीय सेनाध्यक्ष सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रमंडल के सेनाध्यक्षों का सम्मेलन २०९८

राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय कृषि वित्त विकास निगम २१८८–८९

राष्ट्रीय कलैन्डर सुधार समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय कैलेन्डर २३००-०२

राष्ट्रीय चावल आयोग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय चावल आयोग १६२२

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
छात्र-सेना निकाय २३११-१२
छात्र सैनिक निकाय १६२२-२३
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय १४६५-६७

राष्ट्रीय देशनांक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय देशनांक १६०८

राष्ट्रीय ध्वज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत का-- १५११-१२

राष्ट्रीय नाट्यशाला--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय नाट्यशाला २६६६

राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--, कलकत्ता २४३५

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ १७२०

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न-
राष्ट्रीय बचत पत्र २००८--१०
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र १९२१

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सूर्य की किरणों की शक्ति २५१६

राष्ट्रीय मान चित्रावलि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०९१-९२

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २६७६-७७

राष्ट्रीय राजपथ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कलकत्ता-दिल्ली-- २२०१
राष्ट्रीय राजपथ २२३७, २४६०-६१
-- तथा सड़कों का विकास १५५७
--, मध्य प्रदेश १६३८-३९

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तम्बाकू के बीज का तेल १७००-०२

राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला २१०८-०९

राष्ट्रीय विकास परिषद्--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय विकास परिषद् १७६६

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

बिहार में सड़कें २१६३--६४

सामुदायिक परियोजना और --- १५५१--५२, २१६१

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार खंड १५५९, २७४१--४२

स्वास्थ्य केन्द्र २२४३--४४

हैदराबाद में--- २१३६--३९

राष्ट्रीय संग्रहालय---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२--९४

राष्ट्रीयकरण---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

कोयले का उत्पादन १५०२--०३

रासायनिक (कों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

भारी---के लिये विकास परिषदें १९७४

रासायनिक उर्वरक---

देखिये "कृषिसार"

रिजर्व बैंक आफ इंडिया---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

ग्रामीण ऋण २४३०--३१

बैंकों का निरीक्षण २११९

---द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान २२८१--८२

रिशांग किशिंग, श्री---

के द्वारा प्रश्न---

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी (एल०एम०पी०) कर्मचारियों को प्रशिक्षण १५९६--९८

असिस्टेंट २६७४

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण २१६९, २१७७--७८

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण २३३८--६९

छात्रवृत्तियां १७१८--१९

निवास स्थान २७३१

बर्मा के मार्ग से तस्कर व्यापार १४९८

बिना लाइसेंस के शस्त्र २५१८

मनीपुर का लोक-निर्माण विभाग १५६२

मनीपुर के डगर २५१३--१४

मनीपुर पुलिस २६७२

मनीपुर प्रशासन द्वारा भूमि का क्रय २५२२--२३

मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षक १६५८

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग १८९५--९७

मनीपुर राज्य पुलिस विभाग २५१७

स्वविवेक-निधि २५२३--२४

रूई---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रूई १९८३

रूरकेला---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

---का इस्पात कारखाना १५४५

रूरकेला--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

---में सहायक उद्योग २७२०-२१

रूरकेला इस्पात संयंत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रूरकेला इस्पात संयंत्र २३६९

रूरकेला उपनगर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रूरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३४-३५

रूरौला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

---के कारखाने २४३९

रूस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आम और लीची २६८७-८९

इंजीनियरों का प्रतिनिधिमंडल १५०५-०७

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९-९१

चलचित्र २४८१-८३

भिलाई इस्पात कारखाना २५४०

---में भारतीय १५६३

---में भारतीय साहित्य का विक्रय २३४२-४४

--- में सहायता २४७६--७८

रूसी राजदूतावास--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दिल्ली में--२५४७

रे, श्री बी० के०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस० पदाधिकारी) १८७७, १८७८

रेड आयरन ओक्साइड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

---(रक्त अयो-जोरेय) २२८५-८७

रेडियो, अखिल भारतीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अस्पृश्यता २३३०-३१

अस्पृश्यता सम्बन्धी वार्तायें १५६७

आकशावाणी का शिमला केन्द्र २३५५-५६

बंगलौर में प्रसारण केन्द्र (ब्राड कास्टिंग स्टेशन) १५५२-५३

संस्कृत में पाठ २६८६-८७

समाचार एजेंसियां १५५३

सैनिक वाद्य (बैंड़) १४८३-८४

हिन्दी उपभाषाओं में ब्राडकास्ट २७४६-४७

रेडियो कलाकार (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आकाशवाणी का शिमला केन्द्र २३५५-५६

रेडियो टेलीफोन सेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेडियो टेलीफोन सेवा २०३९

रेडियो सेट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेड़ियो के लाइसेंस २६०७

रेड़ियो सेट १५४४-४५, १५६३

रेडियो सेट, सामुदायिक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सामुदायिक रेडियो सेट २१५३–५५

रेडियो स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विन्ध्य प्रदेश में-- २१५२

रेड्डी श्री ईश्वर--

के द्वारा प्रश्न--

उर्वरक २३९१-९२
सामग्री क्रय २५२९

रेड्डी श्री जनार्दन--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

खादी की वर्दियां २१८१

के द्वारा प्रश्न--

आलू की खेती २०६६–६७, २६१०–११
कृषि विकास २५७७–७८
चाय की फसल २१७३
मशीन द्वारा छपाई २७५२
यात्रियों को सुविधायें २५९७–९८
राष्ट्रमंडल के सेनाध्यक्षों का सम्मेलन २०९८
रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) २४६९–७०
हैदराबाद में पुस्तकालय २१०७–०८
हदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३६–३९

रेड्डी श्री रामचन्द्र--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अभ्रक के कारखानों में नौकरी २२१७
गन्ना उपकर १९९७
तम्बाकू उद्योग २७१४
नमक १७३१, १७३२
भारत-फ्रांसीसी करार २६९५

रेड्डी, श्री रामचन्द्र—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

वनस्पति कारखानें २२११
वैद्य १७९५

के द्वारा प्रश्न----

आन्ध्र राज्य पदाधिकारियों की विदेशी में प्रतिनियुक्ति १८१६
कार्मिक संघ २६३५–३७
चीनी सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल १६०९
नागार्जुन कोंडा में खुदाई २२९२–९३, २३१७
निर्यात मंत्रणा परिषद् १९६१–६३

रेड्डी, श्री बिश्वनाथ—

के द्वारा प्रश्न—

खनिजों पर भाड़े की दरें २३९९–२४००
सम्पदा शुल्क २५१९

रेल का किराया—

देखिये "भाड़ा"

रेलगाड़ी (ड़ियां)—

के सन्बन्ध में प्रश्न—

अपराध १६४३–४४
कलकत्ता उपनगरीय—सर्विस २०१८–१९
गाड़ियों का आना जाना बन्द होना २६०२
गाड़ियों का पटरी से उतरना १६६३
गाड़ियों के आने जाने का समय १८०५–०७
मुसाफिर गाड़ियों क डिब्बे १८२८–२९
यात्री सुविधायें २२४६
रेल का किराया २४२६–२७
रेल सेवा १८४९–५०

रेलगाड़ी (ड़ियां)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

—का ठीक समय पर आना जाना १६५२–५३, १८५२,

—का नियतन २२५२–५४

—का पटरी से उतर जाना २४२५–२६

—का पटरी से उतरना १६४१–४२

—में सोने का स्थान २२३०

—व्यवस्था २४७२

—सेवा २५६३

शटल ट्रेन २०६३–२४

सफर की हालत १८१४–१५

सोने का स्थान १६१४–१६

स्पेशल— १६३२

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४००–०२

रेलवे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—को हुई हानि १५७५–७७

—द्वारा लगाई हुई पूंजी २२४६

संवरण पद १८६५–६६

रेलवे अभिसमय समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलव अभिसमय समिति २२२५–२६

रेलवे आय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना टिकट यात्रा २४५४

रेलवे की आय २५५७

सीमान्त कर २५६७–६८

सूर्य ग्रहण के दिन रेलवे यातायात १८५७

रेलवे इंजन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजन १८४७

इंजन तथा डिब्बे २५६८

इंजनों का फेल होना १८५७

परिवहन की कठिनाइयां १७६२–६३

भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१७–१८

रेल के डिब्बे और इंजन २२४५

—(लोकोमोटिव) २४६६–७०

—डिब्बे आदि १६५६

रेलवे दुर्घटना २२३६–३७

स्पार्क अरेस्टर्स (चिंगारी रोकने की जाली) २३६६–६७

रेलवे, उत्तर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

परिचारक (अटैंडैंट) और कंडक्टर २२३६

परौर रेलवे स्टेशन २६०४

मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे १८२८–२६

यात्रियों को सुविधायें २६०४–०५

रेलगाड़ी का ठीक समय पर आना जाना १८५२

रेलवे कर्मचारी २६१५-१६

रेलवे की आय २५५७

रेलों में अपराध १८४४–४५

रेलवे, उत्तर : पूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अलुवावारी रोड रेलवे स्टेशन २६१०

घाट सेवा २५६६–७०

दर्घटनायें २२४०-४३

प्लेटफार्मों का बनाया जाना १८६८

मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २०४८–४६

रेलवे, उत्तरपूर्व--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे में भर्ती २६१६
रेलवे सम्बन्धी दावे २४६४
सफर की हालत १८१४-१५

रेलवे उपहार गृह--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उपहार गृह १६५५
रेलों में भोजन आदि की व्यवस्था १८४९

रेलवे कर्मचारी--

देखिये "कर्मचारी"

रेलवे कर्मचारी संस्था (ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे कर्मचारी संस्थायें २४३२-३३

रेलवे कलकत्ता उपनगरीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बिजली से चलने वाली रेलवे के डिब्बे १६२१-२२

रेलवे का पुनर्वर्गीकरण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलों का पुनर्वर्गीकरण २५६४, २५६६

रेलवे कारखाना (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भर्ती १६५४
माल के डिब्बे १७९६-९८
रेलवे का कारखाना २२२८-२९

रेलवे कार्यालय (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे दफ्तरों का हटाया जाना २६०९

रेलवे कुली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे कुली १८५९-६०

रेलवे के क्वार्टर--

देखिये "मकान"

रेलवे के फार्म--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

फार्मों की सप्लाई २७४२

रेलवे, केन्द्रीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिक भीड़ १६००-०२
भोजन व्यवस्था २२५७-५८

रेलवे क्वार्टर--

देखिये "मकान" (नों)"

रेलवे-गोदाम (मों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--में चोरी २२४८

रेलवे, जनरल मैनेजर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे सम्मेलन २५७१-७२

रेलवे टिकट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

जाली टिकट १६३७-३८, २०५१
बिना टिकट यात्रा २०१९-२०, २४५४
रेलवे में रियायती टिकट २२३६

रेलवे ठेके—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पार्सल उठाने वाले ठेकेदार १८५१

माल उठाने का ठेका १८५०–५१

रेलवे के ठेके २६०६

रेलवे ठेकेदार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--द्वारा रखे गये श्रमिक २५८६–८७

रेलवे डाक सेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मकान बनाने के लिये ऋण २३९८–९९

रेलवे डिब्बे--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंजिन तथा डिब्बे २५९८

इंजिन डिब्बे आदि १६५९

डिब्बे जोड़ने का सयंत्र १८६४

तीसरे दर्जे के— १५८२–८३

परिवहन की कठिनाइयां १७९२–९३

बिजली से चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६

बिजली से चलने वाले रेलवे के डिब्बे १६२१–२२

भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१७–१८

रूरौला के कारखाने २४३९

रेल के डिब्बे २५७८–७९

रेल के डिब्बे और इंजन २२४५

रेल डिब्बे १६४४–४५

रेलवे के यात्री डिब्बे २६१७–१८

रलों में सोने का स्थान २५८८

रेलवे डिब्बे--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे २६१२–१३

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २६६०–६२

रेलवे, दक्षिणी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का आना जाना बन्द होना २६०२

चिलुवुर रेलवे स्टेशन २४५९

भोजन व्यवस्था २२५७–५८

यात्रियों की सुविधायें १८६५

रेलगाड़ी सेवा २५६३

रेल दुर्घटना १६०९–११

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी १६५३–५४

विभागीय स्तर पर भोजन व्यवस्था २२४८

रेलवे दक्षिण-पूर्वी खंड--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइनें २४३८

रेलवे दावों--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे के विरुद्ध नावे २६०३

रेलवे सम्बन्धी दावे २४६४

रेलवे दुर्घटना (नायें)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का पटरी से उतरना १६६३

दुर्घटनायें १८५५, २२४०--४३

रेल दुर्घटना १६०९–११, १६१६–१७, १६३२–३३, १६३४–३५, २१९९–२२००

रेलवे दुर्घटना (नायों)-- (जारी)

के संबन्ध में प्रश्न-- (जारी)

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना २४२५-२६
रेलवे दुर्घटना १६५६-५७, १८३९-४०, ३२३६-३७, २३८६-८७

रेलवे दुर्घटना जांच समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल दुर्घटना १६०९-११

रेलवे द्वारा रियायत (तें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे द्वारा रियायतें २५९२

रेलवे न्यायालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे न्यायालय १८३६-३७

रेलवे पटरियों--

रेल की पटरियों का आयात १९७२-७३

रेलवे पथप्रदर्शक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यात्रियों की सुविधायें १८६५

रेलवे, पश्चिमी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

परिवहन की कठिनाइयां १७९२-९३
रेलव के ठेके २६०६
रेलों में भोजन के डिब्बे २०३०-३१

रेलवे पार्सलघर, शालीमार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

माल उठाने का ठेका १८५०-५१

रेलवे पुल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

टूंडला रेलवे स्टेशन २०६४
यात्रियों को सुविधाय १६६५-६६
रेल के पुल १५९१-९२
रेलवे पुल २२१७-१९
रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल १६६७-६८

रेलवे पुलिस कर्मचारी--

देखिये "कर्मचारी (रियों)"--

रेलवे पूछताछ कार्यालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पूछताछ कार्यालय २५७०-७१

रेलवे, पूर्वी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

माल का यातायात २५७३
रेलों का पुनर्वर्गीकरण २५६४

रेलवे प्रतीक्षा शेड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विघवाड़ा स्टेशन २०५०-५१

रेलवे प्रतीक्षालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अलुआबारी रोड़ रेलवे स्टेशन २६१०
यात्री सुविधायें २०५७-५८

रेलवे प्रबन्ध बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बारासेट-बसिरहाट लाइट रेलवे १६१७-१६

रेलवे प्रसाशन, पूर्वोत्तर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे को हानि १५७५-७७

रेलवे प्रामाणिक आहार-सूचि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्रामाणिक आहार-सूची १०४३-४४

रेलवे प्लेट फार्म (मों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्लेटफार्मों का बनाया जाना १८६१

यात्रियों को सुविधायें १६६५-६६

यात्री सुविधायें २०५७-५८

रेलवे बस्तियारपुर बिहार (लाइट)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बिहार बस्तियारपुर लाइट रेलवे २८५३-५४

रेलवे बस्तियों--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--के निकट शराब की दुकानें २१६६-५७

रेलवे बाह्य अभिकरण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे आऊट एजेंसी २४२१-२२

रेलवे बुकिंग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१

रेलवे बुकिंग १८१६-१७

रेलवे बुकिंग सुविधा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेपाल को--सम्बन्धी सुविधायें १५६४-६५

रेलवे बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे अभिसमय समिति २२२५-२६

संवरण पद १८६६-६७

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी १८००-०३

रेलवे भूतपूर्व निजाम राज्य--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मंहगाई भत्ता १८६४-६५

रेलवे भोजन डिब्बा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलों में भोजन के डिब्बे २०३०-३१

रेलवे भोजन व्यवस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भोजन आदि की व्यवस्था १८२४-२८

भोजन व्यवस्था १५७७-७६, २५५७-५८

भोजन व्यवस्था के ठेके २५६२-६३

रेलों में भोजन व्यवस्था २५६६-२६००

विभागीय स्तर पर भोजन व्यवस्था २२४८

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९
रेलवे सम्मेलन २५७१–७२

रेलवे, मध्य--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यात्रियों को सुविधायें १६६५–६६

रेलवे माल गाड़ी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना २६२०

रेलवे माल डिब्बा (बों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अयस्क का निर्यात १९५४–५५
माल के डिब्बे १७९६–९८, २५८२–८३
मालगाड़ी के डिब्बे २५९०
माल गाड़ी के डिब्बों की कमी २०४८–४९
माल डिब्बों का आवण्टन १६६०

रेलवे में चोरी (रियां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वर्ड) २०४७–४८

रेलवे में भर्ती--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भर्ती २०४५

रेलवे यातायात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे बुकिंग १८१६–१७
सूर्य ग्रहण के दिन--- १८५७

रेलवे यात्रा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बिना टिकट यात्रा १८१८–२१, २०१९–२०, २२५४–५५
बिना टिकट यात्री २२५०

रेलवे यात्री (त्रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिक भीड़ १६००–०२
बिना टिकट यात्री २२५०
यात्रियों के लिए सुविधायें २०१५–१६
यात्रियों को सुविधायें १६६५–६६, २४७०–७१

रेलवे यात्री सुविधा (यें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चिकना रेलवे हाल्ट स्टेशन १८०७–०८
मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे १८२८–२९
यात्रियों की सुविधायें १८६५
यात्रियों को सुविधायें २५९७–९८, २६०४–०५

रेलवे लाइट कर्मचारी संघ, हावड़ा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औद्योगिक विवाद २४२०–२१

रेलवे लाइन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आसाम रेल सम्पर्क १८२३–२४
उखाड़ी गयी---१८३२–३३
उखाड़ी गई---का पुनः स्थापन २०६४
एरणाकुलम-कोट्टयम् सैक्शन का चालू होना २०१०–११
कुरूड़ लिक्मा रेल सम्पर्क २४४०
घाट सेवा २०४४–४५

रेलवे लाइन (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न (जारी)

पटरियों का सर्वेक्षण १८६६-६७
पर्यटन १५७९-८१
प्लेटफार्मों का बनाया जाना १८६८
बारासेट-हसनाबाद रेल सम्पर्क २०४२-४३
यात्रियों के लिये सुविधाएं २०१५-१६
रामपुर लालकुवा रेल सम्पर्क २४६८-६९
रेल गाड़ियों का नियतन २२५२-५४
रेलवे लाइन १६२८, १६५२, १६५४-५५, १८३७, २०२५, २४५६-५७, २२२४-२५, २४३८, २५८९-९०
— के ऊपर से जाने के पुल १६६७-६८
विभागीय स्तर पर भोजन व्यवस्था २२४८
वृक्षारोपण १६३७
सतना और गोविन्दगढ़ के बीच— २४४१-४२

रेलवे सम्मेलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे सम्मेलन २५७१-७२

रेलवे सर्वेक्षण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पटरियों का सर्वेक्षण १८६६-६७

रेलवे साइडिंग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

फरीदाबाद— २१७९-८०

रेलवे सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी--

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

रेलवे सुविधा (यें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कोसी परियोजना २५९१
यात्रियों के लिए सुविधाएं २०१५-१६
यात्रियों को सुविधायें १६६५-६६, २४७०-७१
यात्री सुविधायें २०५७-५८, २२४६
रेलगाड़ियों में सोने का स्थान २२३०
रेल में रियायती टिकट २२३६
रेलों में सोने का स्थान २५८८

रेलवे सेवा आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—द्वारा भर्ती २२४७

रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भर्ती १८५२-५३

रेलवे स्टेशन (नों) --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गाड़ियों के आने जाने का समय १८०५-०७
चन्द्रकोण रोड स्टेशन २४५८
चिकना रेलवे हाल्ट स्टेशन १८०७-०८
चिलुवुर— २४५९
दिघवाडा स्टेशन २०५०-५१
पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन) १८५४
पान १६२५-२६
महेन्द्र घाट स्टेशन १६३०-३१
माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१
यात्रियों को सुविधा २४७०-७१
—पर भिखारियों का उत्पात २२०७-२२०८
रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके २२३५, २५९७

रेलवे स्टेशन (नों)--जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रेलों में भोजन आदि की व्यवस्था १८४९
रेलों में भोजन व्यवस्था २५९९–२६००
विजयवाड़ा—२५७९–८०
विभाग की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था २२२२–२४
सहरसा— १६५५–५६
स्टेशनों का नये ढंग से बनाया जाना २५९८

रेलवे स्टेशन, दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधाएं १५९४–९६

रेलवे स्टेशन, हावड़ा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पार्सल उठाने वाले ठेकेदार १८५१

रेशम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राज्य व्यापार १७८६

रेशम उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेशम उद्योग २५३८
शक्तिचालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९५९—६१

रेशम, नकली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयात नीति २३७४

रेशम बोर्ड, केन्द्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड २३४१–४२

रोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नासूर २०४९
पण्यद्रव्य समस्याओं सम्बन्धी खाद्य और कृषि संगठन समिति १८४१
बाल पक्षाघात २५६६–६७
बाल पक्षाघात-- (पोलियो) २४५५

रोग, टांक्सीमिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रसूति मरण २४४१

रोगी (गियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पतालों का सुधार २५९६
कोढ़ नियन्त्रण २६०३

रोजगार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २७१५–१६
रोजगार २७३८

रोपड़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

--में खुदाई २५१६

ल

लंका—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दृष्टांक (विजा) २३६५–६६

लंडूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छावनी पुनर्संगठन २२६२—६४

लक्ष्मय्या, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

भ्रष्टाचार १७०४-०६

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लखनऊ--

चिकन की कसीदाकारी १५६१

मकान बनाने के लिये ऋण २३६८-६६

ललितपुर रेलवे स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यात्रियों को सुविधायें २४७०-७१

लाटूर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना २४२५-२६

लाभ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विक्रय केन्द्र तथा प्रदर्शनालय १७७६-८०

लाभांश (शों)--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

कलकत्ता नेशनल बैंक लि० २४८३-८६

चाय उद्योग १६१६

चाय कर्मचारियों का बोनस १६७७

लारेंस स्कूल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--, मनावर १४५६-६१

लाल किला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लाल किला १७१७

लाल कूवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रामपुर -- रेल सम्पर्क २४६८-६६

लाहौर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) १७२८-३०

लाहौरी गेट, दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लाहौरी गेट का ऊपरी पुल १५७३-७५

लाहौल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनसूचित आदिम जातियां २१११-१२

लिंगम, श्री एन० एम०--

के द्वारा अनुपूरक पश्न--

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना २१२५-२६

सड़क बनाने की मशीनें २१३०

के द्वारा प्रश्न--

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की परीक्षायें १७१५

आयुध कारखानें १६१३-१५

उच्चत्तर टेक्नोलोजिकल (प्रोद्योगिक) संस्थायें १८८६-६०

चाय बागान का भारतीयकरण १७७१

बहुप्रयोजनीय स्कूल २१२२-२३

भारत में विदेशी राज दूतावास २३०५-०६

लिंगम, श्री एन० एम०--
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १९०९--१०
राष्ट्रपति निलयम २७३०
वृत्ति व्यापार आदि पर कर २१०४--०५
संयंत्र तथा मशीनरी समिति १९७५--७६
सैन्य सामग्री कारखाने २०८७--८९

लिक्मा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कुरूढ़----रेल सम्पर्क २४४०

लिप्टन लिमिटेड, मेसर्ज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ऋण सुविधायें १९६३--६४

लीची--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आम और---- २६८७----८६

लेखन सामग्री--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
लेखन सामग्री १९६६--६७

लेखा (खे)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
---मे लेखापरीक्षण का पृथक्करण १९०२--०४

लेखा परीक्षा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य २२६४---६६
लेखा के लेखापरीक्षण का पृथक्करण १९०२----०४

लोक निर्माण विभाग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मनीपुर का ---- १५६२

लोक लेखा समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा के) ठेकेदार २२६६---६९

लोक सेवा आयोग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औद्योगिक ---- १८९७

लोक-स्वास्थ्य विधेयक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
लोक-स्वास्थ्य विधेयक १५८५--८६

लोदी कालोनी (नई दिल्ली)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आवास स्थान १७७२--७३
निवास अधिवास २१७०--७१
रहने का स्थान २२७७--७८
सरकारी आवास २५४५--४६

लोहा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कच्चा--- और मैंगनीज २७३९--४०
कच्चा--के निक्षेप १५४३--४४
कच्चे--का निर्यात २२१४
खनिजों पर भाड़े की दरें १३९९--२४००
--के मूल्य २६५०---५२

लोहा तथा इस्पात--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इस्पात आयात १७६५--६६
इस्पात उत्पाद १७७२

लोहा तथा इस्पात—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
इस्पात का सामान बनाने वाले कारखाने १७३३–३५
इस्पात के मूल्य २३७१
कच्चे लोहे के निक्षेप १५४३–४४
लोहा २०५४
लोहा और इस्पात २३६४–६५
लोहे और इस्पात के कारखाने १७२६–२८

लोहा तथा इस्पात संयंत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोहा और इस्पात संयंत्रों के लिये शिल्पियों का प्रशिक्षण २५३८–३९

लोहा निक्षेप—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनिज सर्वेक्षण १४८९

लोहे की खानें—
देखिये "खान(नें)"

लोहे की छड़ी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोहे की वस्तुओं का निर्माण २१७१

व

वन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वन २१८९—९१

वन महोत्सव आन्दोलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वन २१८९ –९१

वन विकास योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वन २१९०–९१

वन विधि (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (त्रिपुरा) २०५८–५९

वनस्पति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— कारखाने २२१०—१२

वनस्पति कारखाने—
देखिये "कारखाना"

वर्ग पहेली (लियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वर्ग पहेलियां १४७१–७२

वर्दी (दियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खादी की—२१८१–८२
रेलवे कर्मचारियों को—१६५३–५४

वर्मा, श्री रामजी—
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे कर्मचारी २०४६

वर्षा माप केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वर्षा माप केन्द्र १५३७–३८

वल्लाथरास, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
डकैतियां २५१४–१५
माल बुक किये जाने पर प्रतिबन्ध २२३१

वस्त्र जांच समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वस्त्र जांच समिति १५०३-०४

वाघमारे, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

मजूरी भुगतान ऐक्ट, १९३६, २४३८

बाघा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चोरी-छिपे माल ले जाना २६७५

वाणिज्यिक प्रकाशन तथा पत्रिकायें--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वाणिज्यिक प्रकाशन तथा पत्रिकायें २७५५

वायदे के सौदे--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वायदे के सौदे १५४८

वायु दुर्घटना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एयर लाइन्स डकोटा की दुर्घटना १६०२-०३

"काश्मीर प्रिंसेज" की टक्कर २७३४

नेपाल में विमान दुर्घटना १६३८

भारत वायु सेना के डकोटा की दुर्घटना २११३

भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४६—१४४९

विमान दुर्घटनायें १९१८, १९९१—९४

वायु सेना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत वायु सेवा के डकोटा की दुर्घटना २११३

विमान बल के भरती के केन्द्र १६८९—९२

वायुयान (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन १६६२

एयर इंडिया इन्टरनेशनल निगम २४३३-३४

कलकत्ता आसाम एयर लाइन १६२७-२८

चालक तथा ग्राउंड इंजीनियर २४६५—६७

नेपाल में विमान दुर्घटना १६३८

विमानों की खरीद २२५०—५२

श्रीनगर में एक डकोटा का रोका जाना २०६०-६१

श्रेणीवार यात्रा २४५८

सोने का चोरी छिपे ले जाना १६९५-९६

"स्काई मास्टर" विमान २४११—१४

हैलीकोप्टर १८२१—२३, २२०८-०९

वायुयान, डकोटा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एयर लाइन्स डकोटा की दुर्घटना १६०२-०३

वारंगल (हैदराबाद)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना २४९७—९९

वारसा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह--१४९१

बालिवादे ——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

—— में विस्थापित व्यक्तियों के मकान १९८६

वाशिंगटन——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

भारतीय राजदूतावास,—१५३२–३४

विकलांगता (डिसऐबिलिटी) पेंशन (नों)–

देखिये "निवृत्ति वेतन"

विकास कार्य——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

पांडिचेरी में——२७०९–१०

विकास परिषदे——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

भारी रासायनिकों के लिये—१९७४

विकास योजना——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

पंजाब—२२९७—९९

विज्ञापन——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

विज्ञापन २५५२, २७५७–५८

संघ लोक सेवा आयोग १४९४

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन २५७९–८०

वित्तीय सहायता——

देखिये "सहायता"

विदेश (शों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अणु शक्ति १९७१–७२

आम और लीची २६८७—८९

विदेश (शों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

इस्पात आयात १७६५–६६

चीनी का आयात २६०५–०६

पत्रकारों के शिष्टमंडल १७८१–८२

पशु अत्याचार-निरोध जांच समिति २०४१

प्रधान मंत्री का——में भ्रमण २३७९–८०

पोत निर्माण १९८१

भारत का राज्य २०८९—९१

भारतीय चलचित्र (फिल्में) २३६६

मोटर गाड़ियां १५१२–१४

रेडियो टेलीफोन सेवा २०३९

लेखन सामग्री १५६६–६७

विदेशी विशेषज्ञ १४९५–९६

विदेशी सहायता २०७४–७६

विदेशों को भेजे गये शिष्टमंडल १४९६

—— में प्रचार १५५८

—— में भारतीय १५६५, १७८३

—— में भारतीय विद्यार्थी १७१९

—— में शिष्टमंडल १७८१

वैदेशिक तारों का आना जाना २४६७–६८

व्यापार करारों में नौवहन खण्ड २०३९–४०

व्यापार प्रतिनिधि मंडल १५६०

संस्कृत की पाण्डुलिपियां १४९४

समुद्र पार की छात्रवृत्तियां २६४१–४२

सामग्री क्रय २५२९

विदेशी (शियों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अतिरेक खाद्य वस्तुयें १७६४

चमड़े का सामान २६२३—२६

चाय बागान का भारतीयकरण १७७१

चोरी छिपे लाया गया सोना २१२३

छात्रवृत्तियां १७१८–१९

विदेशी (शियों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र २२५७—५९
पाकिस्तान रक्षा सेवा पदाधिकारी २११३–१४
बौद्धों की तीर्थ यात्रा २०४९–५०
भारत में—२११६
भारत में—राजदूतावास २३०५–०६
मैंगनीज अयस्क १८९०–९१
लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन का वाणिज्य विभाग २३८१–८२
विदेशी २२९३–९४
— विशेषज्ञ १४९५–९६
हिमालय पर पर्वतारोहण ८५५०–५१

विदेशी इंजीनियर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी इंजीनियर २७४९–५०
समुद्र पार छात्रवृत्तियां २६४१–४२

विदेशी छात्रवृत्ति (यों)—

देखिये "छात्रवृत्तियां (यों)"

विदेशी पत्र मुद्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

—और सिक्के १६८८–८९

विदेशी पूंजी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कागज उद्योग १९८०–८१
तम्बाकू उद्योग २७१३—१५

विदेशी पोत स्वामी—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिजों पर भाड़े की दरें २३९९–२४००

विदेशी प्राविधिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१७–१८

विदेशी बस्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पांडिचेरी पुरातत्वीय स्थान २११५–१६

विदेशी राजदूतावास—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी राजदूतावास २७४४–४५

विदेशी विशेषज्ञ (ज्ञों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भूतत्वशास्त्र में प्रशिक्षण १९२५
मूलरूप के मशीनी औज़ार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५५—५८
लोहे और इस्पात के कारखाने १७२६--२८
विदेशी विशेषज्ञ १४७४–७५

विदेशी व्यापार—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी व्यापार १७६३–६४

विदेशी समवाय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तम्बाकू उद्योग २७१३—१५
मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड १५३९--४१

विदेशी सार्थ (थों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संश्लिष्ट (कृत्रिम) तेल संयंत्र २३७८

विदेशी सिक्का —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी पत्रमुद्रा और सिक्के १६८८–८९

—का टंकन १७१६

विदेशी सेवा निरीक्षालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(इन्सपैक्टोरेट) १५५५–५६

विद्यार्थी (थियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण २३६८–६९

केन्द्रीय शिक्षा संस्था २६७७–७८

चुनाव आन्दोलन १८८४—८६

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा २४४५

दृष्टांक (विज़ा) २३६५–६६

पर्यटन २४१५—१७

बिना टिकट यात्रा १८१८—२१

योग्यता छात्रवृत्तियां १४९३–९४

लारेंस स्कूल, सनावर १४५९—६१

वित्तीय सहायता २३०४–०५

विदेशों में भारतीय—१७१९

व्यवहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना २६७३–७४

समुद्र पार की छात्रवृत्तियां २६४१–४२

समुद्रपार छात्रवृत्तियां २६२९–३०

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा २२३९

विद्यार्थी, अफगान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अफगान—२५१८–१९

विद्यार्थी, विदेशी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के लिये ग्रीष्म कालीन शिविर १७०७—०९

विद्यालंकार, श्री ए० एन०—

के द्वारा प्रश्न—

कोसी परियोजना १७६९

दक्षिण ध्रुव कटिबन्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान १८८३–८४

पान १६२५–२६

विद्युत् परियोजनायें २१५८

विद्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अ-बुनियादी माध्यमिक विद्यालय २०८५–८६

असैनिक—के अध्यापक २११६–१७

त्रिपुरा में प्राविधिक स्कूल १५००

देहातों में शिक्षा २६४८–४९

पब्लिक स्कूल १९१५

बहुप्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्यक्रम २६४४–४६

बहुप्रयोजनीय स्कूल २१२२–२३

वीरेन्द्र नगर एम० ई० —त्रिपुरा २५१२–१३

योगासन तथा व्यायाम १४७०–७१

सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २१६१

विद्युत्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छोटा नागपुर की कोयला खानों को— २१३३

बिजली १९८०

विद्युत्—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

बिजली से चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६

भाखड़ा नंगल परियोजना २७४६

—संभरण २६८३—८५

विद्युत् परियोजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विद्युत् परियोजनायें २१५८

विद्युत् बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम्य विद्युतीकरण २१६९–७०

विद्युतीकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता उपनगरीय रेलगाड़ी सर्विस २०१८–१९

ग्राम्य—२१६९–७०

विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण १५१६–१७

विधेयक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय आदी अपराधी बिल २४७५–७६

वर्ग पहेलियां १४७१–७२

विनिमय सुविधा, मुद्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विनिमय सुविधाएं १४९१–९२

विनियोजन प्रत्याभूति समझौता—

देखिये "समझौता"

विन्ध्य प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डकैतियां २५१४–१५

तम्बाकू उत्पादन शुल्क २३१८

रेलवे आउट एजेन्सी २४२१–२२

—में रेडियो स्टेशन २१२५

विमान-क्षेत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमान क्षेत्र २५६१–६२

विमान यात्री—

देखिये "यात्रा (त्रियों)"

विल्लुपुरम् कारपाड़ी रेलवे लाइन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का आना जाना बन्द होना २६०२

विवाचन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फिल्म कथानक का—२१५७

विशेष पुलिस संस्थापन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कांडला भ्रष्टाचार काण्ड १४४९—५१

विशेषज्ञ (ज्ञों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में पेट्रोल की खोज २६३७—४१

कृषि सम्बन्धी गवेषणा का अध्ययन २३८९—९१

कृषि-विकास २५७७–७८

छोटे पैमाने के उद्योग १७३७—३९

नासूर २२३०

शेषज्ञ—(ज्ञों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

भूतत्वशास्त्र में प्रशिक्षण १९२५
मशीनी औजारों के कारखाने १४७८–८३
विदेशी — १४७४-७५, १४९५-९६

विशेषज्ञ समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६—८८
राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०९१–९२

विश्राम गृह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्राम गृह १८०८—१०

विश्व सैनिक संघ, भूतपूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प १७१४–१५

विश्वविद्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाट्य प्रशिक्षण कैम्प १९११–१२
पंजाब—२४८०–८१
प्रौद्योगिकीय—१४८८
योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद १४७२—७४
रक्षित बैंक द्वारा—को अनुदान २२८१–८२
वैज्ञानिक तथा टैक्निकल शिक्षा २११९

विशाखापटनम्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डिब्बे जोड़ने का संयंत्र १८६४

विस्थापित व्यक्ति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आश्रम और अपाहिजगृह १९३१–३२
कांडला भ्रष्टाचार कांड १४४९—५१
कुटीर उद्योग २५४१
दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४४—४७
निवास स्थान २७३१
निष्क्राम्य कृषि भूमि १७४१–४२
पुनर्वास ऋण २५७१
पूर्वी पाकिस्तान के—२३६५, २५३०
पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले—१७७७
पूर्वी पाकिस्तान से—२३८३–८४
पूर्वी बंगाल के—का पुनर्वास २३५३—५५
प्रतिकर १९८५
फिलस्तीन में—को सहायता १७८६—८८
बर्मा और मलाया से निष्क्रमणार्थी २१४२–४४
मंत्रणा बोर्ड २७१६–१७
राजस्थान में—१५५८–५९
वालिवादे में— के मकान १९८६
विस्थापित क्षय रोगी २२५८
—का पुनर्वास १५६९, १७६४–६५, १७७९, १९३८–३९, २१६३
—की बस्तियां १९८४
—की बस्तियों में उद्योग १९६७—७
—की बस्तियों में सुविधायें १९६६–६७
—के दावे २१६०
—के लिये मकान आदि २७५०–५१
—को ऋण २३३३

विस्थापित व्यक्ति (यों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

—को प्रतिकर १५६४–६५, २१६१, २७०४–०५

—को सहायता २१२६–२८

विस्थापित हरिजन २५५३

वीरस्वामी, श्री—

के द्वारा प्रश्न--

अल्वाये में उर्वरक कारखाना १७७४–७५

आवास स्थान १५७०–७१, १७७२–७३

निवास अधिवास २१७०–७१

ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५-३६

बौद्ध स्मारक १९१८–१९

मानवी विज्ञानों (ह्यमिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृतियां २०७२–७४

रहने का स्थान २३७७–७८

विज्ञापन २७५७–५८

हिन्दी का प्रचार २२०३–०५

वृक्ष—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वृक्षारोपण १६३७

वृत्तान्त तथा समाचार चलचित्र—

देखिये "चलचित्र (त्रों)"

वेतन—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्वलन) योजना २३१४–१५

कैन्टीन भंडार विभाग २६६५–६६

डाक कर्मचारी २४६३–६४

वेतन--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय, बम्बई, २२८३—८५

न्यूनतम मजूरी १७९८–१८००

परिचारक (अटेंडेंट) और कंडक्टर २२३९

पांडिचेरी २५३५–३६

भूतपूर्व रियासत डाक कर्मचारी २५७३–७४

मनीपुर पुलिस २६७२

रेलवे कर्मचारी २४६८

लारेंस स्कूल सनावर १४५९–६१

वैज्ञानिक अनुसंधान—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दक्षिण ध्रुव कटिबन्ध में— १८८३–८४

वैज्ञानिक अभियान—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिमालय पर पर्वतारोहण २५५०–५१

वैज्ञानिक तथा टैक्निकल शिक्षा—

देखिये "शिक्षा"

वैमानिक शाखा—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

—(एयर विंग) २५८९

वैद्य (द्यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वैद्य १७९४–९६

वैष्णव, श्री एच० जी०—

के द्वारा प्रश्न—

औरंगाबाद छावनी में भूमि खंड २४९३–९५
कुटीर उद्योग १९४८—५१
चाय की फसल २१७३
दियासलाई के कारखाने २१४९–५०
बिना टिकट यात्री २२५०
राष्ट्रपति निलयम २७३०
राष्ट्रीय राजपथ २४६०–६१
रेलवे स्टेशनों पर भिखारियों का उत्पात २२०७–०८
सीने का धागा २१३४–३५
हिन्दी में तार २०५९–६०
हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१६–१७
हैदराबाद राज्य में श्रम २४६१–६२

व्यय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां १६८५
अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय, दिल्ली २२६१
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन २७४८
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १४६९–७०
अन्दमान में संचार २०९३–९४
आश्रम और अपाहिजगृह १९३१–३२
आसाम में प्राचीन स्मारक १४९९
औषधों का क्रय २५७६–७७
उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५१—१४५३
कनाट प्लेस, नई दिल्ली १८५६
कर्मचारी राज्य बीमा निधि २०५१–५२
कुटीर उद्योग १९४८—५१

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १५९८—१६००, २००१—०३
केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई २४२५
केन्द्रीय शाक सब्जी उत्पादन केन्द्र, नागर २०५३–५४
कोसई योजना १५१४–१५
खनिज तेल २५०१–०२
खनिज तेल कूप १४६१–६२
खादी की वर्दियां २१८१–८२
गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २४१७–१८
गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना १६५२–५३
घाघरा नदी का पुल २४३७
घाट सेवा २०४४–४५
चलते डाकघर २२३९–४०
ट्रैक्टरों की मरम्मत २४४८–५२
टाइप की मशीनें १९७८
तेल गवेषणा स्टेशन १५९२–९४
नागार्जुन कोंडा में खुदाई २३१७
निष्क्रान्त बालकों का पालन-पोषण २३२२–२३
नुगू और भद्रा परियोजनायें १५४९
न्यून आय वर्ग आवास योजना १९५६–५८
पंजाब विश्वविद्यालय २४८०–८१
पत्तन १६६४–६५
पत्रकारों के शिष्टमंडल १७८१–८२
परिवार आयोजन केन्द्र २६०६–०७
पवन चक्की द्वारा जलसंभरण योजनायें २०७७–७८
पांडिचेरी में विकास कार्य २७०९–१०
पाशा भाई औजार १६२८–२९
प्रकाशन १५५९–६०

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

प्रदर्शनियां, व्यापार केन्द्र तथा प्रदर्शन-कक्ष २१७५
प्रधान मंत्री का विदेशों में भ्रमण २३७९–८०
प्राचीन स्मारक १९०८–०९
प्रादेशिक संस्थायें १९८८–८९
प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय १४८८
फरीदाबाद रेलवे साइडिंग २१७९–८०
बम्बई में नौसेना नावांगन (डाकयार्ड) २२६०–६१
बिहार में खुदाई २६५९–६०
बिहार में युवक शिविर २५२३
बुद्ध जयन्ती २२६९—७२
भगत सिंह मार्केट २५३५
भारतीय राजदूतावास, वाशिंगटन १५३२–३४
भारतीय साहित्य की ग्रन्थसूची २३१३–१४
भारतीयों का प्रत्यावर्तन (स्वदेश वापिस लौटाया जाना) २३७८–७९
भू-संरक्षण योजना १६४५–४६
मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा १६७१–७३
मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५५—५८
यात्रियों को सुविधायें १६६५–६६, २६०४–०५
योजना सैल्स १५८९–९२
राष्ट्रपति निलयम २७३०
राष्ट्रीय नाट्यशाला २६६६–६८
राष्ट्रीय नासूर गवेषणा केन्द्र कलकत्ता २४३५
राष्ट्रीय मान चित्रावलि २०९१–९२
राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२–९४

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रूरकेला तथा भिलाई उपनगर २३३४–३५
रेडियो टेलीफोन सेवा २०३९
रेडियो सैट १५६३
रेलवे के यात्री डिब्बे २६१७–१८
रेलवे लाइनें २२२४–२५
रेलों का पुनर्वर्गीकरण २५६४
रोपड़ में खुदाई २५१६
लाल किला १७१७
लाहौर मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) १७२८—३०
लाहौरी गेट का ऊपरी पुल १५७३—७५
वन २१८९—९१
वर्षा माप केन्द्र १५३७–३८
वृतान्त तथा समाचार चलचित्र १५२७–२९
विज्ञापन २५५२, २७५७–५८
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन २५७९–८०
विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरें १७०७—०९
विदेशों को भेजे गये शिष्टमंडल १४९६
विदेशों में प्रचार १५५८
विदेशों में शिष्टमंडल १७८१
विश्राम गृह १८०८—१०
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १७७९
व्यापार प्रदर्शनियां और मेले २१६५
व्यापार शिष्ट मंडल २३७५
शिक्षा पर—२६३०–३१
शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे २६१२–१३
शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो २६७६
संघ लोक सेवा आयोग १४९४

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

समाचार श्रवण केन्द्र २२३४

समुद्र पार संचार सेवा २०५०

सरकारी परिवहन १४८९-९०

सहरसा तथा सुपौल डाक घर २१९१-९२

सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड १५५९, २७४१-४२

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २५८५-८६

साहित्य अकामी १७२०-२१

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड २६६०-६२

हीराकुड बांध से नहर २२६७-६८

हुगली नदी को बांधना २१८६-८७

ब्याज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाकघर बचत बैंक लेखे २६० -०२

व्यापार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राज्य—२७३३

अबाध—१७५९-६०

तिब्बत के साथ—१९९१-९२

पाकिस्तान के साथ—करार १५३८-३९

पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ—१९७३-७४

भारत बर्मा व्यापार २५२६

राज्य—१७८६

वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष २३१९—२१

विदेशी—१७६३-६४

व्यापार करारों—

देखिये "समझौता"

व्यापार केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रदर्शनियां—तथा प्रदर्शनकक्ष १७५

व्यापार चिन्ह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय १७८४

व्यापार चिन्ह १७६९-७०

व्यापार प्रतिनिधि मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यापार प्रतिनिधि मंडल १५६०

व्यापार शिष्टमंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यापार शिष्टमंडल २३७५

व्यापारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में भारतीय—२७२४—२६

व्यायाम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रमिकों के लिए शारीरिक—२६११-१२

व्यास, श्री राधेलाल—

के द्वारा अनूपरक प्रश्न—

माल के डिब्बे १७९८

व्यवहारिक प्रशिक्षण छात्रवृ ोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यवहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति ोजना २६७३-७४

श

शंघाई नगरपालिका परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शंघाई नगरपालिका परिषद् २१४५—४७

शकूर बस्ती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विद्युत संभरण २६८३—८५

शक्ति चालित करघा कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९५९

शक्तिजनक मद्यसार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शक्तिजनक मद्यसार २३४८

शराब की दूकान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे बस्तियों के निकट—२१९६—९७

शर्मा पंडित के० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आय-कर विभाग २१०३

शर्मा, श्री आर० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस २३१६—१७

डाक व तार घर २०६६

शर्मा, श्री डी० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आमों का निर्यात २३९४

खाद्य पदार्थों में मिलावट ऐक्ट, १९५४, २१८४

दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति १७४७

के द्वारा प्रश्न—

अणु शक्ति १९७१—७२

अनुशासन के मामले २११८

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन १७५७—५८

अफगान विद्यार्थी २५१८—१९

अभ्रक की खानों में बाल-गृह २४४२

अम्बाला स्थित डाकघर २०४७

आद्योगिक वित्त निगम १७१७

कनाडा से सहायता २११७—१८

कपड़े का उत्पादन १९६३—६५

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, २०४३

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड २५०६—०८

खेलों के सामान का उद्योग २७३५

गुरुदासपुर डाकघर १६४२—४३

घड़ियां २३२१—२२

चलती सिनेमा गाड़ियां २५८७—८८

चीनी २०२९—३०

चीनी का आयात २६०५—०६

चीनी के कारखाने २२३८

चोरी छिपे माल ले जाना २६७५—७६

ट्रैक्टर २७४१

डाक व तार कर्मचारी संघ १६४३

लाई स्कूल, खड़गपुर १४८३

तस्कर व्यापार १४९५

तस्कर व्यापार रोकने के उपाय २६५७—५९

शर्मा, श्री डी० सी०— (जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

तुर्क देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध २६६६—७१

दिल्ली पुलिस १४८६

दिल्ली में रूसी राजदूतावास २५४७

दूसरी पंचवर्षीय योजना १५४४

धर्मप्रचारक (मिशनरी) १६२१–२२

निष्क्रान्त सम्पत्ति १६८०–८१

नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र २२५७—५६

पंजाब में बेकारी १५५३

पंजाब में मलेरिया नियंत्रण एकक १६२५

पंजाब विकास योजनायें २२६७–६६

परिचारक (अटेंडेंट) और कंडक्टर २२३६

पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा १६८५–८६

पाकिस्तान में पुण्य स्थान २१६४

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७

प्रधान मंत्री की सहायता निधि २७४६

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय २५५१–५२

फ्रांसीसी मिशन १७१८

बांच डाक घर २४२२–२३

भर्ती १८५१–५२

भाखड़ा नंगल परियोजना १५५८

भारत में विदेशी २११६

भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन १५३२–३४

भारी ट्रकों का आयात १६६८—१७००

भूतत्वीय परिमाप १६६६—७१

मधुमक्खी पालन केन्द्र १६८०

शर्मा, श्री डी० सी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे १८२८–२६

यूरेनियम अयस्क १७७८

रहने का स्थान १६८७–८८, १६८८

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति १५५८–५६

राष्ट्रीय नाटयशाला २६६६—६८

रासायनिक उर्वरक का आयात २१५७

रेल की पटरियों का आयात १६७२–७३

रेलगाड़ी का ठीक समय पर आना जाना १८५२

रेलवे की आय २५५७

रेलवे दुर्घटनायें २३८६–८७

लाल किला १७१७

लाहौर मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) १७२८–३०

लेखा से लेखापरीक्षण का पृथक्करण १६०२—०४

विकास ऋण १७६१–६२

विदेशी विशेषज्ञ १४६५–६६

विदेशों में प्रचार १५५८

विमान दुर्घटनायें १६६१–६४

विमान बल के भरती के केन्द्र १६८६—६२

शिक्षितों की बेकारी १८७३–७४

समाज शिक्षा व्यवस्थापक २७३२

सामाजिक कल्याण संस्थाएं २११२

सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड १५५६

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २७४१–४२

साहित्य अकादमी २४७३—७५

सिंगापुर विधान मंडल १६८०–८१

सिलाई की मशीनें २५२५, २७२८

शर्मा, श्री डी० सी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड) २०४७–४८

स्टेशनों का नये ढंग से बनाया जाना २५९८

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा २२३९

हिन्दी में तार २०४८, २२३८

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड २५३९

हीरे २३०९

शस्त्रास्त्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना लाइसेंस के शस्त्र २५१८

—का चोरी-छिपे से ले जाया जाना १८८२–८३

शास्त्री, श्री बी० डी०—

के द्वारा प्रश्न—

तम्बाकू उत्पादन शुल्क २३१८

धुलाई २७१०–११

ब्रिटिश इस्पात मिशन प्रतिवेदन २७३५–३६

रेलवे आउट एजेन्सी २४२१–२२

सतना और गोविन्दगढ़ के बीच रेलवे लाइन २४४१–४२

शाह, श्रीमती कमलेन्दुमति—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अभ्रक निक्षेप २६६३

वनस्पति कारखाने २२११

भूसे का निर्यात २००४

विश्राम गृह १८१०

के द्वारा प्रश्न—

टेलीफोन १८६८–६९

नई इमारतों का निर्माण २५३२

भारतीय श्रम सम्मेलन २५७६

शिकायत संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(कंप्लेन्ट्स आर्गनाइजेशन) २०३१ ३२

शिक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता २३३०–३१

आदिम जातियों का कल्याण २१३९–४०

आदिम जातियों के व्यक्तियों को—१४९९–१५००

आदिम जातियों में उच्च—१९२६

केन्द्रीय बोर्ड २५०६–०८

देहातों में—२६४८–४९

निःशुल्क और अनिवार्य—१६७३—७५

प्रति व्यक्ति फीस लगाना १४६२–६३

बुनियादी और सामाजिक —१४४४–४६

भूतत्व शास्त्र में उच्च —१९२१

मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां २२७४–७५

वैज्ञानिक तथा टेक्निकल—२११९

—पर व्यय २६३०–३१

—सम्बन्धी उन्नति के लिये योजनायें १९१९

समाज —व्यवस्थापक २७३२

सामाजिक — १४४०—४१

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा २२३९

शिक्षा, प्रविधिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २१२६—२८

शिक्षा बुनियादी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बुनियादी और समाजिक शिक्षा १९४४—४६

—सम्बन्धी स्थायी समिति २७१३–१४

शिक्षा शारीरिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—और आमोद-प्रमोद २५०८–०९

शिक्षा सम्मेलन—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

शिक्षा सम्मेलन २३१३

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

देहातों में शिक्षा २६४८–४९

शिमला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आकाशवाणी का शिला केन्द्र २३५५–५६

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना २१२५–२६

गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना २०३८–३९

पहाड़ भत्ता २२२७–२८

रेल का किराया २४२६–२७

शिल्पिक सहयोग मिशन कार्यक्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाढ़ नियंत्रण के लिए हेलीकोप्टर २५३३–३४

शिव, डा० गंगाधर—

के द्वारा प्रश्न—

कार्ड टिकट २१९५–९६

शिवनजप्पा, श्री—

के द्वारा अनपूरक प्रश्न—

धान की खेती का जापानी ढंग २१८५

शिविर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छात्र सनिक निकाय १९२२–२३

शिष्टमंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन २७४८

पत्रकारों के—१७८१–८२

विदेशों को भेजे गय–१४९९

विदेशों में—१७८१

शीरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शक्तिजनक मद्यसार २३४८

—का निर्यात २५४४–४५

शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी (एल० एम० पी०) कर्मचारियों को प्रशिक्षण १५९६—९८

प्रतिव्यक्ति फीस लगाना १४६२ ६३

शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मांग प्रदर्शन का केन्द्रीय व्यूरो—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मांग प्रदशन का कन्द्रीय व्यूरो २६७६

शैक्षिक संस्था (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वयंसेवी—को अनुदान १९०१–०२

शोरनूर रेलवे स्टेशन--
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इंजनों का फेल होना १८५७
कोयला इकठ्ठा करने के मार्ड २६०८
शोलापुर--
क सम्बन्ध में प्रश्न--
गाडियों का ठीक समय आना जाना १६५२-५३
विमान-क्षेत्र २५६१-६२
श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण २५७४-७५, २५८१-८२
श्रम विवाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हैदराबाद राज्य में श्रम २४६१-६२
श्रम सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय--२५७६
श्रमिक (कों)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अभ्रक के कारखानों में नौकरी २२१६-१७
उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण २१७७-७८
कर्मचारी राज्य बीमा निधि २०५१-५२.
काम दिलाऊ दफ्तर २२४३
कोचीन पत्तन में सामयिक—२५८३
निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग १६५९-६०
पांडीचेरी में कपडा मिल २३३६-३९
श्रमिक (कों)—(जारी)
क सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
भारतीय श्रम सम्मेलन २५७६
भूमिहीन मजदूर २०४१-४२
मजूरी भुगतान अधिनियम २२३१
मजूरी भुगतान एक्ट १९३६ २४३८
रलवे ठेकेदारों द्वारा रखे गये--२५८६ ८७
--के लिये मकान २२४०
--के लिए शारीरिक व्यायाम २६११-१२
हथकरघा उद्योग २७४४
हैदराबाद की सोने की खानें १८६३-६४
हैदराबाद राज्य में श्रम २४६१-६२
श्रमिक कल्याण निधि (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चलती सिनेमा गाड़ियां २५८७-८८
श्रीनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनिज सम्पत्त का विकास १९१६-१७
पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन १५१७-१९
बानिहाल सुरंग परियोजना २३८५-८६
--में एक डकोटा का रोका जाना २०६०-६१
श्रीराम कामर्स कालेज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
श्रीराम कामस कालेज २६७१

श्रीरामपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल १६६७–६८

श्रीलंका—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

दोहरा कराधान २६५२–५३

भारतीय मोटरगाड़ियों का निर्यात २३७७

विदेशी सिक्कों का टंकन १७१६

विदेशों में भारतीय १५६५

—को भारतीय कपड़ा प्रतिनिधि मंडल २१६२

—में भारतीय १७५२–५५, २७५३

स

संगण्णा, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

इंजीनियरिंग कालिज २१३५–३६

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५१—५३

उड़ीसा में चीनी के कारखानं २२३२–३३

औद्योगिक न्यायाधिकरण २५७२–७३

जल का संभरण १८१७–१८

तटीय राज्यों में सूख की अवस्था १४३६

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६–८८

बिना टिकट यात्रा २०१६–२०

भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी २०६६–६७

संगण्णा श्री—जारी

कें द्वारा प्रश्न—जारी

महिलाओं के अनैतिक पण्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन १८८८–८६

रूरौला के कारखाने २४३६

रेल दुर्घटना १६०६–११

रेलवे बस्तियों के निकट शराब की दुकानें २१६६–६७

हीराकुड बांध से नहर २३६७–६८

संघ लोक सेवा आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जब्त किये गये हीरे १४५३–५५

रेलवे कर्मचारी २४६५

संघ लोक सेवा आयोग १४६०, १४६४, १७२१, २५०४—०६

संचार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्दमान में—२०६३–६४

संचार मंत्रालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रविधिक सहायक २६२१

संयंत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एल्युमीनियम—१७४७–४६

डिब्बे जोड़ने का—१८६४

दामोदर घाटी निगम से फालतू—और मशीनों का दिया जाना २५३१–३२

धातु उद्योग १६७४–७५

संश्लिष्ट (कृत्रिम) तेल–२३७८

सिन्द्री का यूरिया—१७७५

संयंत्र तथा मशीनरी समिति—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

संयंत्र तथा मशीनरी समिति १९७५–७६

संयुक्त पूंजी समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयुक्त पूंजी समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) १७१६–१७

संयुक्त राष्ट्र संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जातीय भेदभाव २१६७–६८

मोराक्को की स्थिति १५४१—४३

—की सदस्यता १५४६

—के घोषणापत्र का पुनरीक्षण २७१७–२०

संयुक्त शिक्षा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत फ्रेंच करार २३०८

"संवरण पद"—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संवरण पद १८६५–६६

संश्लिष्ट (कृत्रिम) तेल संयंत्र—

देखिये "संयंत्र (त्रों)"

संसद् भवन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली में भू-गत जल १९३२–३३

संसद् भवन २७३३

संसद सदस्य (स्यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के लिये चिकित्सा सुविधायें २४२३–२५

—के लिये मकान २५४७–४८

संस्कृत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की पाण्डुलिपियां १४९४

—में पाठ २६८६–८७

संस्कृत साहित्य सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संस्कृत में पाठ २६८६–८७

सचिवालय, केन्द्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली परिवहन सेवा १५०१–०२

सड़क (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर ट्रंक रोड आसाम १६५८

केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था १९२२

गुंटूर में उपमार्ग २०५६

जम्मू और काश्मीर में—१७१९

नई दिल्ली में—के नये नाम २०६५–६६

नेपाल और सिक्किम में—का निर्माण १५४७

पर्यटन १५७९—८१

पर्यटन केन्द्र २०२३–२४

बिहार में—२१६३–६४

मनीपुर के डगर २५१३–१४

राष्ट्रीय राजपथों तथा—के विकास १५५७

—बनाने की मशीनें २१२८—३०

सड़क कूटने के इंजन—

देखिये "इंजन (नों)"

सतना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे आउट एजन्सी २४२१–२२

—और गोविन्दगढ़ के बीच रेलवे लाइन १४४१–४२

सत्यवादी, डा०—

के द्वारा प्रश्न—

आकाशवाणी का शिमला केन्द्र २३५५–५६

कम्पोस्ट खाद योजना २४६०

कल्याण विस्तार परियोजनाएं २१२३

काश्तकारी समिति २७३३–३४

खनिज सम्पत का विकास १९१६–१७

डाकघर २६१७

डाकघर बचत बैंक लेखे २६०१–०२

तम्बाकू उद्योग २७१३—१५

दर और लागत समिति १५३७

निष्क्राम्य कृषि भूमि १७४१–४२

निष्क्राम्य सम्पत्तियां २७५३–५४

न्यून आय वर्ग आवास योजना १९५६—५८

न्यूनतम मजूरी १७९८—१८००

परिसमापित बैंक २५२४

पहाड़ भत्ता २२२७–२८

प्रतिकर १९८५

प्रशिक्षण संस्थायें १५५६–५७

फिल्म विभाग में हानि १५०८

बाल पक्षाघात २५६६–६७

भाखड़ा बांध २१५८

भारतीय शिश कल्याण परिषद् १९०७–०८

भिलाई इस्पात कारखाना २५४०

सत्यवादी, डा०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—जारी

भूतत्वीय परिमाप १९०५

भमिहीन मजदूर २०४१–४२

मजूरी आयोग २४३३

मजूरी भूगतान अधिनियम २२३२

यात्रा भत्ते २६८२

योग्यता छात्रवृत्तियां १४९३–९४

राइफल प्रशिक्षण २०९५

रेल का किराया २४२६–२७

रेलवे द्वारा रियायतें २५९२

रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके २२३५

रोपड़ में खदाई २५१६

लोक स्वास्थ्य विधेयक १५८५–८६

विज्ञापन २७५४–५५

संयुक्त राज्य अमरीका की मेडिकल डिगरियां २०३८

सरकारी आवास स्थान २३३१—३३

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को प्रव्रजन २६५३–५५

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६–६७

सामदायिक रेडियो-सैट २५३६

सेवा वृद्धि की अनुमति देना १८६७

सदभावना व्यापार मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तम्बाकू का निर्यात २५२७–२८

सनावर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लारेंस स्कूल—१४५९—६१

सप्तारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल में सहायता कार्य २५२५–२६

सफदर जंग, दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सफदर जंग हवाई अड्डा २१९७—९९

समझौता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तम्बाकू उत्पादन शुल्क १६८६—८८
तुर्क देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध २६६९—७१
पाकिस्तान के साथ व्यापार करार १५३८—३९
भारत इंगलैण्ड वैमानिक करार २४३९
भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय २०१७—१८
भारत-पाक पारपत्र करार २५५५—५६
भारत-फ्रांसीसी करार २६९४—९६
भारत फ्रेंच करार २३०८
मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५५—५८
विनियोजन प्रत्याभूति २६३१—३२
व्यापार करारों में नौवहन खण्ड २०३९—४०
'स्काई मास्टर' विमान २४११—१४

समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में पैट्रोल की खोज २६३७—४१
कम्पनियां (समवाय) २६८१—८२
कारखाना अधिनियम २०५२
माल के डिब्बे १७९६—९८
हैलिकोप्टर २२०८—०९

समवाय, परिवहन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे द्वारा लगाई हुई पूंजी २२४९

समस्तीपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन १६५४—५५

समाचार पत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय—की बिक्री १९३७—३८
विज्ञापन २५५२, २७५४—५५, २७५७—५८
समाचार पत्र १७८०—८१, २७४८-४९
—का कागज २३६१—६४

समाचार श्रवण केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समाचार-श्रवण १४५३
समाचार-श्रवण केन्द्र २२३४

समाज कल्याण संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामाजिक कल्याण संस्थाएं २११२

समाज शिक्षा व्यवस्थापक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समाज शिक्षा व्यवस्थापक २७३२

समुद्र पार संचार सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समुद्रपार संचार सेवा २०५०

सम्पदा शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सम्पदा शुल्क २५१९

सम्पादक बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास २६३२—३४

सम्मेलन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष शास्त्र सम्बन्धी—१८३३

खनिज सम्पत का विकास १९१६–१७

बाल कल्याण १८७१—७३

भारतीय श्रम—२५७६

राष्ट्रमंडल के सेनाध्यक्षों का—२०९८

शिक्षा—२३१३

संस्कृत में पाठ २६८६–८७

सरकारी कर्मचारी—

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

सरकारी कार्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयकर विभाग २१०१—०४

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना २१२५–२६

खादी १९७८–७९

दक्षिणी अन्दमान में दफ्तरों में भरती २५१४

प्रकाशन १५५९–६०

प्रादेशिक मल्यालय बिलासपुर २६०१

विदेशी सेवा निरीक्षालय (इंसपैक्टो रेट) १५५५–५६

शिकायतों की जांच पड़ताल १९३९—४१

समाहार कर्मचारी वर्ग १६८४–८५

सरकारी क्वार्टर—

देखिये "मकान"

सरकारी नौकरियां—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सरकारी नौकरियां १४७५–७६

सरकारी पदाधिकारी (रियों)—

देखिये "पदाधिकारी (रियों)"

सरकारी माल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का बीमा २७४३

सर्मा, श्री देवेश्वर—

के द्वारा प्रश्न—

गोहाटी को चीनी का भेजा जाना २४४३–४४

सर्वेक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अभ्रक निक्षेप २६६३

केन्द्रीय विपणन संगठन १७७५–७६

खनिज तेल २१००–०१

खनिज—१४८९

तेल को छोड़ कर अन्य खनिज पदार्थ २६५५–५६

भारत का भाषा सम्बन्धी—२३१०

यूरेनियम निक्षेप १५४९

सतना और गोविन्दगढ़ के बीच रेलवे लाइन २४४१–४२

सीसा और जस्ता अयस्क १४४१–४२

सशस्त्र बल उपकारी (बेनेवोलेंट) फंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सशस्त्र बल उपकारी (बेनेवोलेंट) फंड २४७८—८०

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(आर्म्ड फोरसिज रिकंस्ट्रक्शन फंड) २३०२-०४

सहकारी समितियां (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जन सहयोग १९४१-४३
सहकारी समितियां २०५३

सहगल, सरदार ए० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी कर्मचारियों को प्रशिक्षण १५९८
छावनी बोर्ड १४६९
नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र २२५८
बिना टिकट यात्रा २०२०
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १४४९
भूतपूर्व सैनिकों का पुनसंस्थापन १६७६
भोजन आदि की व्यवस्था १८२७
रेलवे को हुई हानि १५७७

के द्वारा प्रश्न—

पढ़े लिखों में बेकारी १४७६-७८

सहजनवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल के पुल १५९१–९२

सहरसा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहरसा तथा सुपौल डाक घर २१९१–९२
—रेलवे स्टेशन १६५५–५६

सहरसा जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उपहार गृह १६५५

सहाय, श्री श्यामनन्दन—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८३
मशीनी औजारों के कारखाने १४८२
राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२-९४
सुरंगें साफ करने वाले जहाज १६८१

सहायक छात्र सेवा निकाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छात्र-सेना निकाय २३११–१२

सहायक निबटारा आयुक्त—

देखिये "पदाधिकारी"

सहायता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अध्यापकों को प्रशिक्षण २५२०
आदिम जातियों का कल्याण २१३९–४०
उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज १४५१—५३
औद्योगिक वित्त निगम २५१७–१८
कच्चा पटसन १८५९
कनाडा से सहायता २११७–१८
कुटीर उद्योग १९४८—५१
कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग २१६०
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २०६२–६३, २२२७
कोलम्बो योजना २२८७—८९
खेलों के सामान का उद्योग २७३५
चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति २५९४-९५

सहायता—जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न--जारी

छावनी बोर्ड १४६७—६९
देहाती औद्योगिक उपक्रम २७२१–२२
नेपा अखबारी कागज कारखाना १५२५–२७
नेपाल में---कार्य २५२५–२६
नौवहन को अर्थ—२५५९
पढ़े लिखों में बेकारी १४७६–७८
परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था २५३२-३३
फिलस्तीन में शरणार्थियों को—१७८६-८८
बर्मा और मलाया से निष्क्रमणार्थी २१४२–४४
बिहार को दिये गये अनुदान २१७४
बेघर लोगों के लिये निवास-स्थान २७०५–०६
मालाबार में समुद्री तूफान २५१०–११
मीन क्षेत्र (फिशरीज) गवेषणा केन्द्र २२४५–४६
मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड १५३९–४१
येमीगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय संघ समिति २३३५–३६
राजसहायता प्राप्त उद्योगिक आवास योजना १५५०
रूस से—२४७६—७८
वित्तीय—२३०४-०५
विदेशी—२०७४–७६
विस्थापित व्यक्तियों को—२१२६–२८
—प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६-६७

सहायता—जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न —जारी

सामाजिक कल्याण संस्थाएं २११२
सामुदायिक रेडियो सेट २५३६
साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थायें २५१२
हैदराबाद में पुस्तकालय २१०७–०८

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २१६६-६७

सांख्यकीय तथा आर्थिक मंत्रणा सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सांख्यकीय तथा आर्थिक मंत्रणा सेवा १७०३–०४

सांची—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विश्राम गृह १८०८-१०

सांस्कृतिक संस्था (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साहित्यिक और--२५१२

सांस्कृतिक सम्बन्ध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तुर्क देश से—२६६९—७१

साइकिल (लें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साइकिलें २६८९—९१

सागर रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रियों को सुविधायें २४७०–७१

साबुन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साबुन १७६७

सामन्त, श्री एस० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्दमान में संचार २०९४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७२८

कैम्प कालेज, दिल्ली २४९९,२५००

कोयले की खानें १५१०

कोसई योजना १५१५

भाड़े पर अधिभार २४२०

मुद्रकों, छपाई करने वालों आदि को पुरुस्कार २६९३

रूस से सहायता २४७६

हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१७

के द्वारा प्रश्न—

अन्तरिक्ष-शास्त्रीय ब्रीजार १६४९–५०

अंतरिक्ष-शास्त्रीय यंत्र १६३०

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन २७४८

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १४६९–७०

अल्वाये में उर्वरक कारखाना १७७४–७५

आम २४५५–५६

आमों का निर्यात २३९३–९४

आमों को डिब्बों में भरना २४५६

आयुर्वेदिक कालिज २२२०–२२

कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १८४०–४१

केन्द्रीय शिक्षा संस्था २६७७–७८

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई २४२५

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण २५६२–६३

सामन्त, श्री एस० सी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना २२४३–४४

चन्द्रकोण रोड स्टेशन २४५८

चिकन की कसीदेकारी १५६१

जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े १७०६–०७

जाली टिकट २०५१

ज्वार-पूर्व सूचक यंत्र २३०६–०७

झंडा सम्बन्धी विभेद १८३४–३५

तम्बाकू का निर्यात २५२७–२८

तम्बाकू के बीज का तेल १७००–०२

पवन चक्की द्वारा जलसंभरण योजनायें २०७७–७८

फालतू सामान २५२१

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा २४४४–४६

भूतत्वशास्त्र में उच्च शिक्षा १९२१

भूतत्वशास्त्र में प्रशिक्षण १९२५

रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य २२६४–६६

राष्ट्रीय चावल आयोग १६२२

राष्ट्रीय विकास परिषद् १७६६

विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म-कालीन शिविरें १७०७–०९

विशेष न्यायाधिकरण १९२३–२५

समुद्रपार संचार सेवा २०५०

सम्पदा शुल्क २५१९

सैनिक मिशन १९१६

हथकरघा से बनी वस्तुएं २३२९–३०

हीरे २३०९

हुगली नदी को बांधना २१८६–८७

सामाजिक कल्याण योजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आदिम जाति कल्याण योजनायें २७०२–०४

सामाजिक तथा नैतिक विज्ञान मंत्रणा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

महिलाओं के अनैतिक पण्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन १८८८—८९

सामाजिक शिक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बुनियादी और—१४४४—४६
सामाजिक शिक्षा १४४०–४१

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अफगान विद्यार्थी २५१८–१९

सामुदायिक परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७५९–६०
पवन चक्की २७४२–४३
रेलवे द्वारा रियायतें २५९२
—और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड १५५१–५२
—तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड १५५९
—तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २१६१, २७४१–४२
सूचना केन्द्र २३७४–७५

सामुदायिक परियोजना क्षेत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिहार में सड़कें २१६३–६४

सामुदायिक रेडियो सेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामुदायिक रेडियो सेट २५३६

सारनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बुद्ध जयन्ती २२६९—७२

सार्थ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इण्डिया इन्टरनेशनल निगम २४३३–३४
कृषि के औजार २५४६–४७
धुलाई २७१०–११

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२ २५८५–८६
हमीरपुर—२२५४

साहा, श्री मेघनाद—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आसाम में पैट्रोल की खोज २६३९, २६४०, २६४१
१९४८ का औद्योगिक नीति संकल्प २६९८
कोयला बोर्ड २७२४
भारी ट्रकों का आयात १७००
भावनगर में तेल शोधन कारखाना २६९९
राष्ट्रीय संग्रहालय १६९२–९३
साइकिलें २६९०

साहित्य अकादमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साहित्य अकादमी १७२०–२१, २४७३—७५

साहित्य अकादमी कार्यकारी बोर्ड--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारतीय कविता की एन्थोलोजी (भारतीय काव्य चयनिका) २२८९-९०

साहित्य भारतीय--
के सम्बन्ध में प्रश्न-
रूस में--का विक्रय २३४२-४४

साहित्यक संस्था (यें)
के सम्बन्ध में प्रश्न
साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थायें २५१२

साहू, श्री भागवत--
के द्वारा प्रश्न--
रेंलव लाईनें १४३८

सिंगापूर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
चोरी छिपे लायी गयी घड़ियाँ १६८२--८४

सिंगापुर विधान मंडल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सिंगापुर विधान मंडल १६८०-८१

सिंगापुर सम्मेंलन--
कें सम्बन्ध में प्रश्न--
कोलम्बो योजना २२८७-८९

सिंचाई--
कें सम्बन्ध में प्रश्न--
सुख सागर जल २१९४

सिंह, ठाकूर यूगल किशोर--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
आदिम जाति कल्याण योजनायें २७०३
के द्वारा प्रश्न-
अखिल भारतीय सहकारी कॉग्रेंस २५७५
अन्तर्राज्य व्यापार २७३३
औद्योगिक वित्त निगम २५१७-१८
खनिज पदार्थ १९१७
छोटे पैमान कें उद्योग २५३४-३५
दंड प्रक्रिया संहित (संशोधन) अधिनियम, १९५५ २६४७
पार्सल उठाने वाले ठेकेदार १८५१
प्रधान मंत्री का विदेशों में भ्रमण २३७९-८०
बिहार को दिये गये अनुदान २१७४
बिहार में कुष्ट नियंत्रण एकक २६१३
बिहार में युवक छात्रावास २५१५-१६
बिहार में युवक शिविर २५२३
बिहार में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी २३०६
बेघर लोगों के लिये निवासस्थान २७०५-०६
भारी रासायनिक के लिये विकास परिषदें १९७४
माल उठाने का ठेका ६८५०-५१
रेल गाड़ियों में सोने का स्थान २२३०
रेलगाड़ी व्यवस्था २४७२
रेलवे दफ्तरों का हटाया जाना २६०९
रेलवे सम्बन्धी दावे २४६४
वाणिज्यिक प्रकाशन तथा पत्रिकायें २७५५
शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे २६१२-१३
हाथ करघा उपकर निधि २१७३-७४

सिंह, डा० एस० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

मूलरूप के मशीनी औज़ार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५६—५७

सिंह, श्री आर० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १५९९

चल चित्र २४८२

सिंह , श्री जी० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

मनोरंजन उड़ानें (ज़ूवाय फ्लाइट) २२१५

विमान दुर्घटनायें १९९३

सिंह, श्री झूलन—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

विमान बल के भरती के केन्द्र १६९०–९१

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय, दिल्ली २२६१

खादी १९७८–७९

चीनी बनाना २०३२–३३

दिल्ली में भू-गत जल १९३२–३३

धान की खेती का जापानी ढंग २१८५–८६

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १६७३–७५

पडती भूमि १९९९—२००१

पर्यटन १५७९–८१

पवन चक्की २७४२–४३

बिहार बख्तियारपुर लाइट रेलवे १८५९–५४

सिंह, श्री झूलन—जारी

के द्वारा प्रश्न—जारी

भाषणों के रेकार्ड तैयार करना २३५१—५३

मिल का बना तेल १९६५–६६

वस्त्र जांच समिति १५०३–०४

स्वयं सेवी शैक्षक संस्थाओं को अनुदान १९०१–१९०२

सिंह, श्री टी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भूसे का निर्यात २००४

सिंहासन सिंह, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

घाघरा नदी का पुल २४३७

रेल के पुल १५९१–९२

संघ लोक सेवा आयोग २५०४–०६

हथ करघे २५४९–५०

सिकन्दराबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रियों को सुविधायें २५९७–९८

सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छावनी बोर्ड १७११

सिक्किम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल और—में सड़कों का निर्माण १५४७

सिनकोना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की खेती २४५७

सिनेमा गाडियां, चलती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चलती सिनेमा गाडियां २५८७–८८

सिन्दरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सिन्दरी उर्वरक १५२२–२३

—का यूरिया संयंत्र १७७५

सिन्दरी उर्वरक कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उर्वरक २३९१–९२

सिन्दरी उर्वरक कारखाना २५२८

सिन्हा, श्री के० पी०—

के द्वारा प्रश्न—

अतिरिक्त लाभ में गन्ना उत्पादकों का अंश १८४८–४९

उर्वरक कारखाने २१६२–६३

कोलतार के रंग १५४६–४७

खंडसारी १४५४–५५

गन्ना १६३९–४०

चीनी की मिलें १६४०–४१

चीनी मिलों की मशीनें २७२८–२९

पशु चिकित्सकों की नई पदाली २५६० –६१

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति १७७७

प्रयोगशालाओं का कांच का सामान २५२७

बंगाल चल चित्र संस्था १७८०

बर्मा को धन प्रेषण १९१५–१६

भारत में मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन २१६५–६६

सिन्हा, श्री के० पी०—जारी

के द्वारा प्रश्न—जारी

भारतीय व्यापारी शिष्टमंडल २५३९ –४०

भूसे का निर्यात २००३–०४

मलाया को निर्यात २५५०

लोहे की खानें २१२०

सिन्हा, श्री जी० पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

सिन्दरी उर्वरक १५२३

के द्वारा प्रश्न—

मालगाड़ी के डिब्बे २५९०

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भारतीय समाचार पत्र की बिक्री १९३८

के द्वारा प्रश्न—

सीमेन्ट २७५०

सिलाई की मशीन (नें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सिलाई की मशीनें २५२५, २७२८

सीक्यांग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल २१०५—०७

सीमा शुल्क विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में भ्रष्टाचार १८८१–८२

सीमान्त कर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमान्त कर २५६७–६८

सीमान्त दुर्घटना (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमा पर घटना १९७९–८०

सीमेंट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चूने के पत्थर के निक्षेप (डिपोज़िट) २२८९-९३

बांधों का निर्माण २३६६–६७

सीमेंट २७५०

—के कारखाने १५७१-७२, १७७९, २३४६–४७

सीसा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—और जस्ता अयस्क १४४१–४२

सुअर के बाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सुअर आदि के बाल २७०८-०९

सुई (इयों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीने की—२५३०–३१

सुख सागर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—जल २१९४

सुपौल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहरसा तथा—डाक घर २१९१–९२

सुब्रहमण्यम, श्री टी०—

के द्वारा प्रश्न—

अम्बर चर्खा २१७१–७२

पर्यटन केन्द्र २०२३–२४

वनस्पति कारखाने २२१०–१२

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२५०

सुभाष चन्द्र बोस, श्री—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भाषणों के रेकार्ड तैयार करना २३५१–५३

सुरंग (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—साफ करने वाले जहाज १६८०–८१

सुरक्षा तथा प्रतिपालन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड) २०४७–४८

सुरेशचन्द्र, डा०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन १७५७–५८

कुटीर उद्योग १९५०

खादी हुण्डियां २३२४

निष्क्रान्त बालकों का पालन-पोषण २३२३

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना २४९८

भारत-पाकिस्तान यात्रा १९०५

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौजी २०८०, २०८१

भोजन आदि की व्यवस्था १८२६

माही २३२८

श्रीलंका में भारतीय १७५३

संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधायें २४२४

हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३८

सुल्लाह रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सुल्लाह रेलवे स्टेशन **२६१४**

सूचना केन्द्र (न्द्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूचना केन्द्र २३७४-७५

सूडान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूई १९८३

सूडानी सैनिक मिशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूडानी सैनिक मिशन २११७

सूर्य की किरणों की शक्ति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूर्य की किरनों की शक्ति २५१६

सूर्य-ग्रहण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्पेशल रेल गाड़ियां १६३२

सेन, श्रीमती सुषमा—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अभ्रक निक्षेप २६६३

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी १७६०

पर्वतीय नगरों (हिल स्टेशन्स) का विकास १७४०

सेना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण, २७२६-२८

गोरखा रक्षित —१८७४-७५

चमड़े का सामान २६२३-२५

भारतीय — में भरती २५०९-१०

सेना—जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न—जारी

रक्षा सेना परिषदें २२७२-७४

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि (आर्म्ड फोरसिज़ रिकंस्ट्रक्शन फंड) २३०२—०४

सशस्त्र बलों में भर्ती २६२५—२७

सैनिक मिशन १९१६

सेना इंजीनियरिंग सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एम० ई० एस० (—)के ठेकेदार २२६६-६९

सेलम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एल्युमीनियम संयंत्र १७४७-४९

सेवा योजनालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजीनियर २१३०-३२

काम दिलाऊ दफ्तर २२४३-२२४४

काम दिलाऊ दफ्तर, नागपुर १६५७

बिहार राज्य में बेकारी २०४६-४७

सेवा-वृद्धि नियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सेवा वृद्धि की अनुमति देना १८६७

सेवान स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे को हुई हानि १५७५-७७

सेवानगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर १५४८

सैनिक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कपड़े का क्रय २२५९–६०

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौजी २०७८–८१

—कर्मचारियों के लिये निवास—स्थान २५१२

सैनिक आजाद हिन्द फौज, भूतपूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सशस्त्र बल उपकारी (बेनेवोलेंट) फंड २४७८–८०

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा—

देखिये "एम० ई० एस०"

सैनिक (कों), भूतपूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का पुनस्सस्थापन १६७५–७६

सैनिक मिशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूडानी— २११७

सैनिक वाद्य (बैंड)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सैनिक वाद्य (बैंड) १४८३–८४

सैनिक शिष्टमंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सैनिक मिशन १९१६

सैनिक सामान, अतिरिक्त—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरिक्त स्टोर का उत्सर्जन (डिस्पोजल) २३२५—२७

सोडा ऐश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयात नीति २३७४

सोडा ऐश २३५९—६१

सोडा कास्टिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयात नीति २३७४

सोदपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सोदपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड २१२०—२१

सोधिया, श्री के० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

पढ़े लिखों में बेकारी १४७७, १४७८

के द्वारा प्रश्न—

अन्दमान में संचार २०९३–९४

आयुर्वेद और होमियोपैथी सम्बन्धी मंत्रणा समितियां २२०५—०७

औषधि भंडार संगठन २०६१–६२,

कम्पनियां (समवाय) २६८१–८२

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, २०४३

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २०६२–६३

खनिज तेल कूप १४६१–६२

गुड़ १६३६

डाक व तार पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें १४७१–७२

निर्यात वृद्धि परिषद् १५४१–४२

पांडिचेरी २५३५–३६

पांडिचेरी में विकास कार्य २७०९–१०

फिलस्तीन में शरणार्थियों को सहायता १७८६–८८

सोधिया, श्री के० सी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

बचत बैंक हिसाब और सार्टिफिकेट २५८०—८१
भारत फ्रेंच करार २३०८
'भारतीय कविता की एन्थोलोजी (भारतीय काव्य चयनिका) २२८६--६०
भारतीय साहित्य की ग्रन्थ सूची २३१३--१४
मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड १५२३—२५, १५३६--४१
यात्रियों को सुविधायें १६६५–६६, २४७०—७१
योजना सैल १५८६--६०
रेलवे द्वारा लगाई हुई पूंजी २२४६
रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५६६
लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन का वाणिज्य विभाग २३८१–८२
लेखन सामग्री १५६६–६७
विदेशी पत्रमुद्रा और सिक्के १६८८–८६
विदेशी सेवा निरीक्षालय (इंसपेक्टीरेट) १५५५--५६
सामुदायिक रेडियो सेट २१५३–५५
सोना २३१०
स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट २४६१—६३

सोनपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

घाट सेवा २०४४--४५
—में पैदल चलने वालों के लिये पुल २००८

सोनहट अमरकंटक (मध्य भारत)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला १५८६--८६

सोना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चोरी छिपे माल ले जाना २६७५, २६७५–७६

चोरी छिपे लाया गया— २१२३
जब्त किया गया— २१२४

सोना १८७५--७६, २३०७, २३१०
—का चोरी छिपे लाना ले जाना १६६५--६६

सोने का पता लगाने वाला यंत्र—

देखिये "यंत्र"

सोने का पानी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तरल सोना २३५०--५१

सोमपेट जिला श्री काकूलम (आन्ध्र)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय बचत पत्र २००८--१०

सोवियत एनसाइकिलोपीडिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूस में भारतीय साहित्य का विक्रय २३४२--४४

सौराष्ट्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टिड्डियां १४५३–५४
स्टोव के बर्नर १६४७--४८

स्काई मास्टर विमान—

देखिये "वायुयान (नों)"

स्केफ, श्री जे० डी०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मशीनी औजारों के कारखाने १४७८–८३

स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लोहे और इस्पात के कारखाने १७२६–२८

स्टेंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खनिज तेल कूप १४६१–६२

स्टैंसन, श्री—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलम्बो योजना २२८७—८९

स्टोव के बर्नर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्टोव के बर्नर १९४७–४८

स्तरकाष्ठ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—(प्लाईवुड) १७६८–६९

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महा कालिज—

देखिये "महाविद्यालय"

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा–

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा २२३९

स्पार्क अरेस्टर्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्पार्क अरेस्टर्स (चिंगारी रोकने की जाली) २३९६–९७

स्पिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां २१११–१२

स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट २४९१—९३

स्पेशल रेलगाड़ियां—

देखिये "रेलगाड़ी"

स्मारक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में प्राचीन — १४९९

पांडिचेरी पुरातत्वीय स्थान २११५–१६

प्राचीन—१९०८—०९

बिहार में खुदाई २६५९–६०

बौद्ध — १९१८–१९

स्लेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्लेट २१६४

स्वतंत्र टेलीफोन प्रणाली—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

स्वतन्त्र टेलीफोन प्रणाली १६२३

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास २६३२–३४

स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी १४५८–५९

स्वविवेक-निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वविवेक-निधि २५२३–२४

स्वामिनाथन, श्रीमती अम्मू—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भोजन आदि की व्यवस्था १८२५

मानवी विज्ञानों (ह्यूमैनिटीज़) सम्बन्धी गवेषणा छात्रवृत्तियां २०७३

के द्वारा प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर २२४४

रेलवे क्वार्टर १६४४

लोहा और इस्पात २३६४–६५

विदेशी सहायता २०७४–७६

विमान क्षेत्र २५६१–६२

स्वास्थ्य केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वास्थ्य केन्द्र २२४३–४४

स्वास्थ्य बीमा योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मल्लाहों के लिये—२०४२

स्वास्थ्य बोर्ड, कलकत्ता विश्वविद्यालय-

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य बोर्ड १८९४– ९५

स्वास्थ्य मंत्रालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र १८१२—१४

स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुर्वेदिक कालिज २२२०–२२

स्वास्थ्य योजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१६–१७

स्विटजरलैण्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिजली के चलने वाले रेल डिब्बे २३९५–९६

स्विस फर्म—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ १४५५–५८

ह

हंगल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना २४२५–२६

हज यात्री (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हज यात्री २५४९

हड़ताल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कारखाना अधिनियम २०५२

कार्मिक संघ २६३५–३७

चलचित्र स्टूडियोज में—१५६५–६६

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ १८५३

हड्डी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गायों की खालों का निर्यात २१६६

—पीसने के कारखाने २०६५

हड्डी पीसने के कारखाने—

देखिये "कारखाना"

हथकरघा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कपड़े का क्रय २२५९–६०

हथ करघे २५४९–५०

—का कपड़ा १७७१–७२, १७७४

हथकरघा उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कपड़े का उत्पादन १९६३—६५

हाथकरघा उद्योग १७८४–८५, २६८५–८६, २७४४

हथकरघा उपकर निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हाथ करघा उपकर निधि २१७३–७४

हथकरघा कपडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हथकरघा से बनी वस्तुएं २३२९–३०

हथकरघा तथा खादी उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर २६७९–८०

हथकरघा सहकारिता समिति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हाथकरघे का कपड़ा १७७१–७२

हमीरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२५४

हम्पी परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटन केन्द्र २०२३–२४

हरबिल वेलर, मि०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हरबिल वेलर १७३५—३७

हरिजन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर नागपुर १६५७

विस्थापित हरिजन २५५३

हल्दीपाड़ा स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना १६१६–१७

हवाई अड्डा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर प्रदेश में विमान क्षेत्र १८६७–६८

कोझिकोड में— २०३३–३४

मनोरंजन उड़ानें (जवाय फ्लाइट) २२१४—१६

सफ़दर जंग— २१९७—९९

हसनाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बारासेट—रेल-सम्पर्क २०४२–४३

हस्तशिल्प—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हस्तशिल्प २३७०

हांगकांग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां १६८२—८४

हाथी (थियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण २१६९

हानि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फिल्म विभाग में— १५०८

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४८८—९०

सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड) २०४७—४८

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड २५३९

हाली सिक्का—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हाली सिक्का २५१९—२०

हावडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल सेवा १८४९—५०

हावडा खडगपुर सेक्शन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जाली टिकट २०५१

हावडा पुल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलकत्ता दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ २२०१

हावरा बैगाच—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग १९६७—७०

हासदा, श्री सुबोध—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

पढ़े लिखों में बेकारी १४७७

हिन्दचीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय,—१७५७—५८

हिन्दी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उपभाषाओं में ब्राडकास्ट २७४६-४७

—का प्रचार १६७८—८०, २२०३—०५

— के प्रकाशन १७७९

— में तार २०४८, २०५९—६०, २२३८

हिन्दी टाइप राइटर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी टाइप राइटर १४८६—८७

हिन्दी परीक्षा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी परीक्षा समिति २५०२—०४

हिन्दी व्याकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी व्याकरण २११८

हिन्दू (ओं)---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--- का पाकिस्तान को प्रव्रजन १७८२ –८३

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेल के डिब्बे २५७८---७९
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड २६६० —६२

हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी, लिमिटेड, दिल्ली १५६८–६९

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना–
के सम्बन्ध में प्रश्न--
हिन्दुस्तान मशीनीं औजार कारखाना, जालाहाली २५३७

हिन्दुस्तान मोटर लि० कलकत्ता---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारी ट्रकों का आयात १६९८--- १७००

हिन्दुस्तान शिपयार्ड़ लि०, विजगापटम्---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
माल के डिब्बे १७९६—९८
हिन्दुस्तान जहाज कारखाना १७४९ ---५२
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड २५३९

हिमरू---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कुटीर उद्योग १९४८---५१

हिमाचल प्रदेश---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कल्याण विस्तार परियोजनाएं २१२३
निष्क्रान्त सम्पत्ति १९८०–८१
प्रशिक्षण संस्थाएं १५५६–५७
भूतत्वीय परिमाप १९२५
सामुदायिक रेडियो-सेट २५३६

हिमाचल संगीत---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आकाशवाणी का शिमला केन्द्र २३५ ---५६

हिमालय---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--- पर पर्वतारोहण २५५०--५१

हिमालय प्रदेश (शों)---
के सम्बन्ध में प्रश्न–
वर्षा माप केन्द्र १५३७–३८

हिसाब लगाने की मशीनें---
देखिये "मशीन (नों)"

हिसार---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खुदाई का कार्य १९१३

हीरे (रों)---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जब्त किये गये--- १४५३ ---५:
हीरे २३०९
--- काटने का उद्योग २७३६ –३

हीराकुड बांध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— से नहर २३६७–६८

हुक्म सिंह, सरदार—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कैम्प कालेज, दिल्ली २५००–०१

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २१२८

सशस्त्र बलों में भर्ती २६२६, २६२६–२७

साहित्य अकादमी २४७५

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २६६२

हुगली नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— को बांधना २१८६–८७

हुण्डी बाजार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हुण्डी बाजार १८६२–६४

हुबली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों के आने जाने का समय १८०५–०७

रेलवे क्वार्टर १६४४

विमान क्षेत्र २५६१–६२

हेडा, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोयले का उत्पादन १५०३

गन्ना उपकर १९९८

घड़िया २३२२

धान की खेती का जापानी ढंग २१८६

जन सहयोग २९४२

(हैडा, श्री जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न (जारी)

न्यून आय वर्ग आवास योजना १९५७

बुद्ध जयन्ती २२७१

विदेशी सहायता २०७५

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क १९६१

हैदराबाद को सीधी गाड़ी २४०२

हैदराबाद में पुस्तकालय २१०८

हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३७

के द्वारा प्रश्न

भिलाई इस्पात कारखाना २५४०

मोटर गाड़ियां १५१२–१४

विमान यात्रियों का बीमा १६३१

स्वतंत्र टेलीफोन प्रणाली १६२३

हेमराज, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

खादी २३५८

छावनी पुनर्संगठन २२६४

भारतीय सेना में भरती २५१०

के द्वारा प्रश्न

अनुसूचित आदिम जातियां २१११–१२

केन्द्रीय शाक-सब्जी उत्पादन केन्द्र, नागर २०५३–५४

खनिज मंत्रणा बोर्ड २२७९–८०

चाय उद्योग २१४०–४२

चीगो बकरियों का अभिजनन २२३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५७०

पंचरुखी रेलवे स्टेशन २६१४

पर्यटन २४१५—१७

परोर रेलवे स्टेशन २६०४

पशमीना १५६४

फलों के पार्सलों के लिये डाक सम्बन्धी रियायतें २४४०

यात्रियों को सुविधायें २६०४–०५

हेमराज, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु २४८८ --९०

लवे भ्रष्टाचार जांच समिति २५९९

वन २१८९--९१

विदेशी विशेषज्ञ १७७४-७५

संयुक्त पूंजी समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) १७१६-१७

सुल्लाह रेलवे स्टेशन २६१४

सोना २३०७

हमीरपुर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २२५४

हेलीकोप्टर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बाढ़ नियंत्रण के लिए-- २५३३-३४

हैलीकोप्टर १८२१-२३, १८६०-६१, २२०८-०९

हैदराबाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना १५३१

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना २१२५-२६

कुटीर उद्योग १९४८--५१

डाक कर्मचारी २६०८

दियासलाई के कारखाने २१४९-५०

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास २३५३-५५

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी २३१०-११

भारत-पाकिस्तान यात्रा १९०४-०५

भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी २०९६-९७

हैदराबाद--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

राष्ट्रीय राजपथ २४६०-६१

हाली सिक्का २५१९-२०

हिन्दी में तार २०५९-६०

--की सोने की खानें १८३९, १८६३

--को सीधी गाड़ी २४००-०२

--में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं २०१६-१७

--में जल-सम्भरण योजना २५६५-६६

-- में डाक घर २२४६

-- में पुस्तकालय २१०७-०८

-- में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र २१३६--३९

-- राज्य में श्रम २४६१-६२

-- राज्य सेना भूमि १४९६-९७

हैदराबाद स्वर्ण खान समवाय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

स्त्रियों को नौकरी में रखना १६०३-०५

होशंगाबाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज सर्वेक्षण १४८९

स्पेशल रेलगाड़ियां १६३२

होशियारपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तार घर १८१०-१२

ब्रांच डाक घर २४२२-२३

भूतत्वीय परिमाप १६६९-७१

स्टेशनों का नये ढंग से बनाया जाना २५९८

P. L. S. 30. V. 40. 55.
400

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (चौथा संस्करण) के नियम ३९२ तथा ३९५ के अन्तर्गत प्रकाशित ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शुक्रवार,
१६ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ सितम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान् मुझे यह सूचना देनी है कि राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ सितम्बर, १९५५ को अपनी बैठक में पारित निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं, जो विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ में रूपभेद करने के लिये थे :

(१) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम १७ के उपनियम (३) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that nothing in this sub-rule shall apply where any such person purchases any property forming part of the compensation pool in which case the purchase price may be adjusted against the compensation payable to him in accordance with these rules, notwithstanding that the amount to be adjusted exceeds fifty thousand rupees.

Explanation.—In its application to a Hindu undivided family the limit of fifty thousand rupees shall apply to each share referred to in sub-rule (2) of rule 19."

["परन्तु शर्त यह है कि इस उप-नियम की कोई भी बात ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जबकि कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति खरीदता है जो प्रतिकर पुंज का भाग हो और ऐसी दशा में क्रय मूल्य उस प्रतिकर में से काट लिया जायेगा जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत मिलना है, चाहे काटी जाने वाली राशि पचास हज़ार रुपये से अधिक ही क्यों न हो ।

व्याख्या--हिन्दू अविभक्त परिवार पर लागू होने में पचास हज़ार रुपये की सीमा नियम १९ के उपनियम (२) में निर्दिष्ट प्रत्येक अंश पर लागू होगी ।"]

(२) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम

[सचिव]

१६ में निम्नलिखित संशोधन किये जावें, अर्थात् :

(१) उप-नियम (२) के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), where a deceased member of a Joint Hindu Family has left sons all of whom are less than eighteen years of age, such sons shall, for the purpose of computation of compensation, be reckoned as one member of the family."

["(२क) उप-नियम (२) में किसी बात के होते हुए भी, जब संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई व्यक्ति मरते समय ऐसे पुत्र छोड़ गया हो, जो सभी अट्ठारह वर्ष से कम आयु के हों, तो ऐसे पुत्र प्रतिकर के आकलन के प्रयोजन के लिये परिवार का एक सदस्य समझे जायेंगे ।"]

(२) **व्याख्या** २ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"*Explanation III.*—For the purposes of this rule, the question whether a person is less than eighteen years of age, shall be determined with reference to the date 26th September, 1955."

["**व्याख्या ३**—इस नियम के प्रयोजनों के लिये इस प्रश्न का निर्णय, कि कोई व्यक्ति १८ वर्ष से कम का है या नहीं, इस आधार पर किया जायेगा कि २६ सितम्बर, १६५५ को उस की आयु १८ वर्ष की थी या नहीं ।"]

(३) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें अर्थात् :—

(१) खण्ड (क) में "five thousand rupees" ["पांच हज़ार रुपये"] के स्थान पर "ten thousand rupees" ["दस हज़ार रुपये"] रखा जाये ; और

(२) खण्ड (ख) में—

(क) "in a rural area or a town other than those mentioned in Appendix X" ["किसी ग्रामीण क्षेत्र या परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में"] शब्दों को हटा दिया जाये ; और

(ख) "two thousand rupees" ["दो हज़ार रुपये"] के स्थान पर "ten thousand rupees ("दस हज़ार रुपये"] रखा जाये ।

(४) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम २५ के उपनियम (२) के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"(2) Where the value of the property exceeds the net amount of compensation payable to the applicant, the applicant shall be required to pay the balance—

(*a*) in one lump sum ; or

(*b*) in instalments, as follows :—

(*i*) in the case of property other than an industrial concern—

(*a*) Where the value of the property does not exceed, in the case of a shop in a rural area or in a town other than those mentioned in Appendix X, two thousand rupees and in the case of any other property five thousand rupees in four equal annual instalments.

(*b*) Where the value of the property exceeds the limits specified in clause (*a*) or where the

property consists of a shop situated in a town specified in Appendix X, in two equal annual instalments.

(*ii*) In the case of an industrial concern, in instalments spread over a period not exceeding two and a half years ; or

(*c*) by adjustment against compensation payable in respect of the verified claim of any other person."

["(२) जब सम्पत्ति का मूल्य, प्रार्थी को देय प्रतिकर की शुद्ध राशि से अधिक हो, प्रार्थी को बाकी राशि निम्न प्रकार देनी पड़ेगी :—

(क) एक ही किस्त में, या

(ख) निम्नलिखित ढंग से किस्तों में :—

(१) औद्योगिक उपक्रम को छोड़ किसी अन्य सम्पत्ति के बारे में—

(क) जहां सम्पत्ति का मूल्य किसी ग्रामीण क्षेत्र में या परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त, किसी नगर में किसी दुकान के सम्बन्ध में दो हज़ार रुपये, और किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में पांच हज़ार रुपये से अधिक न हो, चार बराबर वार्षिक किस्तों में ;

(ख) जहां सम्पत्ति का मूल्य खण्ड (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक हो, या जहां सम्पत्ति, परिशिष्ट १० में उल्लिखित किसी नगर में स्थित दुकान हो, दो बराबर वार्षिक किस्तों में ;

(२) किसी औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में, ढाई वर्ष से अनधिक कालावधि में किस्तों में ; या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के प्रमाणीकृत दावे के सम्बन्ध में देय प्रतिकर में से काट कर ।

(५) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १९५५ के नियम २६ के खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :—

"(*ii*) in the case of any other property—

(*a*) where the value of the property does not exceed in the case of a shop in a rural area or in a town other than those mentioned in Appendix X, two thousand rupees and in the case of any other property five thousand rupees, if he pays at once 20 per cent of the value thereof and agrees to pay the balance in four equal annual instalments from the date of the initial payment ;

(*b*) where the value of the property exceed the limit specified in clause (*a*) or where the property consists of a shop situated in a town specified in Appendix X, if he pays at once not less than $33\frac{1}{3}$ per cent. of the value of the property and agrees to pay the balance in two equal annual instalments from the date of the initial payment."

["(२) किसी अन्य सम्पत्ति के बारे में—

(क) जहां सम्पत्ति का मूल्य, किसी ग्रामीण क्षेत्र या परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में किसी दुकान के सम्बन्ध में, दो हज़ार रुपये और किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में पांच हज़ार रुपये से अधिक न हो, यदि वह उस के मूल्य का २० प्रतिशत तत्काल दे दे और बाकी की राशि पहले भुगतान की तिथि से चार बराबर किस्तों में देना स्वीकार कर ले;

(ख) जहां सम्पत्ति का मूल्य खण्ड (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक हो या जहां सम्पत्ति परिशिष्ट १० में उल्लिखित किसी

[सचिव]

नगर में स्थित दुकान हो, यदि वह सम्पत्ति के मूल्य का ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत से अन्यून तत्काल दे दे और बाकी राशि पहले भुगतान की तिथि से दो बराबर वार्षिक किस्तों में देना स्वीकार कर ले ।"]

(६) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ३६ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात् :

(१) खण्ड (क) में "Rupees 5,000" ["५,००० रु०"] के स्थान पर "Rs.10,000 ["१०,००० रु०"] रख दिया जाये ; और

(२) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(b) every government-built shop valued at Rs. 10,000 or less ["(ख) सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक दुकान जिस का मूल्य १०,००० रुपये या उस से कम हो "]

(७) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ४१ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात् :

(१) उपनियम (१) के वर्तमान परन्तुक से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाय :

"Provided that where the value of the property exceeds in the case of a shop in a rural area or in a town other than those mentioned in Appendix X, two thousand rupees and in the case of any other property five thousand rupees and such value is covered by the amount of net compensation payable to such person to the extent of 33⅓ per cent. of the value of the property." ;

["परन्तु शर्त यह है कि जहां सम्पत्ति का मूल्य किसी ग्रामीण क्षेत्र या परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में किसी दुकान के सम्बन्ध में पांच हज़ार रुपये से अधिक हो और ऐसे मूल्य का ३३ $^{१}/_{३}$ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति को देय प्रतिकर की शुद्ध राशि में आ जाता हो" ;]

(२) उप-नियम (१) के वर्तमान परन्तुक में "provided that" ["परन्तु शर्त यह है कि"] के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided further that where the provisions of the preceding proviso do not apply"; and

["परन्तु यह और भी कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक के उपबन्ध लागू न होते हों"] और

(३) उप-नियम (२) में " shall be payable in four equal annual instalments ["चार बराबर वार्षिक किस्तों में देय होगी"] के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाये—

" Shall be payable—

(*i*) where the value of the property does not exeed in the case of a shop in any rural area, or in any town other than those specified in Appendix X, two thousand rupees and in the case of any other property five thousand rupees, in four equal instalments ; and

(*ii*) where the value of the property exceeds the limits specified in clause (*i*) or where the property consists of a shop situated in a town specified in Appendix X, in two equal annual instalments."

["देय होगा—

(१) जहां सम्पत्ति का मूल्य किसी ग्रामीण क्षेत्र में या परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में किसी दुकान के सम्बन्ध में दो हज़ार रुपये या किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में पांच हज़ार रुपये से अधिक न हो, चार बराबर किस्तों में ; और

(२) जहां सम्पत्ति का मूल्य खण्ड (१) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक हो या जहां सम्पत्ति परिशिष्ट १० में उल्लिखित किसी नगर में स्थित दुकान हो, दो बराबर वार्षिक किस्तों में ।"]

(८) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम ४२ के स्थान में निम्नलिखित को रखा जाये, अर्थात् :—

"42. *Government-built residential property in occupation of non-claimants.*—Where a displaced person who does not hold a verified claim is in occupation of a Government-built property which is an allotable property, the property may be transferred to him if he makes an initial payment of—

(*i*) where the value of the property exceeds in the case of a shop situated in any rural area or in any town other than those specified in appendix X, two thousand rupees and, in the case of any other property, five thousand rupees, 33⅓ per cent. of the value of the property ; and

(*ii*) where the value of the property does not exceed the limits specified in clause (*i*) or where the property consists of a shop situated in a town specified in Appendix X—

(*a*) 33⅓ per cent. of the value of the property if the property is situated in an 'A' class colony ;

(*b*) 25 per cent. of the value of the property if the property is situated in a 'B' class colony ;

(*c*) 20 per cent. of the value of the property if the property is situated in a 'C' class colony and agrees to pay the balance of the purchase price—

(1) in case falling under clause (*i*) above in two equal annual instalments ; and

(2) in case falling under clause (*ii*) above, in four equal annual instalments."

["४२. **गैर-दावेदारों के कब्जे में सरकार द्वारा बनाई गई निवास-सम्पत्ति**—जब किसी विस्थापित व्यक्ति, जिस का प्रमाणीकृत दावा नहीं है, के कब्जे में सरकार द्वारा बनाई गई निवास-सम्पत्ति हो, जो आवंटनीय सम्पत्ति हो, तो वह सम्पत्ति उसे हस्तान्तरित की जा सकती है, यदि वह प्रारम्भ में—

(१) जहां सम्पत्ति का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र पर परिशिष्ट १० में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में स्थित दुकान के सम्बन्ध में दो हजार रुपये या किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में पांच हजार रुपये से अधिक हो, सम्पत्ति के मूल्य का ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत ; और

(२) जहां सम्पत्ति का मूल्य खण्ड (१) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक न हो या जहां सम्पत्ति परिशिष्ट १० में उल्लिखित किसी नगर में स्थित दुकान हो—

(क) यदि सम्पत्ति किसी 'क' श्रेणी की बस्ती में हो, तो सम्पत्ति के मूल्य का ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत ;

(ख) यदि सम्पत्ति किसी 'ख' श्रेणी की बस्ती में हो तो सम्पत्ति के मूल्य का २५ प्रतिशत ;

(ग) यदि सम्पत्ति किसी 'ग' श्रेणी की बस्ती में हो तो सम्पत्ति

[सचिव]

का मूल्य का २० प्रतिशत दे दे और क्रय मूल्य की बाकी राशि—

(१) उपरोक्त खण्ड (१) के अन्तर्गत दशा में दो बराबर वार्षिक किस्तों में ; और

(२) उपरोक्त खण्ड (२) के अन्तर्गत दशा में चार बराबर वार्षिक किस्तों में ; देना स्वीकार कर ले ।"]

(६) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ४५ का परन्तुक हटा दिया जाये ।

(१०) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ४६ में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :

"Subject to the proviso to rule 45" ["नियम ४५ के परन्तुक के अधीन रहते हुए"] शब्द हटा दिये जायें ।

(११) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ४८ का परन्तुक हटा दिया जाये ।

(१२) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ६५ के उप-नियम (३) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"Provided that any such application may be entertained after the said date if the Settlement Commissioner is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filling the application in time."

["परन्तु शर्त यह है कि यदि निबटारा आयुक्त का समाधान हो जाये कि प्रार्थी यथेष्ट कारण से समय पर प्रार्थना पत्र नहीं दे सका तो ऐसा प्रार्थना पत्र उक्त तिथि के बाद लिया जा सकता है ।"]

(१३) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ६७ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात् :—

(१) वर्तमान परन्तुक के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाये—

"Provided that—

(*a*) he has not accepted such allotment of the agricultural land or such allotment has been cancelled ;

(*b*) he does not hold a verified claim in respect of any other kind of property, that is to say, for any urban property or for any substantial rural building."

["परन्तु शर्त यह है कि—

(क) उस ने कृषि-भूमि का ऐसा आवंटन स्वीकार नहीं किया है या ऐसा आवंटन रद्द कर दिया गया है ;

(ख) किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति अर्थात् किसी नगरीय सम्पत्ति या किसी सारवान् ग्रामीण भवन के सम्बन्ध में उस का कोई प्रमाणीकृत दावा नहीं है ।"] ; और

(२) वर्तमान परन्तुक के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"Provided further that where any such person is given a rehabilition grant under rule 97A, he shall not be given a rehabilitation grant under this rule."

["परन्तु यह और भी कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को नियम ६७ क के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान दिया जाये, उसे इस नियम के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान नहीं दिया जायेगा ।"]

(१४) कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १६५५ के नियम ६७ के

बाद निम्नलिखित नया नियम जोड़ दिया जाये, अर्थात् .—

"97A. *Rehabilitation grants to persons allotted agricultural land upto two standard acres in Punjab and Patiala and East Punjab States Union.*—Any person who has been allotted two standard acres or less of agricultural land in the State of Punjab or Patiala and East Punjab States Union under any notification specified in section 10 of the Act may be given a rehabilitation grant at the rate of Rs. 450 per standard acre of the area allotted to him :

Provided that—

(*a*) he has not accepted such allotment of the agricultural land or such allotment has been cancelled ;

(*b*) he does not hold a verified claim in respect of any other kind of property, that is to say, for any urban property or for any substantial rural building."

(९७क. **ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान जिन्हें पंजाब और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में दो मान्य एकड़ तक कृषि भूमि आवंटित की गई हो**—किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे अधिनियम की धारा १० में उल्लिखित किसी अधिसूचना के अन्तर्गत पंजाब राज्य या पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में दो मान्य एकड़ या उस से कम कृषि-भूमि आवंटित की गई हो, आवंटित क्षेत्र के प्रत्येक मान्य एकड़ के लिये ४५० रुपये की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जा सकता है :

परन्तु शर्त यह है कि—

(क) उस ने कृषि-भूमि का ऐसा आवंटन स्वीकार नहीं किया है या ऐसा आवंटन रद्द कर दिया गया है ;

(ख) किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति अर्थात् किसी नगरीय सम्पत्ति या किसी सारवान ग्रामीण भवन के सम्बन्ध में उस का कोई प्रमाणीकृत दावा नहीं है ।"]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर हुई चर्चा के दौरान में दिये गये आश्वासन के अनुसार निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७७२ आई० डी० आर० ए०/१५/१ दिनांक १३ अगस्त, १९५५. [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एस०–३३५/५५]

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८०८/आई डी० आर० ए०/१५/२, दिनांक २० अगस्त, १९५५. [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एस०–३३६/५५]

फल उत्पाद आदेश

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : डा० पी० एस० देशमुख की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत फल उत्पाद आदेश की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एस०–३३७/५५].

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : पिछले दिन संभवत: श्री कामत ने यह पूछा था कि क्या ३०

[अध्यक्ष महोदय]

तारीख को सभा अवश्य स्थगित हो जायेगी। उस समय मैं ने इस का निश्चित उत्तर नहीं दिया था। कार्य के भार तथा अविलम्बनीय महत्व को देखते हुए सभा की बैठक एक दिन और अर्थात् शनिवार, १ अक्तूबर को होगी। इसे मैं अन्तिम दिवस मानता हूं।

श्री के० के० वसु (डायमंड हार्बर) : क्या उस दिन प्रश्न नहीं होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उस दिन प्रश्न नहीं होंगे। सामान्यतः बढ़ाये गये दिनों में प्रश्न नहीं होते हैं। सरकार कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। अतः अब संसद्-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, ९ सितम्बर, १९५५ को मैं ने इस सभा में सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम की घोषणा की थी जिस के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने समय आवंटित किया था। तब से समिति ने पांच और मदों पर विचार कर लिया है और उस के द्वारा इन के लिये आवंटित समय के लिये सभा ने भी सहमति दे दी है। इस के साथ ही, सरकार तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है। हम यह सुझाव रखते हैं कि तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक के सारे प्रक्रम, सभा की सहमति के अधीन, दो घंटे के अन्दर ही पूरे हो जायें।

सरकार का विचार चालू सत्र में इन में से कुछ मदों को राज्य-सभा द्वारा भी स्वीकार कराना है। परिणामतः मैं ने जो क्रम पहले घोषित किया था उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५ से पूर्वता का पुनरीक्षित क्रम निम्न प्रकार से होगा :

(१) प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार पर चर्चा ;

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ; प्रवर समिति को सौंपने के लिये;

(३) लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ; प्रवर समिति को सौंपने क लिये ;

(४) पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक;

(५) तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक ;

(६) अनुपूरक मांगें तथा सम्बद्ध नियोजन विधेयक पर चर्चा ;

(७) पराक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक ; राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ;

(८) मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक में, राज्य-सभा का संशोधन ;

(९) भारत की बाढ़ स्थिति पर चर्चा ;

(१०) अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये ;

(११) नदी बोर्ड विधेयक ;

(१२) आर्थिक नीति (कृषि भूमि, ग्राम ऋण सहित) पर चर्चा ;

(१३) मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, यदि समय हुआ तो।

अध्यक्ष महोदय : तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक को, कार्य मंत्रणा समिति को सौंप दिया जाये। वही इस के लिये समय का आवंटन भी कर देगी। यह विधेयक कल ही पुरःस्थापित किया गया था।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह बड़ा छोटा सा विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से छोटा विधेयक होने पर भी कार्य मंत्रणा समिति को सौंपना ही ठीक रहेगा अन्यथा यहां

वाद-विवाद करने में अधिक समय लग सकता है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : हां, मैं सहमत हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों संबंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेगी ।

इस के लिये आवंटित १० घंटों में से ५ घंटे ५० मिनट समाप्त हो चुके हैं और अब यह चर्चा २.३० म० प० तक चलती रहेगी ।

कल मूल प्रस्ताव के स्थान पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, उन के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी सदस्यों ने यह कहा है कि यदि वे अन्यथा ग्राह्य हों तो उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जाये ।

संख्या २६, २७, २८, २९ और ३०

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम्) : इस वाद-विवाद का कितने मंत्री उत्तर देंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : माननीय गृह-कार्य मंत्री आज बोलेंगे और मैं वाद-विवाद को समाप्त करूंगा । मैं ने डा० काटजू से भी कुछ ही मिनटों के लिये भाग लेने का निवेदन किया है और वह स्वयं भी कह चुके हैं कि वह कुछ मिनट बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न तो यह है कि कितना समय हमारे पास है और कितना समय माननीय सदस्यों के लिये रह गया है । मैं समझता हूं कि तीन मंत्री मिला कर १½ घंटा लेंगे ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) अभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । अतः कुछ और समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अतिरिक्त लोग भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं किन्तु प्राथमिकता मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को ही दूंगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : चंकि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और समय बहुत कम है । अतः न तो अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को ही और न और लोगों को ही बोलने का यथेष्ट समय मिल सकेगा । इस कारण मेरा सुझाव सभा के सम्मुख यह है कि यदि तीसरे पहर प्रस्तुत किये जाने वाले ग़ैर-सरकारी विधेयकों को आज न प्रस्तुत किया जाये तो हमें अधिक समय मिल सकता है । यह कार्य भी ग़ैर सरकारी कार्य ही है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के महत्व की दृष्टि से यह सुझाव वास्तव में उचित जान पड़ता है । अतः गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के प्रस्तुत किये जाने के समय का उपयोग इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने में किया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरे दो विधेयक हैं किन्तु मैं चाहता हूं कि पहले इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के पश्चात् उन्हें लिया जाये । मैं समझता हूं कि श्री रेड्डी का यह निवेदन सभा को स्वीकार करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कठिनाई यह है । यदि एक बार ऐसा करने दिया गया तो

[अध्यक्ष महोदय]

मांग बार बार की जाती रहेगी । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है । यदि एक भी सदस्य ने इस का विरोध किया तो मैं इस सुझाव को नहीं मानूंगा ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : यदि हम वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले की भांति देर तक बैठ सकते हैं । यह महत्वपूर्ण विषय है । यदि हम इसी प्रकार अध्यर्पण करते चले गये तो आगे कठिनाई उपस्थित हो सकती है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मेरे माननीय मित्र श्री के० के० बसु ने अपनी असहमति वापस ले ली है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सारी सभा एक-मत है ?

माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सर्वसम्मति से हम ग़ैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये रखे गये समय का उपयोग कर सकते हैं । जिन विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाना है उन के पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् हम फिर इसी चर्चा को आरम्भ कर सकते हैं । विधेयक २.३० पर पुरःस्थापित किये जा सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं अपना विधेयक अभी पुरःस्थापित कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में भी कठिनाई होगी । आखिर जो कुछ हम करते हैं वह आगे के लिये दृष्टान्त बन जाता है । इसलिये अच्छा तो यह होगा कि हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये आवंटित समय को न लें । इस विषय पर अब हम ढाई बजे विचार करेंगे । उसी समय हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये गये समय सम्बन्धी प्रतिवेदन पर भी विचार कर सकते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं ने कहा था ।

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

प्रस्तावक का नाम तथा निर्वाचन-क्षेत्र	संशोधन संख्या
श्री सत्यवादी (करनाल--रक्षित-अनुसूचित जातियां)	२६
श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा--रक्षित-अनुसूचित जातियां)	२७
श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली--रक्षित-अनुसूचित जातियां)	२८
श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित-अनुसूचित जातियां)	२९ और ३०

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलुरू) : मैं इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये समय बढ़ाने के लिये धन्यवाद देता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा के अहरिजन सदस्य भी इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं । मैं पंडित जी० बी० पन्त जैसे महान नेता को इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने के लिये भी बधाई देता हूं । संघ लोक-सेवा-आयोग में एक हरिजन सदस्य की नियुक्ति का प्रश्न पिछले तीन वर्षों से निलम्बित है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

पंडित जी० बी० पन्त के इस विभाग को सम्भालते ही एक योग्य हरिजन सदस्य लोक-सेवा संघ-आयोग का सदस्य बना दिया गया । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही एक इस प्रकार का निदेश राज्य सरकारों को जारी

किया जायेगा कि वे अपने अपने राज्यों के लोक-सेवा आयोग में एक हरिजन सस्दय नियुक्त करें। ऐसा होना अनिवार्य है यह आवश्यकता बहुत दिनों से चली आ रही है और इसके लिये पहले से ही आश्वासन दिया जा चुका है किन्तु राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज एक सवर्ण हिन्दू यह समझता है कि जहां तक हरिजनों की दशा सुधारने का प्रश्न है, उन पर इसका दायित्व नहीं है, जबकि हरिजन यह समझते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है यही कारण है कि सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों के बीच एक तनाव फैला हुआ है। आज हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि इन दो विभिन्न समुदायों के बीच, जो एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, पुनः मेलजोल की भावना उत्पन्न की जाये।

राज्यों के कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो हरिजनों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहमत नहीं हैं। कुछ सवर्ण हिन्दू यह भी समझते हैं कि जब गरीब, अपढ़ तथा बेकार लोग सभी समुदायों में हैं तो फिर केवल हरिजनों की ही दशा सुधारने के लिये प्राथमिकता क्यों दी जाती है? किन्तु वे लोग १९३२ की घटना को भूल जाते हैं। सम्पूर्ण भारतवासियों ने यरवदा जेल तथा बम्बई में यह प्रतिज्ञा की थी कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् हरिजनों की सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। यदि अब सवर्ण हिन्दू ऐसा नहीं करते तो वे राष्ट्र के प्रति ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। हरिजनों के कल्याण के सम्बन्ध में की गई प्रतिज्ञा पालन करनी ही चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि आज हरिजन सन्तुष्ट नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि इतनी राशि हरिजनों पर व्यय करने के बावजूद भी वे सन्तुष्ट क्यों नहीं हैं? मेरे विचार से इस का कारण यह है कि पहले हरिजन अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से अनभिज्ञ थे पर आज वे इस सम्बन्ध में पूर्ण सजग हो गये हैं। अतः पहले जहां वे अपने विशेषाधिकारों की मांग किया करते थे, आज वे उन्हें प्राप्त करने के लिये लड़ते हैं, इस का कारण यह है कि वे यह समझने लगे हैं कि वे भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की योजनाओं से लाभ उठाने का पूर्णाधिकार उन को भी है। इसलिये इस तनाव को दूर करना अनिवार्य है।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें लाखों रुपया हरिजनों, अनुसूचित आदिम-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये छात्र-वृत्तियों पर व्यय करती हैं किन्तु खेद है कि उन की कोई सूची सरकारों के पास नहीं है।

मैं माननीय मंत्री के विचार करने के लिये कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगा। भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राज्यों में हरिजन विभाग ऐसे लोगों को सुपुर्द किये जायें जिन में सवर्ण तथा हरिजन लोगों को विश्वास हो। हरिजन कल्याण विभाग में इस के आंकड़े एकत्र करने चाहियें जिस से किये गये कार्य का पता लग सके। इन कार्यों के अध्ययन तथा सर्वेक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

अस्पृश्यता-निरोधी कार्य के लिये प्रचार किया जाना चाहिये। किन्तु इस से भी आवश्यक कार्य है शिक्षा तथा आर्थिक उन्नति क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक असपृश्यता-निरोधी कार्यों से कोई लाभ नहीं होगा।

आज लोगों को रोजगार देने की समस्या भी प्रमुख है। इस कारण बंजर भमि उन्हें

संबंधी आयुक्त के १९५३
और १९५४ के प्रतिवेदनों
के बारे में प्रस्ताव

श्री बी० एस० मूर्त्ति]

इन को कुछ ऋण भी दिया जा सकता जिस से वे कुटीर उद्योग खोल सकें ।

गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कुछ समय पहले प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि गन्दी बस्तियों को हटा कर उन का सुधार किया जाना चाहिये । अतएव भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को चाहिये कि वे सवर्ण हिन्दुओं के मुहल्लों में भी उन के रहने की व्यवस्था करें । सांस्कृतिक कार्य तथा सामुदायिक संगठन भी होने चाहियें और प्रत्येक स्थान में एक रचनात्मक कार्यकर्ता होना चाहिये जो इन से सम्पर्क स्थापित रखे ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्त्रियों के संगठन तथा बच्चों की शिक्षा का कार्य लिया जा सकता है । कुछ महिला कार्यकर्तायें होनी चाहियें जिन के द्वारा बोर्ड हरिजनों की सफ़ाई तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों की देखभाल कर सके । इन कार्यों को कार्यान्वित करने से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं तथा उन की उन्नति हो सकती है ।

कुछ राज्य सरकारें, विशेषकर आंध्र सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से लाभ नहीं उठा सकी है । इस का कारण यह बताया गया है कि उनके पास निधि नहीं है । अतः केन्द्रीय सरकार को इस की पुनः जांच करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि दिये गये अनुदानों का हरिजनों की स्थिति सुधारने में उचित उपयोग किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : सदन अब आशा करता है कि नये गृह-कार्य मंत्री के आने से सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उद्धार के काम के लिये एक नया उत्साह पैदा होगा ।

सितम्बर के मध्य में हम पिछले वर्ष की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं । मेरे विचार में यह कोई वांछनीय बात नहीं है । मैं श्री जयपाल सिंह के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस रिपोर्ट पर चर्चा प्रत्येक आयव्ययक सत्र में की जाये ।

आयुक्त ने इस रिपोर्ट में अपनी यह वार्षिक शिकायत दुहराई है कि राज्य सरकारें उसे समय पर जानकारी नहीं भेजतीं । मैं यह भी अनुभव करता हूं कि उन के पास कर्मचारी कम हैं । माननीय मंत्री को यह देखना चाहिये कि उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई कठिनाई न हो ।

मुझे यह कहना पड़ेगा कि आयुक्त की रिपोर्ट और विशेषतया उन के दौरों का विवरण उत्साहजनक नहीं है । इन में शीघ्रता से काम करने की भावना नहीं दिखाई देती और न ही यह प्रकट होता है कि हमें इन पिछड़े हुए लोगों पर गर्व है ।

मिदनापुर जिले के सदस्य जानते हैं कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में कितना भाग लिया है, किन्तु मुझे खेद है कि हम इन पर गर्व नहीं करते और यह अनुभव नहीं करते कि यह लोग भारत के रत्न हैं ।

भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री और गृह-कार्य उपमंत्री के भाषणों में आत्म-सन्तुष्टि की झलक दिखाई देती है । डा० काटजू ने कई बार कहा कि इन लोगों के लिये बहुत सा रुपया दिया गया है । किन्तु जैसा कि श्री बर्मन ने कहा था, यह इतना कम है कि न होने के ही बराबर है । पिछले वादविवाद के अवसर पर इन की स्थिति के बारे में श्री बी० एस० मूर्त्ति और श्री पी० एल० कुरील ने बहुत क्षोभ प्रकट किया था ।

आयुक्त और गृह-कार्य मंत्रालय ने कुछ नोट परिचालित किये हैं जिन में बताया गया है कि संसद् में की गई शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है । मैं इन में से कुछ का उल्लेख करता हूं ।

इस शिकायत के बारे में कि प्रगति असन्तोषजनक है, सरकार ने कहा है : "यह एक अस्पष्ट कथन है", जैसा कि सरकार वादविवाद में जीतने की कोशिश कर रही हो ।

भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के बारे में कहा गया है कि राज्य सरकारें इन के पुनर्वास के लिये जो कुछ हो सकता है, कर रही हैं । यह एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि पैप्सू की अनुसूचित जातियों के बारे में आयुक्त ने रिपोर्ट के पृष्ठ ३९ में कहा है "यदि इन्हें अपनी जमीनों या मकानों से बेदखल किया गया, क्योंकि यह निष्क्रान्त सम्पत्ति है, तो ये संकट में पड़ जायेंगे ।" आगे चल कर उन्हों- ने कहा है कि हरिजन किसानों और कृषि- श्रमिकों को, जो किसी नये विधान के कारण बेकार हो जायेंगे कृषि योग्य बनाई गई भूमि दी जानी चाहिये । इन बातों के होते हुए भी सरकार का कहना है कि वह सब कुछ कर रही है ।

मद संख्या ८ के बारे में, जिस में कहा गया है कि बिहार और उड़ीसा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों पर वन विभाग के अधिकारियों ने अभियोग चलाया था और उन्हें जेल में डाल दिया था, उत्तर यह दिया गया है : "आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया है" । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस मामले में और मद संख्या १३ के मामले में, जोकि जनसंख्या के सम्बन्ध में है, क्या किया है ?

मद संख्या १८ में कहा गया है :

"आसाम के स्वायत्त जिलों को दी गई शक्तियों को रद्द करने का अधिक राज्यपाल को नहीं होना चाहिये" ।

इस का उत्तर यह है : "राज्यपाल चूंकि राज्य का अध्यक्ष है, इसलिये उन्हें ने केवल जिला परिषदों के सम्बन्ध में, बल्कि राज्य के सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में भी अधि- भावी प्राधिकार है ।" जहां तक संवैधानिक औचित्य का सम्बन्ध है, यह बहुत बेहूदा बात है, संवैधानिक वकीलों के अनुसार राज्य सरकार की ऐसी कोई 'अधिभावी शक्ति' नहीं है ।

पिछले वर्ष संसद में यह शिकायत की गई थी कि कल्याण कार्य के लिये दिया गया रुपया राजनीतिक प्रयोजनों के लिये खर्च किया जाता है । इस का उत्तर यह है कि यदि ऐसा किया गया तो अनुदान बन्द कर दिया जायेगा । किन्तु श्री जयपाल सिंह ने कल यही आरोप फिर लगाया है । मैं चाहता हूं कि सरकार केवल प्रतिवाद ही न करे, बल्कि ठोस काम कर के दिखाये ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो ।

इस शिकायत के बारे में कि आंध्र में पहाड़ी आदिमजातियों का प्रशासन बहुत खराब है, फिर यही कहा गया है कि इस ओर ध्यान दिया गया है हम यह नहीं जानते कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

त्रावनकोर-कोचीन में हरिजनों के मन्दिरों में प्रवेश के बारे में जो विधि है, उसे लागू करवाने में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट की है । मैं नहीं समझ सका कि इस का क्या कारण है और सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ?

भूमि का प्रश्न बहुत गम्भीर है, किन्तु मैं देखता हूं कि अनुसूचित जातियों से भूमि ले कर राजनीतिक पीड़ितों को दे दी गई है । उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में लोगों को सब से बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता और हम यहां बैठे

अनुसूचित जातियों १६ सितम्बर १९५५ तथा अनुसूचित आदिमजातियों ४०००
सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और
१९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

समाज के निर्माण की बड़ी बड़ी योजनायें बना रहे हैं। आदिम जातियों में उदाहरणतया, टोडों में, कृषि के प्रचार के लिये, इसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ? उन्हें बताया जाना चाहिये कि वे कृषि कैसे करें और उन्हें सब सुविधायें दी जानी चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि आसाम और उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के उन क्षेत्रों में जिन में 'झूमिंग' प्रचलित है, कृषि शुरू करने के लिये क्या किया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि वहां कितने चलते पुस्तकालय भेजे गये हैं और कितनी फिल्में दिखाई गई हैं ? मुझे मालूम हुआ है कि त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों से भूमि छीन ली गई है और उन के स्कूल सरकार की सहायता के अभाव में बन्द हो गये हैं।

नौकरियों के सुरक्षण के मामले में सौराष्ट्र को छोड़ कर, किसी राज्य ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और अनुसूचित जाति के लोगों की नौकरी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे विमान बल में एक भी कमीशन प्राप्त अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है। गत वर्ष नौकरी दफ्तरों के रजिस्टरों में अनुसूचित जाति के उम्मेदवारों की संख्या १५८,२२४ थी और केवल २४,६१४ को नौकरी दी गई थी। अनुसूचित आदिमजातियों के १७,८०६ व्यक्तियों में से केवल ३,२७७ को नौकरी दी गई थी। मैं नहीं समझ सकता कि प्रगति इतनी कम क्यों है ? मैं अनुसूचित आदिमजाति के एक ऐसे विद्यार्थी के मामले को जानता हूं, जो पहले दर्जे की डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा और अन्त में उसे कालेज में अध्यापक बनना पड़ा। आप जानते हैं कि ऐसे अध्यापकों की क्या स्थिति होती है। यह सब कुछ सहानुभति की भावना के अभाव के करण हो रहा है।

जो लोग आदिमजातियों के सुधार का काम कर रहे हैं, उनके प्रधानकार्यालय आदिम जाति क्षेत्रों से कई कई सौ मील दूर है। इसके क्या कारण हैं ? आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो इन आदिम जातियों को भारत की राज भक्ति से दूर करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें कह कर आप इन लोंगो की निष्टा प्राप्त नहीं कर सकते। आप आदिम जाति के लिए स्वायत्त शासन की एक प्रणाली क्यों नहीं बनाते और इन्हें स्वायत्त शासन के कुछ आधिकार क्यों नहीं देते ? दो वर्ष पूर्व स्वर्गीय डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी ने यह सुझाव दिया था कि एक सर्व-दलीय आयोग दो मास तक इन सब क्षेत्रों का दौरा करे। इस सुझाव पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता ?

आयुक्त ने खेद प्रकट किया है कि जहां तक गैर-सरकारी लोगों का सम्बन्ध है, उन में कोई उत्साह नहीं है ? यह उत्साह कैसे हो सकता है जब कि संसद के सदस्यों की एक स्थायी समिति भी नहीं है और आदिम जाति क्षेत्रों के लिए कोई विषेश प्रणाली नहीं है। उन नवयुवकों को जो उनकी भाषाएं सीखते हैं और कहां जा कर रहते हैं, एक विशेष भत्ता क्यों नहीं दिया जाता और देश की विभिन्न आदिमजातियों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोला जाता, जैसा कि चीन में है ? इस के विपरीत हम देखते है कि गृह-कार्य मंत्रालय मनीपुर और त्रिपुरा के आंदोलनों का दमन करना चाहता है।

आयुक्त ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि इस समय हम में उत्साह का अभाव है। उत्साह कैसे हो सकता है ? उसके लिये आपको अपनी एक विशेष धारणा बनानी होगी। भारतीय समाज को कर्म के सिद्धान्त ने बहुत

प्रभावित किया है। हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया जाता है। इसी प्रकार अनेक शताब्दियों से हम ने समाज के एक वर्ग को नीच और अस्पृश्य समझा है। अब हम ने उन्हें 'हरिजन' नाम दिया है और इस तरह उन्हें नई जाति मान कर अब भी पृथक् कर रखा है। मैं तो चाहता हूं कि इन लोगों को औरों की भांति समान अधिकार और समान सुविधायें दी जायें।

मुझे आशा है कि गृह-मंत्रालय हरिजन कल्याण के लिये जागरूक रहेगा। तभी भारत का पुनर्निर्माण सार्थक कहा जा सकता है, अन्यथा हम लोग अपने लक्ष्य में असफल ही कहे जायेंगे।

श्री आई० ईयाचरण (पोन्नानी--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सब से पहले तो मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त को बधाई देता हूं जिन्हों ने इन जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित की है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें हरिजन कल्याण योजनायें लागू नहीं कर रही हैं।

शिक्षा सुविधायें देने के अतिरिक्त सरकार को हरिजनों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का भी प्रयत्न करना चाहिये। यह ठीक है कि हरिजन स्वयं अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, किन्तु वे निर्धन हैं और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

शिक्षित हरिजनों में बेकारी फैली हुई है। मलबार जिले में हरिजनों की जो दशा है, मैं उस से भलीभांति परिचित हूं। पिछले तीन वर्षों से एक भी हरिजन को सरकारी नौकरी में नहीं लिया गया है।

आयुक्त ने १९५१ के प्रतिवेदन में बताया है कि मलबार में ६०,००० हरिजन कृषि सम्बन्धी मजदूरी करते हैं और गुलामों का-सा जीवन व्यतीत करते हैं। सरकार ने उन्हें मकानों की सुविधा भी नहीं दी है।

मलबार किसान अधिनियम में भी कुछ सुधारों की जरूरत है। मलबार में हरिजन झोंपड़ियों में रहते हैं। यदि उस भूमि के मालिक चाहते हैं तो हरिजनों को वहां से निकाल देते हैं। इस अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि इस प्रकार हरिजनों को अपने आश्रय से वंचित न किया जाय।

सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये लोगों को ऋण दिये जाते हैं, किन्तु हरिजन बेचारे उस से भी वंचित रह जाते हैं। उनके लिये कोई भी व्यक्ति जमानत देने को तैयार नहीं होता। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

सरकार को कृषि सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी अधिनियम जल्दी से जल्दी पारित करना चाहिये। मलबार में हरिजन कृषि की मजदूरी करते हैं जिस के लिये उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं।

आयुक्त ने यह भी कहा है कि हरिजन कल्याण के लिये उन्हें जमीनें दी जा रही हैं किन्तु मद्रास में हरिजनों को कोई जमीन नहीं मिल रही है। इसी प्रकार मद्रास सरकार हरिजनों के लिये निश्चित रकम को भी खर्च नहीं करती क्योंकि उस में आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार खर्च करती है। मेरे विचार से तो मद्रास सरकार को उस रकम का ७५ प्रतिशत अंश दिया जाना चाहिये ताकि मद्रास सरकार को यह रकम खर्च करने का अधिकार हो जाये।

दूसरी बात हमें यह मालूम हुई है कि पालघाट में २५ गांव ब्राह्मणों के हैं जहां से किसी हरिजन को गुजरने नहीं दिया जाता। इस की सूचना आयुक्त को दी गई

[श्री आई० ईयाचरण]

है । मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या कायवाही की गई है ।

श्री पी० एन० राजभोज : यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने काफ़ी कष्ट उठा कर सन् ५३ और ५४ की रिपोर्ट्स तैयार कीं और आज सदन में उन पर बहस चल रही है । मैं समझता हूं कि उन रिपोर्टों में कई उपयोगी सुझाव उन्हों ने सरकार को दिये हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि अगर सरकार द्वारा यह मंजूर कर लिये जाते हैं तो हम अछूत भाइयों का इस देश में काफ़ी कल्याण हो जायेगा और हमारी गिरी हुई अवस्था सुधर जायेगी ।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दातार साहब और पन्त जी अछूतों के उद्धार के लिये आवश्यक आदेश जारी करेंगे और मैं मानता हूं कि उन के मंत्रालय ने इस विषय में राज्य सरकारों को आदेश भेजे भी हैं लेकिन कठिनाई यह है कि वे आदेश सिर्फ़ लिखा पढ़ी तक ही सीमित रह जाते हैं और उन पर अमल नहीं हो रहा है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें ताकि जो वे आदेश यहां सेन्टर से जारी करें, उन पर विभिन्न राज्यों में अमल हो । इस के लिये मैं राज्य सरकारों या केन्द्र की सरकारों को क़सूरवार नहीं ठहराता क्योंकि उन का काम तो आदेश जारी करना होता है जोकि वे कर रही हैं लेकिन दोष अधिकारियों का है जिनके कि ऊपर इस काम की ज़िम्मेदारी होती है और वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते ।

जहां तक सर्विसेज़ का ताल्लुक़ है मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा उन में भरना चाहिये और इस के लिये सर्विस सम्बन्धी नियमों में भी तबदीली करने की आवश्यकता है । केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को इस के लिये हिदायत कर देनी चाहिये कि हरिजनों को नौकरियों में भरती करते समय जो भी भरती के नियम और पाबन्दियां हों उन को नर्म कर देना चाहिये ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में नौकरियां पा सकें । हरिजनों के लिये उतने स्ट्रिक्ट क़ानून सर्विस के नहीं होने चाहियें जितने कि सवर्ण हिन्दुओं के लिये होते हैं । अब जहां तक एफ़िशियेंसी (कार्यपटुता) का सम्बन्ध है मैं इस की आवश्यकता महसूस करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि हमारे सरकारी कार्यालयों में एफ़िशियेंसी रहे और काम योग्यतापूर्वक हो और मुझे पूरा भरोसा है कि मौक़ा मिलन पर हमारे हरिजन भाई वैसी ही योग्यता दिखायेंगे जैसी कि सवर्ण लोग दिखलाते हैं लेकिन उस के लिये हमारे दलित भाइयों को चान्स तो मिलना चाहिये । मेरा सुझाव है कि हरिजन उम्मीदवारों से मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी जाये । नौकरियों के विज्ञापनों में हम अक्सर देखते हैं कि इस के लिये ५ वर्ष, ६ वर्ष या दस वर्ष का तजुर्बा डिमांड किया जाता है, अब आप समझ सकते हैं कि हम दलित हरिजन भाई जो वर्षों से गिरी हुई अवस्था में रहते आये हैं, उन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन के पास यह तजुर्बा होगा । हमारे जो नौजवान शिक्षित लोग हैं और बी० ए०, और एम० ए० पास कर चके हैं, उन को सरकार को जल्द से जल्द नौकरियां देनी चाहियें ।

फ़ारेन स्कालरशिप्स के बारे में मुझे यह कहना है कि इन को बन्द न किया जाये और हमारे भाइयों को उस में चान्स मिलना चाहिये । आप को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारी जातियों के लिये नया

नेतृत्व होना आवश्यक है और यह नेतृत्व आखिर हमारे नौजवानों में से ही तैयार होगा, इसलिये यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे नौजवानों को चांस दिया जाये। हमारे नौजवानों को उत्तम शिक्षण और टेकनिकल ट्रेनिंग देने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये और अगर आप यह सब करेंगे तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारे नौजवान आप को निराश नहीं करेंगे और योग्य साबित होंगे और देश और समाज का सिर ऊंचा करेंगे ।

इन के अलावा जो हमारे अनपढ़ और ग़रीब किसान मज़दूर लोग हैं उन के लिये सरकार को विशेष तौर पर सहायता देनी चाहिये । जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उन को सरकार की तरफ़ से कुछ ज्यादा सहायता मिलने की आवश्यकता है। पहला सवाल ज़मीन का है । जो खेती करता है, ज़मीन उस की होनी चाहिये, यह सिद्धान्त आप ने मान लिया है । बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन के कि पास ज़मीन नहीं है, उन को ज़मीन देना चाहिये । हरिजनों का अगर आप उद्धार करना चाहते हैं तो ज़मीन का सवाल आप को पहले पहल हल करना होगा। हमारे भाई बहुत मेहनती और जफ़ाकश हैं और कष्ट उठाने में कोई उन की बराबरी नहीं कर सकता है । उन को ज़मीन मिल जायेगी तो वह ऐसी मेहनत से खेतीबाड़ी करेंगे कि आज की अपेक्षा दुगना उत्पादन होने लगेगा। यह सवाल सारे राष्ट्र का है, अकेले राज्यीय सवाल नहीं हैं, इस का राष्ट्रीय महत्व है तभी तो इस ओर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा घुले, कर्मवीर श्री शिन्दे, शाहू क्षत्रपति और महाराजा गायकवाड़ आदि लोगों ने हरिजनों के उद्धार के लिये प्रचार और प्रयत्न किया लेकिन वह काम अभी भी अधूरा है और पूरा नहीं हुआ है । अछूतोद्धार का प्रश्न किसी पार्टी विशेष का नहीं है बल्कि यह तो समस्त राष्ट्र का प्रश्न है। हम आये दिन भारतवर्ष की अनेक पार्टियों को अछूतों के सम्बन्ध में बात करते सुनते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि खाली बात करने से काम चलने वाला नहीं है बल्कि ज़रूरत है उस को अमली जामा पहनाने की और लोगों में घुम कर रचनात्मक कार्य करने की, राजनैतिक पार्टियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र में उतर कर काम करना चाहिये। इस के अतिरिक्त हमारे सवर्ण भाइयों का कर्तव्य हो जाता है कि अछूत जोकि उन के भाई हैं और उन के धर्म के एक अंग हैं, उन को गिरी हुई अवस्था से ऊपर उठायें और इस लायक़ बनायें कि वे भी समर्थ हो कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश का काम कर सकें ।

हमारे कुछ भाइयों ने यह सुझाव दिया है कि हरिजनों को जो रिज़रवेशन मिल रहा है वह खत्म कर देना चाहिये, मैं उस से सहमत नहीं हूं क्योंकि जब तक अछूत गिरी हुई अवस्था में रहते हैं और उनका उद्धार नहीं हो जाता तब तक उनको रिज़रवेशन मिलना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह जो हमारे अछूत भाइयों की तरफ़ से मांग की गई है कि अस्पृश्यों के लिये अलग बस्तियां होनी चाहियें, वह गलत मांग है और यह स्वयं हरिजनों के हक़ में अनिष्टकर होगी । धर्मान्तर और अलग बस्तियों की बात करना निराशावाद का द्योतक है । अछूत हिन्दू जाति के एक अंग हैं और हिन्दू जाति से अलग होना मैं उचित नहीं समझता । हमें हिन्दू समाज में ही रहना है । शहरों और गांवों में सवर्ण हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त कर के हमें उन के बीच में रहना है । मैं ने अपने संशोधनों में एक में शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये एक सेप्रेट मंत्रालय बनाने की मांग की है और दूसरे में यह

[श्री पी० एन० राजभोज]

मांग की है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । अपने ७ नवम्बर के अमेंडमेंट में मैं ने सर्विसेज़ में रिप्रेज़ेंटेशन के बारे में कहा है और ८ नम्बर के अमेंडमेंट में एक सेप्रेट मिनिस्ट्री के बनाने के लिये कहा है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार ने रेफ्यूजीज़ की प्राब्लम हल करने के लिये एक सेप्रेट मिनिस्ट्री बनाई उसी तरह से यदि हरिजनों के वास्ते एक अलग मंत्रालय बनाया जायेगा तो यह मामला ठीक तरह से हल हो सकेगा ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये सर्विसेज़ में रिज़रवेशन होना चाहिये और स्कालरशिप्स और अधिक उन को दिये जाने चाहियें । साथ ही गांवों में हमारे बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिये क्योंकि जब तक हमारे बीच से अविद्या का नाश नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है । देहातों में जो हमारे खेतिहार लोग हैं और जो खेतों में मज़दूरी करते हैं उन को धंधा रोज़गार देना चाहिये और इस का प्रबन्ध करना चाहिये कि वे बेकार न रहें । हमारें अछूत भाइयों को ज्यादा से ज्यादा ज़मीन देनी चाहिये । सरकार को इस ओर अपने सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

एक बात हमें सदैव स्मरण रखनी है कि धर्मान्तर से हमारी समस्या हल होने वाली नहीं हैं । अभाग्यवश जो हमारे बहुत से भाई ईसाई बन गये या मुसलमान बन गये तो क्या उस से हमारा उद्धार हो गया ? मैं मानता हूं कि ईसाई लोगों ने हरिजनों को बहुत सहायता पहुंचाई है और हम उस के लिये उन के शुक्रगुज़ार हैं लेकिन यह जो हमारे लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है, वह निन्दनीय है और उस को बन्द करना चाहिये । उनके बारे में एक किताब "भारत में भयंकर ईसाई षड्यंत्र" भी छपी हुई है जिस में कहा गया है कि हरिजनों में से कितने ईसाई हो गये हैं । क्या क्या काम किया है और क्या क्या षड्यन्त्र हो रहा है, वह तो सब ठीक है लेकिन हमारे भाइयों को धर्म बदलने के लिये बहकाना ठीक काम नहीं है और सरकार को इस पर कोई अंकुश लगाना चाहिये । हमारे एक बड़े नेता जिन से आज मेरे विचार मेल नहीं खाते, वे बुद्ध मज़हब अंगीकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हरिजन लोग बुद्ध मज़हब में आ जायें, मैं इस को मानता हूं कि बुद्ध मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है और उस के सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं, इसी तरह सिक्ख धर्म भी काफी अच्छा धर्म है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हरिजनों के बुद्ध या सिक्ख मज़हब में दाखिल हो जाने से उन का उद्धार हो जायेगा । हमारा सवाल आर्थिक और सामाजिक है और मैं उन लोगों की धर्मान्तर की नीति से सहमत नहीं हूं और मैं उस को गलत नीति समझता हूं । हमारी कोशिश है कि अपने हिन्दू धर्म को आदर्श धर्म बनाने की कोशिश करें और सनातन धर्म में रहते हुए, हरिजनों में रचनात्मक कार्य करते हुए उनकी अवस्था में सुधार लायें । मैं हिन्दू समाज और दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वह हरिजनों के लिये अलग से बस्तियां बनाने की बात न करें । इस तरह से जो हमारे प्रश्न हैं वह हल नहीं हो सकते, इस से तो कटुता ही बढ़ेगी । मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हिन्दू समाज से अलग होना नहीं चाहते, हम हिन्दू समाज में ही

रहना चाहते. हम हिन्दू समाज का एक अंग हैं और एक अंग रहेंगे । हम ने और आप ने दोनों ने ही मिल कर अछूतों का उद्धार करना है । इस काम में अछूत भाइयों को भी हाथ बटाना है और हिन्दू समाज को भी चाहिये कि वह हमें ऊंचा उठाने के लिये कार्य करे । धर्मान्तर और अलग बस्तियां बसाने की बात करना एक प्रकार से निराशा-वाद की बात करना है । धर्मान्तर से हमारा प्रश्न हल होने वाला नहीं है । हम हिन्दू समाज के एक घटक हैं और हिन्दू समाज में ही हम को रहना है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है । कई सालों की गुलामी के बाद हम को आज़ादी मिल गई है और यह आज़ादी तभी कायम रह सकती है अगर हम सब मिल जुल कर कार्य करें । इस के लिये हम सब को रचनात्मक कार्य करना है और अगर हम ने इस कार्य को तन, मन धन से किया तो देश का बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है । बगैर रचनात्मक कार्य किये हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता है । मैं यह भी चाहता हूं कि रचनात्मक कार्य करने वाली जो संस्थायें हैं उन को बहुत कम सहायता मिल रही है । जो पंच वर्षीय योजनायें हमारे देश में बन रही हैं यदि हमें उन को सफल बनाना है तो हम सब को मिल कर काम करना चाहिये । मैं समझता हूं कि हम कोई काम गाली देने से, गन्दा बोलने या बुरी दृष्टि से देखने से नहीं कर सकते हैं । उद्धरें दात्मनात्मानम् । अगर हमें कोई काम करना है तो हम को चाहिये कि हम सब मिल जुल कर उस को करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं । हरिजनों को भी चाहिये कि वह अपने उत्थान के लिये हाथ बटायें और हिन्दुओं को भी उन से घृणा नहीं करनी चाहिये और उन को हिन्दू समाज से अलग नहीं समझना चाहिये । इसलिय मेरी प्रार्थना हैं कि जो सुमेंडमेंट मैं ने दिये हैं उन को मान लिया जाये।

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

अन्त में मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं । अब्राहम लिंकोलन ने कहा है :

"आप सभी व्यक्तियों को थोड़े समय के लिये धोखे में डाल सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को सदा के लिये धोखे में रख सकते हैं परन्तु सभी व्यक्तियों को सदा के लिये धोखे में नहीं रख सकते ।"

इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें इन लोगों को हमेशा दबाते नहीं रहना चाहिये और इन को ऊपर उठाना चाहिये और हरिजनों को भी ऊपर उठना चाहिये अपनी कोशिश से । जो लोग हंसे हैं और हेयर हेयर जिन्हों ने कहा है, मेरे खयाल में वह इस बात को समझे नहीं हैं । मेरी शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं है लेकिन हमारे समाज को जो गलत रास्ता बताते हैं उन के विरुद्ध है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह एक खेद का विषय है कि जो प्रतिवेदन १९५३ और १९५४ के बारे में है, उसे हम १९५५ में सभा में देख रहे हैं । मैं अपने हरिजन भाइयों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति का इस में कोई दोष नहीं है बल्कि सरकार ही सभा की चर्चा का समय निश्चित करने में विलम्ब करती है और वह विषय पुराना हो जाता है ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि श्री श्रीकान्त का यह प्रतिवेदन प्रभावोत्पादक नहीं है किन्तु मैं ने इस का अध्ययन किया है और मैं तो यही कहूंगा कि यह अत्यन्त सुन्दर है । पिछले वर्ष श्री राजभोज ने कहा था कि एक हरिजन मंत्रालय बनाया जाना चाहिये । विचार तो अच्छा है किन्तु मुझे बंगाल की एक लोकोक्ति याद आ जाती है और उस का अर्थ यह है कि जो भी लंका में जाता है वह रावण हो जाता है । यही दशा हमारे मंत्रियों की है ।

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[श्री एन० सी० चटर्जी]

मैं अपने मित्र श्री बर्मन की एक बात से बड़ा प्रभावित हुआ । उन्हों ने बताया कि १९५४ और १९५५ में भारतीय प्रशासन सेवा के लिये १७१ हरिजनों ने परीक्षा दी किन्तु उन में से एक भी नहीं लिया गया । इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के लिय ८२ हरिजनों ने परीक्षा दी और सब के सब असफल रहे । यह एक गम्भीर विषय है । मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस विषय में पूछताछ करेंगे । इतना ही नहीं उन्हें शिक्षा की भी उचित सुविधायें दी जानी चाहियें ।

पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में आयुक्त ने कहा है कि राज्यों में अस्पृश्यता निवारण में विशेष उन्नति नहीं हुई है । मुझे तो यह बात अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है । हम दिल्ली में ही देखते हैं कि अस्पृश्यता मौजूद है और पुलिस के आदमी स्वयं उसे प्रोत्साहित करते हैं ।

मैं एक ऐसे दल का सदस्य हूं जिस ने बहुत पहले ही अस्पृश्यता दूर करने की नीति अपना रखी है । पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानन्द इसी नीति के समर्थक थे । हिन्दुओं के कल्याण के लिये अस्पृश्यता निवारण आवश्यक है ।

दो महीने पहले लन्दन में बी० बी० सी० से बोलते समय जब मुझे से पूछा गया कि क्या भारत में अस्पृश्यता दूर कर दी जायगी ? तो मैं ने कहा कि हां ; मेरे मरने से पहले यह काम हो कर रहेगा और यदि न हुआ तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मैं एक हरिजन बनूं ताकि अस्पृश्यता निवारण का मुझे सदैव ध्यान रहे ।

मुझे आशा है कि माननीय गृह-मंत्री हरिजनों के उद्धार के लिये निरन्तर प्रयत्न-शील रहेंगे । जब तक सारा देश इस के लिये प्रयत्न न करे तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता । स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा था कि इस काम के लिये सब दलों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिये ।

१९५४ में हम ने अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पारित किया था जिस के लिये हम ने राज्यों की २१ विधियों को निरसित किया । इस काम में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है ।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि संसद् द्वारा पारित अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी अधिनियम व्यवहार में नहीं लाये जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिये निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिये । राज्य सरकारों को ऐसी शिक्षा संस्थाओं की सूची तैयार करनी चाहिये जहां अब भी अस्पृश्यता चल रही है । मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता निवारण हेतु सरकार की सहायता से एक महान आन्दोलन प्रारम्भ किया जाये ।

जब मैं यूरोप से लौटा तो मुझे बताया गया कि डाक्टर अम्बेडकर ने एक सुझाव दिया है । उसे सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ । वे कहते हैं कि संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को जो रक्षण प्रदान किया गया है उसे हटा लिया जाना चाहिये । कहां तो वे हरिजनों के रक्षण के लिये सब से आगे बढ़ कर हाथ फैलाते थे और कहां अब वे उस का विरोध कर रहे हैं । मुझे आशा है कि ऐसी बात स्वीकार नहीं की जायेगी । हम लोग जातपांत के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं और हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिये । हम समझते थे कि भारत के विभाजन से जातपांत की समस्या हल हो जायेगी किन्तु हल होने के बजाय

उस ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। मुझे आशा है कि हरिजन अपने आप को समाज से पृथक् नहीं समझेंगे। हमें कोई हरिजनिस्तान नहीं बानाना है। जहां तक नौकरियों में स्थान देने का प्रश्न है, सरकार को इस का ध्यान रखना चाहिये। श्री कामत ने तो एक दिन प्रश्न भी किया था कि सरकार ने अस्पृश्यता के अपराध में कितने लोगों को दण्ड दिया है क्योंकि अब तो हम ने अस्पृश्यता को हस्तक्षेप्य अपराध मान लिया है। क्या उसे व्यवहार में नहीं लाया जायेगा ?

रवीन्द्र ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है कि अभागा भारत आज इतना पतित हो गया है कि देश के लाखों लोगों को पांवों तले कुचला जा रहा है। निःसन्देह हमें इस अभिशाप को सदा के लिये दूर कर देने की आवश्यकता है। तभी हमारा राष्ट्र सुचारु रूप से संगठित हो सकेगा।

श्री बी० आर० वर्मा (जिला हरदोई–उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद–पूर्व व जिला शाहजहांपुर–दक्षिण–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर, श्री एल० एम० श्रीकान्त को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता, जिन्हों ने अथक परिश्रम कर के, और देश के कोने कोने का दौरा कर के शिड्यूल्ड कास्ट्स के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे श्रीकान्त साहब ने हरिजनों की एक सब से गिरी हुई जाति, एक सब से गिरे हुए समाज, की अवहेलना की है, जिसे हम धोबी कहते हैं। उन्हों ने इस समाज की अपेक्षा की है। हम यह समझते थे कि इस रिपोर्ट में इस गिरे हुए समाज की भी समस्याओं का जिक्र होगा, लेकिन जब हम यह मोटी रिपोर्ट देखते हैं तो उस में इस गिरे हुए धोबी समाज के बारे में कुछ नहीं पाते हैं। आप जानते हैं और समझते हैं कि हिन्दुस्तान में धोबियों की हालत दूसरे हरिजनों के मुकाबले में ज्यादा गिरी हुई है। वे इकानमिकली (आर्थिक दृष्टि से) निर्धन हैं, एजूकेशनली (शिक्षा की दृष्टि से) अपढ़ हैं और उन की सामाजिक हालत यह है कि वे अछूत और अनटचेबिल हैं। फिर भी उन की समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। आज इस हिन्द की राजधानी दिल्ली में धोबियों की आबादी लगभग २५,००० के होगी, लेकिन गरीबी के कारण दिल्ली में पच्चीस भी धोबी ऐसे नहीं हैं जिन के अपने निजी मकान हों। ऐसा क्यों है। यह उन की गिरी हुई आर्थिक दशा के कारण है कि वे अपने रहने के लिये कच्चे पक्के, टूटे फूटे मकान भी नहीं बना सकते। न उन को इस दिशा में किसी तरह का प्रोत्साहन ही दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि तमाम गरीब धोबी यमुना के किनारे झोंपड़ियां डाले, पाल डाले या टेंट डाले पड़े हुए हैं। उन का कोई पुरसां हाल नहीं है। बहुत से सड़कों के किनारे और धोबी घाटों पर पाल और टेंट डाले पड़े हैं। जाड़े की सर्दी में और गर्मी की लू में इन के बच्चे यहीं रहते हैं। आज तक उन के रहने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। एक ओर हम यह देखते हैं, दूसरी ओर हम सुनते हैं कि फलां जगह पर भंगियों की कालोनी बनी है। फलां जगह पर महार बस्ती बनी है। फलां जगह पर मोची कालोनी है, तो हम को अफसोस होता है कि हरिजनों में इतने गिरे हुए धोबी समाज के रहने के लिये कोई इन्तिजाम नहीं हो रहा है।

कुछ धोबी लोग सरकारी बंगलों के सरवेंट्स क्वार्टर्स में रहते हैं। उन की दशा बहुत गिरी हुई है। वहां रहते हुए भी उन को विश्वास नहीं होता कि वे वहां रहते हैं। क्योंकि जिस वक्त अफसर ने चाहा कान पकड़ कर निकाल दिया, उन का सामान फेंक दिया। इस के अलावा हर एक सरवेंट क्वार्टर में रहने वाले धोबी को बीस रुपये

[श्री बी० आर० वर्मा]

से ले कर ३० रुपये माहवार तक किराया देना पड़ता है और अधिकतर मालिकों के कपड़े भी मुफ्त में धोने पड़ते हैं । यहां के धोबियों ने बड़ा शोरगुल मचाया और शान्ति के साथ प्रदर्शन भी किया लेकिन नक्कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है । यह है उन के रहन सहन की हालत । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आगामी पंचवर्षीय योजना में उन के रहने का समुचित प्रबन्ध किया जाये । जिस तरह से भंगी कालोनीज़ बनाई गई हैं, महार कालोनीज़ बनाई गई हैं, मोची कालोनीज़ बनाई गई हैं, उसी तरह से धोबियों के लिये भी धोबी कालोनी बनाई जाये और अगर ऐसा करना सम्भव न हो तो मेरा सरकार को दूसरा सुझाव यह है कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जितनी भी कालोनीज़ बनी हैं उन में कम से कम ५ पर सेंट क्वार्टर हमारे धोबियों के लिये रिजर्व कर दिये जायें । अगर ऐसा नहीं होता है तो उन की हालत खानाबदोशों की तरह होती चली जायेगी ।

आप जानते हैं सभापति महोदय कि दिल्ली के अन्दर कम से कम ५० या ६० बड़ी बड़ी लांड्रीज़ या कपड़ा धोने के कन्सर्न गैर धोबियों ने खोल रखे हैं । इन लोगों ने जोकि पैसे वाले हैं, लाखों रुपये लगा कर ये कन्सर्न खोल रखे हैं जिस के कारण धोबियों का पेशा छिनता जाता है और बहुत कुछ छिन गया है । आज से कुछ साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस समय मिलिटरी और बड़े बड़े दफ्तरों में के धुलाई के तमाम ठेके केवल धोबियों को दिये जाते थे । आज हम देखते हैं कि ये तमाम ठेके गैर धोबियों को दिये जाते हैं । उन के यहां हमारे धोबी काम करते हैं लेकिन उस का फायदा बड़े आदमियों के घर में जाता है । इस तरह से गरीब धोबी और गरीब होते चले जाते हैं और बड़े आदमी और बढ़ते जाते हैं । आज हम हिन्द में समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं । क्या इसी प्रकार हम समाजवादी समाज ... रचना करेंगे । जिस में गरीब और पिसते जायें और मालदार और मालदार बनते जायें । सरकार भारत में हरिजनों के लिये करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन दूसरी ओर हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट कहे जाने वाले धोबियों का पेशा तक छीन लिया गया है और रोज छीना जाता है । जिस तरह से ब्रिटिश शासन काल में मिलिटरी और दफ्तरों में तमाम धुलाई के ठेके केवल धोबियों को दिये जाते थे, क्या हमारी लोकप्रिय सरकार के शासन काल में ये ठेके धोबियों को नहीं दिये जा सकते ? क्या इन ठेकों के लिये केवल धोबियों से ही टेंडर नहीं मांगे जा सकते । आज तो हम देखते हैं कि केवल मालदार गैर आदमी फायदा उठाते हैं और धोबी लोग उन के यहां गुलामों की तरह काम करते हैं । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मिलिटरी के और सारे सरकारी दफ्तरों के धुलाई के ठेके केवल धोबियों को ही दिये जायें क्योंकि यह उन का जातीय पेशा है । पैतृक धन्धा है । और इसी पर उन की जीविका आधारित है ।

आज सरकार द्वारा हरिजनों के अप-लिफ्ट (उद्धार) के लिये तरह तरह के उद्योग धन्धे खोले जाते हैं, जैसे बढ़ई का रोजगार सिखाया जाता है, रंगाई का रोजगार सिखाया जाता है, छपाई का रोजगार सिखाया जाता है, चमड़ा बनाने का रोजगार सिखाया जाता है । क्या इसी तरह से धोबी का काम किस तरह से आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाये इसके लिए शिक्षण शिविर नहीं खोले

जा सकते । शायद इनकी ओर इसलिये ध्यान नहीं दिया जाता कि ये लोग औरों की तरह सरकार को अधिक परेशान नहीं करते हैं । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से अन्य पेशों को प्रोत्साहन दिया जाता है उसी तरह से धोबी के पेशे को भी प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जाये और इस काम को वैज्ञानिक ढंग से करना सिखाने के लिये शिक्षण शिविर खोले जायें ताकि धोबी लोग 'इस पेशे को अच्छी तरह आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कर सकें । उसके अतिरिक्त जिस तरह से सरकार ने हाथकरघा उद्योग को जीवित रखने के लिए मिलों पर प्रतिबन्ध लगाया है कि मिलें केवल एक अमुक संख्या में धोतियां और साड़ियां बनावेंगी बाकी हाथकरघा से बनेंगी, इसी तरह से मैं सरकार के आगे यह सुझाव रखना चाहता हूं कि देहली तथा अन्य बड़े बड़े शहरों में एक या दो से ज्यादा बड़ी बड़ी लांड्रीज़ या कम्पनियां गैर धोबियों को न खोलने दी जायं । इस तरह से हमारे धोबियों का पेशा बचा रहेगा और वे अपना पैतृक धंधा करके अपने बच्चों को पाल सकेंगे ।

मैं एक प्वाइंट और सभा के सामने रखना चाहता हूं । और वह यह है कि धोबी इतने गरीब होने पर भी, इतनी माली हालत उनकी खराब होने पर भी, म्यूनिसपैल्टियों द्वारा उनके ऊपर भट्टी टैक्स, लाइसेंस फीस और दूसरे तरह तरह के टैक्स लगाये जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या और भी किसी दूसरे पेशे वालों पर भी इस तरह के टैक्स म्युनिसपैल्टियों द्वारा या सरकारों द्वारा लगाये गये हैं ? हम जानते हैं कि सन् ४८ के पहले किसी तरह का टैक्स धोबियों के ऊपर नहीं लगाया जाता था लेकिन आज हमारी लोकप्रिय सरकार के राज्य में लाइसेंस फीस और भट्टी टैक्स लिया जाता है, वाटर टैक्स लिया जाता है,मीटर टैक्स फीस ली जाती है, सफाई टैक्स लिया जाता है और टोल टैक्स लिया जाता है । इतने सारे टैक्स देकर भी धोबी कौम जिन्दा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है । मैं सरकार से दृढ़ता के साथ कहूंगा कि इस तरह के पेशा करने वालों पर यह सारे टैक्स लगाना अनुचित है । उनपर भट्टी टैक्स लगाना, लाइसेंस फीस लेना ठीक नहीं है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह म्यूनिसपैल्टियों को इस तरह के टैक्स धोबियों से न लेने के लिये बाध्य करें ।

मैंने आन्ध्र में दौरा किया तो देखा कि वहां पर धोबियों की हालत और भी अधिक शोचनीय है । वहां पर उनको कपड़ा धोने के लिये टैंक नहीं दिये जाते और कई गांवों के धोबियों के लिए केवल एक तालाब दे दिया जाता है जहां कि सारे धोबी कपड़ा धोते हैं और जो कि बिलकुल नाकाफी होता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश में धोबियों की इस कठिनाई को हल करने का प्रयत्न किया जाये और ऐसा प्रबन्ध किया जाये ताकि हर एक गांव में धोबियों के लिए अलग अलग तालाब हों। शहरों में भी धोबियों की आवश्यकता अनुसार दो दो तीन तीन तालाब एलाट किये जाने चाहियें, साथ ही साथ तालाबों के चारों तरफ कपड़े सुखाने के लिए ज़मीन एलाट की जानी चाहिये । जितने तालाब धोबियों को अलाट हों उनकी मछलियां भी उन्हीं को दी जायें। आज हमारे पास वहां से दरख्वास्तें आती हैं कि हमारे पास तालाब नहीं हैं और हमको ज़मीन कपड़े सुखाने के लिए नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हमको बड़ी परेशानी अनुभव होती है । इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में हम देखते हैं कि वहां पर भी धोबियों से लाइसेंस फ़ीस ली जाती है और लाइसेंस का पैसा ले कर उन को यह धोबी का पेशा करने दिया जाता है । मैं पूछता हूं कि क्या यह अन्याय नहीं है । हम कोई रोज़गार तो कर नहीं रहे हैं, हम

[श्री बी० आर० वर्मा]

तो अपना जो एक पैतृक धंधा है उस को करते हैं और उस के ऊपर यह लाइसेंस लगाना, मेरी राय में हमारे धोबियों के साथ अन्याय करना है । मैं अपने शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जब अगली मर्तबा वह अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करें तो धोबियों की भी समस्याओं पर सरकार का विशेष तौर पर ध्यान खींचें । जहां तक धोबियों के बच्चों की शिक्षा, दीक्षा आदि का ताल्लुक़ है, हमारा धोबी समाज इतना अपढ़ है कि मैं समझता हूं कि हमारे में शायद एक फ़ीसदी आदमी भी पढ़े लिखे आप को नहीं मिलेंगे और जब हमारे बीच में इतनी अशिक्षा है तो सरकारी नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व हो ही क्या सकता है । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि समस्त धोबी जाति के लड़कों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये और अनिवार्य रूप से दी जाये । उन को आगे पढ़ने के लिये अनिवार्य रूप से छात्रवृत्तियां भी दी जायें ।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह धोबी समाज एक पंचायती समाज है और इसलिये हर शहर में उन को अपने पंचायतघर बनाने के लिये थोड़ी सी ज़मीन और कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाये, जहां वे अपना पंचायतघर बना कर अपने सामाजिक तथा पंचायती कार्य कर सकें । मुझे आशा है कि भारत सरकार प्रत्येक राज्य को इस सम्बन्ध में यथोचित आज्ञा यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करेगी ।

जब तक धोबियों के मकानों का कोई इन्तज़ाम न हो सके उन की कोई कालोनी न बने, मैं होम मिनिस्टर साहब और दातार साहब से यह निवेदन करूंगा कि तब तक के लिये उन के वास्ते कोई दूसरा इन्तज़ाम करें । मैं ने सुना है कि दिल्ली की जेल यहां से दूर जगह पर जा रही है, इसलिये मेरा सुझाव है कि तब तक के लिये दिल्ली जेल धोबियों के लिये एलाट कर दी जाये और क्योंकि वहां पर इतनी जगह है कि मैं समझता हूं कि क़रीब ५०० परिवार भली प्रकार वहां रह सकेंगे । बस इतना कह कर मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं ।

डा० सत्यवादी :

अहले दिल का नहीं इस दौर में पुरसां कोई,
लिये फिरता है मताये गमे पिन्हां कोई ।

मैं बहुत थोड़े समय में सिर्फ़ दो, चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूं । रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यह भी अक्सर शिकायत की गई है कि देर से इस पर बहस हो रही है । इस विषय में मैं एक बात सुझाव के तौर पर अर्ज़ करूंगा । इस देर की वजह से यह खयाल पैदा हो गया है कि जो हरिजनों की समस्या है उस को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि उसे मिलना चाहिये । हरिजनों की समस्या इस से कोई दोस्त इन्कार नहीं करेगा कि एक नेशनल प्राब्लम है और उसे एक नेशनल प्राब्लम की तौर पर ही लिया जाना चाहिये । आप को मालूम है कि पिछले दिनों मुल्क में अनाज की कमी हुई । हम ने उस को टौप प्राएरटी दी और उस को हल करने के लिये अपने तमाम ज़राये और अपनी तमाम तवज्जह लगा दी और उस को आखिरकार हम ने हल कर लिया । इसी तरह से अगर इस समस्या को भी एक नेशनल प्राब्लम के तौर पर ले कर हम चलें और टौप प्राएरटी के साथ उस के लिये हर बात पर ज़ोर दें, उस को महत्व दें तो कोई कारण नहीं है कि इतना ज़ोर लगाने पर भी हम अपने मक़सद में कामयाब न हों । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के लिये यही काफ़ी नहीं है कि

शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट साल में एक बार पेश हो जाये और उस के ऊपर हम दो, चार घंटे यह बहस कर लें। हम देखते हैं कि इस समस्या के हल होने में बहुत बड़ी सुस्ती सरकारी कर्मचारियों की तरफ़ से होती है और जब सरकारी कर्मचारी यह जानते हैं कि आप साल में दो, चार घन्टे पार्लियामेंट में एक बार खड़े हो कर नुक्ता-चीनी कर देंगे और फिर तो साल भर हमें मिलता है इस बात के लिये कि हम उस नुक्ताचीनी के जवाब में इन हरिजनों को सजा देते रहें, तो वह बात बनती नहीं। इस-लिये अगर इस चीज़ को आप हल किया चाहते हैं और आप पूरी तरह से इस को अहमियत देते हैं तो जिस तरह हर इजलास में हम विदेशी मामलात, आर्थिक स्थिति आदि कुछ चीज़ों पर बहस करने के लिये वक्त रखते हैं उसी तरह इस सवाल के लिये भी अगर आप हर इजलास में समय दें तो फिर यह गाड़ी कुछ जरा तेज़ रफ़्तारी के साथ चल सकेगी।

यह छुआछूत की बीमारी हमारे समाज के अन्दर घर कर गई है और इस की जड़ काफ़ी गहरी चली गई है। यह बहुत पुरानी बीमारी है और दिलों के बदलने में देर लगती है। यह सारी बातें हैं लेकिन आप जा कर देहात में देखें और उन पिछड़े हुए इलाक़ों में देखें कि जहां अभी तक आप की आवाज़ नहीं पहुंच सकी है, जनता को तो छोड़ दीजिये, मैं अपना तजुर्बा बतलाता हूं कि अभी चार रोज़ हुए मैं अपनी कांस्टी-टुएंसी में अम्बाला जिले के नंगल पुलिस स्टेशन पर गया और वहां जा कर मुझे यह जान कर बड़ी हैरत हुई कि उस इलाक़े में जो पुलिस के दारोग़ा लगे हैं उन्हें सोमवार की सुबह तक इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हमारी पार्लियामेंट एक क़ानून पास कर चुकी है जिस की रू से छुआछूत बर्तने वाले मामले में पुलिस को दस्त अंदाज़ी का हक़ भी दिया गया है और इस का ज़िक्र तब आया जब मैं गांव में कुएं में पानी भरने के एक मामले में उन के पास गया था। उन्हों ने सन् ४८ के एक सूबाई क़ानून का हवाला दिया और कहा कि हम उस में कोई दखल नहीं दे सकते। जब मैं ने उन को यह बात बताई तो वह कहने लगे कि भाई हमें तो इस क़ानून का पता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस क़ानून के मुताल्लिक़ जानकारी आम पब्लिक जो कि अनपढ़ है, उस की बात छोड़ दीजिये, अभी तो हमारे सरकारी अफ़सरान को जिन का कि इस से ताल्लुक़ है उन्हें भी यह पता नहीं कि हमारी सेन्टर की हुकूमत क्या कर रही है; और क्या कर चुकी है।

एक बात छुआछूत के बारे में मुझे आप के सामने रखनी है और वह यह है कि पहले यह एक सामाजिक और धार्मिक चीज़ थी, कुछ धार्मिक रूप इस को दे दिया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सवाल ने एक इक्तसादी और सियासी रूप अख्तियार कर लिया है। अब देहातों में जो छुआछूत होती है वह उस किस्म की छुआछूत नहीं है। अब सब जानते हैं कि छुआछूत के क्या माने हैं। अब सवाल यह पैदा हो गया है कि आज तक गांवों में जो ज़मींदार बग़ैर किसी के अपोज़ किये हकूमत कर रहे थे, रुल कर रहे थे आज वह देखते हैं कि एक नई ताक़त उन के मुकाबले में उभर रही है। अब ज़मीन की बात नहीं कहते हैं। अब वह एक नये खौफ़ को तबीयत में ले कर उस छुआछूत के मामले को ज्यादा सख्त किये जा रहे हैं। इसलिये अगर आप यह कहते हैं कि यह दिलों को बदलने की बात है, दिमागों को बदलने की बात है और यह दिल और दिमाग़ आहिस्ता

[डा० सत्यवादी]

आहिस्ता बदलेंगे यह गलत बात है । मैं कहता हूं कि दिल और दिमाग तो बदल चुके हैं और लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं । अब जो बात है वह यह है कि एक नया संघर्ष पैदा हो गया है । इसलिये जब तक आप उन की मदद नहीं करते हैं, क़ानून को सख्ती से इस्तेमाल नहीं करते हैं उस वक्त तक यह मसले इसी तरह से लटकते चले जायेंगे । ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे पंजाब के मुताल्लिक एक जगह यह बताया गया है कि छुआछूत को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जायें, किस तरह से प्रापेगेंडा किया जाये इस पर पंजाब सरकार गौर कर रही है, इस पर वह सोच विचार कर रही है । यह सवाल अभी तक अंडर कंसिड्रेशन है और अभी तक इस बात में कोई फैसला नहीं हो पाया है । मुझे हैरानी होती है कि जब हम ने कई साल पहले अपने विधान में यह बात मान ली है और इस को बुनियादी तौर पर तसलीम कर लिया गया है कि छुआछूत एक जुर्म है तो आठ साल मे इस पर सोच विचार ही चल रही है । यह भी पता नहीं है कि कितनी देर तक इस पर सोच विचार होता रहेगा और कब इस चीज़ का फ़ैसला होगा । यही एक बात नहीं है और भी बहुत सी बातें हैं । शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने हमें यह भी इत्तिला दी है कि यह बात भी ज़ेरे ग़ौर है और वह बात भी ज़ेरे ग़ौर है और फलां फलां बातों के लिये सर्क्यूलर जारी किये जा चुके हैं । इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक बात का अन्देशा लगता है और वह यह कि कुछ कागज़ी घोड़े दौड़ रहे हैं और वह भी हवा में ज़मीन पर नहीं । कुछ सरक्यूलर जारी हो रहे हैं, कुछ हिदायतें भेजी जा रही हैं और काफ़ी कागज़ खराब हो रहा है लेकिन कुछ कनक्रीट हमारे सामने नहीं आ रहा है और अगर कुछ ठोस काम होता है तो मैं इस सदन में यह बात साफ तौर पर कहूंगा कि जितनी इत्तिलायें इस में स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से आई हैं उन में से ५० फीसदी झूठी हैं, और गुमराहकुन हैं । यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं इस का मेरे पास सबूत मौजूद है ।

दो साल की बात है पंजाब में शामलात देह ज़मीनों में हरिजनों को बराबर के हकूक देने का कानून बना था । जब वह कानून पास हुआ तो उसे सेन्टर में भेजा गया मंजूरी के लिये । यहां से मंजूरी देने में आठ दस महीने लगा दिये गये । इस दौरान में क्या हुआ । मैं रोहतक गया वहां पर एक जेल के अफसर से जोकि मेरे दोस्त थे मैं मिलने के लिये चला गया । मैं ने उन से पूछा कि अभी मैं पिछले दिनों आया था आप उस वक्त कहां थे । उन्हों ने कहा आप को नहीं मालूम, पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है जिस में शामलात आराज़ी में हरिजनों को बराबर का हक देने की बात कही गई है और उस में उन को भी मिल्कियत का हक दिया गया है । तो मैं एक महीने की छुट्टी ले कर गांव गया था और वहां पर मैं ने ज़मींदारों को बताया कि भाई जब तक उस पर अमल शुरू हो इस ज़मीन को बांट लो । अब मैं ने देखा है कि कानून पर अमल होने से पहले सारी की सारी ज़मीन उन्हों ने आपस में बांट ली है । अब हुआ क्या । छुआछूत के मुताल्लिक पहले सिर्फ इतनी बात थी कि किसी के घर नहीं जा सकते थे, बर्तन को नहीं छू सकते थे, चौके चूल्हे पर नहीं जा सकते थे और अब मामला और हो गया है । अब बात इस से आगे बढ़ गई है । हम ज़मींदारों के खेत में नहीं जा सकते हैं, शामलात ज़मीन में जा कर अपने

पशुओं को घास नहीं खिला सकते । वहां से घास नहीं काट सकते और तरह तरह की दूसरी बंदिशें हम पर लगा दी गई हैं । अब छुआछूत चौके से निकल कर खेत में आ गई है अभी जब मैं दौरे पर गया था तीन चार दिन हुए तो पैप्सू के एक सज्जन मेरे पास आये और उन्हों ने मुझे बताया कि इस्तमाल आराज़ी जो हुआ, जो कांसालिडेशन आफ होल्डिंग हुआ उस से हरिजनों को सब से ज्यादा नुकसान हुआ है । अब देखा जा रहा है कि पहले तो उन को मुर्दा जलाने के लिये जगह तो मिल जाती थी लेकिन अब मुर्दा जलाने के लिये उन के पास कोई जगह नहीं है । मुझे बताया गया कि उन के यहां एक बच्चा मर गया और वह लोग बच्चे को दफनाने के लिये जगह जगह फिरते रहे लेकिन उनको कोई जगह न मिली । बड़ी मेहरबानी से एक जमींदार ने उन को आफर की कि भाई मेरे खेत के इस कोने में दबा दो और उसने यह वायदा किया कि एक साल तक इस पोर्शन पर मैं हल नहीं चलाऊंगा । यही नहीं मैं पंजाब में कांसालिडेशन आपरेशन के सिलसिले में गया और मैं ने उन को कई बार उसके बारे में लिखा भी है कि फलां गांव में मरघट में मुर्दा जलाने नहीं दिया जाता है और कुछ किया जाये । वे लोग इन मुर्दों को ले कर कहां जायें । ऐसे कई वाकयात मुझे मालूम हैं । फरीदकोट के करीब एक गांव की बात है कि वहां एक मौत हो गई । मौत होने के बाद जब वे लोग मुर्दे को जलाने के लिये ले गये तो उन को कोई नजदीक जगह नहीं मिली और दो मील जाकर सड़क के किनारे उन्हों ने मुर्दे को जलाया ।

क्योंकि टाइम खत्म हो गया है मैं दो एक बातें सजेशन के तौर पर आप के सामने रखना चाहता हूं और जो मोशन मैं ने दिये हैं मैं आशा करता हूं सरकार उस पर भी विचार करेगी । पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हरिजनों की हालत में थोड़ी सी तबदीली की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि कुछ हिदायतें इस किस्म की जारी कर दी जायें कि हमारे जिले में अफसर, हमारे पुलिस के अफसर और हमारे मंत्री लोग जब दौरे पर जायें वे कम से कम एक दिन के लिये हरिजन बस्तियों में जरूर ठहरें । इस तरह से उन की हालत में एक बहुत बड़ी तबदीली आ सकती है । आप के वहां जा कर ठहरने से जमींदार लोग वहां पर आयेंगे, थानेदार वहां पर आयेंगे, तहसीलदार वहां पर आयेंगे और जिले के अधिकारी वहां पर आयेंगे । मेरा तजुर्बा तो यह है कि इस से बहुत ज्यादा फायदा होता है । मैं आप को अपना एक तजुर्बा बताता हूं । मैं जब भी कभी दौरे पर जाता हूं तो मैं वहीं पर जा कर ठहरता हूं और मुझे ठहरना भी वहां चाहिये । जब आप वहां जा कर ठहरेंगे तो जब दूसरे लोगों को पता लगेगा तो वह सोचेंगे कि न जाने कौन कौन सी शिकायतें उन के खिलाफ की जायें तो वे भी वहां पर आयेंगे और जो ज्यादतियां उन्हों ने की होंगी उन को ठीक करने की कोशिश करेंगे या आगे से वह ज्यादतियां नहीं करेंगे । मैं आप को एक बात बतलाना चाहता हूं । एक साल हुआ, लोढ़ी के मौके पर मैं अपनी कांस्टिट्युएंसी टस्करमीराजी में गया । वहां पर सरदार लोग हरिजनों की चार बकरियां उठा कर ले गये थे और उन्हों ने मार कर खा पी लीं और मौज उड़ा ली लेकिन उन बकरियों की कोई कीमत उन हरिजनों को नहीं दी गई । जब मैं वहां पर जा कर ठहरा तो वहां पर थानेदार साहब भी आये और और लोग भी मेरे पास आये । जब उन सरदारों को पता लगा कि एक पार्लियामेंट का मेम्बर

[डा० सत्यवादी]

वहां पर आ कर ठहरा है और कहीं कोई आफत खड़ी न कर दे और थानेदार भी वहीं है तो वे उन हरिजनों के पास आये और कहने लगे कि भाई लोढ़ी के मौके पर जो हम चार बकरियां ले गये थे उन की कीमत तुम ने नहीं ली, उन की कीमत तो ले लो और वह ८० रुपये दे गये । हरिजनों ने कहा कि यह कम है लेकिन उन्हों ने कहा यह तो ले लो बाकी फिर देखा जायेगा । तो इतना असर पड़ता है अगर हम लोग वहां पर जा ठहरते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान अगर वहां पर एक रात के लिये जा कर ठहर जायें तो लोकल अफसर भी उन को मिलने के लिये वहीं आयेंगे और थानेदार भी वहीं आयेगा, तहसीलदार भी वहीं आयेगा और इस से और लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा । आजकल क्या होता है । हमारे आफिसर साहिबान बड़े बड़े ज़मींदारों के यहां जा कर ठहरते हैं, बढ़िया रोटी खाते हैं, उन की हां में हां मिलाते हैं ।

मैं आप को एक और बात बताता हूं । एक शख्स को इस बिना पर कि उस ने ज्यादा मजदूरी मांगी एक ज़मींदार से उस को, चोरी के अल्जाम में फांस लिया । वह कई रोज़ तक फिरता रहा । यह किस्सा मैं हाल ही का बता रहा हूं । कोई बहुत पुराना नहीं है । जब मैं वहां गया तो उस आदमी को हवालात में बन्द कर दिया गया । मैं ने जब पता लगाया तो मुझे पता लगा कि क्योंकि एक पार्लियामेंट के मेम्बर आ रहे हैं इसलिये यही बेहतर समझा गया कि उस को हवालात में बन्द कर दिया जाय । अब उस पर केस चल रहा है तो इस किस्म की बातें हो रही हैं ।

अब मैं आप के सामने एक दो बातें रख कर अपना भाषण समाप्त करता हूं । इक्तसादी मामलों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने बहुत सा रुपया लगा कर रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है । हम ने इंडस्ट्रीज़ के लिये एक कारपोरेशन बनाया है । मेरे खयाल में हरिजनों की सब से बड़ी मुसीबत पैसा है । उस को ज़मींदार से पैसा लेना पड़ता है । अगर एक हरिजन फाइनेंस कारपोरेशन बना दी जाये तो इस से उन की बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं । उस को अगर यहां से पैसा मिल जाये तो वह ज़मींदार की बहुत सी पाबन्दियों से मुक्त हो जायेगा । जो आज वह ज़मींदार पर डिपेंड करता है तो वह उस पर डिपेंड नहीं करेगा ।

हम ने छूतछात निषेध कानून पास किया है, जिस में ऐसे केसेज़ में पुलिस को दस्त-अन्दाज़ी का अख्तियार दिया गया है । मुझे मालूम है कि हर एक थाने से इस किस्म की एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि १०९ के कितने चालान किये गये हैं और दूसरे कितने चालान किये गये हैं, वगैरह । मैं समझता हूं कि अगर एक रिपोर्ट यह भी मंगवाई जाये कि छुआछूत के मामले में कितने चालान हुए हैं और कितना काम किया गया है, तो इस का भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है । १०९ में तो वे लोग काफ़ी झूठे चालान कर लेते हैं । इस किस्म की रिपोर्ट से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ।

इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं । मामलात बहुत ज्यादा हैं, क्या क्या कहें ?

एक चाक हो सी लूं अपना गरीबां यारब,
ज़ालिम ने फाड़ डाला है तार तार कर के ।

बातें तो बहुत हैं । कोई पहलू नहीं है, जिस पर कुछ कहा न जा सके । इसी

सिलसिले में मुझे एक बात याद आई है । मेरे एक भाई बता भी रहे थे । हरिजनों का मामला तो लगभग हर एक मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है---हाउसिंग, होम, हैल्थ और लेबर, सब से उस का कुछ न कुछ ताल्लुक है । अगर ये हजरात यहां पर तशरीफ़ रखें और अपने अपने महकमे की तरफ से हम को बतला दिया करें कि इस बारे में क्या काम किया गया है, तो वह भी बहुत मुफ़ीद हो सकता है ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये आठ वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक हरिजनों और आदिवासियों की उन्नति सन्तोषप्रद रूप में नहीं हो पाई है । प्रत्येक वर्ष योजनायें बनती हैं किन्तु उन्हें भली भांति कार्यान्वित नहीं किया जाता । हरिजन कल्याण के लिये रुपया दिया जाता है किन्तु उसे खर्च नहीं किया जाता । इस विषय में मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने की देखभाल किसी विशेष सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कराई जानी चाहिये । इन योजनाओं को चलाने के लिये पृथक् व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये ।

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में हम से कहा जाता है कि हरिजनों को अनेक सुविधायें दी जायेंगी किन्तु वर्ष के अन्त में हम देखते हैं कि कुछ नहीं होने पाता ।

अभी एक साम्यवादी दल के सदस्य ने कहा था कि हरिजनों का प्रश्न आर्थिक प्रश्न नहीं । किन्तु उन का यह कहना असत्य है । हरिजनों और आदिवासियों की दशा बहुत गिरी हुई है । गांवों में तो उन की दशा बहुत ही दयनीय है । हरिजनों और आदिवासियों के गांवों की ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये और उन का पुनर्गठन किया जाना चाहिये । गांवों में अस्पृश्यता अभी यथावत् बनी हुई है । बेचारे हरिजन संकोच के मारे स्वयं ही सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरते । उन का सारा जीवन अन्य लोगों की कृपादृष्टि पर निर्भर है ।

हम ने अस्पृश्यता निवारण की जो विधि पारित की है उस के बारे में कोई नहीं जानता । हम दिल्ली में ही हरिजनों की दशा जा कर देख सकते हैं फिर अन्य स्थानों की तो बात ही क्या है ।

हम देखते हैं कि पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी स्वयं ही हरिजनों से घृणा करते हैं और अपने आप को उन से पृथक् रखते हैं । यह ठीक है कि कुछ अपवाद भी हैं किन्तु जो कर्मचारी रूढ़िवादी हैं उन के हाथों हरिजन-कल्याण नहीं हो सकता ।

कई राज्यों में अब भी सार्वजनिक पाठशालाओं में अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है और कई राज्यों में ऐसे स्थान भी हैं जहां कोई हरिजन स्त्री नई साड़ी नहीं पहन सकती है---ये परिस्थितियां असह्य हैं इसलिये इस अधिनियम को क्रियान्वित किया जाये । यदि कोई ग्राम्य पदाधिकारी किसी हरिजन की शिकायत पर ध्यान न दे तो उस के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मुझे अब और सुझाव भी देना है । हमें चाहिये कि नगरपालिकाओं के लिये यह अनिवार्य कर दें कि वे एक निश्चित अवधि में हरिजनों के लिये मकानों का प्रबन्ध करें---इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों का भी यही कर्तव्य होना चाहिये---यदि कोई नगरपालिका अथवा ग्राम्य पंचायत ऐसा न करे तो उसे समाप्त कर दिया जाये । प्रत्येक पदाधिकारी के लिये भी यह आवश्यक

[श्री जी० एच० देशपांडे]

कर दिया जाये कि वह ग्रामों का दौरा करते समय हरिजन बस्ती में जायें और अपनी दैनिकी में इस के सम्बन्ध में लिखे कि उन्होंने यह बातें मुझे बताईं--इत्यादि। प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी ऐसा अवश्य करें। सहभोजों में हरिजनों को बुलाया जाये और उन्हें कुओं से पानी लेने की आज्ञा दी जाये--यदि ऐसा वर्ष में कई बार किया जाये तो यह शताब्दियों पुरानी बीमारी पांच या छै वर्ष में ही समाप्त हो सकती है। महात्मा जी के काम ने इस की जड़ें तो हिला ही दी हैं--इसलिये मैं माननीय गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह समस्त भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में एक आंदोलन आरम्भ करें।

बहुत सा काम तो पहले से ही किया जा चुका है किन्तु आज हमारे पास इस कार्य का प्रभारी एक ऐसा व्यक्ति है जिस की प्रतिष्ठा देश में बहुत है--इसलिये यदि समस्त भारत में एक आंदोलन आरम्भ किया जाये तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि पांच या दस वर्ष में यह प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जायेगी।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : जो व्याख्यान इस रिपोर्ट की विवेचना के सम्बन्ध में दिये गये हैं उन्हें सुन कर मुझे सन्तोष हुआ। यह जान कर कि इस सदन के सभी वर्गों और सभी विचारों के माननीय सदस्य हरिजनों और गिरिजनों के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, मुझे यह भरोसा हुआ कि इस सदन में हरिजनों और गिरिजनों के लिये जो भी योजना बनाई जायें उस की हर तरह से ....

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : क्या हम माननीय गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह अंग्रेजी में बोलें ताकि हम भी समझ सकें।

पंडित जी० बी० पन्त : इस वाद-विवाद में अधिकांश भाषण हिन्दी में हुए हैं इसलिये मैं ने भी हिन्दी में ही बोलना उचित समझा था।

एक माननीय सदस्य : हमारे साथ भी थोड़ी रियायत कीजिये।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं सभा के सदस्यों के साथ हूं।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : आप अपने भाषण के बाद पांच मिनट में अंग्रेजी में उस का संक्षेप दे सकते हैं ताकि हम लोग भी आज ही उसे समझ लें।

पंडित जी० बी० पन्त : जब मैं ने माननीय सदस्यों के पिछले दो दिनों के वाद-विवाद के भाषण सुने तो मुझे किसी सीमा तक अधिक सन्तोष हुआ। हरिजनों की अवस्था केवल इसी देश के प्रत्येक निवासी की सहानुभूति की मांग नहीं करती है किन्तु उन समस्त लोगों की सहानुभूति भी उस के साथ होनी चाहिये जो "मानव" की गरिमा को बनाये रखना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस सभा के समस्त सदस्यों की, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दृष्टिकोण एवं दल के हों, जहां तक कि हरिजनों, गिरिजनों, तथा पिछड़े वर्गों की समस्या का सम्बन्ध है एक ही राय है। इन वर्गों से सम्बन्धित मामलों पर हमें केवल इसीलिये ध्यान नहीं देना है कि हमें उन की सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि हम उन लोगों से बहुत समय से सेवा लेते रहे हैं किन्तु हमें यह काम अपने राष्ट्र के संगठन तथा इसे एक शक्तिशाली संघ बनाने के

लिये करना है, क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे राष्ट्र की श्रृंखला में कोई कमजोर कड़ी न रह जाये इसलिये इस प्रश्न पर हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना है । हम सब को इस प्रश्न पर एक ऐसे दृष्टिकोण से विचार करना है जो कभी हार न माने और जो हमेशा बाधाओं तथा रुकावटों के होते हुए भी आगे ही बढ़ता जाये ।

आयुक्त के प्रतिवेदन पर कुछ आलोचनायें की गई हैं । मुझे खेद है कि वह आलोचनायें किंचित अनुदार थीं । जिन परिस्थितियों में आज हम सब हैं उन में उन्होंने अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयत्न किया है, और मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करता हूं कि वह कुछ परिणाम प्राप्त करने में सफल भी हुए हैं । जो ध्यान उन्हों ने उन विभिन्न तथा अधिक पहलुओं वाली समस्याओं पर दिया है उस से वर्ष प्रति वर्ष उसी कार्य की प्रगति जारी रही है जोकि उस दिन आरंभ हुआ था जबकि गांधी जी ने इस समस्या को अपनाया था । हमें अपने राष्ट्र के हित में यह देखना है कि भारत का एक भी नागरिक नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक अथवा सामाजिक दृष्टि से कमजोर न रहे । इस के अतिरिक्त, अब हम ने अपने समाज के विकास को समाजवादी ढांचे के आधार पर करने का निर्णय किया है । उस से यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे भारत के दो विभागों के मध्य कोई अन्तर न रहे । इस के लिये यह आवश्यक है कि इस ऊंच नीच, नीचों को इस प्रकार ठीक किया जाये कि हम सभी न केवल एक ठोस स्थान पर ही खड़े हों बल्कि एक समान स्थान पर खड़े हों । मैं सभा के समस्त माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रश्न पर ईमानदारी एवं

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

तत्परता से विचार करें तथा इसे यथासंभव शीघ्र हल करने का निश्चय करें ।

हम में से कुछ अभी तक इस बात पर दुख का अनुभव करते हैं कि अब तक भी मतभेद चले आते हैं, और हरिजनों को सताया जाता है तथा अत्याचारों के कुछ अवशेष अब तक कुछेक गांवों में अब भी हैं । किन्तु इस से हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिये । हम आगे बढ़ेंगे और यह दिखा देंगे कि यह सब बातें भूत काल की बातें हो चुकी हैं और अब हम सब इस महान प्राचीन भारतवर्ष के जोकि अब एक गणराज्य है एक बराबर के सदस्य हैं । कोई गणराज्य किसी एक विभाग के प्रति किये जा रहे दुर्व्यवहार की दशा में विकास नहीं कर सकता है। इस में समस्त नागरिक समान होने चाहियें—केवल विधि की दृष्टि में ही नहीं बल्कि अन्य सब बातों में, जहां तक कि परिस्थितियां आज्ञा दें ।

हरिजनों के प्रश्न पर केवल केन्द्र ने ही नहीं, बल्कि राज्यों ने भी ध्यान दिया है । वास्तव में प्रत्यक्षतः तथा आरम्भिक रूप में समस्त कार्यवाहियां राज्यों द्वारा ही की जाती हैं। हम उन की सहायता कर सकते हैं और उन्हें उत्साह दे सकते हैं किन्तु अधिकतर बोझ उन्हीं पर ही है । कहीं कहीं कुछ राज्यों ने नैतिक मामलों पर कार्यवाही करने में कुछ ढिलाई की है । इस प्रतिवेदन के बारे में भी मुझे कई राज्यों से आवश्यक जानकारी तथा आंकड़े देने के लिये प्रार्थना करनी पड़ी है । किन्तु इस से किसी भी प्रकार यह बात प्रकट नहीं होती है कि राज्यों में इस समस्या के प्रति वह उत्साह नहीं है जिसे हम सब चाहते हैं । हरिजनों के कल्याण तथा सुधार के लिये कार्य करने की उन की इच्छा उतनी ही प्रबल है जितनी कि हमारी है। मैं एक राज्य से आया हूं और मैं जानता

[पंडित जी० बी० पन्त]

हूं कि वहां विधान सभा के सभी सदस्य हरिजनों की सेवा करने के बारे में एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे । इसलिये हमें किसी राज्य के बारे में कोई अभियोग नहीं लगाना चाहिये । दूसरी बातों के अतिरिक्त इससे उस उद्देश्य को भी कोई लाभ नहीं पहुंचता है जिसे हम सब प्राप्त करना चाहते हैं । हमें लाभ तभी हो सकता है जब कि हमारे साथ वह सहयोग करें तथा उत्साह-पूर्ण एवं दृढ़तापूर्ण तरीके से हमारी सहायत करें ।

प्रतिवेदन के उपस्थापन में विलम्ब हो जाने के कारण भी शिकायत की गई है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक १९५४ के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है इसे तो सभा-पटल पर यथासंभव शीघ्र रख दिया गया था । १९५४ के समाप्त होने के बाद जानकारी एकत्रित करने में निश्चय ही कुछ समय लगा । फरवरी में प्रतिवेदन को प्रैस भेजा गया था और मई में यह प्रैस में आया और मई में ही इसे सभा-पटल पर रखा गया । मेरे विचार में इस बात से माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे कि जहां तक संभव हो सका है वहां तक इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयत्न किया गया है । यदि इस सम्बन्ध में अग्रेतर प्रयत्न करने सम्भव हुए तो वह किये जायेंगे ।किन्तु मुझे विश्वास नहीं कि हम वांछित उदेश्य को पूरा कर सकेंगे ।

हरिजनों के प्रश्न पर बहुत से पहलुओं से विचार किया जाता है । मैं इस प्रश्न पर सामाजिक अथवा आध्यात्मिक पहलू से विचार करता हूं । हरिजनों को खाद्य की आवश्यकता है ; उन्हें कपड़े चाहियें, मकान चाहिए, भूमि चाहिये ; चिकित्सा सेवा सम्बन्धी सुविधायें उन्हें चाहिये ; शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिये और इसी प्रकार से ये अन्य सब चीजें चाहियें । हमें इन सबका उपबन्ध करना चाहिये और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मार्ग बनाना चाहिए । किन्तु इन सब बातों से ऊपर, मैं चाहता हूं कि हरिजन इस देश के एक महान गरिमा-युक्त नागरिक की भांति अपनी टांगों पर खड़ा हो, जो अपनी सहायता के लिए दूसरों की ओर न ताके, किन्तु जो एक ऐसे महान नागरिक की भांति आगे आये जोकि आत्म-निर्भर हो और जोकि न केवल अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने का ही निश्चय रखता हो किन्तु समस्त समाज के कल्याण के लिये कुछ अंशदान कर सकने योग्य हो । मैं चाहता हूं कि वह स्वात्म-भिमानी नागरिक हो, उत्तमोत्तम कार्य करने का निश्चय रखता हो, और जो यह विश्वास करता हो कि यदि वह ठीक मार्ग पर चलेगा तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा । यदि वह ठीक तरीकों का अनुसरण करेगा वह पीछे नहीं रहेगा । चाहे हरिजनों को अच्छा खाना मिले, और अच्छे कपड़े मिलें, किन्तु यदि उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया जोकि भारत के एक नागरिक को प्राप्त होने चाहियें, तो मुझे सन्तोष नहीं होगा । मैं तो उस दिन की प्राप्ति के लिये काम करना चाहता हूं जब कि कोई हरिजन भारत का राष्ट्रपति बने । वह दिन हमारे राष्ट्र के लिये एक महान दिवस होगा । हम संसार की नजरों में सम्मानित हो जायेंगे, और संसार यह कहेगा कि जहां कि अमेरिका अपने हब्शियों की समस्या हल करने में असफल रहा है वहां भारत-वासियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद ही अपने महान महात्मा के नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में, जोकि हमारे सामने भौतिक रूप

में न हो कर भी आत्मिक रूप में हैं, इस समस्या को, इस शताब्दियों पुराने धब्बे को मिटा डाला है। यही उद्देश्य है जिस की ओर हम सब को अपनी शक्तियां लगानी हैं। इसे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ठीक वातावरण हो और हरिजनों को देश की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए जैसेकि उन्हें अपनी सारी शक्तियां इसके कल्याण के लिये लगानी हैं—न कि अपने लिये, बल्कि दूसरों के लिये। यह उनकी परम्परा रही है और अब उन्हें उस परम्परा से परे नहीं हटना चाहिये।

हमें दूसरी ओर अपनी मुक्ति के लिए काम करना है। हमें यह देखना है हम उस पवित्र कर्तव्य में जो कि उन के प्रति हमारा है, असफल तो नहीं रहते हैं। यह राजनीति का मामला नहीं है और न ही यह राष्ट्रीयता का कोई मामला है यह तो इन सबसे ऊंची कोई दूसरी ही बात है। उस मानव की आत्मा से जोकि इस कार्य की पूर्ति तथा वास्तविक समानता और वास्तविक मानवता की स्थापना के लिये प्रयत्नशील है। इस कार्य के पूरा किये जाने के लिये एक अवाध्य मांग उठ रही है। इसी का हम सुनिश्चय करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमें सभी उपयुक्त तरीकों का प्रयोग करना चाहिये।

एक नये मंत्रालय की स्थापना के बारे में भी निर्देश किया गया था। यदि उस से हरिजनों के उद्देश्य की पूर्ति होती है तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह तरीका नहीं है। इस के लिए भी कभी मौका आ सकता है और जैसे ही आवश्यक होगा हम इसके लिये एक मंत्रालय बना सकते हैं—किन्तु चाहे पृथक मंत्रालय हो अथवा मिश्रित मंत्रालय हो, आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये अर्थात् हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के सदस्यों के कल्याण एवं सुधार के लिये, एकत्रित एवं संगठित हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब २-३० मध्याह्न पश्चात् है। हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करना है।

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री रघुनाथ सिंह : (जिला बनारस मध्य) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से जो १४ सितम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो १४ सितम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित की जाने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट (पंजीयन अधिनियम), १९०८ में आगे संशोधन करने वाले बिल (अधिनियम) को पेश (पुरःस्थापित) करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० सी० सामन्त : मैं बिल (विधेयक) को पेश (पुरःस्थापित) करता हूं ।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : शेष कार्य, जैसाकि अध्यक्ष महोदय ने कहा था, अगले गैर-सरकारी दिवस को लिया जायेगा । आज सभा की इच्छा के अनुसार माननीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार कर लिया है किन्तु भविष्य के लिये यह उदाहरण नहीं बनेगा । अब सभा पिछले कार्य को प्रारम्भ करेगी ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या मैं यह समझ लूं कि आज जो समय छोड़ा जा रहा है वह इस स्थगन के साथ जारी रहेगा ?

सभापति महोदय : सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ तथा १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव--जारी

पंडित जी० बी० पन्त : माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ ही सप्ताह पूर्व इस सभा के समक्ष एक पृथक मंत्रालय की नियुक्ति का सुझाव देने वाला एक संकल्प रखा गया था । किन्तु, इस का यह अर्थ नहीं है कि यदि परिस्थितियों ने एक पृथक मंत्रालय स्थापित किये जाने की मांग की तो वैसा नहीं किया जायगा । किन्तु विद्यमान परिस्थितियों में सभा की ऐसी इच्छा प्रतीत नहीं होती है । यहां कुछ ऐसे सुझाव भी दिये गये हैं कि एक केन्द्रीय हरिजन बोर्ड बनाया जाये । मैं चाहता हूं कि इस सभा के हरिजन सदस्यों के निकट सहयोग तथा मंत्रणा का लाभ मुझे मिले । मैं उन से समय समय पर अनौपचारिक रूप से मिलता रहा हूं । किन्तु मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा, और यदि हो सकता है कि हम यहां ऐसा एक बोर्ड बनायें जोकि हमारे साथ हरिजनों की सेवा करने का श्रेय प्राप्त करे । मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा ।

कई राज्यों में तो हरिजन कल्याण बोर्ड हैं । यदि कुछ राज्यों में ऐसे बोर्ड नहीं हैं तो हम ये सुझाव उन्हें दे देंगे । इसी प्रकार से मैं आदिमजातियों तथा आदिम क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी अनौपचारिक रूप से मिलता रहा हूं । किन्तु यदि यह वांछनीय समझा गया तो हम गृह मंत्रालय को आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन में सहायता देने के लिये एक बोर्ड के बनाये जाने की आवश्यकता पर भी विचार कर सकते हैं ।

संबंधी आयुक्त के १९५३ तथा १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे म प्रस्ताव

अस्पृश्यता निवारण पर बहुत जोर दिया गया है और ऐसा करना ठीक ही है क्योंकि जब तक एक व्यक्ति भी अस्पृश्यता का शिकार है हमारे देश और जनता के लिये वह कलंक का विषय है। खेद का विषय है कि यद्यपि हमने इतने विधान पास किये हैं और यद्यपि संविधान के प्रवर्त्तन के दिन से स्पष्ट शब्दों में अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है फिर भी कुछ स्थान हैं जहां यह बुराई अभी तक कायम है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से इसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अब हमारे पास एक केन्द्रीय अधिनियम है जिस के अनुसार अस्पृश्यता हस्तक्षेप्य अपराध घोषित कर दिया गया है। कुछ उपाय हम ने किये हैं परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि उन से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि और कौन से उपाय किये जा सकते हैं और इस सम्बन्ध में जो सुझाव यहां पर दिये गये हैं उन पर यथोचित विचार किया जायेगा।

हरिजनों को लोक सेवाओं में भर्ती होने में जिन कठिनाइयों का सामना करना होता है उन को दूर करने के लिये स्थानों का संरक्षण कर दिया गया है। जो नौकरियां प्रतियोगीय परिक्षाओं के द्वारा मिलती हैं उस में उनके लिये १२ १/२ प्रतिशत नोकरियां और अन्य नौकरियों में उन के लिये १६ प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित कर दी गई हैं। आयु के संबंध में भी जहां तक अखिल भारतीय नौकरियों का संबंध है उन के लिये तीन वर्ष की रियायत की गई है और जहां तक अन्य नौकरियों का संबंध है उन को पांच वर्ष की रियायत दी जाती है। हम विचार कर रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं में भी उन को पांच वर्ष की रियायत दी जाये। जहां तक शुल्क इत्यादि का सम्बन्ध है हरिजनों से विहित शुल्क का केवल एक चौथाई लिया जाता है।

भर्ती करने वाले प्राधिकारियों से हम ने फिर यह कहा है कि हरिजनों को विशेष रियायतें दी जानी चाहियें। पूर्ण अनुपात में उन को भर्ती कर लेने पर भी सरकारी नौकरियों में उन को पर्याप्त स्थान दिलाने में वर्षों का समय लगेगा। इसलिये हम ने गृह-कार्य मंत्रालय से यह आदेश जारी किये हैं कि जब कभी कोई ऐसा हरिजन उम्मेदवार मिले जो काम चला सकने की क्षमता रखता हो तो, उसका स्थान चाहे जितना नीचा क्यों न हो, उस को अवश्य भर्ती कर लिया जाये जिससे उन का रक्षित कोटा पूरा हो सके। यदि कोई ऐसे मामले हों जिन में ऐसी परिस्थिति हो कि वे तुरन्त अपना उत्तरदायित्व संभालने के उपयुक्त न हों तो उन को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।

हरिजनों से सम्बन्धित भर्ती और पदोन्नति विषयक मामलों को निपटाने के लिये हम ने गृह-कार्य मंत्रालय में एक विशेष सैक्शन भी स्थापित किया है। हम ने एक तालिका बना ली है और जब भी कोई ऐसा स्थान रिक्त होता है जिस की पूर्ति हरिजन द्वारा की जानी होती है तो उस की पूर्ति हरिजन द्वारा ही की जाती है। परन्तु यदि योग्य उम्मेदवार उपलब्ध नहीं होते हैं या भर्ती किये हुए व्यक्तियों की संख्या अपेक्षित अभ्यंश तक नहीं होती है तो गृह-कार्य मंत्रालय के पास एक प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। जब कभी हमें पता चलता है कि पूरी संख्या की भर्ती नहीं की गई है तो हम मंत्रालय से जवाब मांगते हैं कि वह निश्चित संख्या भर्ती करने में क्यों असमर्थ रहा है। मैं समझता हूं कि इन उपायों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। परन्तु यदि और

[पंडित जी० बी० पन्त]

कुछ किया जा सकता है और उस का सुझाव दिया जाये तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में १०० असिस्टेण्टों के स्थान भरने के लिये अभी हाल में एक परीक्षा हुई थी जिस में केवल हरिजनों को ही बैठने का अवसर दिया गया था । १०० रिक्त स्थान और ऐसे हैं जिन की पूर्ति करनी है उन में भी पच्चीस प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिये रक्षित किये गये हैं । हम आशा करते हैं कि आगामी चार वर्षों में उच्च श्रेणियों के २० स्थानों की पूर्ति की जायेगी, उन म भी कम से कम पांच स्थान हरिजनों के लिये रक्षित किये गये हैं । हरिजनों और आदिमजातियों के व्यक्तियों के लिये जो स्थान रक्षित किये गये हैं वे हरिजनों और आदिमजाति के व्यक्तियों द्वारा ही भरे जायें इस के लिये हम प्रत्येक संभव कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो भी प्रयत्न हो सकते हैं कर रहे हैं ।

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि हरिजनों का स्तर इतना नीचा है कि १९५४ में प्रथम श्रेणियों के ४५ स्थानों में से हरिजन केवल एक ही स्थान प्राप्त कर सके । द्वितीय श्रेणी के सैंतालीस स्थानों में से चार स्थान हरिजनों ने प्राप्त किये । तृतीय श्रेणी के ५९७ स्थानों में से ७६ स्थान हरिजनों को दिये गये थे । चतुर्थ श्रेणी के १२८ स्थानों में से छब्बीस हरिजनों द्वारा भरे गये ।

इस के अतिरिक्त मैं ने मंत्रालय से कहा है कि यदि वे पर्याप्त संख्या में हरिजनों को नियुक्त करने में असमर्थ रहे हैं तो हमें बतावें कि ऐसा करना क्यों संभव नहीं हो सका है ।

मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं ने बताया है उस से माननीय सदस्यों को विश्वास हो जायेगा कि हरिजनों को नौकरियों में उन का उचित स्थान दिलाने के लिये हम भी उतने ही उत्सुक हैं जितना कि कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है ।

केन्द्रीय सेवाओं में हरिजनों की संख्या बहुत कम है । मुझे प्रसन्नता है कि अब संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य हरिजन होगा । इस का यह अर्थ नहीं है कि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संकुचित दृष्टि-कोण से विचार करेगा । सभी सदस्य निष्पक्षता के साथ और असाम्प्रदायिक दृष्टि से विचार करेंगे । परन्तु यदि कोई ऐसा पहलू है जिस पर विचार नहीं किया जाता है या जो छूट जाता है तो उस के लिये जो भी उपाय हमारे सामने हैं उन को काम में लाया जाये ताकि कहीं भी ऐसी भावना शेष न रहे ।

मैं समझता हूं कि हरिजनों को उच्च श्रेणी की या अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती करने के लिये यह आवश्यक है कि उन की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की उचित व्यवस्था की जाये । इस के लिये केन्द्रीय सरकार और शिक्षा मंत्रालय जो भी हो सकता है प्रयत्न करते रहे हैं । मैं समझता हूं कि हरिजनों को न केवल प्रायमरी स्कूलों में वरन्, माध्यमिक कक्षाओं में, कालिजों और विश्वविद्यालयों में, उद्योग सम्बन्धी तथा व्यवसायी संस्थाओं में भी शिक्षा निःशुल्क दी जाये । ऊंची नौकरी मिलने से किसी व्यक्ति के मान और प्रतिष्ठा में जो अभि-वृद्धि होती है वह किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकती है । इसलिये हरिजनों के प्रति आदर और भ्रातृत्व की वही भावना उत्पन्न करने के लिये यह वांछनीय है कि उच्च वर्गीय सेवाओं में हरिजन भारी संख्या में रखे जायें । इस के लिय आवश्यक है कि उनको उच्चतम प्रकार की शिक्षा दी जाये ।

मुझे यह सुझाव बहुत पसन्द आया कि सार्वजनिक स्कूलों में हरिजनों की एक बड़ी संख्या भर्ती की जाये और जो वास्तव में इस के पात्र हैं उन को विदेशों में जा कर शिक्षा प्राप्त करने के लिये और जिस विषय में उन्होंने विशेष योग्यता का परिचय दिया है उस विषय का अग्रेतर अध्ययन करने के लिये छात्र वृत्तियां दी जायें, जिस से कि वे ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये हमें विशेषज्ञों की और पूर्णतः अर्ह व्यक्तियों की भारी संख्या में आवश्यकता होगी । मैं आशा करता हूं कि हरिजन इस अवसर से पूरा लाभ उठावेंगे, इस के लिय उन्हें ऐसी प्रत्येक सहायता दी जायेगी जिस के कि वे पात्र हैं ।

शिक्षा और नौकरियों के अतिरिक्त एक प्रश्न आर्थिक उन्नति का है । मैं आशा करता हूं कि आगामी पांच वर्षों में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार खण्ड फैल जायेंगे । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक निवासी को उन सेवाओं से, जो कि यह खण्ड कर सकते हैं, लाभ उठाने का अवसर मिलेगा । परन्तु इस के अतिरिक्त इन खण्डों के हरिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे ।

आवास की समस्या एक भारी समस्या है फिर भी हरिजनों के लिये, मनुष्यों के रहने योग्य मकानों की व्यवस्था की जायेगी । मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है कि नगर-पालिकायें भंगियों से सेवा तो ऐसी कराती हैं जो सब से अधिक घृणास्पद और कठोर है परन्तु जहां तक उन के आवास तथा उन की अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है उन के साथ बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करती हैं, उन के लिये न रोशनी का, न पानी का और न अच्छे मकानों का प्रबन्ध करती हैं । उन को पाखाने की बाल्टियां सर पर रख कर ले जाते हुए देख कर मुझे बहुत ही दुख

आयुक्त के १९५३ तथा १९५४ के
प्रतिवेदनों के स्ताव

होता है । मैं सोचता हूं कि पाखाना ले जाने का कोई और तरीका होना चाहिये और यह तरीका कानून के द्वारा बन्द कर दिया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि नगर-पालिकायें इस सम्बन्ध में भंगियों को सुविधायें देने के लिये उचित कार्यवाही करेंगी ।

मैं आशा करता हूं कि आगामी पंच-वर्षीय योजना में हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये भी कोई उपबन्ध किया जायेगा । मैं चाहता हूं कि चाहे खेती के लिये भूमि उपलब्ध न हो तो भी हरिजनों को कम से कम अपने अपने गांवों में मकान बनाने के लिये भूमि अवश्य दी जाये जिस से कि थोड़े से अनुदान से वे अपने लिये मकान बना सकें ।

आदिमजाति के लोगों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । हमें उन के साथ रहना चाहिये और उन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिस से कि उन में और भारत की शेष जनता में भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न हो । उन की संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की है । हमें चाहिये कि उन की संस्कृति तथा उन की अन्य सराहनीय अच्छाइयों की रक्षा करें । परन्तु बहुत सी बातों में वे पिछड़े हुए भी हैं । उन में से अधिकांश के पास खेती करने के लिये भूमि नहीं है । वे बंजारों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करते हैं, उन में शिक्षा का अभाव है, कहीं कहीं वे संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं, और उन का स्वास्थ्य भी सामान्यतः साधारण स्तर से बहुत नीचा है । मैं आशा करता हूं कि वह माननीय सदस्य, जो आदिम जाति क्षेत्रों के पड़ोस में निवास करते हैं, उन के कल्याण के कार्यों में विशेष दिलचस्पी लेंगे और उन को शिक्षा की दृष्टि से तथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिये जो कुछ भी हो सकता है करेंगे ।

[पंडित जी० बी० पन्त]

अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातीय जनता के लिये हमें अन्य उपायों की भी व्यवस्था करनी है । उन की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये हमें ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहियें जिन से उन को, जो कई पीढ़ियों से एक व्यवसाय में लगे हुए हैं, कार्य के नये क़ायदों को विकसित करने और अधिक उत्तम औज़ारों का प्रयोग करने के अवसर दिया जाये । इस प्रकार वे अच्छी मजूरी प्राप्त कर सकेंगे और उन के समुदाय को प्रोत्साहन भी मिलेगा ।

इस के अतिरिक्त, इन का आर्थिक उत्थान करने के लिये, हमें और भी उपाय करने चाहियें । क्योंकि अन्ततोगत्वः शिक्षा कितनी ही ऊंची क्यों न हो कोई लाभ नहीं पहुंचाती है जबकि उस से पेट न भरे । इसलिये उन की आर्थिक प्रगति के लिये हमें और भी उपाय करने होंगे । एक प्रकार की भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिये जिस से जातिगत भेदभाव के लिये कोई स्थान न रहे, क्योंकि जातिगत भेदभाव हमारे देश के लिये सब से अधिक घातक है ।

यह भी मांग की गई है कि अनुसूचित जाति के तथा आदिमजाति के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाये तथा अनुसूची में कुछ और जातियों तथा समूहों के नाम बढ़ाये जायें । इन मांगों पर अभी विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के प्रतिनिधियों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जायेगी ।

मैं समझता हूं कि जहां तक सिखों का सम्बन्ध है उन को भी आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी जिस से कि वे उन्नति कर सकें और किसी प्रकार की निर्योग्यता का शिकार न हों ।

कुछ बातें श्री एन्थोनी ने कही हैं । मैं उन के सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं । शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों तथा रेलवे की नौकरियों की भर्ती सम्बन्धी प्रश्नों पर मैं उन से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहता हूं । आवश्यकता हुई तो मैं शिक्षा तथा रेलवे विभागों के सचिवों या मंत्रियों से भी उपस्थित रहने के लिये कह दूंगा जिस से कि सभी प्रमुख समस्याओं का सन्तोषपूर्वक समाधान किया जा सके । मैं यह चाहता हूं कि संविधान में जो प्रत्याभूतियां दी गई हैं उन से कोई भी वंचित न हो । हम अब भी उन के पूरा करने का वचन देते हैं और एक बार वचन दे चुकने के बाद उसे पूरा करना हम अपना धर्म समझते हैं । क्योंकि आखिरकार एक राष्ट्र का वचन कुछ हज़ार या लाख रुपये से कहीं ज्यादा मूल्यवान है । हमारा देश महान इसीलिये था कि उस ने कुछ सिद्धान्तों का पालन किया था । हमें ध्यान रखना है कि हम उन सिद्धान्तों से विमुख न हों जिन्होंने हमें पहले शक्ति दी है और जिन से हम भविष्य में शक्ति प्राप्त करने की आशा करते हैं । इसलिये हम इस देश के सभी समुदायों तथा नागरिकों में फिर से समानता, भ्रातृत्व तथा मित्रता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा यही उद्देश्य है और मैं आशा करता हूं कि यदि हम इस देश के सभी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य का कुशलता के साथ पालन कर सके तो हम अपने पदोचित धर्म को पूरा कर सकेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कुछ राज्य सरकारें योजनाओं की अभिपूर्ति करने से इसलिये पैर पीछे हटा रही हैं क्योंकि उन को इन योजनाओं को सफल बनाने में अपने हिस्से का रुपया भी खर्च करना पड़ेगा । क्या इस का भी कोई इलाज है ?

पंडित जी० बी० पन्त : हां। मैं हार कभी नहीं मानता हूं इसलिये कोई न कोई उपाय तो निकाला ही जायेगा।

श्री अजीत सिंह : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि नगरपालिका क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जातीय लोगों के लिये मकानों की सुविधायें दी जायेंगी। क्या वह उन के सम्बन्ध में भी कुछ बतायेंगे जो नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर रहते हैं।

पंडित० जी० बी० पन्त : न तो मैं ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कोई विभेद किया है और न नगरपालिका क्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वचन दिया है। मैं ने तो केवल इतना कहा है कि नगरपालिकाओं का कर्तव्य है कि वह भंगियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये आवास की समुचित व्यवस्था करें। मैं आशा करता हूं हरिजनों के लिये आवास की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र से कुछ अनुदान मिलेगा। यदि मैं अपने प्रयत्नों में सफल हुआ तो मैं एक योजना बनाऊंगा और हम इस पर विचार करेंगे कि इस धन का किस प्रकार सदुपयोग किया जाये।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : माननीय गृह मंत्री ने आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उत्थान के बारे में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनके लिये हम सब उनके प्रति आभारी हैं। उन्होंने और कई माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है और बड़ी प्रशंसा की है और मैं भी आयुक्त महोदय की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने अनेकों राज्यों में इन जातियों के उत्थान के लिये सुझाव देने वाला एक बहुत ही सुन्दर और व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। परन्तु फिर भी उस में कई एक ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिन पर प्रकाश डालना मैं आवश्यक समझता हूं। इन जातियों के उत्थान के लिये केन्द्रीय शासन तथा राज्य सरकारों में जिस समन्वय की आवश्यकता है, इसके सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं बताया गया है। उदाहरणार्थ आन्ध्र राज्य में यह घोषित किया गया है कि कृषि-योग्य बंजर भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को दे दी जाये ताकि वह उस पर कृषि कार्य कर के अपना जीवन निर्वाह कर सकें। परन्तु हाल ही में केन्द्र की ओर से एक निदेश भेजा गया है जिस में आन्ध्र सरकार से कहा गया है कि इस भूमि को निःशल्क न दिया जाये अपितु नीलामी के द्वारा इसे बेचा जाये। तो इस प्रकार से केन्द्र और राज्य सरकारों में इस सम्बन्ध में कोई समन्वय नहीं है। केन्द्र द्वारा इस भूमि को निशुल्क न दिये जाने पर बल देने का वास्तविक कारण यह बताया गया है कि वह वहां पर बड़ी बड़ी परियोजनायें चलाई जाने को हैं और तब यह भूमि बहुत क़ीमती हो जायेगी। यह एक बड़ा विचित्र सा तर्क है। परियोजनायें तो पन्द्रह वर्षों से पूर्व प्रारम्भ नहीं की जा सकेंगी तब तक इस भूमि को व्यर्थ में इसी स्थिति में रखने से क्या लाभ है? मैं जानता हूं कि वहां पर इतनी अधिक भूमि है कि यदि कुछ भूमि इन लोगों को दे दी जाये तो कोई हानि नहीं होगी। अतः मेरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस बात की अनुमति दे कि वह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को यह भूमि दे सके ताकि वे उस को विकसित कर के अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

दूसरी बात जिस का इस सभा में उल्लेख किया गया है और आयुक्त ने भी अपने प्रतिवेदन में जिस का उल्लेख किया है, वह

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

है मकान बनाने के लिये स्थान दिये जाने का । प्रत्येक राज्य सरकार हरिजनों को मकान बनाने के लिये स्थान देने का प्रयत्न तो कर रही है, परन्तु विभिन्न दल बन्दियों के पारस्परिक झगड़ों के कारण इस कार्य में बाधा पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में हरिजन सेवक समितियों अथवा संगमों द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है।

मैं ने ऐसा सुना है कि नगरपालिकाओं ने यह सुझाव दिया है कि क्योंकि नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर की भूमियां अत्यधिक मूल्यवान हैं, इसलिये यह भूमि हरिजनों को निशुल्क नहीं दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि नगरपालिकायें अनिवार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन सस्ते मूल्य पर भूमि प्राप्त करें और उसे हरिजनों को निशुल्क अथवा सस्ते मूल्य पर दें । यही केवल एक उपाय है जिस से उन के जीवन स्तर को उठाया जा सकता है ।

कुछ एक कार्यालयों में ऐसी भावना फैली हुई है कि सभी अस्पृश्य योग्य नहीं होते हैं । कोई अस्पृश्य व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो वे तो उसे अयोग्य ही समझते हैं, और उसे उच्च पदों पर नियुक्ति का कोई अवसर नहीं दिया जाता है ।

हमें यह अनुभव है कि मद्रास तथा आन्ध्र राज्यों में जब भी कभी किसी नीच जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को शिक्षा दी गई है और अवसर दिया गया है, उस ने अपने आप को योग्य सिद्ध किया है । अतः उन की योग्यता का अनुमान लगाया जाना चाहिये और उन के प्रति कहीं भी ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिये । इस के अतिरिक्त देश में संकीर्ण साम्प्रदायिकता भी बहुत फैली हुई है । अभी कोई दो वर्ष हुए दक्षिण भारत के डाकघरों में लगभग ५००-६०० स्थान खाली थे । डाक विभाग ने यह सुझाव दिया था कि ये स्थान अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये रक्षित किये जायें । परन्तु ऐसा सुना गया है कि केन्द्रीय सरकार के गृह विभाग ने इस सुझाव का विरोध किया और डाक विभाग को ऐसा करने से मना कर दिया । मैं चाहता हूं कि इस अपवाद की सत्यता के बारे में पूरी पूरी खोज की जाये ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ४३ पर यह लिखा है कि एक व्यक्ति विशेष ने एक बस्ती बसाई है जिस पर लगभग ४२,००० रुपया खर्च किया गया है । इस के बारे में कई प्रकार के अपवाद फैले हुए हैं । अतः इस के बारे में वहां के जिलाधीश के द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिये । मैं आयुक्त महोदय को सचेत कर देना चाहता हूं कि वह भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से परामर्श करते समय ज़रा सावधानी से काम लें, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने आपको समाज का सेवक कहते हैं और ऊट पटांग जानकारी दे देते हैं । इसलिये आयुक्त महोदय को इस संबंध में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये । उनके संबंध में स्थानीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जाये, अन्यथा काफ़ी गड़ बड़ी फैल जायेगी ।

श्री देवगम (चैंबरसा-रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : अपने मूल भाषण को आरम्भ करने से पहले मैं मंत्री महोदय से कुछ क्लैरिफ़िकेशन मांगता हूं । मैं ने मंत्री महोदय का व्याख्यान बहुत मनोयोग के साथ सुना है । शुरू में उन्होंने हरिजनों के बारे में ज्यादा कहा और पिछले भाग में ट्राइबल्ज़ के विषय में । मुझे मालूम होता है कि कहीं कहीं ट्राइबल्ज़ छूट गए हैं । मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

संबंधी आयुक्त के १९५३ तथा १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

ट्राइबल कान्फ्रेन्सों के भाषणों और लेखों से इस सदन में समय समय पर जो भाषण आदिवासी या गैर-आदिवासी, कांग्रेस पक्ष या विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, उनका सार यही निकलता है कि आदिवासी अंचलों में स्वतंत्रता का सूर्योदय अभी तक नहीं हुआ है। उनसे मालूम होता है कि

आजाद हुआ है देश, किन्तु आजादी की
हलकी सी किरण यहां तक पहुंच न पायी है।
बढ़ गयी निराशा की सीमा दुख व्याधि बहुत,
पर सुख की गोरी सुबह न अब तक आई है।

और वह कैसे ? स्वतन्त्रता के इन आठ वर्षों के भीतर भी आदिवासी इस लायक नहीं बन पाए हैं कि शासन-कार्य में हाथ बटा सकें, अपने जंगलों से फायदा गठा सकें, अपने आदिवासी अंचल के तालाबों में मत्स्य पालन कर सकें, अपने क्षेत्रों के स्कूलों के निरीक्षक अर्थात् स्कूल इंस्पैक्टर बन सकें या सैकन्डरी स्कूलों में शिक्षक बन पायें।

मैं ने बजट सेशन में "गृह मंत्रालय" पर बोलते हुए कहा था कि पंच-वर्षीय योजना के अध्याय ३७ में आदिवासियों की भलाई के लिये अनेक योजनायें हैं, पर एक भी कार्य रूप में परिणत नहीं की गई है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या उनका यह मोटो है कि

"धीमी और अविराम गति वाला
व्यक्ति दौड़ में जीतता है।"

जिस गति से हम लोगों की प्रगति हो रही है वह बहुत ही धीमी है। मैं तो इस मोटो को पसन्द नहीं करता हूं। इस के बदले दूसरा मोटो रखना चाहिए और वह यह है कि

"तीव्रगामी और निश्चयपूर्ण व्यक्ति दौड़
जीतता है।"

अब मैं अध्याय ३७ पर आता हूं। मैं ने आज ही सुबह प्लानिंग के कार्य के बारे में सवाल किया था। मुझे जवाब मिला कि इस में बहुत कामयाबी हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में पेज २७७ पर लिखा हुआ है कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त सिंचाई के छोटे छोटे कार्य संतोषजनक नहीं दिखाई देते। प्रायः ऐसे ऊंचे स्थान पर बांध बनाया जाता है जहां पानी एकत्र होना संभव नहीं। बांध बनाने के लिये स्थान ढूंढने में गांव वालों का मत लेना चाहिये।

इस रिपोर्ट से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं ने हर एक जगह जा कर—जंगलों में भी जा कर—इन लघु योजनाओं को देखा है और यह बहुत खुशी की बात है कि आप की सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक आफिसर भी मेरे साथ थे और वह भी इस बात के साक्षी हैं कि लघु योजनायें ठीक तरीके से नहीं बनाई गई हैं और इसी के फलस्वरूप दो वर्षों से सिंहभूम में अकाल पड़ा हुआ है। इन स्कीम्ज पर कितना खर्च पड़ा, इस बारें में "इंडियन नेशन" (९-३-५३) में लिखा हुआ है कि सिंहभूम में स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत २·५ लाख रुपये की ५९२ योजनायें पूरी की गई हैं। ढाई लाख से ऊपर खर्च होने पर भी दो वर्षों से मेरे यहां दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है और अन्न के अभाव के कारण लोग कालियरीज, चाय बागान और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं।

पंच-वर्षीय योजना के अध्याय ३७, पैरा १८ में लिखा हुआ है कि ऐसे वन स्कूल खोलने चाहियें जिन में आदिमजातियों के युवकों में वन वृद्धि के लिये ठीक प्रकार से कार्य करने और वन का ध्यान रखने के हेतु भाव पैदा किये जायें, जिस के फलस्वरूप उन के जीवन का उद्धार हो।

[श्री देवगम]

इस बारे में जब मैं ने सदन में क्वेश्चन पूछा कि वे स्कूल कहां हैं तो वह क्वेश्चन यह कह कर डिस-एलाऊ कर दिया गया कि यह स्टेट मैटर है । इसलिये मैं ने स्टेट के अफ़सरान से भी पूछा । उन का जवाब है कि—मैं समयाभाव के कारण ज्यादा डीटेल में नहीं जाता हूं—१९४९ से १९५५ तक बिहार के फारेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में २१ ट्राइबल विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई, जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या १६० थी । चीफ कान्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट्स लिखते हैं कि यह स्कूल वस्तुतः स्कूल नहीं हैं । यह तो नियुक्त किये गये फारेस्टरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था है । यह स्कूल उस प्रकार का स्कूल नहीं है जिस का उल्लेख पंच-वर्षीय योजना में है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्लान में जिन स्कूलों के बारे में लिखा है वैसे स्कूल न तो स्टेट्स में हैं और न इन का इन्तिजाम केन्द्रीय सरकार की ओर से हो रहा है । तो मैं दो चीज़ें चाहता हूं, इरिगेशन और एजूकेशन । इन दोनों के द्वारा हमारे किसानों का भला होगा । अगर सरकार इन दोनों चीजों का ध्यान रखेगी तो हमारे किसान भाइयों की उन्नति हो सकती है । मेरा कहना यह है कि अभी तक हम लोग अधिक आगे नहीं बढ़े हैं । मुझे यह बहुत शोक के साथ बतलाना पड़ता है कि सन् १९२०-१९२१ में जब यहां ब्रिटिश राज्य था उस समय हमारे सिंह-भूम जिले में आठ सब-इंस्पैक्टर रहते थे उन में से चार आदिवासी सब-इंस्पैक्टर रहते थे पर अब स्वराज्य होने का फल यह हुआ है कि उन चार आदिवासी सब-इंस्पैक्टरों के स्थान पर एक ही रह गया है । तो इस प्रकार हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे हट रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि देश म स्वराज्य होने पर भी अभी हमारे यहां स्वराज्य की किरण नहीं पहुंची है ।

मुझे एक बात और कहनी है । "वन्य जाति" के जुलाई के अंक में आदिवासियों के लिये कुछ सिफारिशें की गई हैं । उन में से एक यह है कि आदिवासी अंचल में जो वर्कर्स हों वे आदिवासी ही होने चाहियें । वह सिफारिश इस प्रकार है : कि यदि श्रमिक आदिवासी हों तो उसे अधिक लाभ हो सकता है परन्तु क्योंकि इस काम में दक्ष आदिमजाति के लोगों की कमी है इसलिये अभी तक वह स्तर नहीं लाया जा सका । परन्तु यथाशीघ्र उन लोगों में से श्रमिक पैदा करने चाहियें । चेष्टा करने से आदिवासी लोग भी ट्रेनिंग पा सकते हैं । सरकार खास तौर से इन लोगों को स्कालरशिप दे तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं । इस प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिये चार स्कूल हैं, उन में से दो के नाम मुझे मालूम हैं । एक तो है दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्कर्स, और दूसरा है टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज़ । यदि सेन्टर से काफी सहायता मिले तो आदिवासी यहां ट्रेनिंग ले सकते हैं ।

इस के अलावा एक और रिकमेन्डेशन है । वह इस प्रकार है कि राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहियें और केन्द्रीय सरकार को यह शर्त लगानी चाहिये कि जब तक आदिमजाति कल्याण के कार्यकर्ता जो राज्यों या भारतीय आदिमजाति संघ के मान्य स्कूलों में प्रशिक्षित हों उन्हें विहित समय के अन्दर आदिम-जाति के क्षेत्रों में न लगाया जाये, उन्हें अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

श्रीमती गंगा देवी (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित-अनुसूचित जातियां): आज हाउस में कई दिनों से कमिश्नर महोदय

की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जा रहा है पेश्तर इस के कि मैं अपने विचार प्रकट करूं मैं कमिश्नर महोदय को तथा उन के असिस्टेंट श्री विमल चन्द्र जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बड़े परिश्रम से इस रिपोर्ट को तैयार किया जिस पर आज हम को अपने अपने प्रान्तों के सिलसिले में बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे कहना तो बहुत कुछ था किन्तु समय बहुत कम है इसलिये मैं अपने विचारों को संक्षेप में सदन के सामने रखने का प्रयत्न करूंगी ।

एक विशेष बात मुझे कहनी है । वह यह कि जहां हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत सी बातों पर विचार किया वहां उन्हों ने एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दिया । जहां भी वह गये वहां के स्त्री समाज के बारे में उन्हों ने कुछ नहीं कहा । उन की रिपोर्ट को पढ़ कर ऐसा लगता है कि जहां कहीं वे गये या तो वहां स्त्रियां हैं नहीं या उन्हों ने उन के विषय में सोचना ही व्यर्थ समझा और अपनी रिपोर्ट में उन की बात को लाना जरूरी नहीं समझा । इसलिये मैं उन से निवेदन करूंगी कि सन् '५५ की जो उन की रिपोर्ट आवे उस में वे स्त्रियों के सम्बन्ध में अपने सुझाव अवश्य दें । वह अपनी रिपोर्ट में बतलावें कि कहां कहां पर स्त्रियों की कैसी कैसी अवस्था है, उन की शिक्षा दिक्षा का क्या हाल है, और समाज में उन की क्या स्थिति है । इस के जानने की हमें बहुत ज़रूरत है । आप की रिपोर्ट में यदि ये बातें होंगी तो उस के पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कहां कहां स्त्रियां उन्नति कर रही हैं और कहां कहां अभी तक पिछड़ी हुई अवस्था में हैं ।

उन्होंने जहां सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार और और बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है वहां एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दिया है । मैंने दस साल देहातों में घूम घूम कर एक चीज़ को देखा है और उस पर मनन किया है । वह यह है कि देहातों में आज तक हरिजनों पर वहां के जमींदार या दूसरे शक्तिशाली लोग बहुत ही अत्याचार करते हैं । मैं अपने डिवीज़न की कुछ बात कहना चाहती हूं । वहां पर रोजाना ये किस्से होते रहते हैं कि आज जाटों ने चमारों को मार दिया, उन के घर जला दिये, उन की जमीनें छीन लीं । ये मुकदमे अदालतों में और पंचायतों में जाते हैं पर कोई फैसला नहीं होता । इस तरह से देहातों में हरिजनों को नाना प्रकार से सताया जाता है और उन पर अत्याचार किये जाते हैं । रिपोर्ट में इस चीज़ को कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि किस तरह से देहातों में हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये जाते हैं । इन सब चीजों से मैं ने यही निष्कर्ष निकाला है कि जब तक हरिजनों में दरोगा, डी० एस० पी०, एस० एस० पी० आदि नहीं बनाये जायेंगे तब तक हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो सकता । इसलिये मैं होम मिनिस्ट्री से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगी और आशा करूंगी कि आगे से हमारे योग्य और वैल-क्वालीफाइड (अर्हत) लड़कों को ऐसी जगहों के लिये प्रिफरेंस दिया जाये । इस प्रकार के अत्याचारों से बचने की एक राह मिले ताकि इन के केसों की रिपोर्ट हो सके । वैसे तो पन्त जी ने अपनी स्पीच में जो कुछ कहा है हमें उसे सुन कर बड़ी खुशी हुई और तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी स्पीच में जो आश्वासन दिये हैं उन के लिये हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने सरकारी नौकरियों के बारे में जो आश्वासन दिये हैं उन से हम को बहुत तसल्ली हुई है, और हम आशा करते हैं कि इस काम में उन के द्वारा पूर्ण न्याय होगा ।

[श्रीमती गंगा देवी]

मुझे सोशल वैलफेयर बोर्ड के बारे में भी कुछ कहना है । मैं देखती हूं कि हमारे यहां जो सोशल वेलफेयर बोर्ड बना है उस में कोई भी हरिजन मेम्बर नहीं है । और इन बोर्डों के द्वारा जहां जहां भी काम होता है वह देहातों में नहीं होता है । जहां काम की जरूरत है वहां पर कोई जाता भी नहीं है । हमारे यहां यू० पी० में सोशल वेलफेयर बोर्ड का कार्य चल रहा है । मैं ने देखा है कि वे लोग देहातों की अन्दरूनी हालत को देखने की कोशिश नहीं करते । ऐसे लोगों को कनवीनर बनाया जाता है जो वहां तक पहुंचने में दिक्कत और तकलीफ अनुभव करते हैं । इस कार्य में जो त्रुटियां हैं अगर आगे से इन को दूर करने का प्रयत्न किया जाये तो बहुत अच्छा हो । और फिर जनता की वास्तव में कुछ सेवा इस बोर्ड के द्वारा हो सकती है ।

दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है, वह ऐजूकेशन के बारे में है । अभी पन्त जी ने हमारी एजूकेशन के सिलसिले में बहुत कुछ कहा लेकिन फिर भी मुझे यह कहना है कि हमारे यहां ऐजूकेशन की बहुत सख्त जरूरत है और यह पिछड़ी जातियां शिक्षा में इतनी पीछे हैं और उन में शिक्षा की इतनी कमी है कि वह जल्दी से पूरी नहीं हो सकती । सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये कई वजीफे मिल रहे हैं, इस के लिये मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूं लेकिन जो वजीफे लड़कों को दिये जाते हैं, वे इतने नहीं होते कि लड़के सम्मानपूर्वक और गौरव के साथ शिक्षा पा सकें । इसलिये मैं इस के लिये अधिक जोर दूंगी कि लड़कों को जो वजीफे दिये जाते हैं उस धनराशि को और बढ़ाया जाये ताकि हमारे लड़के बिल्कुल स्वतंत्रता से और सम्मानपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकें और दूसरों को ओर उन को मुंह न ताकना पड़े ।

लड़कियों के बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत कम हरिजन लड़कियां ऐसी हैं जो शिक्षा पा रही हैं, इसलिये उन लड़कियों को जो धनराशि स्कालरशिप्स की सूरत में दी जाती है वह लड़कों से ज्यादा होनी चाहिये क्योंकि लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा खर्च भी ज्यादा होता है और लड़कियों को उन के माता पिता उसी अवस्था में पढ़ायेंगे जबकि उन को पढ़ाने के लिये पर्याप्त धन सरकार से प्राप्त हो सके । इसलिये मैं इस बात के लिये प्रार्थना करूंगी कि जितनी भी लड़कियां शिक्षा पा रही हैं उन को अधिक स्कालरशिप्स दिये जायें ।

पब्लिक स्कूलों के बारे में मुझे यह कहना है कि उन में शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का चान्स तक नहीं दिया जाता । सरकार ने एक मेरिट स्कालरशिप की स्कीम निकाली है लेकिन मैं देखती हूं कि उस से शेड्यूल्ड कास्ट वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा । अभी पिछले साल यू० पी० में केवल एक हरिजन बच्चे को इस मेरिट स्टेट में पास होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मुझे पता नहीं कि यह एक लड़का कैसे उस में आ गया, मैं समझती हूं कि अन्नोइंगली (अनजाने) आ गया होगा और मैं तो ऐसा समझती हूं कि शायद उन को मेरिट स्कालरशिप देते वक्त यह पता नहीं रहा होगा कि यह एक शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा है लेकिन जब वह पब्लिक स्कूल में पहुंच जाता है तो उस को वज़ीफ़ा देने से मना कर दिया जाता है । जहां पर इस तरह का बर्ताव होता हो, वहां हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय हो रहा है और मेरा तो यह सुझाव

है कि इस स्कीम में रिजर्वड कोटे को परिगणित जाति के लड़कों से ही पूरा किया जाये और जब कभी भी जो जगह खाली हो तो उस को किसी स्वर्ण हिन्दू विद्यार्थी से पूरा न किया जाये ।

ऐक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों के बारे में मुझे खास तौर से कहना है और इस बारे में मैं अपने कमिश्नर साहब से यह कहना चाहती हूं कि जहां उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में और बहुत सी शेड्यूल्ड कास्ट की दिक्कतों और परेशानियों पर प्रकाश डाला है वहां उन्हों ने ऐक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में और उन को सहूलियतें दिये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा । यह हिन्दुस्तान की एक ऐसी जाति मानी जाती है जो चोरी करने वालों के नाम से पुकारे जाते हैं लेकिन आज तक सरकार ने यह नहीं बताया और यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह लोग चोरी क्यों करते हैं और इस की क्या वजह है । मुझे बहुत सी जगहों से इस प्रकार की सूचनायें मिलती रहती हैं कि पुलिस इन लोगों के ऊपर झूठे चालान दफा १०९ और ११० में करती रहती है और उन को चोरी में इन्वाल्व करने की कोशिश करती है । जहां पर यह क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट खत्म हो गया है वहां पर उन्हों ने यह कोशिश नहीं की कि उन का किस प्रकार सुधार हो सकता है ? अभी भी उन को चोरी से रोकने का प्रबन्ध तो किया लेकिन रोजगार में लाने का कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया । पुलिस उन से घूंस मांगती है और उन को विवश हो कर चोरी कर के पुलिस का पेट भरना पड़ता है । इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगी कि इन लोगों के बीच में यह कोशिश की जाये कि जहां इन लोगों पर से पाबन्दी तोड़ी गई है वहां उन को चोरी करने से रोका जाय और उन को अच्छे कारोबार और उद्योग धंधों में लगाया जाये ताकि वह कोई अच्छा काम धंधा कर के सम्मानपूर्वक अपनी जिन्दगी बिताने का अवसर प्राप्त कर सकें ।

मुझे देहली के बारे में खास तौर से अर्ज करना है । मुझे विमुक्त जाति संघ के बारे में बहुत कुछ कहना है । मैं यह बताना चाहती हूं कि यह संघ इन लोगों की बेहतरी के लिये बना था लेकिन मुझे दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि यह संघ हमारे भाइयों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका और आज भी ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जो विमुक्त जाति संघ में बिलकुल विश्वास नहीं करते हैं । इस का मुख्य कारण यह है कि उन का कोई चुना हुआ मेम्बर उस संघ में नहीं है और न ही उस संघ का आज तक कोई ऐसा विधान बना जिसे कि लोगों ने स्वीकार किया हो और न ही यह संघ आज तक रजिस्टर हुआ । इस संघ में पेड वर्कर्स हैं और तमाम लोग सवर्ण जाति के ही हैं और उन की तनख्वाह १७५) रुपये से ले कर २५०) रुपये तक है और मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकती कि शायद जो इतना लम्बा वेतन उस संघ में पा रहे हैं, उन में इतनी योग्यता नहीं है कि अगर यह संघ विमुक्त जाति के लोगों की अनुमति से बना होता तो शायद इतनी ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग इस संघ में न आये होते । इन चन्द लोगों ने काफी तनख्वाह ले कर इस जाति के लोगों में फूट और मुकद्दमेबाजी पैदा करने की कोशिश की है और यह कहते हुए मुझे बहुत दुःख होता है कि जितना रुपया सालाना इस पर खर्च होता है वह हरिजन और आदिमजातियों के सुधार कार्य में काम नहीं आता और उस का दुरुपयोग हो रहा है ....

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य इस लम्बे प्रलेख को पढ़ती रहीं तो बहुत

[सभापति महोदय]

समय लगेगा । उन्हों ने पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिये हैं ।

श्रीमती गंगा देवी : मुझे केवल एक मिनट और चाहिये । इस के अलावा मेरा कहने का मतलब यह है कि सन् ५३ की रिपोर्ट में यह आया है कि प्रभुदयाल एक अच्छा सोशल वर्कर है और उस ने इस काम को अच्छी तरह से किया

श्री दातार : मेरी माननीय सदस्या से प्रार्थना है कि वे संघ के बारे में वक्तव्य न दें क्योंकि उस में बहुत से दल हैं । विमुक्त जाति संघ बहुत अच्छा कार्य करता रहा है क्योंकि इस विशेष संस्था का सम्बन्ध भारत सेवक संस्था से है ।

श्रीमती गंगा देवी : सन् १९५४ की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि इस विमुक्त जाति सेवक संघ द्वारा जो कल्याण कार्य किया जा रहा है और जिस के लिये कि उन्हें भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है, उनका काम बिल्कुल सैटिस-फैक्टरी नहीं हो रहा है फिर भी सरकार द्वारा इस विषय में कोई उचित कार्य-वाही नहीं हो रही है । जो सरकारी सहायता बन्द हो जानी चाहिये थी वह अभी मिल रही है ।

श्री भटकर (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हरिजनों की बहुत सी दिक्कतें हैं । उन में से पहली तो यह है कि यदि आप देहातों में जायें तो आप देखेंगे कि उन के पास रहने के लिये जगह नहीं है । घरों की बात तो जाने दीजिये उन की जो घास की झोंपड़ियां हैं वह भी ठीक तरह से बनी हुई नहीं हैं । कई जगह पर तो उन के पास जमीन नहीं है जहां पर वह अपनी झोंपड़ियां बना सकें । इसलिये सब से पहली बात तो यह है कि उन को अपने लिये छोटा मोटा मकान बनाने के लिये ज़मीन दी जाये ।

दूसरी बात यह है कि घर बनाने के लिये उन के पास पैसा नहीं है । पैसा भी उन को दिया जाना चाहिये । हम यह नहीं चाहते कि उन के बहुत अच्छे मकान हों । हम तो यह चाहते हैं कि जिस झोंपड़ी में वह रहता है वह झोंपड़ी अच्छी हो और उस को अच्छा बनाने के लिये ही हम आप से पैसा मांगते हैं ।

तीसरी चीज़ उन की शिक्षा के बारे में है । होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उन की शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा और मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी भी हुई है । उन्हों ने कहा है कि प्राईमरी शिक्षा उन को फ्री दी जायगी । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां उन से कोई फीस न ली जाये वहां उन की किताबों, कापियों इत्यादि का प्रबन्ध भी सरकार को करना चाहिये । हरिजनों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह अपने पास से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये किताबें इत्यादि भी नहीं खरीद सकते । मैं यह भी चाहता हूं कि जहां उन के लिये फ्री प्राइमरी ऐजूकेशन का प्रबंध किया जाये वहां उन के लिये ऐजूकेशन प्राइमरी तक कम्पलसरी भी कर दी जाये ताकि हरिजनों में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा हो । जिस तरह सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो हरिजन कालेजों में पढ़ते हैं उन को स्कालरशिप देती है उसी तरह से मेरा यह सुझाव है कि जो हरिजन हाई स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं उन को भी स्कालर-शिप दिये जायें । यह स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है और कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आप की मदद नहीं करती हैं । जिस तरह

से बम्बई में जो हरिजन हाई स्कूल में पढ़ते हैं उन को स्कालरशिप दिये जाते हैं उसी तरह से हर एक स्टेट में इन को स्कालरशिप मिलने चाहियें ।

नौकरियों के बारे में कहा गया है कि सेन्टर में साढ़े बारह परसेंट इन के लिये रिजर्व है और कई स्टेटों में तो साढ़े सौलह परसेंट ही इन के लिये रिजर्व की गई हैं । इस के बारे में मुझे यह कहना है कि इन को जो जगहें इन के लिये रिजर्व हैं उन जगहों में उन को लिया नहीं जाता है । दूसरे आदमियों को रख लिया जाता है । मिनिस्टर्ज़ को पता भी नहीं लगता और यह जगहें भर ली जाती हैं । उन के जो सेक्रेटरी हैं वे ही आदमी रख लेते हैं । कहीं कहीं आफिस में एक जात के नौकर मिलेंगे, जो सिपाही से ले कर ऊपर वही होते हैं । मैं समझता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर साहब मराठी अच्छी तरह से जानते होंगे और मैं उन को एक मराठी में जो कहावत है वह सुनाना चाहता हूं । वह कहावत इस प्रकार है :

"धूर्त चिटमिसा पुढ कलक्टर काय करिले बापुड़े" ।

यह ऐसे ही होता है कि जहां पर क्लेक्टर होता है वहां पर जो उस का सुप्रिंटेंडेंट होता है वह ही जब कभी जगह निकलती है उस को भर लेता है और क्लेक्टर साहब को पता भी नहीं चलता । इसी तरह से जब कभी किसी और जगह पर कोई वेकेंसी खाली होती है उस वक्त जो भी वहां का सेक्रेटरी होता है वह उसको भर लेता है और मिनिस्टर साहबान को पता तक नहीं चलता । इस वास्ते मेरा सुझाव है कि मिनिस्टर साहबान इस में दिलचस्पी लें और एक रजिस्टर भी रखा जाय जिस में यह सारी बातें लिखी जायें कि कौन सी जगह खाली हुई और किस को रखा गया ।

श्री कामत : क्या यह मध्य प्रदेश में हो रहा है, या और कहीं ?

श्री भटकर : मध्य प्रदेश में भी वही हालत है और मैं समझता हूं आप यह अच्छी तरह से जानते हैं । हर एक स्टेट में यही हालत है ।

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वह दुरुस्त होनी चाहिये और जब तक वह मशीनरी दुरुस्त नहीं होती तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता है ।

अनटचैबिलिटी जो है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में भी अभी तक यह चली आ रही है । जब मैं जेल में गया चालीस साल पहले उस वक्त भी मैं ने देखा और आज भी देखता हूं कि अनटचैबिलिटी वहां पर बरती जाती है । जो लोग जेल में जाते हैं उन से पूछा जाता है कि तुम कौन जाति के हो । जब वे कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट का हूं, भंगी हूं तो उस को भंगी का ही काम दे दिया जाता है जो टचेबल्ज़ हैं उन को भंगी का काम नहीं दिया जाता है । यह चीज़ खत्म होनी चाहिये । मैं ने कई बार डी० सी० साहब को कहा भी है कि यह क्या बात है कि जो भंगी जेल में जाता है उस को भंगी का काम दे दिया जाता है और दूसरों को नहीं दिया जाता है । उन्होंने जवाब दिया कि यह कानून सेन्टर से गवर्नमेंट को बनाना चाहिये । सेन्टर से तो कानून बना दिया जाता है लेकिन उस पर सही तरह अमल नहीं होता है । मैं चाहता हूँ कि इस चीज को भी दुरुस्त किया जाए ।

खेती के बारे में मुझे यह कहना है कि जो हरिजन लोग हैं उन को लोन खेती करने के लिये नहीं दिया जाता है । जितना भी पैसा भेजा जाता है उसमें से उन लोगों को बहुत कम मिलता है या तो पटवारी

[श्री भटकर]

वहां से ले जाते हैं या दूसरे लोग ले जाते हैं या जो पटवारी के अपने लोग हैं वह ले जाते हैं। 'ग्रो मोर फूड' के सिलसिले में जो जमीनें दी गई थीं बरार में वह भी उन से वापस ली जा रही हैं। पहले तो हरिजनों को जमीन ही नहीं दी गई और जो थोड़ी बहुत दी भी गई हैं वह भी अब वापस ली जा रही है। उन के बारे में पटवारी यह रिपोर्ट कर देता है कि इन के पास बैल नहीं है और इन के पास और दूसरी चीजें नहीं हैं। यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस के साथ ही साथ जमीनों को ए क्लास, सी क्लास, एफ़ क्लास वगैरह हिस्सों में बांट दिया गया है और उन को इन में से या कोई भी जमीन नहीं दी जाती है और अगर कहीं दी भी जाती है तो वह भी वापस ली जाती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह जमीनें जो उन को दी गई हैं वह उन से वापस नहीं ली जानी चाहियें और आगे से और जमीन उन लोगों को दे दी जाये।

शेडयूल्ड कास्ट के कमिश्नर साहब बरार में आये दिखाई नहीं देते। तो एक बात और मैं कमिश्नर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ और वह यह है कि गांव में या तो पटेल होता है या चौकीदार होता है विल्लेजमैन होता है या जो यसकर होता है उस को पाटील पटवारी बुलाता है और इन से तरह तरह की बेगार करवाता है। कोई गवर्नमेंट का आफिसर आये, वह सिपाही हो, कांस्टेबल हो, सब-इंस्पैक्टर हो, एस० डी० ओ० हो, तहसीलदार हो या नायब-तहसीलदार हो, वह बिचारा सब का नौकर है। वह सब की सेवा करता है।

एक माननीय सदस्य : बैल है।

श्री भटकर : बैल को तो फिर हरी घास खाने को मिल जाती है, उस को तो पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है---हां, डांट सब की सहनी पड़ती है। कोई भी आये और किसी भी समय आये---चाहे रात को आए---, वह उस को कह सकता है कि चलो, हमारा बेगार ले चलो तो उस को ले जाना ही पड़ता है। इस प्रकार उस बेचारे से सब लोग बेगार करवाते हैं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि किसी से बेगार न ली जाये। लेकिन आप जानते हैं कि कानून तो किताब में रहता है---सर्कुलर तो दफ्तर में रहता है, उन की तामील कौन करता है ? मैं कहना चाहता हूँ कि उन की तामील कराना सरकार का काम है। मैं आप को सबूत देता हूँ कि किस तरह उन बेचारों पर अन्याय होता है।

एक बार मैं अपने खेत में काम कर रहा था। मैं ने देखा कि कामदार महार बबूल का झाड़ लिये जा रहा था। मैं ने उसको बुलाया और पूछा कि "इस को कहां ले जा रहे हो ?" उस ने मुझे बताया कि "मुझे पुलिस स्टेशन पर बुलाया था और यह बबूल का पेड़ लाने के लिये कहा था, वह मैं ले जा रहा हूँ। मुझे इस काम के लिये घर से बुलाया है।" आप देखिये कि वह छः मील दूर रहता था और उस को बबूल की डालियां लाने के लिय बुलाया गया था। मैं ने उस को कहा कि "यह डालियां यहां पर---मेरे पास--- रख दो और जाओ। अगर कोई पूछे, तो कह देना कि डालियों को भटकर साहब ने रख लिया है।" वह पुलीस स्टेशन चला गया। उस को पुलिस स्टेशन वालों ने पूछा कि "तुम को हम ने झाड़ लाने के लिये कहा था।" उस ने कह

दिया कि "मैं तो लाया था, मगर भटकर साहब ने रख लिया।" तब उन्हों ने उस को कुछ नहीं कहा।

अब दूसरी बात भी सुनिये। मैं आप को सुना रहा हूँ कि बरार में किस तरह अन्याय हो रहा है।

मेरे पास एक बार चार पांच कामदार महार आये। उन्हों न मुझे कहा कि "हम को हथकड़ी साफ़ करने के लिये कहा गया है और दूसरा प्राईवेट काम भी दिया गया है। हम तो वहां पर किताब ले कर गये थे।" वे लोग हर आठ दिन के बाद पुलिस स्टेशन पर रपोर्ट ले कर जाते हैं। वहां के सर्कल इन्सपैक्टर को इस बात का पता चल गया कि वे लोग मेरे पास आये थे और शिकायत करते थे। शाम के वक्त वह मेरे पास आया और कहने लगा कि "कैसे चल रहा है? इन लोगों को क्या तक्लीफ है?" मैं ने उस को बताया कि "कामदार महार आए थे और ये ये बातें कह रहे थे।" वह कहने लगा कि "आप फिक्र न करें। मैं अभी जा कर हुक्म निकालता हूँ कि इन लोगों से इस प्रकार का काम न लिया जाये।" इस प्रकार की हालत वहां पर है।

सरकार की ओर से हम को आश्वासन तो बहुत दिए जाते ह, लेकिन उनके अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। मराठी में कहते हैं, "बोला चाच भात, बोल चीच कढ़ी, जउन तृप्त कोण झाला, सांगा वरे?" मुंह जबानी "यह रोटी खाओ, यह चावल लो", इन बातों से आदमी का पेट तो नहीं भरता है। जब तक रोटी और चावल पेट में नहीं जायेंगी, तब तक आदमी का पेट नहीं भर सकता है। इसी प्रकार आश्वासनों से ही काम नहीं चलेगा, उन को पूरा भी किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक शिड्यूल्ड कास्ट वालों का उद्धार नहीं होगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है जिस का उत्तरदायित्व सारे राष्ट्र पर है। संविधान में यह उपबन्ध है कि इस कार्य के लिये राष्ट्रपति द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाये और उस का प्रतिवेदन संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

मैं ने गृह-कार्य मंत्री का भाषण सुना। उन्हों ने केवल १९५४ के प्रतिवेदन का ही निर्देश किया है; उन्हों ने १९५३ के प्रतिवेदन का उल्लेख तक नहीं किया है। आयुक्त तो सदैव अपना प्रतिवेदन फरवरी के मास में ही भेजता रहा है, ताकि उसे संसद् के आय-व्ययक सत्र में प्रस्तुत किया जा सके और उस के सम्बन्ध में आय व्ययक में कोई उपबन्ध रखे जा सकें। परन्तु उस प्रतिवदन पर विचार करने के लिये तो संसद् के पास समय ही नहीं होता और इसीलिये इतनी देरी कर दी जाती है। इस देरी को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त आयुक्त महोदय की कटु आलोचना की गई है। यद्यपि मैं स्वयं हरिजन नहीं हूं, तथापि मेरी सहानुभूति उन के प्रति अवश्य है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हों ने हरिजनों के उत्थान के लिये बहुत कुछ किया है। मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, आवश्यकता तो है परस्पर सहयोग पूवक कार्य करने की भावना की। बिना सहयोग के कुछ भी कार्य नहीं हो सकेगा।

एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया है कि स देश में जाति पांति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन का उन्मूलन करना असंभव

[श्री राघवाचारी]

है । नीच जाति के लोगों का इतिहास और मनोवृत्तियां ऐसी हैं कि हमारे साथ मेल नहीं खाती हैं । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अनेकों महापुरूषों ने इस अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न किया था और उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सफलता भी मिली थी । परन्तु वह अस्पृश्यता आज फिर फैल गई है ।

इस का वास्तविक कारण यह है कि किसी भी कार्य के लिये जब तक कि सारा समाज प्रयत्न न करे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है । विधान बने बनाये धरे रह जाते हैं, कोई भी उन का अनुसरण नहीं करता है । लोग यही समझते हैं कि अस्पृश्यता को, वास्तव में, सँविधान में से दूर की गई है ।

परन्तु अब प्रश्न यह है कि अस्पृश्यता को दूर किया कैसे जाये । आन्ध्र में इस कार्य के लिये प्रति मास एक अस्पृश्यता निवारण दिवस मनाया जाता है और उस दिन बड़े बड़े पदाधिकारी अस्पृश्य व्यक्तियों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलते जुलते हैं । अस्पृश्यता दूर करने का यह एक व्यवहारिक प्रयत्न है ।

इस के अतिरिक्त हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश पर बल दिया गया है । परन्तु मैं समझता हूँ कि केवल मन्दिरों में प्रवेश करन मात्र से ही उन का उत्थान नहीं हो सकेगा । इस के लिये तो न के आर्थिक और भौतिक विकास की आवश्यकता है । उन्हें नौकरी के हर प्रकार के अवसर दान कीजिये । उन्हें हर प्रकार का विश्वास और प्रोत्साहन दीजिये, उन की अजन शक्ति को बढ़ाइय, उन्हें सुसंस्कृत और शिक्षित बनाइय और यह समस्या स्वयं हल हो जायेगी ।

केवल कुछ एक प्रतिशत नौकरियों को रक्षित कर देन से ही यह कार्य नहीं हो सकेगा । इस के लिये तो उन्हें आथक दृष्टिकोण से पर्याप्त उन्नत करना होगा । आथक उत्थान ही इस समस्या के हल का एक मात्र साधन है ।

इस के सम्बन्ध में सरकार को कुछ एक सुझाव देना चाहता हूं । जहां तक इन जातियों के व्यक्तियों को नौकरी के अवसर कि इस कार्य में कोई कठिनाई नहीं होगी । प्रशिक्षण दिये जाने पर वे भी उतने ही योग्य और निपुण बन जायेंगे जितने कि अन्य जातियों के व्यक्ति हैं । उन को सेना में भी लिया जा सकता था, अतः यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ।

जहां तक उन को अधिक अर्जन करने के योग्य बनाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्हें विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय विकास सेवा योजनाओं आदि में सेवायुक्त किया जा सकता है । इन जातियों का विकास करने के लिये पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनायें और विकास योजनायें तीव्र गति से फैलाई जायें । सरकार इन जातियों के विकास के लिये और अधिक धनराशि निर्धारित करे और वह राशि इन के आर्थिक विकास पर व्यय की जाये ।

इस के अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि अस्पृश्य जातियों के लिये अलग छात्रावास, अलग स्कूल तथा अलग सँस्थायें नहीं होनी चाहियें । उन्हें अन्य जातियों के साथ मिल जुल कर रहने और अपने मकान बनाने दिये जायें । सभी जाति वाले मिल जुल कर रहें । अस्पृश्यता निवारण का यही एक मात्र साधन है ।

हम अपने क्षेत्र में सेवा मन्दिर नाम की एक सँस्था चला रहे हैं जिस में लगभग ९० लड़कों का पालन पोषण हो रहा है, उन में से २५ हरिजन हैं । वे सभी इकट्ठे ही पढ़ते लिखते हैं और साथ बैठ कर ही

खाते पीते हैं। इस प्रकार से उन का पारस्परिक प्रेम बढ़ रहा है। इस समस्या को हल करने का यही तरीका है।

इस के अतिरिक्त लड़कियों के लिये भी छात्रावास होने चाहियें जिन में अस्पृश्य कन्यायें अन्य कन्याओं के साथ रह कर शिक्षा प्राप्त करें। होता यह है कि पढ़ने लिखने के उपरान्त कोई भी अछूत लड़का अपनी जाति की अशिक्षित लड़की से विवाह नहीं करना चाहता है अपितु वह ईसाई बन कर ईसाईयों में विवाह कर लेता है। इसलिये अछूत कन्याओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिये।

मेरा एक यह सुझाव भी है कि इन व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक सँस्थायें भी होनी चाहियें जहां पर वे कुछ एक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। और उस के द्वारा अपना जीवन निर्वाह भी कर सकें और अपनी जाति की सेवा भी कर सकें।

जहां तक उन्हें मकान देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि उन्हें सहायता देने का सब से अच्छा उपाय यह है कि उन्हें मकान बनाने का सामान अर्थात् ईंटें आदि दी जायें। ईंटें उन्हें 'न लाभ न हानि' के आधार पर दी जायें और इन ईंटों के द्वारा वे बड़ी सुगमतापूर्वक अपने मकान बना सकेंगे।

उन्हें मकान बनाने के लिये स्थान किसी अलग अलग क्षेत्र में नहीं दिये जाने चाहियें, उन्हें ये स्थान ऐसे क्षेत्रों में दिये जायें जहां पर अन्य जातियों के व्यक्ति भी रहते हों जिस से कि वे सब मिल जुल कर रह सकें। यह ही मेरे कुछ एक सुझाव हैं जिन के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : यद्यपि मैं स्वयं तथा कथित पिछड़ी हुई जातियों से सम्बन्धित नहीं हूं, तथापि मेरी उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति है।

मैं अपने भाषण को केवल १९५४ के प्रतिवेदन तक ही सीमित रखूंगा। आयुक्त के प्रतिवेदन की भूमिका में ही लिखा है कि राज्य सरकारों ने उन को कोई सहयोग नहीं दिया है। क्या माननीय सदस्यों ने इस टिप्पणी को पढ़ा है? संभवतः माननीय सदस्यों ने तो प्रतिवेदन को विशालकाय देख कर ही त्याग दिया होगा। मैं तो, वास्तव में, आयुक्त महोदय की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सारे देश का भ्रमण करते हुए गांव गांव में जाकर वहां का निरीक्षण किया और एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस भारी परिश्रम करने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

कुछ समय पूर्व गृह-कार्य उपमंत्री ने अस्पृश्यता के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ देने की घोषणा की थी। परन्तु क्योंकि यह युद्ध अहिंसात्मक है, अतः यह बहुत धीरे धीरे चल रहा है और इसका कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता है।

अस्पृश्य जातियों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने का कारण यह बताया जाता ह कि उनमें योग्यता की कमी है। परन्तु उनके पास योग्यता आए कैसे जबकि देश की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है जो कि इन जातियों के बौद्धिक विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिए तो छात्रवृत्तियां दे रहा है परन्तु बिना नींव के इमारत कैसे बन सकती है। प्राईमरी शिक्षा के सम्बन्ध में उस ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन की प्राईमरी शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

[श्री खर्डेकर]

यदि मेरा यह सुझाव मान लिया जाय तो मुझे पूर्ण आशा है कि दस वर्षों में इन जातियों में ऐसे अनेक व्यक्ति प्रकट होंगे जो उतने ही योग्य होंगे जितने कि अन्य जातियों के व्यक्ति हैं। भगवान ने उन्हें बुद्धि तो दी हुई है, परन्तु आवश्यकता है उसके विकसित किए जाने की। अतः उनकी प्राईमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधायें दी जायें, उनके लिए छात्रावास बनाये जायें, उन्हें माध्यमिक और कालिज शिक्षा भी दी जाए, उनके मनों में आत्म विश्वास उत्पन्न किया जाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सकता है। सामाजिक वातावरण में एक भारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुझे यह अनुभव हुआ है कि काका साहिब को रसोइया की जानकारी अनुसूचित जाति के किसी भी स्नातक से अच्छी है।

श्री कामत : कौन काका हैं ?

श्री खर्डेकर : गाडगिल। कारण यह है कि यह अभागे गांवों से शहरों में मैट्रिकुलेशन परीक्षा देने जाते हैं। जब वह कालिज में पहुंचते हैं तो उन्होंने समाचार पत्र की सूरत तक नहीं देखी हुई होती है। वह बिना सोचे विचारे कुछ बातों को घोट लेते हैं और परिणाम यह होता है कि स्नातक हो जाने के पश्चात् वह एक आवेदन-पत्र तक नहीं लिख सकते हैं। ऐसी असंस्कृत तथा विषम स्थिति में होने के कारण लोक-सेवा आयोग द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाता है। इस में दोष किसी का भी नहीं होता है, न विद्यार्थियों का और न आयोग के सदस्यों का। सरकार ने समस्या को ठीक तरह से समझा ही नहीं है। वह तो सिर्फ यह कह देती है, "हम ने इतना रुपया छात्रवृत्तियों पर व्यय किया"। पर इन छात्रवृत्तियों का होता क्या है ? कभी कभी गरीब बच्चों को अपने माता पिता की उस राशि में से सहायता करनी होती है जिसके परिणाम-स्वरूप वह पुस्तकें आदि नहीं खरीद पाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधायें दी जायें। मेरा यह कहना नहीं है कि प्राईमरी शिक्षा निःशुल्क दी जाए क्योंकि ऐसा करना प्रायः असम्भव है।

प्रो० वाडिया ने राज्य सभा में भाषण देते हुए कहा था कि आदिमजातियों के व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। उनकी अपनी एक संस्कृति है, नाच और गाने की स्वतंत्र प्रणालियां हैं और मद्यपान उन की संस्कृति का एक भाग है। यदि आप उन को मद्यपान करने से रोकने की चेष्टा करते हैं तो इस का परिणाम यह होगा कि वह पूर्ण रूप से पृथक हो जायेंगे। मद्यपान उन के धर्म और रीति रिवाजों का एक भाग है। सभ्य जगत द्वारा चार प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रतायें स्वीकार की गई हैं और उपासना की स्वतंत्रता उस में से एक है। सभ्यता के नाते हम किस प्रकार उनके धार्मिक कार्यों में बाधा डाल सकते हैं।

मेरे कुछ हरिजन मित्रों ने यह कहा कि समस्त देश में पूर्ण मद्य निषेध होना चाहिये। बम्बई राज्य में पूर्ण मद्य निषेध इस अर्थ में अवश्य लाभदायक सिद्ध हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक कुटिया में एक अवैध मद्यशाला कुटीर उद्योग के रूप चमक उठी है।

मैं अपने देश की वैदेशिक नीति और प्रधान मंत्री का प्रशंसक हूं, परन्तु हमारा

प्रथम कर्तव्य स्वयं अपने आप को सुधारना है और जब कि हमारी चौथाई जनसंख्या ऊधो-मानवीय जीवन बिता रही है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी स्थिति में कुछ सुधार कर रहे हैं ।

दुर्भाग्य से इस पिछड़े हुये समाज का कोई नेता नहीं है । यदि उन के यहां नेहरू या जिन्ना जैसा कोई नेता होता तो इन लोगों ने सरकार को तिगनी का नाच नचा दिया होता ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं उन से व्यक्तिगत स्पष्टिगत स्पष्टिकरण चाहता हूं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आनरेबल मेम्बर ने कहा है क्या वह मुझे किसी राजनीतिक दृष्टि से कहा है कि या कोई परसनल चीज कही है ?

सभापति महोदय : मैं स्वयं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी मेम्बर साहब ने कहा है और जो मुझ से ताल्लुक रखता था वह किस दृष्टि से कहा, उन का भाव क्या था ।

सभापति महोदय : जब आप समझे ही नहीं तो आप क्यों नाराज़ होते हैं । उन्हों ने मज़ाक में बात कही है और आप को भी उसे हंसी में टाल देना चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं उन को उस बात का जवाब देना चाहता था ।

श्री बाबूनाथ सिंह (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : आज जिन महान विभूतियों के परिश्रम से मैं एक आदिवासी इतने बड़े भवन में आप विद्वानों के सामने बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, उन महान विभूतियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं ।

आदिवासी लोग इस देश के सब से पुराने निवासी हैं फिर भी उन्हें मैदान छोड़ जंगलों और पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी इस का कारण इन की धर्म प्रियता है । आर्य लोग जब इस देश में आये तो आदिवासियों का धर्म नष्ट होने लगा । धर्म को बचाने के लिये ही ये आदिवासी जंगलों और पहाड़ों में बस गये । इन का धर्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इन का रहन सहन ही इन का धर्म है । पर आज चारों ओर से इन के धर्म का नाश हो रहा है, खास कर ईसाई लोग इन के धर्म को बुरी तरह से बरबाद कर रहे हैं । ईसाई लोग चाहे कितने ही भले हों और आदिवासी चाहे कितने ही जंगली हों पर फिर अपना धर्म अपना ही होता है । पर अशिक्षित और अज्ञानी होने के कारण ये अपना रास्ता भूल जाते हैं ।

मध्य प्रदेश के सुरगुजा और रायगढ़ जिले में धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या हो गई है । मिशनरियों का जबरदस्त प्रचार हो रहा है । लड़कों की चोटियां तक काट दी जाती हैं । चोटी काटना बहुत अशुभ माना जाता है और इस के बारे में कई शिकायतें डिप्टी कमिश्नर के पास तक जा चुकी हैं । समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों शहरी इलाका छोड़ कर हमारे अज्ञानी भोले भाले आदिवासियों के बीच प्रलोभन दिखा कर अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं । मुझे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद ये सरकार को भी धोखा देंगे, इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि आदिवासियों के बीच इस प्रकार के धर्म प्रचार को रोकने की आज्ञा अविलम्ब दी जाये ।

जहां तक स्कूलों का सवाल है प्राइमरी स्कूल तो काफी खुल गये हैं, लड़के पढ़ने भी जाने लग गये हैं पर चार क्लास पढ़ने के बाद ये किसी काम के नहीं रह जाते । इन

[श्री बाबूनाथ सिंह]

के मां बाप के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपने बच्चों को शहर में भेज कर पढ़ा सकें । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन कि चार पांच प्राइमरी स्कूलों के बीच में एक मिडिल स्कूल खोला जाये और ऐसे चार पांच मिडिल स्कूलों के बीच में एक हाई स्कूल खोला जाये तथा हर एक जिले में एक एक कालेज की व्यवस्था की जावे ताकि हमारे आदिवासी बालक अपनी जिन्दगी सुधार सकें और देश के काम आ सकें ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें आदिवासियों पर जितना पैसा खर्च करती हैं उस से कहीं अधिक पैसा ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन के लिये खर्च करती हैं । यह समझने की बात है कि सरकार द्वारा आदिवासियों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा हिस्सा तो ये ईसाई ही हड़प जाते हैं और इस के अलावा भी ये बहुत सा पैसा अपनी तरफ से लगाते हैं । समझ में नहीं आता कि इन के पास इतना पैसा आता कहां से है कि ये लोग मन माने स्कूल अस्पताल आदि खोल कर और भी कई प्रकार से प्रलोभन दे कर आदिवासियों को ईसाई बना लेते हैं । सरकार से मेरा अनुरोध है कि जितना पैसा और सुविधायें ईसाईयों से मिलती हैं उस से अधिक पैसा और सुविधायें दे कर आदिवासियों के धर्म की रक्षा करे और जो अनुदान आदिवासियों को दिये जाते हैं उन में ईसाईयों का हक न हो । अगर उन्हें देना ही है तो दोनों की जन संख्या के मान से उन्हें अलग अलग अनुदान दिया जावे ताकि आदिवासियों का कल्याण हो सके ।

आवागमन और यातायात के साधनों की कमी के कारण आदिवासियों का सभ्य संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे अन्धेरे में पड़े हुए हैं और दिन रात लूटे जाते हैं । रेल की लाइन और मोटर के रास्ते बन जाने से वे बाहर की दुनिया देख सकेंगे और शहर के लोगों के साथ उठना बैठना होने से वे कुछ समझदार बन सकेंगे । इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि वह आदिवासी विभागों में नये रास्ते और रेल मार्ग बनाये ताकि आदिवासियों की आर्थिक तरक्की हो सके ।

नौकरियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है । राज्य सरकारें आदिवासियों और हरिजनों की उन्नति के लिये जो पैसा खर्च कर रही हैं वह पता नहीं किस तरह से खर्च हो रहा है । आदिवासियों को तो इस से कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री धुसिया (जिला बस्ती-मध्य-पूर्व जिला गोरखपुर–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं समझता हूं कि यह बात तो सभी जानते होंगे कि अगर कोई आदमी कोई जुर्म करता है––वह सिविल हो या क्रिमिनल––तो उस को सज़ा मिलती है । लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इस में एक्सेप्शन है और वह यह है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ वालों के साथ चाहे कोई जो कुछ भी जुर्म करें, उस की कोई सुनवाई नहीं होती है । मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मेरी बातों को ध्यान से सुनें और बाद में मेरी एक एक बात का जवाब दें । शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ वालों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं––जो जुर्म होते हैं, उन

के उदाहरण मेरे ख्याल में हर एक मिनिस्ट्री के पास होते हैं, परन्तु मैं कुछ ज्वलन्त उदाहरण यहां पर रखूंगा ।

जैसाकि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर साहब ने भी कहा है, उन को कहीं से भी को-आपरेशन नहीं मिल रहा है । किसी भी मिनिस्ट्री से को-आपरेशन मिलना तो दूर रहा, उन की तरफ से जवाब भी ठीक टाइम पर नहीं मिलता है । इस सिलसिले में मैं दो तीन मिसालें दूंगा और दातार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह उन की जांच-पड़ताल करायें ।

मैं ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि १९५२, १९५३ और १९५४ में एन० ई० रेल्वे में कितने क्लर्क लिये गये थे और उन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने आदमी थे—मैं दातार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ज़रा गौर से सुनें और इन बातों को भूल न जायें, क्योंकि उन के पास काम बहुत रहता है—और मुझे जवाब दिया गया कि १९५२ में ३०२ आदमी लिये गये और शिड्यूल्ड कास्ट्स के ११ आदमी लिये गये और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कोई आदमी नहीं था । १९५३ में २२४ आदमी लिये गये और उन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के ८ आदमी थे और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के ३ आदमी थे । १९५४ में ५२६ आदमी लिये गये और शिड्यूल्ड कास्ट्स के २२ और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के २ आदमी थे । हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो आफ़िसर्ज़ इस तरह से पूरा कोटा नहीं लेते हैं, जितना कि कोटा मुकर्रर है, उन के खिलाफ़ आप क्या स्टेप्स लेते हैं ? आप उन को तरक्की देते हैं या डीग्रेड करते हैं ?

आप के कहने से, हमारे कहने से और बाज़ारों में चिल्लाने से कि सरकार हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रही है, कुछ नहीं होगा । सरकार जो कुछ करती है, वह आप जानते हैं, सब जानते हैं और फ़िगर्ज़ भी बतला रहे हैं । मेरा सवाल तो यह है कि जो आफ़िसर्ज आप का हुक्म नहीं मानते हैं, उन के खिलाफ आप क्या ऐक्शन लेते हैं । आप मेहरबानी कर के उन आफिसर्ज़ से पूछिये कि अगर उन का कोटा कम्पलीट नहीं हुआ है, अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के लिये रिज़र्व्ड जगह भरी नहीं गई हैं, तो क्या वे जगह अब तक खाली पड़ी हुई हैं, या उन पर उन आफिसर्ज़ के चचा भतीजे और उन के रिश्तेदार आ गये हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम नहीं करेगी और इस बारे में सख्त कार्यवाही नहीं करेगी, तब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों का कुछ भी भला नहीं होगा ।

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जहां तक ज़मीन देने का ताल्लुक़ है, मिनिस्टर साहब को बिल्कुल कामयाबी नहीं मिल सकती है । इस की वजह यह है कि जितनी ज़मीन है, वह जिन लोगों के पास है, अगर उन के रिश्तेदारों में भी वह बांटी जायेगी, तो भी कम पड़ जायेगी, तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को कौन देगा ? न उन के पास पैसा है और न कैपेसिटी है । इसलिये मैं इस बात को उतनी इम्पार्टेन्स नहीं देता हूं । हां, अगर यह मुमकिन होता, तो मुझे भी बहुत खुशी होती । लेकिन मौजूदा हालात में अगर सर्विसेज में ही हम लोगों का ज़रा ध्यान रखा जाय, तो बहुत है । मैं देखता हूं कि सर्विसेज़ के लिये आप भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, फिर भी यह काम नहीं हो रहा है ।

हम ने नेपाल की एक पहाड़ी कहानी पढ़ी थी, जिस का सारांश यह है कि एक जवान औरत थी । उस की शादी हुई और फिर उस का शौहर लड़ाई में चला गया । वह बहुत दिनों तक वहां रहा और फिर

[श्री धुसिया]

मर गया । उस औरत का कहना था कि "आधी जवानी मैं ने रो रो कर बिताई और उस के बाद मैं बेवा हो गई ।" वही हालत यहां पर है । १९५० में हमारा कांस्टीटयूशन बना था । आज १९५५ हो गया है—पांच साल हो गये हैं । मिनिस्टर साहब बतायें कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिज़र्वेशन कम्पलीट हो गया है ? अगर हो गया है, तो हम कृतज्ञ हैं और अगर नहीं हुआ तो ज़रा तक्लीफ़ करें और देखें कि क्यों यह काम नहीं हो रहा है, कौन से वे आफिसर्ज़ हैं, जो यह काम पूरा नहीं कर रहे हैं, और इस रिज़र्वेशन को कम्पलीट करने के लिये और कौन कौन से कदम उठाने ज़रूरी हैं ? क्या उन्हों ने कभी शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों को कन्सल्ट किया है कि आखिर यह समस्या हल क्यों नहीं होती ?

जब हम लोग अपने लड़कों के लिये —जो थोड़े बहुत पढ़ते हैं—स्कालरशिप के लिये आवाज उठाते हैं, तब इस हाउस में हम को जवाब मिलता है कि गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के सब लड़कों को वजीफा दिया जा सके । इस से जाहिर होता है कि हमारे बहुत ज्यादा लड़के इस वक्त पढ़ रहे हैं । लेकिन हम देखते हैं कि उस के साथ ही बगल से नौकरियों के लिये यह आवाज आती है कि "शिड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कैन्डीडेट्स आर नाट एवेलेबल" । हमारी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सा वर्शन सही है । क्या हमारे लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं या हमारे कैन्डीडेट्स एवेलेबल नहीं हैं ? हमें तो यह सब देख कर बड़ा ताज्जुब होता है और दुख होता है । हमारी समझ में नहीं आता कि बात क्या है ? हम चाहेंगे कि जवाब देते समय मिनिस्टर साहब इस बारे में भी कुछ कहेंगे । इन सब बातों की हिस्ट्री लिखी जायेगी और उस को कोई रोक नहीं सकता है । इन कांग्रेस वालों की यह हिस्ट्री लिखी जायेगी कि किस तरह से ये लोग बाहर लड़ें और लैजिस्लेचर में लड़ें और इस तरह इन्हों ने कानून बनवाये, लेकिन उन का कोई फल नहीं निकला । हम देखते हैं कि आप के गवर्नमेंट आफिसर्ज़, जिन पर कि आप भरोसा करते हैं, आप के आर्डर्ज़ को डिसओबे करते हैं और आप यह सब देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते । इस का सबूत आप की फिगर्ज़ में है । हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं—हम आप की बात आप को सुना रहे हैं । आखिर हर एक डिपार्टमेंट में हर साल रिक्रूटमेंट होता है । आप हर जगह से स्टैटिस्टिकल फिगर्ज़ मंगाइये कि किस डिपार्टमेंट में कितने आदमी लिये गये हैं और अगर उन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ की तादाद कम है, तो उन लोगों से पूछिए कि क्या कारण है । अगर एप्लिकेशन्ज़ ज्यादा आई थीं और उन्हों ने कम लिये, तो जब तक आप ज़िम्मेदार अफ़सर को सस्पेंड कर के उस के खिलाफ़ डिसिप्लिनरी ऐक्शन नहीं लेंगे और वह भी सिर्फ पहली मर्तबा, अगर दूसरी मर्तबा वह ऐसा करता है, तो उसको डिसमिस कर दीजिये, अगर आप ऐसा न करेंगे, तो उस का नतीजा यह होगा कि हिस्टरी लिखने वाले यह लिखेंगे कि कांग्रेस वालों ने लड़ कर जब गवर्नमेंट बनाई और शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के लिये रिज़र्वेशन रखी, तो इस काम में उन के आफिसर्ज़ ही उन के आर्डर्ज़ को डिसओबे किया करते थे और गवर्नमेंट ने उन के खिलाफ़ कोई ऐक्शन नहीं लिया । उस का यह भी नतीजा होगा कि आप, हम और

यह गवर्नमेंट, सब बदनाम होंगे । आप इस बात को मानें या न मानें । मैं तो अपने दिल के जज़बात यहां पर रख रहा हूं । इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप हर साल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के स्टैटिस्टिकल फिगर्ज़ मंगाया करें और अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों की तादाद कम है, तो ज़िम्मेदार आफिसर्स को सस्पेन्ड कर के उस का एक्सप्लेनेशन काल कीजिये और उस के खिलाफ ऐक्शन लीजिये । अगर डिपार्टमेंट में रख कर ही एक्सप्लेनेशन मांगा और ऐक्शन लेना चाहा, तो कामयाबी नहीं मिलेगी और कोई फायदा न होगा ।

जब किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिये चुनाव हो, तो आप उस में किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले आदमी को आनरेरी तौर पर, या नामीनेट कर के या वहां के किसी गवर्नमेंट सरवेन्ट को रख कर देखिये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के कैन्डीडेट्स मिलते हैं या नहीं । आप यह एक्सपेरिमेंट कर के देखिये तो सही । अगर आप देखें कि फायदा कुछ नहीं होता है और खर्च ज्यादा पड़ता है, तो आप उस को ड्राप कर दीजिए, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट तो कर के देखिये और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ वाले जो आवाज़ उठाते हैं, उस को पूरा कीजिये ।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वालों के लिये तीसरी बात मैं यह कहूंगा । आप जानते हैं कि ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, और इन की गरीबी इस कारण और बढ़ती जाती है कि इन के यहां शादी छोटे पन में ही हो जाती है । मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों में फैमिली प्लानिंग का ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिये । अगर इन में फैमिली प्लानिंग का प्रचार हो जायेगा तो इन का खर्चा एक सीमित दायरे में महदूद हो जाएगा और उन के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी । मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे ।

एक चीज़ मैं और सरकार के सामने रखना चाहता हूं । सरकार चाहे उस को माने या न माने पर उस पर विचार अवश्य करे । आप को मालूम है कि जब किसी को कांग्रेस का चार आने का मेम्बर बनाया जाता है तो उस से फार्म के एक कालम में यह भी लिखाया जाता है कि "मैं छुआछूत नहीं मानूंगा" । इसी तरह से जो लोग सरकारी नौकरी में आवें उन से लिखाया जाये कि वे छुआछूत आबजर्व नहीं करेंगे, और यदि वे ऐसा करेंगे तो उन को नौकरी से डिबार कर दिया जायेगा । अगर ऐसा कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आप को इस काम में बहुत हद तक कामयाबी मिल सकती है ।

गवर्नमेंट इस बात पर भी विचार करे कि ऐसा नियम बना दिया जाये कि अगर कोई कास्ट हिन्दू लड़का या लड़की किसी शिड्यूल्ड कास्ट वाले से विवाह करे तो उस को सरविस में प्रिफरेंस दिया जायेगा । अगर ऐसा किया जाये तो उस से छुआछूत बहुत जल्द मिट सकती है ।

श्री जो० एल० चौधरी (जिला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व—रक्षित, अनुसूचित जातियां) : दो दिन तक मैं ने प्रयत्न किया और इस के बाद आप ने मुझे समय दिया इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । मैं शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने बड़ी मेहनत कर के यह रिपोर्ट तैयार की ।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आज देहात में हरिजनों की क्या हालत है । मोटे तौर पर हम हरिजनों को चार कैटेगरीज़

[श्री जी० एल० चौधरी]

में बांट सकते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे किसान हैं। उन की हालत यह है : छोटे किसान होने के कारण उन के पास बंजर जमीन के अत्यन्त छोटे टुकड़े हैं परन्तु उन्हें अधिकतम किराया देना पड़ता है ।

दूसरे लोग एग्रीकल्चरल लेबर के हैं । उन की हालत यह है : कि कृषि श्रमिक होते हुये उन्हें इसे आठ आने तक प्रति दिन की थोड़ी सी मजूरी मिलती है और कुछ तो पुश्तों से गुलाम हैं और उन्हें दूसरे मालकों के पास जाने की स्वतंत्रता नहीं जबकि गांव में न तो उन के पास काम है और न ही रोटी।

तीसरी तरह के लोग वे हैं जो शहरों में चमड़े का काम करते हैं। उन की हालत यह है कि चमड़े का काम करने वालों चमड़ा रंगने वालों और जुलाहों को संगठित उद्योग और दलालों के शोषण के कारण और चौथे शहरों के हमारे स्वीपर हैं। उन की हालत यह है कि भंगी नगरों और शहरों में कम आये और बेरोजगारी के कारण प्रपीड़ित हैं ।

जब हम चारों तरफ हरिजनों की यह हालत देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि जो रुपया आज आप उन के लिये खर्च कर रहे हैं वह बहुत ही थोड़ा है । आप दस वर्ष में उन के लिये जो करना चाहते हैं इतने रुपये से उस का दसवां हिस्सा भी कठिनाई से हो सकेगा। आप पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। उस के लिये इतना रुपया खर्च कर रहे हैं । पहली योजना खत्म हो रही है । लेकिन आप ने इस बात का कोई माप दंड नहीं रखा कि इन पांच वर्षों में हरिजनों की सामाजिक असमानता कितनी कम हुई । मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बना रही है उस में कोई इस बात का माप दंड रखे कि वह इस सीमा तक हरिजनों की असमानता को दूर करेगी जिस से कि हम को पता चल सके कि हम पहले इस दशा में थे और अब इस दशा में हैं । आज हम गांवों में जा कर देखते हैं तो पाते हैं कि हरिजनों की वही दशा है जोकि दस वर्ष पहले थी ।

अभी मैं सौराष्ट्र गया था । वहां मैं द्वारिकानाथ के मन्दिर में और दूसरे मंदिरों में भी गया। वहां मैं ने देखा कि जो कानून आप ने बनाया है उस की अवहेलना करने का लोगों ने एक नया तरीका निकाला है । उन्हों ने मूर्तियों के आगे ताले डाल दिये हैं । उस स्थान से आगे कोई भी नहीं जा सकता इस तरह से वहां एक नये तरह का ही अछूतपन रूप हो गया है । मैं ने लोगों से पूछा कि यह क्या बात है, तो उन्हों ने बतलाया कि भारत सरकार ने हरिजनों के मन्दिर में जाने के लिये कानून बना दिया है। इसलिये हम ने यहां ताला डाल दिया है कि इस स्थान से आगे कोई नहीं जा सकेगा । तो जब आप कानून बनाते हैं तो उन की अवहेलना करने के लिये लोग इस तरह के तरीके निकाल लेते हैं । इस को दूर करने के लिये आप ने क्या सोचा है ।

मैं आप को अपने जिले का हाल बताऊं। वहां आज भी यह हाल है कि लोग हमें कुवों पर पानी नहीं भरने देते । जब हम थाने में रिपोर्ट ले कर जाते हैं तो हम से थानेदार और एस० पी० तक यह कहते हैं कि हम को नहीं मालूम कि कोई छुआछूत के लिये ऐसा कानून बना है कि हम जिस के अनुसार ऐक्शन ले सकें । तो मेरी सलाह तो यह है कि आप अपने इस कानून का प्रचार गांव गांव में करें ताकि हर शख्स को मालूम हो जाये कि आप ने ऐसा कानून बनाया है और अगर कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करेगा तो यह जुर्म माना जायगा । जब तक

आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस कानून से हरिजनों को कोई लाभ नहीं होगा और उन की अवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी । अगर आप इस विषय में कदम नहीं उठायेंगे तो जिस तरह से पांच बरस का समय बीत गया उसी तरह बाकी का पांच साल का रिजर्वेशन का समय भी बीत जायगा और हरिजन जहां के तहां रहेंगे ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : सर्वप्रथम मै अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त को उन के द्वारा किये गये महान कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं । उन्हों ने अपने समस्त कार्यकाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाये रखा है और वह किसी भी समय अपने कर्मचारियों या प्रकृष्ट अधिकारियों से कभी भी प्रभावित नहीं हुए ।

मैं इस समस्या के तीन पहलुओं— अस्पृश्यता, शिक्षा तथा नौकरियां— तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा । जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं रखे गये हैं, यद्यपि उन के लिये कुछ छात्रवृत्तियां अवश्य रखी गई हैं । परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा की गई छात्रवृत्ति सम्बन्धी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की गई है । उन से केन्द्रीय सरकार से आवेदन करने के लिये कह दिया जाता है । परन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है प्रायः ९५ प्रतिशत आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिये जाते हैं ।

दूसरी बात मैं नौकरियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह कहा गया है कि केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों को १२.५ प्रतिशत, अनुसूचित आदिमजातियों को २.५ प्रतिशत अन्य राज्य वर्गों में ६.५ प्रतिशत नौकरियां दी जाती हैं । प्रतिशतता का यह निर्धारण कोई नई बात नहीं है और न एकाएकी ही यह किया गया है, अपितु यह १९३० से विद्यमान है । परन्तु प्रतिवेदन में मैं ने पढ़ा है कि केवल २.४ प्रतिशत स्थान ही भरे जा सके हैं । पच्चीस वर्ष में इतना सा कुछ कर सके हैं । जब तक कि हम अन्य जाति वालों की भर्ती को बन्द नहीं कर देंगे इस निर्धारित १२.५ प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना असम्भव होगा । सौराष्ट्र सरकार ने इसी प्रणाली को अपनाया है । मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार भी स्वयं अपने विभागों और राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी कर दे कि जब तक कि इस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये अन्य जाति वालों की भर्ती बन्द कर दी जाये ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति में सब से बड़ी बाधा है दक्षता और कार्यक्षमता की । भर्ती दक्षता तथा कार्यकुशलता को हानि पहुंचाये बिना की जानी चाहिये । सरकार के विभिन्न विभाग इस सिद्धान्त को लागू करने में बहुत तत्पर रहे हैं । जहां तक दक्षता-परीक्षाओं का सम्बन्ध है, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि उन को अवसर दिये जायें, तो वह अन्य व्यक्तियों जैसे ही कार्य दक्ष सिद्ध हो सकते हैं । आज दक्षता का प्रमापीकरण कर दिया गया है और इस के लिये निश्चित नियम बना दिये गये हैं । अब केवल नियमों का पालन करना भर शेष रहता है ।

कोई नौ वर्ष पहले मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों में से एक डिप्टी सुपरिंटैन्डैन्ट पुलिस लिया जाना था । केवल एक व्यक्ति ने आवेदन किया परन्तु उसे अयोग्य तथा अक्षम घोषित कर दिया गया क्योंकि वह उन के स्तरों के अनुकूल नहीं था । तो उस ने किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश की । जब यह नाम सरकार के अनुमोदन के

[एन० आर० मुनिस्वामी]

लिये भेजा गया तो सरकार ने उस को भी अस्वीकार कर दिया। दुर्भाग्य से अगल वष भी यही चीज़ हुई। तीसरे साल सरकार को उसी व्यक्ति की नियुक्ति करने पर स्वीकृति देनी पड़ी। अब वह व्यक्ति अत्यधिक कार्यकुशल सिद्ध हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसे लोगों को मौका दिया जाये तो वे भी बहुत अच्छे कायकर्ता सिद्ध हो सकते हैं।

जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि हमें गांवों में सिनेमाओं आदि द्वारा जनता को यह समझाना चाहिये कि अस्पृश्यता को किस प्रकार दूर किया जाना है। यदि देहातों में नये होटलों का लाइसेन्स दिये जायें तो इस के साथ यह शर्त लगा दी जानी चाहियें कि होटल में कम से कम दो-तीन हरिजनों को रसोइयों या बैरों के रूप में रखा जायेगा। गांवों में मेले, त्यौहार, भोज आदि में हरिजनों से सवर्ण हिन्दुओं के साथ बैठने के लिये कहा जाये। विशेष रूप से प्राइमरी स्कूलों में हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बच्चे साथ-साथ पढ़ें।

उत्तर प्रदेश में आदिमजातियों की कोई सूची नहीं है। प्रशासकों ने इस का कारण यह बताया कि उत्तर प्रदेश में आदिम-जाति के लोग ही नहीं हैं। परन्तु तथ्य यह है कि वहां आदिमजाति के लोग रह रहे हैं। ऐसी दशा में उन के लिये भी जो धन आवंटित किया जाता है उस का उपयोग अन्य जातियों के लाभ के लिये होता है।

रेडियो और सिनेमाओं का प्रचार केवल नगरीय अथवा अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में सीमित न रह कर देहातों में भी होना चाहिये ताकि वहां की अनभिज्ञ जनता के ज्ञान में वृदि की जा सके।

मुझे गृह-कार्य मंत्री से यह सुन कर बहुत खुशी हुई कि हाल में सरकार ने दो शाखायें (विंग) खोली हैं जो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कार्यवाही करेंगी। इन नई शाखाओं से कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी।

श्री राधा रमण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न लिखित रखा जाये :

"यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के १९५४ के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, उस का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार १७ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।